लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

छठा सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 59
Dated 30 oct 2007

(खंड 14 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

पी.के. ग्रोवर
संयुक्त सचिव

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

जे.पी. शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

ललिता अरोड़ा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 14, छठा सत्र, 2005/1927 (शक)]

अंक 7, गुरुवार, 1 दिसम्बर, 2005/10 अग्रहायण, 1927 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 122 से 125	1–34
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 126 से 141	35–58
अतारांकित प्रश्न संख्या 1270 से 1485	57–302
सभा पटल पर रखे गए पत्र	303–304
राज्य सभा से संदेश	304
लोक लेखा समिति	
अठारहवां प्रतिवेदन	305
वित्त संबंधी स्थायी समिति	
पच्चीसवां प्रतिवेदन	305
खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति	
आठवां प्रतिवेदन	305
शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति	
ग्यारहवां और बारहवां प्रतिवेदन	306
सदस्यों द्वारा निवेदन	
(एक) विश्व एड्स दिवस के बारे में	309–310
(दो) भूतपूर्व सैनिकों के लिए "एक रैंक एक पेंशन" के बारे में	321–322
(तीन) बहुराष्ट्रीय कंपनियों में दलितों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता के बारे में	326
नियम 377 के अधीन मामले	328–338
(एक) हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियरों के कम होने और पारिस्थितिकी असंतुलन को नियंत्रित करने के लिए दीर्घकालिक रणनीति बनाए जाने की आवश्यकता	
प्रो. चन्द्र कुमार	329

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(दो) उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बुनकरों के हितों की रक्षा करने के लिए सिल्क के आयात पर कर लगाए जाने की आवश्यकता	
डा. राजेश मिश्रा	329–330
(तीन) पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल	330
(चार) चालू परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और स्वजल धारा योजना के अंतर्गत निधियों की बकाया किश्त को राज्यों को जारी किए जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी	331
(पांच) अरूणाचल प्रदेश के सभी प्रशासनिक केन्द्रों को सड़क द्वारा जोड़ने और तेजपुर और तवांग के बीच सड़क को चौड़ा करने के लिए आवश्यक निधि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री कीरेन रिजीजू	331
(छह) राज्य में बिजली की कमी की समस्या को हल करने के लिए मध्य प्रदेश को सेंट्रल ग्रिड से अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता	
डा. सत्यनारायण जटिया	332
(सात) उत्तरांचल के पौड़ी गढ़वाल जिले में कोटद्वार में एक "ग्रोथ सेंटर" शीघ्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी	332
(आठ) दो हजार ग्रुप "ए" अधिकारियों को डी.ओ.टी. को प्रत्यावर्तित किए जाने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री संतोष गंगवार	332–333
(नौ) केरल में क्विलोन बाईपास को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	
श्री पी. राजेन्द्रन	333–334
(दस) देश में बर्ड फ्लू के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती उपाय किए जाने की आवश्यकता	
श्री रेवती रमन सिंह	334
(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के स्ववित्तपोषित डिग्री कालेजों में पढ़ाने के लिए नियत योग्यता मानदंड की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री इलियास आजमी	334–335
(बारह) बिहार के सारण जिले के मांझी में एक आवासीय रेलवे स्कूल खोले जाने की आवश्यकता	
श्री प्रभुनाथ सिंह	335–336
(तेरह) उड़ीसा में प्रति वैगन भार वहन करने की क्षमता 100 टन तक बढ़ाने के लिए रेलवे ट्रक की भार वहन करने की क्षमता बढ़ाकर 30 टन एक्सल किए जाने की आवश्यकता	
श्री भर्तृहरि महताब	336

विषय		कॉलम
(चौदह)	देश में भूमिहीन लोगों के बीच अधिशेष भूमि का संवितरण करने के लिए वन संरक्षण अधिनियम को संशोधित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रामदास आठवले	336–337
(पन्द्रह)	पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन की एक प्रतिमा दिल्ली में स्थापित किए जाने के अलावा केरल के कोट्टायम जिले के उझवूर डिवीजन में उनके नाम पर शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
	श्री पी.सी. थामस	337
(सोलह)	मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच चम्बल नदी के जल बंटवारे के लिए एक चम्बल जल आयोग की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
	श्री अशोक अर्गल	338
नियम 193 के अधीन चर्चा		
(एक)	दिल्ली में श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट	338
(दो)	जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हिंसा	338
(तीन)	13.11.2005 को जहानाबाद, बिहार में हुआ नक्सलवादी हमला, और	338
(चार)	11.11.2005 को होम गार्ड ट्रेनिंग सेंटर गिरिडीह झारखंड में हुआ नक्सलवादी हमला	338–404
	प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा	339–353
	श्री अजय चक्रवर्ती	353–360
	श्री कपिल सिब्बल	360–370
	श्री निखिलानंद सर	370–376
	प्रो. राम गोपाल यादव	376–383
	श्री अनंत गंगाराम गीते	383–387
	श्री गणेश प्रसाद सिंह	388–392
	डा. रतन सिंह अजनाला	392–395
	श्री भर्तृहरि महताब	395–401
	योगी आदित्यनाथ	401–404
अनुबंध-I		
	तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	405
	अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	406–412
अनुबंध-II		
	तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	413–414
	अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	413–414

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

गुरुवार, 1 दिसम्बर, 2005/10 अग्रहायण, 1927 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय: श्री हरिकेवल प्रसाद, प्रश्न सं. 122

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों का समय पर आवागमन

*122. **श्री हरिकेवल प्रसाद:**
डा. एम. जगन्नाथ:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी, 2005 से आज तक रेलगाड़ियों के समय पर आवागमन संबंधी कार्य निष्पादन की स्थिति क्या है;

(ख) रेलगाड़ियों के देर से आगमन के क्या कारण हैं और इसके लिए किसकी जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; और

(ग) रेलगाड़ियों के विशेषकर कोहरे के मौसम में सुरक्षित और समय पर आवागमन की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं?

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) जनवरी 2005 से अक्तूबर 2005 तक (माहवार) मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों का समग्र समयपालन निष्पादन नीचे लिखे अनुसार है:

	बड़ी लाइन (%)	मीटर लाइन (%)
	1	2
जनवरी, 05	84.3	97.2
फरवरी, 05	90.5	96.7
मार्च, 05	91.9	97.2
अप्रैल, 05	91.1	96.5
मई, 05	90.8	97.6
जून, 05	92.0	96.8
जुलाई, 05	92.9	96.2
अगस्त, 05	93.0	96.9
सितम्बर, 05	91.7	91.1
अक्तूबर, 05	92.5	97.8
समग्र (जनवरी-अक्तूबर, 05)	91.0	97.3

रेलगाड़ियों के विलंब से चलने के कारणों में न केवल रेलवे पर आरोप्य कारण यथा परिसंपत्तियों की खराबी, पार्सलों के लदान और उतराई में लगने वाला अतिरिक्त समय और खराब यातायात नियंत्रण जैसे कारण होते हैं बल्कि रेलों के नियंत्रण से बाहर के कारण यथा शरारती तत्वों की गतिविधियां, चक्रवात, तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं, दरार पड़ने, कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्याएं, खराब मौसम, मवेशी कुचले जाना और बिजली की ग्रिड की खराबी भी शामिल होते हैं।

भारतीय रेल द्वारा परिचालनों में और यात्री गाड़ियों के समयपालन में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं:

1. तीनों स्तर, अर्थात मडंल, जोनल मुख्यालय और रेलवे बोर्ड स्तर पर, गाड़ियों की चौबीसों घंटे गहन निगरानी करना।
2. समय-समय पर समयपालन अभियान चलाना।
3. अधिकतम अनुमेय गति पर गाड़ियों को चलाना बशर्ते कि संरक्षा सीमाओं और गति प्रतिबंधों का उल्लंघन न होता हो।
4. निर्बाध पथ मुहैया कराने के लिए समय सारणी में सुधार।
5. उपस्कर की खराबी की संख्या कम करने के लिए परिसंपत्तियों के अनुरक्षण के मानक में सुधार।

6. कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्याओं और शरारती तत्वों की गतिविधियों से निबटने के लिए राज्य सरकार के साथ संपर्क करना।

7. समयबद्ध चालन सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को परामर्श देना तथा उन्हें प्रेरित करना।

8. रेलपथ, चल स्टॉक और सिगनल प्रणाली की प्रौद्योगिकी का उन्नयन।

इसके परिणामस्वरूप, कठिनाइयों के बावजूद विभिन्न यात्री सेवाओं का समयपालन संतोषजनक रहा है।

उक्त अवधि के दौरान गाड़ियों की अनावश्यक रुकौनी के लिए उत्तरदायी पाये गये 2394 कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

कोहरे की अवस्था में निमनलिखित उपाय और पूर्वोपाय किये जाते हैं:

(क) इस आधार पर गति प्रतिबंध लगाया जाता है कि कितनी दूरी तक साफ दिखाई पड़ता है;

(ख) जहां तक संभव हो, शंटिंग से बचा जाता है;

(ग) सीटी बजाई जाती है;

(घ) सर्दी का मौसम शुरू होने से पहले सिगनल के बोर्डों पर दुबारा पेंट किया जाता है;

(ङ) फाटक सिगनल से युक्त समपारों पर स्वयं चमकने वाले सिगनल बोर्डों की व्यवस्था की जाती है;

(च) कोहरे के समय दृश्य बोर्ड पर रेलपथ के आर-पार चिन्हांकन अनिवार्य कर दिया जाता है;

(छ) किसी स्टेशन पर कोहरे की घोषणा हो जाने के बाद सिगनल के पास पहुंच रहे ड्राइवर को सचेत करने के लिए सभी गाड़ी संचालनों के लिए विनिर्दिष्ट अंतरालों पर डिटोनेटर लगाये जाते हैं। यह कार्य सिगनलमैन के रूप में कार्य करने के लिए ड्यूटी पर तथा विश्राम कर रहे रेल कर्मचारियों को बुलाकर किया जाता है जो गाड़ी आने की प्रत्याशा पर डिटोनेटर लगाते हैं। प्रत्येक बार गाड़ी गुजरने के बाद डिटोनेटरों को बदल दिया जाता है। ऐसे डिटोनेटरों को स्टॉप सिगनल से पहले लगाया जाता है ताकि सिगनल के पास पहुंच रहे ड्राइवरों को चेतावनी मिल जाए। कोहरे के दौरान इस प्रक्रिया को बार-बार दोहराया जाता है।

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर कुछ दूसरे ढंग से सदन में प्रस्तुत किया है। उन्होंने बताया है कि देश में रेलवे में समय का पालन 10 प्रतिशत गाड़ियों में नहीं हो पा रहा है और जो गाड़ियां देरी से पहुंचती हैं उनमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। कई गाड़ियां ऐसी हैं जो रोजाना देरी से पहुंचती हैं। जो गाड़ियां रोजाना देरी से पहुंचती हैं, उनमें भी कोई सुधार नहीं हो रहा है। ब्रॉडगेज की 10 प्रतिशत रेल सेवाएं अभी भी देरी से पहुंचती हैं।

महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि मशीनरी एवं जलवायु की गड़बड़ियों के कारण रेलगाड़ियां लेट हो जाती हैं, परन्तु आधुनिक समय में ऐसी अनेक वैज्ञानिक तकनीक हैं जिनका सहारा लेकर गाड़ियों को समय पर चलाया जा सकता है। विदेशों में ऐसी तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। सर्दियों के मौसम में फॉग इत्यादि के कारण रेलगाड़ियां लेट हो जाती हैं।

महोदय, मंत्री जी ने रेलगाड़ियों के लेट होने के लिए जो कारण अपने उत्तर में दर्शाए हैं, मैं उनसे सहमत होते हुए जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने ऐसा कोई सर्वे कराया है जिससे यह पता लग सके कि सामान्यत: ऐसी कौन सी रेल सेवाएं हैं जो देरी से पहुंचती हैं और ऐसी रेलगाड़ियों को समय पर पहुंचाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं और कितनी सफलता मिली है?

[अनुवाद]

श्री आर. वेलु: मैं माननीय सदस्य के प्रति रेलवे के मामलों में रुचि दिखाने और सरकार रेलवे की समयबद्धता को सुधारने के लिए किन तौर तरीकों को अपनाएंगी इसे जानने की उत्सुकता दिखाने के लिए आभारी हूं।

महोदय, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले इस समस्या की विकरालता के बारे में संक्षेप में दो तीन पंक्तियों में बात करना चाहूंगा। आज हम लगभग 9000 और लगभग 5000 मालगाड़ियों का संचालन कर रहे हैं। इसके अलावा, प्रतिवर्ष हम बजट में और उसके अतिरिक्त लगभग 175 नयी रेलगाड़ियां बढ़ा रहे हैं और गत पांच वर्षों में लगभग 487 रेलगाड़ियों का विस्तार किया गया है। 154 रेलगाड़ियों की बारंबारता बढ़ायी गयी है और गत पांच वर्षों में 949 नयी रेलगाड़ियां शुरू की गयी हैं जिससे कुल संख्या लगभग 1590 हो गयी है।

महोदय, जब अंग्रेजों से हमें रेलवे प्रणाली प्राप्त हुई थी तब हमारे पास लगभग 53,000 किलोमीटर का रेलमार्ग था। हमने पांच दशक से अधिक समय में लगभग 10,000 किलोमीटर रेलमार्ग

जोड़ा है, जो लगभग 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है। इस अवधि के दौरान मालढुलाई 7 गुणा और सवारी संख्या पांच गुणा बढ़ी है। इसके परिणामत: हमारे सभी चतुर्भुज मार्ग और सभी प्रमुख मार्ग 150 प्रतिशत के स्तर तक व्यस्त हो गए हैं।

हमारे लिए किसी भी क्षमता को बढ़ाए जाने की मांग करना या उसके बारे में सोचना भी असंभव है। यदि यह हवाई मार्ग हो तो ठीक है। इसमें संभावना है। यदि यह जलमार्ग की यात्रा है, तब भी ठीक है। यहां, हमारे पास रेलगाड़ियां चलाने के लिए मात्र पटरियां हैं। इसके परिणामत: आज जितना कुछ हो रहा है उसमें सुधार लाने में मैं असमर्थ हूं। बड़ी लाईन पर रेलगाड़ियों की समयबद्धता 91 प्रतिशत है और छोटी लाइन पर यह 97 प्रतिशत है। यह प्रशसंनीय है। आगे, पहले ही यह घोषणा की जा चुकी है कि हम स्वर्णिम चतुर्भुज और उनको जोड़ने वाले मार्ग पर एक अलग मालढुलाई गलियारा बनाने जा रहे हैं। यदि ऐसा होता है, तो क्षमता बहुत बढ़ जाएगी और समयबद्धता भी बढ़ेगी। यूरोपीय अथवा किसी भी देश की तुलना में हमारी समयबद्धता उच्चस्तरीय है। स्पेन में यह 96.7 प्रतिशत है।

अध्यक्ष महोदय: हमें यह संतोष नहीं करना चाहिए। हम इसकी प्रशंसा करते हैं कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आप पूरी तरह सफल होगें।

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा सा सवाल था कि क्या ऐसा सर्वे कराया गया है कि कौन सी ऐसी गाड़ियां हैं, जो देर से पहुंचती हैं? मंत्री जी ने जो विस्तार से उत्तर दिया, वह सदन के सामने है। मैं उस विस्तार में न जाकर मंत्री जी से सीधे पूछना चाहता हूं कि जैसा अखबारों में आया है कि नये सिरे से रेलवे समय-सारिणी तैयार होगी, रेल मंत्री, माननीय श्री लालू जी ने कहा- "बदल दो रेलवे की तस्वीर, ताकि लोग याद रखें" और "महाप्रबंधकों को समय-सीमा के भीतर स्टेशनों और गाड़ियों का हुलिया बदलने के लिए निर्देश दिया।" इन परिस्थितियों में, मैं यह जानना चाहता हूं कि फौग के समय जब रेल गाड़ियां देरी से चलती हैं, उसके लिए जो कदम उठाए हैं और उसके जो परिणाम आए हैं, उनके आधार पर सरकार ने साफ-साफ तरीके से क्या पग उठाए हैं तथा कौन सी गाड़ियां हैं जो लगातार आपके निर्देश की अवहेलना करके समय से नहीं पहुंचती हैं, यह मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न छोटा होगा, तो जवाब भी छोटा होगा।

[अनुवाद]

श्री आर. वेलु: मैं संक्षेप में उत्तर दूंगा। हमारे पास तीन विनियामक प्रणालियां हैं। एक डिवीजन स्तर पर, दूसरी जोन स्तर पर और तीसरी रेलवे बोर्ड स्तर पर। समयबद्धता के मामले में रेलवे बोर्ड प्रतिदिन 310 रेलगाड़ियों की निगरानी करता है जोन और डिवीजन स्तर की क्या बात है। हम उनके कार्यकरण का मूल्यांकन दैनिक आधार पर करते हैं। आपकी जानकारी के लिए समयबद्धता के संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि समयबद्धता के अनुपालन नहीं करने पर 2400 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी है। अर्थात् हमारे प्रबंधक और अन्य अधिकारीगण यह सुनिश्चित करने में तत्पर हैं कि हम समयबद्धता से न चूकें। हम बहुत तत्पर हैं और हम यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी स्तरों पर हमारी रेलगाड़ियों का दैनिक आधार पर मूल्यांकन हो।

अध्यक्ष महोदय: आपने गैर रेलवे जिम्मेदारियों का उल्लेख नहीं किया है।

डा. एम. जगन्नाथ: माननीय मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर असंतोषजनक है। प्रश्न सारी रेलगाड़ियों की समयबद्धता के बारे में है जिसमें मेल, एक्सप्रेस और सवारी गाड़ियां शामिल हैं। किन्तु रेल मंत्री ने मात्र मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की समयबद्धता के बारे में उत्तर दिया है। यह 90 प्रतिशत होना अविश्वसनीय है। इसके अलावा लिखित उत्तर में यह कहा गया था कि एक कदम या सावधानी यह उठायी जा रही है कि समपारों पर चमकीले संकेत प्रदर्शक बोर्ड लगाए गए हैं। कोहरे के मौसम में इन संकेत बोर्डों को देखना बहुत कठिन है। कोहरे के मौसम में बिना चौकीदार वाले समपारों पर ही दुर्घटनाएं हो रही हैं। मैं माननीय मंत्री से समूचे देश में बिना चौकीदार वाले समपारों की संख्या जानना चाहूंगा। यह रेलगाड़ियों की सुरक्षित आवाजाही का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: यह रेलगाड़ियों की समयबद्धता का भी प्रश्न है। आपका अनुपूरक प्रश्न क्या है?

डा. एम. जगन्नाथ: मैं माननीय मंत्री से यात्री गाड़ियों की स्थिति के बारे में जानना चाहूंगा जिनमें करोड़ों लोग यात्रा करते हैं। वह केवल मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के बारे में चिन्तित हैं जिनमें कम लोग यात्रा करते हैं। मैं कोहरे के मौसम में बिना चौकीदार वाले समपारों पर किये गये उपायों के बारे में भी जानना चाहूंगा।

श्री आर. वेलु: माननीय सदस्य के संतोष के लिए मैं कहूंगा कि हमारे पास लगभग 20,000 बिना चौकीदार वाले समपार हैं। कोहरे के मौसम में यह बहुत मुश्किल काम है। अब तक, पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसी प्रौद्योगिकी विकसित नहीं की गयी है

जिससे कोहरे की स्थिति में चलने में सहायता मिले। अत: आज हम इन सभी स्थानों पर गति सीमा रखते हैं। जाड़े के मौसम से पहले सभी संकेत बोर्डों को पुन: रंगा गया है। जब भी रेलगाड़ी गुजरती है तो सिग्नल के बारे में चालकों की एक प्रकार की चेतावनी देने के लिए हमारे पास विस्फोटक हैं। इसके लिए विशेष कर्मचारी नियोजित किये गये हैं। ये विस्फोटक यह जताते हैं कि चालक सिग्नल के बारे में सचेत रहें। इस तरह, कई बातें है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम स्थिति के प्रति सचेत है। हम जानते हैं की पहले कोहरे की स्थिति के कारण एक बड़ी दुर्घटना हो चुकी है। हम इससे निपटने की भरपूर कोशश कर रहे हैं। वस्तुत: हमने कोहरे की स्थिति से निपटने के लिए इस परियोजना पर कतिपय अनुसंधान करने के लिए आर.एस.डी.ओ. से कहा है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: डा. मन्दा जगन्नाथ यदि आप दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो आप आधे घंटे की चर्चा हेतु नोटिस दे सकते हैं। मैं उस पर विचार करूंगा। कुछ प्रक्रियाओं का अनुपालन होने दें।

[हिन्दी]

श्री श्रीपाद येसो नाईक: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो समय पालन का यहां टेबल दिया गया है, उसमें मीटरगेज लाइन में समय पालन का परसेंटेज ज्यादा है और बड़ी लाइन का परसेण्टेड कम्पेरेटिवली कम है। मेरे मत से, मुझे लगता है कि मीटरगेज लाइन में स्पीड की रैस्ट्रिक्शन होती है, इसके बजाय बड़ी लाइन में समय पालन ठीक नहीं है, उसमें इससे ज्यादा परसेण्टेड होना चाहिए, इसका कारण मैं जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री आर. वेलु: महोदय, छोटी लाईन उतनी व्यस्त नहीं हैं। उन पर कम बोझ है, कम रेलगाड़ियां चल रही हैं। अतएव इस मामले में समयबद्धता बहुत अधिक है। यह 97 प्रतिशत है। जबकि बड़ी लाइनें जैसाकि मैंने पहले बताया, अति व्यस्त हैं। व्यस्तता का स्तर 150 प्रतिशत है। अतएव समयबद्धता मीटर लाइन में अधिक है और बड़ी लाइन में कम है।

श्री अब्दुल्लाकुट्टी: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पहले रेलवे द्वारा खाद्यान्नों की ढुलाई के लिए स्प्लिट रेक सिस्टम' अपनाया जाता था जिसके कारण खाद्यान्न सीधे छोटे गोदामों पर भी उतारे जाते थे। अब रेलवे ने फुल रेक सिस्टम' अपनाया है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न 'समयबद्धता' पर है।

श्री अब्दुल्लाकुट्टी: अध्यक्ष महोदय, मालगाड़ियों की समयसारणी भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रणाली में खेप की केवल एक स्थान पर बड़े गोदाम में ही खाली किया जाएगा और तब उसे छोटे गोदामों में ले जाया जाएगा। इससे ढुलाई लागत प्रभावित होती है, इससे मजदूर प्रभावित होते हैं और इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रभावित होती है।

मैं माननीय रेल मंत्री से जानना कि क्या सरकार 'स्प्लिट रेक प्रणाली' को पुन: शुरू करेगी।

अध्यक्ष महोदय: ताकि समयबद्धता बनी रहे। किसी भी प्रकार इसे समयबद्धता से जोड़िये।

श्री आर. वेलु: महोदय, माननीय सदस्य के अनुरोध की जांच की जाएगी और जो भी संभव हो किया जाएगा।

[हिन्दी]

डा. राजेश मिश्रा: मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अक्सर यह देखा गया है, खासकर जो ट्रेन बिहार से होकर आती हैं, उनकी तुलना में दूसरी ट्रेनों को लेट करके, बिहार की ट्रेनों को आगे कर दिया जाता है। मैं उदाहरण दूंगा-पार्लियामेंट का सैशन 23 तारीख से शुरू होना था। 23 तारीख की रात को मैं वाराणसी से चला हूं। 24 तारीख की सुबह को 8-8.15 बजे एक डीलक्स एक्सप्रैस यहां आती है, जो सुपरफास्ट एक्सप्रैस ट्रेन है। उसे 8.15 बजे दिल्ली आना था। हमसे स्टाफ के लोगों ने यह बताया कि आप गलत ट्रेन में आ गये हैं, यह ट्रेन दो बजे के पहले दिल्ली नहीं पहुंचेगी। 24 तारीख को मेरा क्वैश्चन ऑवर में दूसरा प्रश्न था। मैं परेशान था कि मैं दिल्ली कैसे पहुंचूंगा। संयोग था कि उस दिन हाउस नहीं चल पाया। मैं यह जानना चाहता हूं कि कुछ ट्रेन *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह आपके लिए स्थगित नहीं हुआ था।

डा. राजेश मिश्रा: यह सही बात है, मैं लकी हूं कि मेरा क्वैश्चन था लेकिन हाउस नहीं चल पाया। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह एक विशेष मामला है। कृपया आप इस पर ध्यान दें। उन्होने जिस विशेष गाड़ी का उल्लेख किया है बेहतर है आप उस पर ध्यान दें।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री आर. वेलु: महोदय मैं इस पर गौर करूंगा ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. राजेश मिश्रा: ढाई बजे वह ट्रेन यहां पर आयी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम सबको आपसे सहानुभूति है।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, गाजियाबाद तक सभी एक्सप्रैस ट्रैन्स ठीक आती हैं, किन्तु गाजियाबाद से दिल्ली के बीच में उनको धीरे चलाया जाता है कि कहीं वे समय से पहले न पहुंच जाएं। शताब्दी एक्सप्रैस या भोपाल शताब्दी नौ-सवा नौ बजे गाजियाबाद आ जाती हैं, लेकिन 15 मिनट का रास्ता तय करने में उन्हें एक घंटा दस मिनट लग जाता है। इससे बढ़िया गाड़ी चलने का सारा मजा दिल्ली आते-आते किरकिरा हो जाता है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब इतनी बढ़िया गाड़ी है तो इसका समय क्यों बढ़ा दिया गया है? पहले यह साढ़े नौ बजे यहां पहुंच जाती थी, अब इसका बढ़ाकर टाइम दस बजकर दस मिनट क्यों कर दिया गया है। पहले भोपाल शताब्दी पौने दस बजे पहुंचती थी, लेकिन अब उसका समय ग्यारह बजकर बीस मिनट कर दिया गया है। अनावश्यक ही उनका टाइम बढ़ा दिया गया है, जिससे गाड़ियों को स्लो चलाना पड़ता है। आप इसके टाइम को थोड़ा कम कर दीजिए ताकि जिस रफ्तार से गाड़ी आती है, उसी रफ्तार से दिल्ली तक आए और दस बजे से पहले यहां पहुंच जाए। पंक्चुएलिटी के लिए ऐसा करते हैं कि कहीं यह समय से पहले न पहुंच जाए।

मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपकी गाड़ियां सही चलती हैं, लेकिन गाजियाबाद से दिल्ली के बीच चलने वालों के लिए प्राब्लम हो जाती है, इसलिए इनके टाइम को थोड़ा-सा कम कर दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप समय के पुनर्निर्धारण की मांग कर रहे हैं। आपको समय की पाबंदी के बारे में कोई शिकायत नहीं है।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव: पंक्चुएलटी यह है कि गाजियाबाद से दिल्ली तक पैदल की तरह चलती हैं। मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि उनको ठीक करवाएं और उनके टाइम को कम कर दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: गाजियाबाद से तो एमपी मोटर से आते हैं।

[अनुवाद]

श्री आर. वेलु: महोदय, उन्होंने एक प्रासंगिक प्रश्न पूछा है। सभी महानगरों में, टर्मिनलों पर प्रतिबंध है। टर्मिनलों में अब हमारे पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। इसलिए इस तथ्य को स्वीकार करते हुए हम सभी महानगरों में दूसरे और तीसरे टर्मिनलों को विकसित कर रहे हैं। कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो समय से पूर्व या समय पर आती हैं किन्तु वे प्रतिबंधों के कारण टर्मिनल बिन्दु तक नहीं पहुंच पाती है। ऐसा है कि प्लेटफार्म उपलब्ध नहीं होता है क्योंकि वहां पर जाने वाली गाड़ियां हैं और वहां पर समाप्त होने वाली गाड़ियां हैं। हम इस समस्या को सुलझा लेंगे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह अंतिम अनुपूरक प्रश्न है। आप 20 मिनट बोल चुके हैं।

श्री ए. कृष्णास्वामी: मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि रोजाना चेन्नई से आने वाली तमिलनाडु एक्सप्रैस 3-5 घंटे विलम्ब से दिल्ली आती है। गाड़ी को निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर रोक दिया जाता है। किंतु वे अन्य मालगाड़ियों को नई दिल्ली स्टेशन आने की अनुमति दे रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि चेन्नई मंडल मंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र अर्कोनम है-से अर्कोनम-चेन्नई और गुमदीपोंडी-चेन्नई से चलने वाली गाड़ी व्यस्त समय में रोजाना आधे एक घंटा देरी से चलती है। चेन्नई सैण्ट्रल टर्मिनल में हमें दोबारा गाड़ी नहीं मिलती है। बेसिन पुल पर यातायात अवरुद्ध रहता है। क्या रेलवे स्टेशन प्लेटफार्मों की जांच हेतु कोई विशेष कार्यक्रम है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप प्रत्येक गाड़ी के लिए ऐसा नहीं कर सकते हैं। मुझे आशा है कि वे इन चीजों के बारे में काफी चिंतित होंगे। उन्हें केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र का ही ध्यान नहीं रखना है। उन्हें पूरे देश की देखभाल करनी होती है।

श्री आर. वेलु: महोदय, मैं संक्षेप में इसका उत्तर दूंगा। जहां तक तमिलनाडु एक्सप्रेस का संबंध है, मैं यह बताना चाहता हूं कि

बिटागुंटा और नेल्लौर के बीच एक ब्रीच है। वहां पर दो लाइनें हैं। अस्थायी व्यवस्था कर एक लाइन पर हम गाड़ियां चला रहे हैं। दूसरी लाइन पर एक पुल बह गया है। इसे व्यवस्थित करने में एक दो माह का समय लगेगा। इसलिए गाड़ियां देरी से चल रही हैं। नई दिल्ली में इसका कारण वही टर्मिनल की समस्या है।

अर्कोनम और गुमदीपोंडी के बीच एक लोकल गाड़ी चलती है। उनकी भी इस बात में रुचि है और मेरी भी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं प्रश्नकाल में यह ब्यौरे देने की अनुमति नहीं दूंगा। आप इस प्रकार के व्यक्तिगत मामलों पर नहीं बोल सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नहीं। श्री कृष्णास्वामी की कोई भी बात कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

प्र.सं. 123-श्री एकनाथ गायकवाड़।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पादों हेतु दोहरी मूल्यनिर्धारण प्रणाली

***123. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:**
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पेट्रोलियम उत्पादों हेतु दोहरी और विभेदक मूल्यनिर्धारण प्रणाली लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) कच्चे तेल के बढ़ते मूल्यों के परिणामस्वरूप विभिन्न तेल कंपनियों द्वारा कितना घाटा उठाया गया है; और

(घ) तेल कंपनियों द्वारा उठाये जाने वाले घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) सदन के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) पेट्रोलियम उत्पादों के लिए बाजार निर्धारित मूल्यनिर्धारण की ओर जाने की घोषित मंशा के साथ सरकार ने 1.4.2002 से प्रशासित मूल्यनिर्धारण प्रणाली (एपीएम) को समाप्त करने की घोषणा की। तथापि अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में, विशेष रूप से 2003 के अंतिम महीनों से सप्ताह दर सप्ताह और यहां तक कि दिन-प्रतिदिन के अत्यधिक उतार-चढ़ाव के साथ अभूतपूर्व तीव्र और सर्पिल वृद्धि रही है। इसलिए सरकार ने जून 2004 में उन सिद्धांतों की व्याख्या की जो संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों के उपभोक्ताओं पर अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि के भार को सीमित करने की इसकी नीति पर शासित होंगे। यह फैसला किया गया कि भार उपभोक्ताओं, सरकार और तेल कंपनियों, द्वारा समान रूप से वहन किया जाना चाहिए। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मूल्य वृद्धि का पूरा प्रभाव संवेदनशील उत्पादों के उपभोक्ताओं पर अंतरित नहीं किया गया है।

तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) पेट्रोल, डीजल, घरेलू एलपीजी और सा.वि.प्र. मिट्टी तेल नामक संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों का रिफाइनरियों को इन उत्पादों के वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए आयात समता आधार पर भुगतान करती हैं। पर संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में तीव्र वृद्धि के होते हुए भी ओएमसीज सरकार के परामर्श से घरेलू एलपीजी, पीडीएस मिट्टी तेल जैसे रियायती उत्पादों के मूल्यों को बनाए रखने के अलावा पेट्रोल और डीजल में मूल्य वृद्धि समायोजित करती रही हैं। इसके परिणामस्वरूप उन्होने वर्ष 2004-05 के दौरान इन उत्पादों की बिक्री पर 20,146 करोड़ रुपये की अल्प वसूलियां वहन की हैं। अल्प वसूलियां 2005-06 में जारी हैं और 2004-05 की तुलना में अब इनके बहुत अधिक होने की संभावना है। अप्रैल-नवंबर 05 की अवधि के लिए पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी के लिए अनुमानित अल्प वसूलियां 14,373 करोड़ रुपए हैं और पेट्रोल और डीजल के लिए ये 12,353 करोड़ रुपये हैं जिनका योग 26,726 करोड़ रुपए है।

वर्तमान वर्ष की पहली दो तिमाहियों के दौरान ओएमसीज का लाभ (हानियां) निम्नानुसार हैं:

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(करोड़ रुपए)

कंपनियां	कर पश्चात लाभ (प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार)			
	2003-04	2004-05	अप्रैल-जून, 05	जुलाई-सितंबर, 05
आईओसीएल	7005	4891	(-)54	(+)949.49
एचपीसीएल	1904	1277	(-508)	(-)22.03
बीपीसीएल	1695	966	(-)431	(-)203.4
आईबीपी कं.	215	59	(-)234	(-)190.5

यह देखा जा सकता है कि ओएमसीज ने 2005-06 की पहली तिमाही के दौरान हानियां वहन की है। इसके अलावा आईओसी के सिवाय अन्य ओएमसीज ने वर्तमान वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान भी हानियां वहन की हैं।

पेट्रोलियम उत्पादों के लिए एक दीर्घकालिक मूल्य निर्धारण नीति तैयार करने के लिए सरकार ने डा. सी. रंगराजन, अध्यक्ष, प्रधान मंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की अध्यक्षता के अंतर्गत एक अंतरमंत्रालयीन समिति का गठन किया है।

तेल कंपनियों की वित्तीय स्थिति, क्षेत्र में आवश्यक निवेश, पेट्रोलियम उत्पादों का संरक्षण करने की आवश्यकता और तेल कंपनियों द्वारा मूल्यों के स्वायत्त समायोजन के लिए पारदर्शी प्रणाली स्थापित करने को ध्यान में रखते हुए समिति को पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों को स्थिर करने/युक्तियुक्त करने के लिए इनके मूल्य निर्धारण और कराधान के विभिन्न पहलुओं की जांच करने का अधिदेश दिया गया है। सभी संबंधित पणधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए समिति संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों और अन्य सहायक मुद्दों के मूल्य निर्धारण और कराधान के लिए एक व्यापक प्रणाली सुझाएगी।

[हिन्दी]

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़: अध्यक्ष महोदय, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मुताबिक पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में हमेशा चढ़ाव होता रहता है। सितम्बर से आज तक कीमतों में चढ़ाव हो रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से आग्रह करना चाहता हूं कि कोई ऐसी योजना बनायी जाए जिसके माध्यम से मूल्य निर्धारित रहें। इसके लिए क्या कोई मूल्य सबलीकरण योजना शासन के पास विचाराधीन है? क्या आप दोहरे मापदण्ड की कोई योजना बना रहे हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया विशिष्ट प्रश्न का विशिष्ट उत्तर दें।

श्री बसुदेव आचार्य: उत्तर संक्षिप्त भी होना चाहिए।

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, वास्तव में हमारे भारतीय कच्चे तेल के भंडार के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में सितम्बर, 2005 से गिरावट हुई है ना कि बढ़ोत्तरी जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है। मूल्यों में औसतन सितम्बर, 2005 में 59.74 डालर प्रति बैरल, अक्तूबर में 56.28 डालर प्रति बैरल और 25 नवम्बर, 2005 तक 53.56 डालर प्रति बैरल की गिरावट आई है। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि गत एक सप्ताह में, और गिरावट आई है। दिये गये सुझाव के संबंध में कि हमारे पास दोहरा मूल्य अथवा अलग-अलग मूल्य होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि डा. रंगराजन समिति सभी सुझावों पर गौर कर रही है। विगत में दोहरी मूल्य निर्धारण नीति लागू करने के प्रयास का हमारा अनुभव अच्छा नहीं रहा है। इससे कालाबाजारी, अपमिश्रण और अन्य कदाचारों में भारी वृद्धि हुई है। इसलिए, मैं इसे प्रोत्साहन नहीं देना चाहता हूं हालांकि शायद किसी अवसर पर हमें यह करना पड़े और इसके परिणाम भुगतने पड़े।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो रंगराजन कमेटी बनी है, क्या उसकी कोई मर्यादा निर्धारित की गई है? उसकी रिपोर्ट कब तक आने की संभावना है? जैसे केरल सरकार ने बिक्री कर हटा दिया है, क्या बाकी राज्यों को भी आय बिक्री कर हटाने के लिए आदेश देंगे?

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, डा. रंगराजन समिति की अधिसूचना के अनुसार, समिति काम पूरा करके छह महीने की अवधि में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी। अधिसूचना 26 अक्तूबर 2005 को जारी की गई थी।

अध्यक्ष महोदय: श्री कीर्तिवर्धन सिंह-उपस्थित नहीं है।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि पिछले दो महीने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पैट्रोल और डीजल के दाम कम हो रहे हैं, लेकिन यहां आज भी पैट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब दाम 70 रुपये था, तब यहां भी दाम बढ़ाए गये थे, लेकिन अब जब वहां 50 रुपये हो गया है तो यहां दाम कम क्यों नहीं हो रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, जब मूल्यों में सितम्बर, 2005 के स्तर तक वृद्धि की गई थी तो हमने ध्यान रखा था कि सारा बोझ उपभोक्ताओं पर न पड़े। वस्तुत: हमारा आकलन यह था कि अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि के कारण देश पर पड़े भार का 51 प्रतिशत तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी), 36 प्रतिशत सरकारी बजट ने अपने कंधों पर ले लिया और कुल भार का केवल 13 प्रतिशत उपभोक्ताओं पर डाला गया। अत: आप यह जान पाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में मामूली गिरावट पेट्रोल और डीजल के मूल्य में गिरावट में तत्काल प्रतिलक्षित नहीं होगी जिनका मूल्य अभी भी अंतर्राष्ट्रीय समान मूल्य से कम है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से खास तौर से केरोसीन तेल के बारे में जानना चाहूंगा कि क्या यह सरकार के स्तर पर विचाराधीन है कि आने वाले समय में बीपीएल और आम लोगों के लिए कैरोसिन के अलग-अलग रेट फिक्स करने जा रहे हैं? यदि ऐसा है, तो बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य ऐसे प्रदेश, जहां गरीबी और पिछड़ापन है और तेल की कंज्पशन ज्यादा होती है, वहां क्या आप अधिक कैरोसिन देने के बारे में विचार करेंगे?

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, सरकार मूल्य निर्धारण संबंधी सभी मामलों की निरन्तर समीक्षा कर रही है। हाल ही में, हमें एनसीएईआर की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हुई है जोकि देश में केरोसीन की मांग के बारे में किया गया पहला वैज्ञानिक अध्ययन है और उस रिपोर्ट का अध्ययन करते समय मैं माननीय सदस्य की मांग को ध्यान में रखूंगा।

श्री रूपचन्द पाल: माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मैं माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी से यह पूछ सकता हूं कि क्या यह सच है कि तेल विकास कोष में काफी धनराशि संचित की गई है और क्या सरकार उपभोक्ताओं को कुछ राहत देने हेतु तेल मूल्य स्थिरीकरण कोष स्थापित करने पर सहमत हो गई है।

यह भी जानना चाहता हूं कि निजी क्षेत्र की रिफाइनरियों सहित वे रिफाइनरियों, जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि के फलस्वरूप काफी लाभ कमाया है, पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य के कारण उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले बोझ को भी बटिगी।

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, देश के भीतर कच्चे तेल के उत्पादन पर संग्रहित उपकर में आया अंशदान केन्द्रीय राजकोष में जाता है और इस पर लागू होने वाले अधिनियम के संदर्भ में कई उद्योगों के विकास हेतु यह खर्च किया जाएगा। उल्लिखित उद्योगों में उर्वरक उद्योग है और हमारी उर्वरक राजसहायता के आकार को देखते हुए यह सच है कि गत कई वर्षों से संग्रहित उपकर का काफी बड़ा भाग तेल उद्योग की अपेक्षा उर्वरक उद्योग को दे दिया जाए। विधान में इसके लिए प्रावधान है।

रिफाइनरी कंपनियों के लाभ के संबंध में विपणन कार्य में लगी हुई रिफाइनरियों की तुलना में अपनी तरह की एकल रिफाइनरियां निश्चित रूप से लाभ की स्थिति में रहेगी क्योंकि विपणन कंपनियों को समग्र भार का काफी बड़ा भार वहन करना होगा। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि हमने निजी क्षेत्र के साथ-साथ सरकारी क्षेत्र की अपनी तरह की एकल रिफाइनरियों के साथ यह प्रबंध किया है कि वे हमारी विपणन कंपनियों को अपने उत्पादों और कच्चे तेल की बिक्री पर भारी छूट दें।

श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: अध्यक्ष महोदय, देश में पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन की स्थिति काफी गंभीर है। पिछले 10 से 15 वर्षों से देख रहे हैं कि पेट्रोलियम उत्पादों का स्वदेशी उत्पादन वर्ष-दर-वर्ष घटा है और है 36 प्रतिशत से घटकर 27 प्रतिशत हो गया है। इसका अर्थ है कि स्वदेशी उत्पादन प्रति वर्ष 1.5 प्रतिशत से 1 प्रतिशत की दर से घट रहा है और यदि यही स्थिति बनी रही तो आगामी 25 से 30 वर्षों में हमारे पास तेल का कोई स्रोत नहीं होगा जिससे हम देश में तेल निकाल सकें। हमें पूर्णतया कच्चे तेल के आयात पर निर्भर रहना पड़ेगा। निस्संदेह, डा. रंगराजन समिति तेल के मूल्य निर्धारण और इसके आयात संबंधी अन्य जरूरी बातों पर विचार करने जा रही है। परन्तु यह कार्य मात्र कृत्रिम आधार पर ही किया जा सकता है।

मैं पेट्रोलियम मंत्री द्वारा विशेषकर देश में जैव-ईंधन को प्रोत्साहन देने के लिए किये गये प्रयासों की प्रशंसा करता हूं। उन्होंने 25 रुपये प्रतिलीटर की दर से जैव-डीजल खरीदने की नीति की घोषणा की है। इसलिए यदि सरकार पेट्रलियम उत्पादों के लिए राजसहायता देने में करीब 40,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष खर्च कर रही है तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों व अन्य लोगों द्वारा जैव-ईंधन के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने हेतु कितना प्रोत्साहन देने जा रहे हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, मैं डरा हुआ हूं कि माननीय सदस्य ने अनेकानेक प्रश्न पूछ डाले हैं।

अध्यक्ष महोदय: हां, ये प्रश्न मूल प्रश्न से जुडे हुए नहीं हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर: उन्होंने अपना पहला प्रश्न भी त्रुटि के साथ शुरू किया है। मैं समझता हूं कि उनका अभिप्राय पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन से नहीं था बल्कि वह देश में कच्चे तेल के उत्पादन का उल्लेख कर रहे थे। यह सच है कि भारत में कच्चे तेल का वर्तमान उत्पादन लगभग उतना ही है जितना लगभग 16 वर्ष पहले अर्थात 1989-90 में था। इसके पश्चात् उत्पादन में गिरावट आयी थी। परन्तु पिछले पांच वर्षों में हम स्थिति सुधारने में सफल हुए हैं। हां, यह आवश्यक है कि हम अतिरिक्त कच्चा तेल हासिल करने के लिए इस संबंध में नई खोज करते रहें।

जहां तक पेट्रोलियम उत्पादों का प्रश्न है वस्तुत: हमारा उत्पादन बढ़ रहा है।

मैं पुन: इस सभा को यह सूचित करते हुए काफी प्रसन्न महसूस कर रहा हूं कि पेट्रोलियम उत्पादों का हमारा निर्यात आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा है। पिछले वर्ष इनका 28,000 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया था। हम शोधन क्षमता को और अधिक बढ़ाने अथवा नए तेलशोधक कारखाने स्थापित करने के बारे में विचार कर रहे हैं ताकि भारत को पेट्रोलियम उत्पादों के लिए एक बड़ा निर्यात केन्द्र बना सकें।

अब जहां तक जैव डीजल ईंधन नीति का प्रश्न है जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, इस संबंध में 9 अक्तूबर को घोषणा की गयी थी और मैं आशा कर रहा था कि माननीय सदस्य से मुझे बधाइयां मिलेगी क्योंकि वह ऐसा करने के लिए जोर देते रहे थे, जबकि मैंने यह तो सोचा भी नहीं था कि वह इसके जारी होने के छह सप्ताह के भीतर संशोधन की मांग करेंगे। हम निश्चित तौर पर इसे और अधिक आकर्षक बनाने का प्रयास करेंगे तथा मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य जटरोफा उत्पादकों में भी उतनी ही अभिरुचि दिखाएंगे जितनी अभिरुचि वह गन्ना उत्पादकों में दिखाते प्रतीत होते हैं।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, यदि उन्हें गन्ना में अभिरुचि हो।

टीवी चैनलों पर अश्लीलता में वृद्धि

*124. **श्रीमती अर्चना नायक:**
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न घरेलू और विदेशी चैनलों द्वारा टीवी कार्यक्रमों/विज्ञापनों पर दिखाई जा रही अश्लीलता और हिंसा में वृद्धि हो रही है और जिसके कारण भारतीय मूल्यों और परंपराओं को खतरा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो पहचान किये गये उन चैनलों के नाम क्या हैं जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता का उल्लंघन किया है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे चैनलों को कोई नोटिस जारी किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) ऐसे कार्यक्रमों/विज्ञापनों का आगे प्रसारण रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) ऐसे किसी रुझान का उल्लेख नहीं किया जा सकता। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उन चैनलों के नाम, जिन्होंने केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के तहत निर्धारित कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता का उल्लंघन किया हो, उनका नाम संलग्न अनुबंध में दिये गये हैं।

(ग) तथा (घ) वर्ष 2003 के दौरान 30 टी.वी. चैनलों को 68 कारण बताओ नोटिस जारी किये गये। वर्ष 2004 के दौरान,

7 टी.वी. चैनलों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये। आरईएनटीवी नामक एक उपग्रह चैनल के प्रसारण/पुन:प्रसारण को निषिद्ध किया गया। इसी प्रकार से वर्ष 2005 के दौरान, दिनांक 28.11.2005 तक कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं के विभिन्न उल्लंघनों के लिए 27 टी.वी. चैनलों को 32 कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं।

वर्ष, 2005 में, ब्ल्यू किस, बल्यूकिस एक्सप्रेस, बल्यूकिस प्रोपो, टी बी एल-एक्स एक्स एक्स और फ्री-एक्स टी वी नामक उपग्रह चैनलों के प्रसारण/पुन:प्रसारण को निषिद्ध कर दिया गया।

उन चैनलों के संबंध में जिनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किये गये थे, 7 मामलों में चैनलों ने कारण बताओ नोटिस प्राप्त होते ही कार्यक्रमों/विज्ञापनों को वापस ले लिया था, इसीलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। 13 मामलों में अन्तर-मंत्रालयीय समिति ने कोई कार्रवाई न करने की सिफारिश की। 31 मामलों में चैनलों को उक्त कार्यक्रमों/विज्ञापनों के प्रसारण को बंद करने के लिए कहा गया। 17 मामलों में सलाहपत्र जारी किया गया। 6 मामलों में संहिताओं का उल्लंघन करने वाले चैनलों को चेतावनी जारी की गई। एक मामले में एक चैनल का प्रसारण और अपलिंकिंग 30 दिन के लिए स्थगित की गई।

(ङ) केबल नेटवर्क और डीटीएच नेटवर्क के जरिये प्रसारित/पुन:प्रसारित उपग्रह चैनलों के सभी कार्यक्रमों और विज्ञापनों को केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम, 1995 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं का अनुपालन करना होता है। इन संहिताओं में अन्य बातों के साथ-साथ किसी भी अशिष्ट एवं अश्लील सामग्री का प्रसारण निषिद्ध है। लोक सेवा प्रसारक, दूरदर्शन भारतीय विरासत, कला, संस्कृति एवं परंपरा का चित्रण करने वाले कार्यक्रमों का नियमित रूप से प्रसारण करता है। डीडी भारती भारतीय विरासत के चित्रण का समर्पित दूरदर्शन का एक विशिष्ट उपग्रह चैनल है।

संहिताओं के उल्लंघनों के खिलाफ कार्रवाई किसी भी प्राधिकृत अधिकारी अर्थात् जिलाधिकारी, उपमंडलीय मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त अथवा केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किसी अन्य अधिकारी द्वारा की जा सकती है। केन्द्र सरकार ने कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं की जांच करने के लिए एक अन्तर-मंत्रालयीय समिति का गठन किया है। समिति स्वप्रेरणा से अथवा शिकायत प्राप्त होने पर उल्लंघनों के मामलों की जांच करती है और तद्नुसार उपयुक्त कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाती है।

सरकार ने मौजूदा कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता की समीक्षा करने के लिए विभिन्न स्टेकहोल्डरों की एक समिति भी गठित की है, ताकि उनको समकालीन सामुदायिक मानकों को पूरा करने के लिए आशोधित किया जा सके और स्व-विनियमन को सुविधाजनक बनाते समय स्व-विवेक की गुंजाइश को कम किया जा सके। स्थानीय केबल चैनलों द्वारा संहिताओं के उल्लंघनों की जांच करने और स्थानीय चैनलों पर विषयवस्तु प्रसारण से संबंधित शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निदान करने के लिए जिला स्तरीय प्रबोधन समितियों का गठन करने की बाबत राज्य सरकारों को एक आदेश जारी किया गया है, जिनमें महिला एवं बाल कल्याण के लिए कार्यरत स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, महिला महाविद्यालय की प्राचार्य, शिक्षाविद्/मनोविज्ञानी/समाजशास्त्री आदि शामिल होंगे। सरकार ऐसी सुविधा उपलब्ध कराके अपने प्रबोधन ढांचे का उन्नयन व आधुनिकीकरण भी कर रही है जिससे 100 टी वी चैनलों का एक साथ प्रबोधन किया जा सकेगा।

अनुबंध

उन टीवी चैनलों के नाम, जिन्हें कार्यक्रम संहिता एवं विज्ञापन संहिता के उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किये गये

वर्ष 2003

जीटीवी, जी सिनेमा, ए एक्स एन, बी4यू, चैनल-(वी), ई एस पी एन, एच बी ओ, एम टी वी, स्टार मूवीज, स्टार प्लस, स्टार स्पोर्ट्स, स्टार वर्ल्ड, जी न्यूज, सी एन बी सी, सोनी इंटरटेनमेंट, स्टार टी वी, सहारा टी वी, जया टी वी, राज टी वी, विजय टी वी, ई टी वी, मराठी, ई टी वी, बंगला, टेन स्पोर्ट्स, उदय टी वी (सूर्या टी वी), आज तक, नेशनल ज्योग्राफिक, अल्फा मराठी, सब टी वी, ई टी वी (ऊषा किरण टी वी), सेट मैक्स।

वर्ष 2004

एम एच 1, ई टी वी, चैनल (वी), बी4यू, बल्ले-बल्ले, अल्फा-पंजाबी चैनल, सिने वर्ल्ड।

वर्ष 2005

आई टी वी, एम टी वी, मैसर्स स्पेक्ट्रा नेट लिमिटेड/ट्रिनिटी पावर, जी न्यूज, इंडिया टी वी, फैशन टी वी, जूम चैनल, ट्रेंड्ज, टी वी (जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड), स्टार वन चैनल, एन डी टी वी, सहारा टी वी, आस्था चैनल, एशियानेट ग्लोबल, कैरली चैनल, बी4यू चैनल, सी एन बी सी, आवाज चैनल, सब टी वी, स्टार उत्सव चैनल, जी गुजराती चैनल, जी बंगला, जी सिनेमा, जी टी वी, जया टी वी, सोनी इन्टरटेमेंट चैनल, सहारा वन, इन डिजिटल चैनल, तेजा टी वी।

श्रीमती अर्चना नायक: अध्यक्ष महोदय, टेलीविजन कार्यक्रमों पर दिखायी जा रही अश्लीलता और हिंसा हमारी बहुमूल्य संस्कृति की नैतिकता को नष्ट कर रही है। युवा पीढ़ी के सामने ऐसी नग्नता और अश्लीलता परोसे जाने से उनकी मानसिकता व सोच पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा और इससे हमारे समाज का नैतिक ढांचा चरमराएगा।

तत्संबंधी अनेक कानूनों की मौजूदगी के बावजूद सरकार अब तक इस समस्या को नियंत्रित करने में विफल रही है। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार ने तत्संबंधी निगरानी रखने तथा इसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कोई स्थायी तंत्र विकसित किया है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, जहां तक इस मामले में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के हस्तक्षेप का प्रश्न है, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि यह सच है कि पहले भी निजी चैनल व सेटेलाइट चैनल केबल नेटवर्क अधिनियम के दिशानिर्देशों तथा प्रसारण कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करते रहे हैं।

इस प्रकार, ऐसी घटनाएं हुई हैं और निजी चैनलों को नोटिस भी दिये गये हैं। वर्ष 2003, वर्ष 2004 और वर्ष 2005 में क्रमश: 32, 7 और 32 नोटिस जारी किये थे। एक टी.वी. चैनल, रेन टी.वी. को प्रतिबंधित किया गया तथा कुछ चैनलों ने हमारे नोटिसों के पश्चात् अपने संबंधित कार्यक्रम बंद कर दिए। अधिकांश मामलों में, वैसे विज्ञापनों के लिए सख्त कार्रवाई की गई जो अश्लील व महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध थे, और ऐसे कार्यक्रमों को बंद कर दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, परन्तु वस्तुत: हमारे पास उन सेटेलाइट चैनलों को नियंत्रित करने के लिए कोई अस्त्र नहीं है जिन्हें हमारा केबल नेटवर्क हमारे दिशानिर्देशों के आधार पर स्वीकार करता है। यदि हमारी जानकारी में ऐसी किसी घटना को लाया जाता है तो हम इसे शीघ्र ही अंतर-मंत्रालीय समिति के समक्ष रखते हैं और उस पर तत्काल कार्रवाई की जाती है।

जहां तक दूरदर्शन का प्रश्न है, हमारे प्रसारण कानून के अनुसार समीक्षा किये बगैर किसी भी कार्यक्रम को दूरदर्शन पर प्रसारित नहीं किया जाता है। वर्तमान में हम यह सब कर रहे हैं। मैंने पहले ही ऐसे अनेक मामलों के बारे में जानकारी दे दी है जिन मामलों में अब तक कार्रवाई की गयी है।

श्रीमती अर्चना नायक: महोदय, मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अश्लील विज्ञापन दिखाने से रोकने के लिए तथा देश में फैशन के नाम पर नग्नता दिखाने वाले फैशन टी.वी. जैसे विदेशी चैनलों को नियंत्रित करने हेतु सरकार के पास कोई तंत्र है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, जैसाकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि फैशन टी.वी. जैसे सेटेलाइट चैनल विदेशों से अपलिंक की सुविधा लेकर यहां प्रसारित होते हैं। परन्तु हां, हमने तीन मामलों में फैशन टी.वी. को भी कुछ चीजों के प्रसारण को वापस लेने के लिए नोटिस दिया है। अब मैं यथाशीघ्र एक व्यापक कानून लाने के लिए सक्रियता से विचार कर रहा हूं क्योंकि लोक सभा के विघटन के कारण 1997 प्रसारण विधेयक व्यपगत हो गया था तथा पिछली सभा में सभा भंग किये जाने की वजह से अभिसरण विधेयक को सभा की मंजूरी नहीं मिल सकी थी। वर्तमान में, संचार मंत्रालय और हम संबंधित खामियों को दूर करने के बारे में एक व्यापक नेटवर्क तैयार करने के लिए सक्रियता से बातचीत कर रहे हैं ताकि हम इस संबंध में आगे और कदम उठा सकें।

[हिन्दी]

श्रीमती रूपाताई डी. पाटील: अध्यक्ष महोदय, यह देखा गया है कि सरकार द्वारा बार-बार आश्वासन दिये जाने के बावजूद भी विभिन्न टी.वी. चैनलों पर दिखाई जाने वाली अश्लीलता में कमी नहीं आई है। सरकार द्वारा विभिन्न टी.वी. चैनलों को नोटिस दिये जाने के बावजूद भी चैनलों द्वारा कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है।

क्या सरकार इस बारे में कुछ कार्यवाही कर रही है? मेरा प्रश्न यह है कि जिन लोगों को बार-बार कार्यक्रम संहिता एवं विज्ञापन संहिता के उल्लंघन के लिए दोषी पाया गया है, क्या सरकार कोई ऐसा प्रावधान करने वाली है कि उन चैनल्स को हमेशा के लिए बन्द कर दिया जाए ताकि अन्य चैनलों को सबक मिल सके?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: जैसा मैंने पहले ही कहा है कि रेन टीवी, जो सैटेलाइट चैनल है, उसे हमने हमेशा के लिए बन्द कर दिया है। इसी तरह कुछ और भी चैनल्स जो बाहर से चलते थे, मैं उन सबके नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन करीब 9 चैनल्स ऐसे हैं, जिनको हम बन्द कर चुके हैं और यूपीए सरकार इस पर रोकथाम करने के लिए कटिबद्ध है। यदि इससे संबंधित कानून में कोई कमी है, तो हम उसे पूरा करने के लिए अध्ययन कर रहे हैं। मैं हर्ष के साथ कह सकता हूं कि हमारी सरकार बनने के बाद हमने पहला कदम यह उठाया था कि गांवों और शहरों में जो लोकल केबल नेटवर्क के माध्यम से लोगों की, नयी पीढ़ी की, बच्चों की, महिलाओं की रुचि के खिलाफ, प्रसारण के बीच में

प्राइवेट प्रोग्राम घुसाने की कोशिश होती थी, उसको रोकने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को बुलाकर, वर्कशॉप करके हर डिस्ट्रिक्ट में इसकी मॉनीटरिंग करने के आदेश दिये गये है। इसके तहत हिन्दुस्तान के 6 जिलों में काम शुरू कर दिया गया है। मुझे लगता है कि तेज रफ्तार से अगले 6 महीनों में हिन्दुस्तान के लगभग आधे जिलों में कार्यवाही करने में हम सक्षम होंगे। इसके लिए यदि कानून में कोई कमी होगी तो उसको देखने के लिए हमारी रिव्यु कमेटी, जिसमें 32 सदस्य हैं जो पूरे समाज और सरकार से लिये गये हैं, ने काम करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही ब्रॉडकास्टिंग बिल और कन्वर्जेंस बिल, दोनों का समन्वय करके एक ठोस कार्यक्रम बनाने के लिए यूपीए सरकार सोच रही है।

चौधरी लाल सिंह: महोदय, मैं आपकी इजाजत से मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि आपने बहुत से चैनल्स को कई शो-कॉज नोटिस दिये हैं, इसके बावजूद, आप जानते हैं कि आपका कोई टीवी ऐसा नहीं बचा है, कोई जगह नहीं बची है जहां बुरी तरह के गन्दे और भद्दे पोस्टर न लगाए जाते हो। कोई भी बस स्टैण्ड हो, टैक्सी स्टैण्ड हो, जहां से बच्चे-बच्चियां और स्टूडेंट्स चलते हैं, आप अगर वहां जाकर देखें, इन पोस्टरों की वजह से वे बच्चियां कितनी जलील होती हैं। कई बार उन्होंने शिकायत की है कि मेहरबानी करके कम से कम इस स्टैण्ड पर ऐसे पोस्टर तो न लगाएं, हमें यहां से बस पर चढ़ना होता है। वे शर्मिन्दा होती हैं। इसलिए मेरे कहने का मकसद यह है कि सिर्फ नोटिसेज देने से मकसद पूरा नहीं होता है। आप जैसा एक बढ़िया मंत्री यदि इसे नहीं रोक पाएगा तो इससे बड़ा अफसोस होगा। बन्द कर दीजिए उस टीवी चैनल को जो हमें बर्बाद करने पर लगा है। जो सिनेमा हमें तबाह कर रहा है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर रखना है तो ठीक चैनल रखिए, उसका मकसद ठीक रखिए। इस पर मंत्री जी को क्या कहना है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह कार्रवाई के लिए एक सुझाव है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैंने पहले भी कहा है कि यूपीए सरकार का हमारे ऊपर यह मैण्डेट है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़े से कड़े कदम उठाए जाएं। यदि कानून में कोई कमी है तो उसे पूरा किया जाएगा। फिलहाल तो मैं इतनी ही सूचना दे सकता हूं कि इन सभी चैनल्स को बन्द कर दिया गया है- रेन टीवी, फ्री-एक्स टीवी, ब्लूकिस ...*(व्यवधान)* इसके साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रानिक मडिया की मॉनीटरिंग का जो काम पहले नहीं होता था, उसे हमने तेजी से लागू किया है। हमारे संविधान के तहत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और रिस्ट्रेंट, दोनों के बीच इतना संघात है कि संतुलन की स्थिति पैदा करके ही हम इस बारे में कोई कदम ले सकते हैं। लेकिन मैं इतना आश्वस्त कर सकता हूं कि दूरदर्शन के द्वारा कुछ गलत नहीं होगा, दूरदर्शन अभी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन प्राइवेट चैनलों की रोकथाम के लिए कड़े से कड़ा कदम उठाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। शायद अगले एक साल में शिकायत की सीमा बहुत कम हो जाएगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: डा. सुजान चक्रवर्ती, क्या आप प्रश्न पूछना चाहते हैं?

डा. सुजान चक्रवर्ती: मेरा प्रश्न पूरा हो चुका है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। फिर मैं, श्रीमती मिनाती सेन को बुलाता हूं, यदि वह इच्छुक हैं।

श्रीमती मिनाती सेन: अध्यक्ष महोदय, क्या मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछ सकती हूं कि क्या सरकार केबल टीवी नेटवर्क अधिनियम, 1995 को और प्रभावी बनाने पर विचार कर रही है क्योंकि आप जानते हैं कि महिलाओं का अभद्र चित्रण किया जाता है। मैं यह भी जानना चाहती हू कि क्या समाज पर उक्त अभद्र टीवी कार्यक्रमों के प्रभाव का कोई अध्ययन किया गया था।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैंने आपको पहले भी हमारे द्वारा उठाये जाने वाले कदमों के बारे में अवगत किया है। परन्तु, मैं माननीय सदस्य को आपको माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि चलचित्रों में चुंबन पर प्रतिबंध था। परन्तु पूरे विश्व में, विशेषकर इस उपमहाद्वीप में, इलेक्ट्रानिक मीडिया के बढ़ते प्रभाव के कारण इस पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद इसकी अनुमति दी गई है। केन्द्रीय सेंसर बोर्ड के सदस्यों द्वारा समय-समय पर अश्लीलता की संकल्पना का आकलन किया जाता है। भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता में हिंसा की परिभाषा के अलावा अश्लीलता की कोई वैधानिक परिभाषा नहीं दी गई है। परन्तु, जहां तक फिल्मों का संबंध है, हिंसा और अश्लीलता का अध्ययन कला, दर्शन और मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में सावधानीपूर्वक किया जाना है, और इसका सेंसर बोर्ड द्वारा अध्ययन किया जा रहा है।

जहां तक टीवी का संबंध है, मैं स्वीकार करता हूं कि, दूरदर्शन के अलावा, पूर्व समीक्षा की कोई प्रणाली विद्यमान नहीं है। मैं माननीय सदस्य से पूर्णत: सहमत हूं कि महिलाओं की गरिमा, महिलाओं के अधिकार और उनकी प्रतिष्ठा कभी-कभी खंडित होती है। इसलिए हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया कि

हम इस पर और समझौता नहीं करेंगे। अतएव, मैं इस संबंध में बहुत जल्द एक नीति प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री अर्जुन सेठी: महोदय, माननीय मंत्री ने यह कहा है कि उपग्रह चैनलों की जांच करने की कोई प्रणाली नहीं है। जैसाकि आप जानते हैं, हमारी संस्कृति और हमारे देश के अभिसमय अन्य देशों की संस्कृति से बिल्कुल भिन्न है।

अध्यक्ष महोदय: हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आप रोज ही अखबारों में ऐसा देखते हैं।

श्री अर्जुन सेठी: महोदय, मुझे अफसोस है कि मैं बहुत ही रुढ़िवादी विचारधारा का हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि अश्लीलता की परिभाषा हर देश में अलग-अलग है। हमारी संस्कृति, हमारे अभिसमयों और प्राचीन परंपरा का संरक्षण करने के लिए क्या वह व्यापक विधेयक लाएंगे ताकि हमारी संस्कृति और अभिसमयों का संरक्षण हो सके और हम ऐसा कुछ भी न करते हुए अग्रसर हों जिससे कि हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचे?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि मैंने इसका अध्ययन किया है। मैंने उस मामले पर उस सरकार की मंशा को व्यक्त किया है। चूंकि माननीय सदस्य उड़ीसा राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, मैं उनके समक्ष बहुत ही साधारण उदाहरण देना चाहता हूं। भारतीय संस्कृति में, हम पुरानी कलाओं, परंपराओं और संस्कृति को अपनी प्रचुरता में संरक्षित करते हैं। परन्तु जिस राज्य का वह प्रतिनिधित्व करते हैं वह प्राचीनतम राज्यों में से एक है और हमें इसकी विस्मयकारी संस्कृति पर गर्व है। पर्यटक कोणार्क देखने जाते हैं। दार्शनिक संकल्पना में कोणार्क कला एक महान कला है। परन्तु यदि कोई कलाकार कोणार्क कला विषय वस्तु पर फिल्म बनाने की योजना बनाता है और फिल्म बनाता है तो कोई इसे अश्लील भी बता सकता है।

अध्यक्ष महोदय: वह भी वहां जाते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: इस प्रकार संतुलन बनाया रखा जाना चाहिए। उस प्रकार हमें पूरे मुद्दे पर गौर करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मैं कई बार गया हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन: माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने कहा कि वह कुछ प्रयास कर रहे हैं, वहां तक तो बात ठीक है। मंत्री जी ने अपने उत्तर में एक्शन लिये जाने की बात कही है, परन्तु उसमें बहुत लचीलापन लगता है। एक स्थान पर कहा है कि

[अनुवाद]

17 मामलों में, सलाह दी गई थी। 31 मामलों में चैनलों से अपना कार्यक्रम रोकने के लिए कहा गया था।

[हिन्दी]

इस तरीके से जो बातें हैं, बात केवल अश्लीलता की नहीं है, वॉयलैंस अनेक प्रकार का होता है। कई चैनलों में सुदूर कोने में अलग-अलग स्टाइल से अपराधियों द्वारा किये गये अपराध दिखाये और दर्शाए जाते हैं। बीच में पे चैनल्स की बात सुनने में आई थी, जिससे हमारे घरों में ऐसे चैनल्स को आने के लिए रिस्ट्रिक्ट किया जा सके, जिन्हें हम नहीं देखना चाहते। क्या मंत्री जी ऐसी नीति बनाएंगे, जिससे इस प्रकार के चैनल्स पर ऐसे दृश्य दिखाए जाने को कड़ाई से रोका जा सके और जो हमारे घरों में प्रवेश न कर सकें? पहले इस बारे में एक पालिसी आई थी, लेकिन वह अभी तक लटकी हुई है इसलिए इस तरह की चीजों को रोकने के लिए क्या आप कोई नीति बनाने पर विचार कर रहे हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया संक्षिप्त भाषण दें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, जहां तक विद्यमान नीति का संबंध है यह स्वनियंत्रण का मामला है। पूरे विश्व में मीडिया और मीडिया मनोरंजन में स्व-नियंत्रण एक स्वीकृत मानदंड है।

परन्तु स्व-नियंत्रण के अन्तर्गत, यदि हमारी अपनी समकालीन विचारधारा की सीमा रेखा से कोई चीज बाहर जाती है, तब हम तदनुसार हस्तक्षेप करते हैं। कुछ भुगतान चैनलों को रोका गया है और मैंने उन चैनलों के नामों का उल्लेख किया है। कुछ और भुगतान चैनल ऐसा कर रहे हैं। हम सख्त कार्रवाई करेंगे। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि महिलाओं की प्रतिष्ठा और गरिमा, बच्चों के उन्मुक्त और स्वच्छ मनोमस्तिष्क तथा युवाओं के विकास के संबंध में व्यापक योजना प्रस्तुत कर रहा हूं और दूरदर्शन के साथ-साथ निजी चैनलों से अपील करता हूं कि वे स्वच्छ कार्यक्रमों का प्रसारण करें जिससे इस संबंध में सकारात्मक वातावरण बनाए रखा जा सके। परन्तु, यहां अपवाद मौजूद हैं और इनसे कानूनी ढंग से निपटा जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: लोक सभा चैनल इसकी विषय वस्तु उपलब्ध कराएगा।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में समय-समय पर चिंता व्यक्त की गयी है कि टेलीविजन के तमाम चैनल्स में अश्लीलता आती है। इस बारे में माननीय सदस्यों के कुछ सुझाव भी आये हैं। कुछ लोगों के अपनी व्यक्तिगत रुचि के चैनल्स होते हैं, जिन्हें वे देखना पसंद करते हैं, लेकिन देखा यह गया है कि लगभग सभी चैनलों पर अश्लीलता आती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि विज्ञापन के लिए अलग से एक चैनल दे दिया जाए, जिस पर केवल विज्ञापन ही आएं। विज्ञापनों के बीच में आने से लोगों की एकाग्रता भंग होती है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह व्यावहारिक सुझाव नहीं है। ऐसा मैं मंत्री नहीं होने के बावजूद कह सकता हूं। श्री अजय चक्रवर्ती। उनका अंतिम पूरक प्रश्न है।

श्री अजय चक्रवर्ती: यह इस सरकार या उस सरकार का प्रश्न नहीं है। पूर्व के अवसरों पर भी पूर्व मंत्रियों ने इस प्रतिष्ठित सभा को आश्वासन दिया है कि टीवी चैनलों अथवा निजी चैनलों द्वारा अब और आपत्तिजनक दृश्यों को नहीं दिखाया जाएगा। परन्तु कुछ भी नहीं किया गया है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: एक ही बात है। नया पूरक प्रश्न पूछिए।

श्री अजय चक्रवर्ती: ऐसा जारी है। विद्यमान माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि बाहर के देशों के साथ-साथ इस देश में कुछ निजी टीवी चैनल सीरियलों और विज्ञापनों के माध्यम से बहुत ही आपत्तिजनक दृश्य दिखा रहे हैं जिससे कि युवाओं का मनोमस्तिष्क प्रभावित होगा बल्कि यह महिलाओं का अपमान है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न क्या है?

श्री अजय चक्रवर्ती: माननीय मंत्री जी से मेरा विशेष प्रश्न यह है कि क्या उन टीवी चैनलों के मालिकों के विरुद्ध दंड कार्रवाई करने का कोई प्रावधान है। यदि हां, तो इन चैनलों के मालिकों के विरुद्ध कितने मामलों में कार्रवाई आरंभ की गई है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने इसका विस्तृत रूप से लिखित उत्तर दिया है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैंने विस्तार से जवाब दिया है। अभी केबल नेटवर्क अधिनियम में केवल एक प्रावधान 16 है और मेरे विचार से प्रावधान 16 पर्याप्त नहीं है। इसीलिए मैं एक व्यापक विधान की अपेक्षा करता हूं।

रेलगाड़ियों/रेलवे परिसरों में अपराध की घटनाएं

*125. **श्री प्रभुनाथ सिंह:**
श्री राजेन गोहेन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही के वर्षों में रेलगाड़ियों तथा रेलवे परिसरों/स्टेशनों पर अपराध की घटनाओं में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे अपराधों में सरकारी रेलवे पुलिस की मिलीभगत की जांच करने के लिए कोई अध्ययन/सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) वर्ष 2005 के दौरान तथा आज तक कितने मामले हुए और इन मामलों पर क्या कार्रवाई की गई;

(ङ) ऐसी घटनाओं में मारे गए/घायल हुए व्यक्तियों की संख्या सहित कितने यात्री ऐसे अपराधों के शिकार हुए;

(च) उपर्युक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा पीड़ितों को दिये गये मुआवजे और सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(छ) रेलगाड़ियों और रेलवे परिसरों/रेलवे स्टेशनों पर अपराध की घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं/किये जाएंगे?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (छ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) 2005 में 3 मामले दर्ज किये गये हैं जिसमें 10 राजकीय रेल पुलिस कर्मी लिप्त पाए गए थे। इन सभी को निलंबित कर दिया गया है और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

(ङ) कुल 14 मुसाफिर प्रभावित हुए हैं। इनमें से एक घायल हो गया जिसकी बाद में अस्पताल में मृत्यु हो गई।

(च) रेलवे द्वारा किसी मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है।

(छ) रेलवे और राज्य प्राधिकारियों के बीच नियमित रूप से समन्वय बैठकें की जाती हैं। जिन मामलों में राजकीय रेल पुलिस कर्मी संलिप्त होते हैं, उनकी अनुवर्ती कार्रवाई हेतु राज्य सरकारों के साथ अनुसरण किया जाता है जोकि ऐसे मामलों के निपटान हेतु सक्षम प्राधिकारी होते हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का माननीय मंत्री जी ने कोई उत्तर ही नहीं दिया है। जैसे प्रश्न (क) की तरफ आप ध्यान दें। तीन जगहों पर पूछा गया है कि रेलगाड़ियों, रेलवे परिसरों और रेलवे स्टेशनों पर क्या अपराध की घटनाओं में अत्यधिक वृद्धि हुई है? हम आपसे जानना चाहते हैं कि वर्ष 2004 की तुलना में वर्ष 2005 में चलती हुई रेलगाड़ियों में, स्टेशन परिसरों में अपराध की कितनी घटनाएं हुई हैं? चलती हुई रेलगाड़ियों में कितनी घटनाएं हुई हैं और स्टेशन परिसरों में कितनी घटनाएं हुई हैं? कुल कितनी हत्याएं हुई हैं तथा कितने यात्रियों को नींद की दवा देकर उनका सामान उठा लिया गया और इसमें रेलवे पुलिस की क्या भूमिका है? इन बिंदुओं पर आपने कुछ नहीं कहा है, हम इस बारे में भी आपसे जानना चाहते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने कई अनुपूरक प्रश्न पूछ लिए हैं।

श्री आर. वेलु: महोदय, माननीय सदस्य की सूचनार्थ, पुलिस राज्य का विषय है। राज्य सरकारों का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह अपराधों को दर्ज करें। उनकी जांच पड़ताल करे और उस पर कार्रवाई करें और इसमें रेलवे से संबंधित कानून और व्यवस्था की समस्याएं भी शामिल हैं।

एक प्रश्न यह भी पूछा गया था कि क्या अपराध की घटनाओं में कमी आई है। अप्रैल 2004 से सितम्बर, 2004 तक अपराधों की संख्या 15,928 थी, इस वर्ष की समवर्ती अवधि में यह 14,333 तक कम हो गयी हैं। हत्या आदि के बारे में एक विशेष प्रश्न पूछा गया है। जहां तक हत्या का संबंध है गत वर्ष यह संख्या 119 थी अब यह कम होकर 178 तक आ गई है। गत वर्ष डकैतियों की संख्या 109 थी और अब यह 59 हो गई है। गत वर्ष लूटपाट के मामलों की संख्या 297 थी और अब यह 92 है। सामान की चोरी आदि की संख्या गत वर्ष 8,970 थी अब यह कम होकर 7,918 तक हो गई है।

उन्होंने राजकीय रेलवे पुलिस के बारे में एक प्रश्न पूछा है। इसका हमारी रेलवे सुरक्षा बल से कुछ लेना देना नहीं है। रेलवे सुरक्षा बल का संबंध केवल रेलवे की सम्पत्ति और रेलवे को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन हेतु सुपुर्द संपत्ति की सुरक्षा करने से है।

अब, रेल अधिनियम में संशोधन करके, रेलवे सुरक्षा बल को कुछ और अधिकार दिये गये हैं। इसके परिणामस्वरूप रेलवे सुरक्षा बल बिना टिकट यात्रा, महिलाओं हेतु आरक्षित डिब्बों में अनाधिकार प्रवेश, चेन खींचना इत्यादि जैसे लघु प्रकृति के 29 अपराधों से निपट सकता है।

इस बात की जिम्मेदारी मुख्यत: राज्य सरकारों की होती है। अब हम रेलवे सुरक्षा बल पुलिस थाने स्तर पर स्थानीय पुलिस के साथ तथा आवधिक रूप से महाप्रबंधक गृह सचिव स्तर की समन्वय बैठकें करते हैं ताकि रेलवे इन मामलों में सहायता कर सके अथवा दोषियों को सजा दिलाने में राज्य सरकारों के प्रयासों को आगे बढ़ाया जा सके।

यदि, माननीय सदस्य मामलों की संख्या के बारे में और अधिक ब्यौरा चाहते हैं तो मैं उन्हें श्रेणीवार उन सभी के बारे में ब्यौरा दे सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, हम घटनाओं की जांच के संबंध में जानते हैं कि इसमें राज्य सरकार की भूमिका होती है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि या तो मंत्री जी हमारे प्रश्न को समझ नहीं पाते हैं या उसका उत्तर देने में टालमटोल कर रहे हैं। मैं इनसे स्पेसिफिक रूप से जानना चाहता हूं कि जो घटनाएं घटती हैं, जहां आरपीएफ की पुलिस साथ चलती है और यात्रियों को संरक्षण, सुरक्षा तथा सामान पहुंचाने तक का काम करती है, लेकिन मेरी जानकारी यदि सही है तो हम माननीय मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि जो घटनाएं घटती हैं, उनमें आरपीएफ की पुलिस का अपराधियों को संरक्षण मिलता है और उसका हाथ होता है, ऐसे मामलों में स्थानीय पुलिस या राज्य की पुलिस जांच नहीं कर पाएगी। क्या माननीय मंत्री जी इस बिंदु पर जांच करना चाहते हैं कि चलती हुई रेलगाड़ी में, मालगाड़ी का सामान लूटा जाता है या रेल परिसर में जो घटनाएं घटती हैं, उसमें आप की रेलवे पुलिस का कितना हाथ होता है-क्या आप इसकी जांच कराना चाहते हैं? यह मेरा पहला प्रश्न है?

दूसरे, आपने मृतकों की संख्या दी है-क्या अन्य घटनाओं से संबंधित लोगों को भी रेलवे मुआवजा देना चाहती है या नहीं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वह जांच और मुआवजे के बारे में जानना चाहते थे।

श्री आर. वेलु: मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि सभी आई.पी.सी. से संबंधित मामले राजकीय रेलवे पुलिस और राज्य सरकारों की पुलिस से संबंधित होते हैं। रेलवे सुरक्षा बल की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। वे संज्ञेय अपराधों से संबंधित कार्यों को नहीं देखते हैं। हम तो इन चीजों के बारे में तेजी लाने के लिए उनकी सहायता ही कर सकते हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने कहा है कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत की सभी शिकायतों और आरोपों के संबंध में रेलवे सुरक्षा बल का कोई क्षेत्राधिकार नहीं होता है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, जो रजिस्टर्ड मामला होगा, वह स्टेट की पुलिस देखेगी या जीआरपी देखेगी, लेकिन जिस तरह का संरक्षण पुलिस देती है, उनकी इन्क्वायरी कारना इनका जिम्मा है। इस संबंध में माननीय मंत्री जी कोई कमेंट ही नहीं देते हैं, कोई उत्तर ही नहीं देते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि रेलवे सुरक्षा बल जहां संलिप्त है के लिए वहां आप क्या कदम उठाते हैं।

श्री आर. वेलु: जहां कहीं भी रेलवे सुरक्षा बल चोरी या लूटपाट के मामलों में संलिप्त होता है, वहां हम कार्रवाई कर रहे हैं। वास्तव में, कई मामलों में हमने उन पर मामले दर्ज किये है, उन्हें पदावनित किया है और उन्हें बर्खास्त किया है। यह बात नहीं है कि रेलवे में ऐसी घटनाओं के हम मूकदर्शक बने हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह यदि आपके पास कोई विशेष मामला है तो आप इसे उनके साथ उठा सकते हैं।

मंत्री जी, वह आपको मामले भेजेंगे। आप उन पर कार्रवाई कर सकते हैं।

श्री आर. वेलु: जी हां। ठीक है।

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन: मैं खासतौर पर एक बात पूछना चाहूंगी कि रेलवे स्टेशनों पर कुछ तबकों द्वारा, जिनमें कुछ भीख मांगने वाले और एक तबका नशेड़ियों का होता है, जिनकी शरणस्थली और विश्रामगाह ही रेलवे स्टेशन और उनके प्लेटफार्म होते हैं। जो लोग वहां गाड़ी के विलम्ब के कारण विश्राम कर रहे होते हैं, खास तौर पर, उनके द्वारा महिलाओं के साथ अक्सर लूटपाट और छेड़खानी की घटनाएं होती हैं। बिहार और यूपी के छोटे स्टेशनों पर विशेष तौर से ऐसी घटनाएं होती हैं। वह उनकी शरणस्थली न बने, वे वहां सो न सकें और अपना रात का विश्राम गृह न बना पाएं, कानून के अंतर्गत बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे आज भी वहां पुलिस की मिलीभगत से, सैटिंग करके रहते हैं, जिनके कारण उनसे सभी लोग डरते हैं। क्या आप ऐसा कोई प्रावधान करेंगे कि रात में अगर ट्रेन विलम्ब से है, कुछ महिलाएं अलग से सफर करती हैं, उनके साथ जैंट्स नहीं होता, तो वे रात में डर कर न रह सकें। कुछ महिलाएं तो ट्रेन के विलम्ब होने से, अपनी ट्रेन तक रद्द कर देती है। क्या आप कानून में कोई ऐसा प्रावधान करेंगे कि रात में महिलाओं की प्रोटक्शन हो सके, या उन्हें पुलिस बल या महिला पुलिस दी जा सके।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह अच्छा प्रश्न है।

...(व्यवधान)

श्री आर. वेलु: जैसाकि मैंने पहले ही कहा है कि रेलवे अधिनियम जो 1 जुलाई, 2004 से लागू हुआ, में संशोधन के पश्चात रेलवे सुरक्षा बल यात्रियों और यात्री क्षेत्रों की देखरेख कर सकते हैं। जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है कि रेलवे स्टेशनों पर यात्री रात को रुक सकते हैं अथवा प्रतीक्षा कक्षों आदि में आराम कर सकते हैं, रेलवे सुरक्षा बल जहां होने वाली छोटी-मोटी चोरियों और छोटे अपराधों का भी संज्ञान ले रहा है। उन्हें भी संरक्षण दिया जा रहा है।

सभा की सूचनार्थ, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज रेलवे में रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस को मिलाकर कुल 1,03,330 कर्मी है जिसमें लगभग 66,730 कर्मी रेलवे सुरक्षा बल से और राजकीय रेलवे पुलिस से 36,600 कर्मी या तो स्टेशन क्षेत्रों की या चलती रेलगाड़ियों की सुरक्षा के लिए हैं।

जहां तक रात के समग्र संरक्षण का संबंध है, हम अब और महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती कर रहे हैं। हमने पहले ही 658

महिला रेलवे सुरक्षा बल कर्मियों की भर्ती की है। हाल की भर्ती में, और महिला पुलिस कर्मी शामिल किये गये हैं ताकि महिला यात्रियों की रात के समय भी सुरक्षा दी जा सके। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह विशेष ध्यान देने का मामला रहा है।

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, कृपया मुझे एक मौका दें ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री येरननायडु, मैंने आपका नाम भी नोट किया है और चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। कृपया, आप प्रतीक्षा करें। मेरे पास सूची है। मैं उन्हें तदनुसार आमंत्रित करूंगा। आपका हस्तक्षेप केवल बाधक है, आपने अपना हाथ उठाया है और उसे नोट कर लिया गया है। वास्तव में, सभी हाथ उठाने वालों को यहां नोट कर लिया जाता है।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: हाल में आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि हुई है। हमें इसी सभा में बताया गया है कि सभी लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में रेलवे सुरक्षा बल तैनात किया जाएगा। लेकिन रेलवे सुरक्षा बल में बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं, वहां लगभग 17,000 रिक्तियां हैं। जब रेलवे में रिक्तियां हैं तो दक्षिण-पूर्व रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल के 500 पदों को समाप्त कर दिया है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सभी लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में रेलवे सुरक्षा बल की तैनाती विशेषकर रात को रेलगाड़ियों में सुरक्षा बल की तैनाती के लिए क्या इन रिक्तियों को तत्काल आधार पर भरा जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: वह जानना चाहते हैं कि क्या रेलवे सुरक्षा बल की इन रिक्तियों को भरा जाएगा या नहीं।

श्री आर. वेलु: मैं माननीय सदस्य के सूचनार्थ, बताना चाहता हूं कि इसमें 12,503 रिक्तियां हैं। अब हमने पहले ही 10,069 कर्मियों की भर्ती कर ली है, वे प्रशिक्षण ले रहे हैं। हमने शेष रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप रेलवे की स्थायी समिति के 'माननीय सभापति' को पूरी तरह अवगत नहीं करा रहे हैं।

श्री आर. वेलु: जी हां। महोदय मैं उन्हें रेलवे का 'भीष्म' कहता हूं क्योंकि वह रेलवे के बारे में हर बात अच्छी तरह से जानते हैं।

जहां तक रात के समय लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों की सुरक्षा का संबंध है, वर्तमान में रात के समय 2718 रेलगाड़ियों की सुरक्षा की जा रही है। जब भी स्थिति में सुधार होगा, आप निश्चित रूप से पायेंगे कि देश में रात के समय सभी रेलगाड़ियों की सुरक्षा की जा रही है ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: दक्षिण-पूर्व रेलवे के पदों को समाप्त किये जाने के बारे में आपका क्या कहना है? ...*(व्यवधान)*

श्री आर. वेलु: हम इसे देखेंगे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्रीजी ने कहा है कि वह इसको देखेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

प्रतिदिन एक करोड़ दस लाख से अधिक व्यक्ति रेलगाड़ियों में यात्रा कर रहे हैं। इसीलिए, रेलवे को यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के बारे में विचार करना होगा। यह इसका परम कर्त्तव्य है।

रेल अधिनियम में संशोधन के बाद रेलवे सुरक्षा बल को 25 छोटे-मोटे अपराधों से संबंधित शक्तियां दी हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या इसके बाद अपराध दर में कोई बदलाव आया है।

श्री आर. वेलु: महोदय, माननीय सदस्य ने एक करोड़ दस लाख कहा है। यह संख्या एक करोड़ दस लाख नहीं है। रेलगाड़ियों से यात्रा करने वालों की संख्या इससे अधिक है। 9000 रेलगाड़ियों के माध्यम से एक करोड़ चालीस लाख व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं।

दूसरे, मैंने यह उल्लेख किया था कि संशोधन के बाद अपराधों आदि में किस प्रकार कमी आई है। पहले इससे संबंधित संख्या 15,298 थी और अब यह घटकर 14,333 हो गई है।

अध्यक्ष महोदय: आप पहले ही यह आंकड़े दे चुके हैं।

श्री आर. वेलु: अपराधों की संख्या में उल्लेखनीय काफी कमी आई है। हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस संख्या में और कमी लाई जाए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको एक अवसर देना चाहता था, परंतु आप अपनी सीट पर नहीं थे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को हानि/लाभ

***126. श्री शिशुपाल पटले:**
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही के दौरान अपनी हानि/लाभ की स्थिति का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का उपक्रम-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों को उनके लागत मूल्य से कम कीमत पर बेचा जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप अभी तक उठाई गई हानि का उत्पाद-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आम आदमी के हित को बिना बाधा पहुंचाए इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) जी, हां। नीचे दिये गये ब्यौरे के अनुसार–

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	वर्ष 2005-06 के प्रथमार्ध के दौरान अनुमानित लाभ/हानि
1.	आयल इंडिया लिमिटेड	815.78
2.	गेल (इंडिया) लिमिटेड	1258.00
3.	आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि.	7475.00
4.	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	157.90
5.	आई.बी.पी. कं. लिमिटेड	(-)424.50
6.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	(-)530.00
7.	बामर लारी एण्ड कंपनी लिमिटेड	25.27
8.	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	77.70
9.	मैंगलोर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकैमिकल्स लि.	381.74
10.	इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड	895.00
11.	कोच्चि रिफाइनरीज लिमिटेड	279.00
12.	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	(-)634.37
13.	बीको लारी लिमिटेड	0.51
14.	बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड	117.96
15.	चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	430.42

(ग) और (घ) जी, हां। परिशोधन प्रक्रिया की जटिलता जिसमें अनेक विभिन्न उत्पादों के आसवन, क्रेकिंग, कोकिंग और डि-सल्फ्यूराइजेशन शामिल हैं, से उत्पादनवार हानियों का सही सही मूल्यांकन करना और उत्पादवार लागतों का अनुभाजन कठिन हो जाता है। तथापि जो स्पष्ट है वह यह है कि अप्रैल-नवम्बर, 05 की अवधि के दौरान चारों संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पाद अर्थात पेट्रोल, डीजल, पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी की बिक्री तदनुरूपी अंतरराष्ट्रीय आयात समता लागत से निम्नस्तर कीमत पर की गई है। इसके फलस्वरूप ''अल्प वसूलियां'' उत्पन्न होती हैं। इन संवेदनशील उत्पादों के संबंध में अप्रैल-नवम्बर, 2005 की अवधि के लिए अनुमानित अल्प वसूलियां नीचे तालिका में दी गई हैं:

(करोड़ रुपये में)

उत्पाद	अप्रैल-नवम्बर 05 के लिए अनुमानित अल्प वसूलियां
सा.वि.प्र. मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी पर	14,373
पेट्रोल और डीजल पर	12,353
योग	26,726

(ङ) सरकार मूल्य स्थिति की लगातार निगरानी कर रही है। मूल्य निर्धारण व्यवस्था विभिन्न पणधारकों अर्थात उपभोक्ताओं, सरकार और तेल कंपनियों के हितों को संतुलित करने का प्रयास करती है।

संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों पर अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि का भार नियंत्रित करने की दृष्टि से सरकार ने विशेष रूप से जून 2004 से कई उपाय किये जिनमें अन्य बातों के साथ साथ संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में अधोगामी संशोधन तथा विशेष रूप से पेट्रोल और डीजल में समय समय पर मामूली मूल्य वृद्धियां सम्मिलित हैं। ऐसा विभिन्न पणधारकों अर्थात सरकार, तेल विपणन कंपनियों और उपभोक्ताओं के बीच भार का समान वितरण सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया गया है। इसके अलावा सरकार ने एक हानि हिस्सेदारी योजना तैयार की है जिसके अनुसार अपस्ट्रीम तेल कंपनियां नामत: ओएनजी, ओआईएल और गेल संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों पर अल्प वसूलियों का एक तिहाई हिस्सा बांटती है। सरकार रियायती पेट्रोलियम उत्पादों पर सा.क्षे.उ. तेल विपणन कंपनियों द्वारा वहन की गई अल्प वसूलियों के लिए बांड जारी करने पर भी विचार कर रही है।

सरकार ने डा. सी. रंगराजन की अध्यक्षता के अंतर्गत एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का भी गठन किया है। समिति पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण में स्थायित्व और यौक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों के संबंध में मूल्य निर्धारण और कराधान संरचना की जांच करेगी।

[अनुवाद]

नि:शक्त व्यक्तियों का कल्याण

***127. श्री वीरचन्द्र पासवान:**
श्री कैलाश बैठा:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि नि:शक्त व्यक्तियों के साथ शिक्षा, रोजगार, सार्वजनिक परिवहन और सार्वजनिक भवनों में प्रवेश तथा जीवन के सभी क्षेत्रों में भेदभाव किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो देश में नि:शक्तों की बड़ी संख्या के लाभार्थ नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अक्षरश: कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) नि:शक्त व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के कल्याण हेतु उनकी नि:शक्तता का निवारण और उसका पूर्व पता लगाने और उनकी शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा के लिए एवं उनके साथ भेदभाव को रोकने के लिए किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार): (क) जी हां।

(ख) नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के विभिन्न प्रावधान संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर बहु-क्षेत्रीय सहयोगात्मक दृष्टिकोण से कार्यान्वित किये जाते हैं। अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए किये गये मुख्य उपायों में शामिल हैं:

1. केन्द्र में केन्द्रीय समन्वय और कार्यपालक समितियां और राज्यों में राज्य समन्वयन और कार्यपालक समितियां गठित की गई हैं;
2. केन्द्र में नि:शक्त व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त और सभी राज्यों में नि:शक्त व्यक्ति आयुक्त को नियुक्त किया गया है;

3. मैडिकल और पैरा-मेडिकल स्टाफ और आंगनबाड़ी कामगारों को विकलांगता के निवारण और शीघ्र पहचान हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है;

4. समावेशी शिक्षा के विषय में जागरूकता सृजित की जा रही है। सर्वशिक्षा अभियान इस शिक्षा को प्रोत्साहित कर रहे हैं। सत्रह लाख विकलांग बच्चों को समावेशी शिक्षा स्कूलों में दाखिला दिलाया गया है;

5. सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों में विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% स्थानों के आरक्षण को लागू किया जा रहा है;

6. केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के संगठनों में विकलांग व्यक्तियों के लिए अभिज्ञात पदों में 3% स्थानों के आरक्षण को लागू किया जा रहा है;

7. अधिकांश राज्यों में सभी गरीबी उन्मूलन योजनाओं में 3% आरक्षण दिया जा रहा है;

8. गंभीर विकलांगताओं से पीड़ित बच्चों के लिए केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा या तो विशेष स्कूलों की स्थापना की गई है या इन्हें सहायता दी जा रही है, ताकि विकलांग बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा हो;

9. छः राज्यों ने विकलांग व्यक्तियों के लिए सभी समूहों में पदों को अभिज्ञात किया है। नौ राज्यों ने 'ग' और 'घ' श्रेणियों में पदों को अभिज्ञात किया है। चार राज्य सभी श्रेणियों के पदों में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित पदों की सूची का पालन कर रहे हैं। सभी सात संघ राज्य क्षेत्र केन्द्रीय सूची का अनुसरण करते हैं;

10. अधिकांश राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में चिकित्सा बोर्डों का गठन किया गया है;

11. नौ राज्यों और चार संघ राज्य क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान है। तेइस राज्य और पांच संघ राज्य क्षेत्र विकलांग व्यक्तियों को विकलांगता पेंशन देते हैं;

12. छः राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र ने माडल बिल्डिंग उप विधियां अपनाने की सूचना दी है, जिसमें विकलांग व्यक्तियों के लिए बाधा-मुक्त वातावरण सृजित करने के प्रावधान हैं। इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चार सौ अड़तीस शहरी स्थानीय निकायों ने भी इन उपविधियों को स्वीकार कर लिया है;

13. सभी कार्यान्वयन एजेंसियों अर्थात् राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लोक निर्माण विभागों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सीमा सड़क संगठन इत्यादि को उनके द्वारा निर्मित/रख-रखाव की जाने वाली सड़कों पर बाधा-मुक्त विशिष्टताएं अपनाने हेतु आवश्यक व्यवस्था करने के लिए अनुदेश दिये गये हैं; और

14. 'ए' श्रेणी और महत्वपूर्ण रेलवे-स्टेशनों पर विकलांग व्यक्तियों के लिए संकेतक सुविधा की व्यवस्था की जा रही है।

(ग) निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:

1. विकलांगता रोकने के लिए बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किये गये हैं। विभिन्न कार्यक्रमों के सहायक कर्मचारियों को विकलांगता के निवारण एवं शीघ्र पहचान हेतु आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है;

2. समावेशी शिक्षा प्रणाली में भाग न ले सकने वाले बच्चों के लिए विशेष स्कूल, गृह आधारित शिक्षा, मुक्त अध्ययन आदि सहित कई विकल्प हैं;

3. मैट्रिकोत्तर स्तर पर व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम अध्ययन जारी रखने हेतु विकलांग छात्रों के सहायतार्थ राष्ट्रीय विकलांगजन निधि के माध्यम से पांच सौ छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही हैं;

4. विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार अवसर बढ़ाने हेतु, व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों और व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है;

5. राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम, विकलांग व्यक्तियों को स्वरोजगार उद्यमों हेतु रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान करता है;

6. विकांगता के क्षेत्र में गठित सात राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कार्मिकों का प्रशिक्षण शुरू किया जा रहा है;

7. भारतीय पुनर्वास परिषद, जो एक सांविधिक प्राधिकरण है, पुनर्वास व्यावसायिकों और कार्मिकों के प्रशिक्षण को विनियमित तथा मानीटर करता है, पुनर्वास और विशेष शिक्षा में अनुसंधान को प्रोत्साहन देता है;

8. आटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता तथा बहु-विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय न्यास लक्षित

समूह के लिए समर्थित संरक्षता योजना तथा दिवा (डे) देखभाल केन्द्र कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है;

9. सबसे निचले स्तर पर पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए, एक सौ बीस जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र तथा चार संयुक्त पुनर्वास केन्द्र स्थापित किये गये हैं;

10. भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक यंत्रों तथा उपकरणों का उत्पादन करता है;

11. सहायक यंत्र और उपकरण खरीदने तथा लगाने के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना में निर्धन और जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों के लिए नि:शल्क और रियायती दरों पर सहायक यंत्रों और उपकरणों को प्रदान करने का प्रावधान है;

12. विकलांग व्यक्तियों और उनके परिवारों को विशिष्ट आयकर रियायतें उपलब्ध हैं। अभी तक आय कर रियायतें प्राप्त करने के लिए आयकर विभाग को उसके निर्धारित प्रपत्र में विकलांगता प्रमाण पत्र की जरूरत होती थी। चूंकि विकलांग व्यक्तियों को इससे असुविधा होती थी, इसलिए उस विभाग ने अब नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के अंतर्गत जारी विकलांगता प्रमाण पत्र को स्वीकार करने पर सहमति दे दी है;

13. कुछ सहायक यंत्रों तथा उपकरणों पर आयात के लिए सीमा शुल्क में रियायत उपलब्ध है। कतिपय मदों के निर्माण हेतु, उत्पादन शुल्क में भी रियायत दी जाती है; और

14. कतिपय श्रेणियों के विकलांग व्यक्तियों को हवाई, रेल तथा बस किराए में रियायत मिलती है।

[हिन्दी]

तेल की खोज हेतु सर्वेक्षण

***128. श्रीमती किरण माहेश्वरी:**
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में चालू वर्ष के दौरान विभिन्न स्थानों पर तेल की खोज हेतु कोई सर्वेक्षण आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो स्थानों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में आज की तारीख तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) इस संबंध में बनाई गई नई तेल खोज लाइसेंसिंग प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) वर्तमान वर्ष के दौरान 1.10.2005 को स्थिति के अनुसार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एक निकाय हाईड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) ने पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्यों को शामिल करते हुए 24,000 लाइन किलोमीटर (एलकेएम) वायु चुम्बकीय सर्वेक्षण किये हैं।

इसी अवधि के दौरान आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने अब तक 1126.9 लाइन किलोमीटर (एलकेएम) 2डी भूकंपीय, 5023.6 वर्ग कि.मी. 3डी भूकंपीय आंकड़े अर्जित किये हैं और आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल राज्यों और अपतट क्षेत्रों में पड़ने वाले 40 अन्वेषण कूपों का वेधन किया है।

ओआईएल ने 245.16 एलकेएम 2डी भूकंपीय, 315.41 व.कि.मी. 3डी भूकंपीय का अर्जन किया है और असम व राजस्थान राज्यों में इसी अवधि के दौरान 9 अन्वेषण कूपों का वेधन किया गया/वेधन किया जा रहा है अथवा वेधनाधीन रहे हैं।

निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों ने असम, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और अपतट क्षेत्रों में इसी अवधि के दौरान 7764 एलकेएम 2डी भूकंपीय और 7366 व.कि.मी. 3 डी भूकंपीय का निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा किया है और इन राज्यों में पड़ने वाले 27 अन्वेषण कूपों का वेधन किया है।

भारत सरकार ने नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) के पांचवें दौर में परिसंघ/निजी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों (घरेलू और विदेशी दोनों)/राष्ट्रीय तेल कंपनियों को 20 अन्वेषण ब्लाक अवार्ड किये हैं जिनमें से 12 अन्वेषण ब्लाक असम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में, 2 अन्वेषण ब्लाक उथले अपतटीय क्षेत्रों में और 6 अन्वेषण ब्लाक गहरे पानी वाले क्षेत्रों में हैं।

(घ) एनईएलपी के तहत अन्वेषण ब्लाकों के प्रस्ताव की शर्तों और निबंधनों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

(1) वाणिज्यिक उत्पादन को आरंभ से सात वर्ष के लिए कर छूट।

(2) पेट्रोलियम प्रचालनों के लिए अपेक्षित आयातों पर कोई सीमा शुल्क नहीं।

(3) 100 तक बिड्डेबल लागत वसूली सीमा।

(4) अन्वेषण अवधि के प्रथम चरण में भूकंपीय विकल्प की संभावना।

(5) अन्वेषण अविध के दौरान कोई न्यूनतम व्यय प्रतिबद्धता नहीं।

(6) अन्वेषण और वेधन व्यय प्रथम वाणिज्यिक उत्पादन से 10 वर्षों की अवधि तक चुकाने का विकल्प।

(7) लाभ पेट्रोलियम की हिस्सेदारी संविदाकार द्वारा उपलब्ध कर-पूर्व निवेश मल्टीपल पर आधारित और बिड्डेबल है।

(8) जमीनी क्षेत्रों के लिए रायल्टी कच्चे तेल के लिए 12.5% और प्राकृतिक गैस के लिए 10% की दर पर संदेय है। अपतट क्षेत्रों के लिए यह तेल और प्राकृतिक गैस के लिए 10% की दर से संदेय है। गहरे पानी वाले क्षेत्रों के लिए रायल्टी वाणिज्यिक उत्पादन के प्रथम सात वर्ष के लिए अपतटीय क्षेत्रों के लिए लागू आधी दर से वसूलनीय है।

(9) संविदा में राजकोषीय स्थाईत्व प्रावधान।

(10) घरेलू बाजार में तेल और गैस के विपणन के लिए संविदाकार को स्वतंत्रता।

(11) उत्पादन हिस्सेदारी संविदाए (पीएससीज) भारत के कानूनों के अध्यधीन हैं।

निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण

***129. श्री अजीत जोगी:**
श्री राजेश पाठक:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण के मामले की जांच करने के लिए गठित मंत्री समूह ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं और इस रिपोर्ट के कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) निजी क्षेत्र में आरक्षण सहित सकारात्मक कार्रवाई के संबंध में उद्योग और व्यवसाय जगत के परिसंघों के साथ बातचीत जारी है। बातचीत पूरी होने के संबंध में कोई विशिष्ट समय-सीमा नहीं दी जा सकती है।

रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी

***130. प्रो. महादेवराव शिवनकर:**
श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रक्षा क्षेत्र निजी उद्योगों की भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु कोई योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या रक्षा प्रणालियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनुमति देने के लिए कोई योजना बनाई गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में केलकर समिति की सिफारिशों की जांच की है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्वीकार की गई समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किये जाने का विचार है;

(छ) क्या भारतीय निजी क्षेत्र ने रक्षा सरकारी क्षेत्र की इकाइयों और आयुध निर्माणियों के साथ काम करने में रुचि दिखाई है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ज) रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने मई, 2001

में 26% तक स्वीकार्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित भारतीय निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए रक्षा उद्योग क्षेत्र को 100% तक खोल दिया था; ये दोनों ही लाइसेंसिंग की शर्त के अध्यधीन हैं।

2. सरकार ने केलकर समिति की रिपोर्ट, जो 5 अप्रैल, 2005 को प्रस्तुत की गई थी, के भाग-I में अन्तर्विष्ट सिफारिशों की जांच की है। इस समिति की 10 नवंबर, 2005 को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के भाग-II में अंतर्विष्ट सिफारिशों की जांच की जा रही है।

3. समिति की रिपोर्ट के भाग-I में शामिल कुल 40 सिफारिशों में से 26 सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं; 8 सिफारिशें कुछेक संशोधनों के साथ स्वीकार की गई हैं; और शेष 6 सिफारिशों पर और आगे विचार-विमर्श किए जाने की जरूरत है। संबंधित स्कंधों/विभागों/सेना मुख्यालयों को सरकार द्वारा कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत सिफारिशों पर कार्रवाई शुरू करने के लिए निदेश दिये गये हैं।

4. भारतीय निजी क्षेत्र की बहुत अधिक कंपनियां पहले ही सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों और आयुध निर्माणियों के साथ कार्य कर रही है और उन्हें इनपुट सामग्री की आपूर्ति कर रही है। इसके अलावा, आयुध निर्माणियां, मैसर्स अशोक लेलैंड लिमिटेड से प्राप्त लाइसेंस के तहत, भारतीय सेना के लिए, स्टेलियन वाहनों और मैसर्स टेल्को से प्राप्त लाइसेंस के तहत लॉरी पैसेंजर ट्रक आल टैरन (एलपीटीए) का विनिर्माण कर रही हैं। निजी क्षेत्र में मैसर्स लार्सेन टुब्रो लिमिटेड, टाटा इंडस्ट्रीज, वॉल्वो इंडिया, ट्रैक्टर इंडिया (टी आई एल), आदि जैसी बहुत सी अन्य कंपनियों ने भी सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों और आयुध निर्माणियों के साथ काम करने की रुचि दर्शाई है। सरकार की नीति ऐसी सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देने की है।

[अनुवाद]

रेल परियोजनाओं हेतु धनराशि

***131. श्री पी. करुणाकरन:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण रेलवे की विभिन्न चालू परियोजनाओं हेतु चालू वित्तीय वर्ष में कुल आबंटित धनराशि इन परियोजनाओं के समय से पूरा होने के लिए अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) आमान परिवर्तन और नए रेल मार्ग कार्यों हेतु स्वीकृति धनराशि का ब्यौरा क्या है और आज की तिथि के अनुसार इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए परियोजना-वार कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(घ) इन परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) से (ग) दक्षिण रेलवे में सभी चालू परियोजनाओं के लिए, जिसमें रेल विकास निगम लि. के अंतर्गत चलने वाली परियोजनाएं भी शामिल हैं, चालू वित्त वर्ष 2005-06 में 407.75 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। किसी भी राज्य विशेष में परियोजना के लिए परिव्यय की व्यवस्था एक पारदर्शी विधि से की जाती है जिसमें राज्य के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या, प्रत्येक को, 15% भारिता और उस राज्य में बकाया परियोजनाओं को 70% भारिता दी जाती है। परियोजनावार आवंटन, परियोजना की प्रगति, परिचालनिक आवश्यकता और संसाधनों की समग्र उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। 2005-06 के दौरान पूरा करने के लिए लक्ष्यबद्ध परियोजनाओं के लिए दक्षिण रेलवे ने बजटीय समीक्षाओं के दौरान निधि की कुछ अतिरिक्त आवश्यकताओं का अनुमान लगाया है।

दक्षिण रेलवे के अंतर्गत नई लाइन और आमान परिवर्तन परियोजनाओं का परियोजनावार ब्यौरा, जिसमें रेल विकास निगम लि. की परियोजनाएं शामिल हैं, 2005-06 के दौरान परिव्यय व्यवस्था और निधियों की आवश्यकता के साथ नीचे दर्शाया गया है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	परिव्यय 2005-06 (करोड़ रुपयों में)	1.4.2005 को समापन हेतु अपेक्षित परिव्यय (करोड़ रुपयों में)
1	2	3	4
	नई लाइन		
1.	कारूर-सेलम (85 किमी)	2	157.22
2.	अंगामालि-सबरीमाला (146 कि.मी.)	1	543.38

1	2	3	4
3.	कोट्टायम-ईरुमेली (43 किमी)	1	198.65
4.	तानूर (कुट्टीपुरम)-गुरुवायूर (50.23 किमी)	1	129.55
	जोड़	5	1029
	आमान परिवर्तन		
1.	मदुरै-रामेश्वरम (161 किमी)	25	151.76
2.	त्रिची-मानमदुरै (150 किमी)	50	141.97
3.	कोल्लम-तिरुनेलवेली-तिरुचांदूर एवं तेनकासी-विरुदनगर (357 किमी)	31	316.93
4.	तिरुचिरापल्ली-नागौर-करैकल (156 किमी)	4.79	30.14
5.	विषुपुरम-कटपाडि (161 किमी)	10	222.87
6.	तंजावूर-विषुपुरम (192 किमी)	50.01	121.66
7.	कुड्डालूर-सेलम बरास्ता वृद्धाचलम (191 किमी)	85	98.02
	जोड़	255.8	1083.35

(घ) चालू परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए संसाधन बढ़ाने हेतु अनेक उपाय किये गये हैं। इनमें राज्य सरकारों की साझेदारी, सार्वजनिक/निजी साझेदारी, रक्षा मंत्रालय द्वारा वित्तपोषण, राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन और राष्ट्रीय रेल विकास योजना के बजटेतर उपाय शामिल हैं। 2004-05 में दूरस्थ क्षेत्र रेल संपर्क योजना की भी घोषणा की गई थी जिसमें अगले पांच वर्ष के दौरान लगभग 20,000 करोड़ रुपये के निवेश की संकल्पना की गई है। बहरहाल, इस योजना के लिए निधियों की व्यवस्था करना अभी बाकी है। इन प्रयासों से चालू परियोजनाओं की प्रगति में तेजी लाना संभव होगा।

[हिन्दी]

संयुक्त राज्य अमरीका से एमपीडी युद्धपोत की खरीद

*132. **श्री हरिभाऊ राठौड़:***
श्री वाई.जी. महाजन:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार संयुक्त राज्य अमरीका से लैंडिंग प्लेटफार्म डॉक (एलपीडी) युद्धपोत खरीदने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों के बीच इस संबंध में बातचीत हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त एलपीडी युद्धपोत लगभग चार दशक पुराना है; और

(ङ) यदि हां, तो पुराना एलपीडी युद्धपोत खरीदने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ङ) संयुक्त राज्य अमरीका से लैंडिंग प्लेटफार्म डॉक (एलपीडी) जो लगभग चार दशक पुराना है, अर्जित करने के मामले पर कार्रवाई की जा रही है। तथापि, इस प्रस्ताव पर अमरीका के साथ विचार-विमर्श किया गया है। नौसेना के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी इस एलपीडी का मूल्यांकन किया है और इसकी शेष उपयोगिता अवधि 12-15 वर्षों के बीच होने का अनुमान लगाया है। इस पोत से भारतीय नौसेना की जलस्थलीय क्षमता में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त, इस एलपीडी को विपदा राहत कार्यों पर भी लगाया जा सकता है। अपतटीय तेल अधिष्ठापन में आग लग जाने और समुद्री हवाई दुर्घटनाओं जैसी समुद्र में होने वाली दुर्घटनाओं के दौरान यह कमान और नियंत्रण प्लेटफार्म के रूप में भी कार्य कर सकता है।

विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

*133. **श्री मोहन सिंह:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मुम्बई और दिल्ली के विमानपत्तनों सहित देश के बड़े विमानपत्तनों के विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रतिशत में वृद्धि करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की संभावना है;

(घ) क्या विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण के लिए विदेशी कंपनियों द्वारा भारतीय निजी कंपनियों अथवा सरकारी कंपनियों के साथ समझौता किये जाने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो उन विदेशी कंपनियों के क्या नाम हैं जिन्होंने नागर विमानन क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवेश की इच्छा व्यक्त की है; और

(च) सरकार इन विदेशी कंपनियों को इस क्षेत्र में निवेश करने की अनुमति किस प्रकार देगी?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्तमान नीति के अनुसार, नये हवाईअड्डों के आधुनिकीकरण, पुन:संरचना इत्यादि में विदेशी इक्विटी भागीदारी की अनुमति स्वचालित मार्ग पर 74% तक तथा एफआईपीबी अनुमोदन से 100 तक दी है। तथापि, दिल्ली और मुम्बई में अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों में जिन्हें लोक निजी भागीदारी के माध्यम से पुन:संरचना तथा आधुनिक बनाया जा रहा है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को 49% तक सीमित कर दिया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) निम्नलिखित विदेशी कंपनियां कंसोर्टिया के भाग है, जिन्होंने मुम्बई और दिल्ली हवाईअड्डों की पुन:संरचना और आधुनिकीकरण के लिए अपनी बोलियां दी है:

(1) एयरोपार्टसी सर्विसियोस आक्जीलियीस, (2) फ्रापोर्ट एजी एयरपोर्ट सर्विसेज वर्ल्डवाइड, (3) मलेशिया एयरपोर्टस (नियागा) एसडीएन बेरहाड, (4) टेपे-एकफेन-वाई यातिरिम यापिम वे इसलेत्मे अनोनिम सिरकेटी (टीएवी), (5) फ्लूगाफेन मंचेन जीएमबीएच, (6) एयरोपोर्टस डि पेरिस मैनेजमेंट, (7) एयरपोर्टस कंपनी साऊथ अफ्रीका; (8) दि बिडवेस्ट ग्रुप लि., और मैक्वायर बैंक, मैक्वायर इंडिया एयरपोर्ट्स वन लि. के माध्यम से और मैक्वायर इंडिया एयरपोर्टस टू लि.। इसके अतिरिक्त विदेशी कंपनियां अर्थात् सिमेन्स और यूनिक, ज्यूरिख और मलेशियन एयरपोर्टहोल्डिंग बेरहाड संयुक्त उद्यम कंपनियां के भाग हैं अर्थात् बंगलौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. (बीआईएएल) तथा हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. (एचआईएएल), जो क्रमश: बंगलौर और हैदराबाद हवाईअड्डों की स्थापना कर रही है।

(च) हवाईअड्डों के आधुनिकीकरण के लिए विदेशी कंपनियों द्वारा निवेश के तरीके में अन्य बातों के साथ-साथ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति, हवाईअड्डा विशिष्ट नीति, विदेशी कंपनियों की योजनाएं तथा मांग और आपूर्ति पक्ष पर आधारित होगा।

रक्षा आयुध निर्माणियों में उत्पादन

*134. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंहदेव:**
श्री गिरिधारी यादव:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आयुध निर्माणियों का उनकी अधिष्ठापित क्षमता की तुलना में कुल उत्पादन कितना रहा है;

(ख) क्या उनकी अधिष्ठापित क्षमता से उत्पादन कम हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन आयुध निर्माणियों की अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) गत तीन वर्षों में आयुध निर्माणियों में कुल उत्पादन का मूल्य क्रमश: 7,908.69 करोड़ रुपए, 8.259.68 करोड़ रुपये और 8,331.75 करोड़ रुपये था और तदनुरूपी वर्षों में मशीन उपयोग 74.36%, 75.59% और 74.28% रहा।

(ख) से (घ) आयुध निर्माणियों में उत्पादन क्षमता का सृजन रक्षा बलों द्वारा युद्ध के समय दर्शायी गई आवश्यकता के आधार पर किया जाता है जबकि वास्तविक उत्पादन रक्षा बलों की वार्षिक

आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है जो उपलब्ध स्टॉक, प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं तथा खतरे संबंधी अवधारणा पर निर्भर करती हैं। इसलिए आयुध निर्माणियों में क्षमता का इस्तेमाल स्थापित क्षमता से कम है। तथापि, आर्डर प्राप्त करने हेतु निरंतर प्रयास किये जाते हैं तथा कार्यकुशलता में वृद्धि करके स्थापित संयंत्र क्षमताओं का अधिकतम इस्तेमाल करने के लिए सतत् प्रयास किये जाते हैं।

[अनुवाद]

एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का विलय

***135. श्री रेवती रमन सिंह:**
श्री राम कृपाल यादव:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस द्वारा अपर्याप्त परिचालन और अन्य एयरलाइनों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा से उत्पन्न होने वाली समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या सरकार दोनों एयरलाइनों का विलय करके इन्हें एक कंपनी बनाने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समय इस प्रस्ताव की क्या स्थिति है;

(ङ) इस विलय से लागत में कितनी कमी आएगी, डुप्लीकेशन से किस हद तक बचा जा सकेगा और व्यापार तथा लाभ में कितनी वृद्धि होगी; और

(च) इन उपक्रमों के स्टाफ के हितों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस बहुत अधिक प्रतिस्पर्द्धात्मक मार्केट परिवेश में प्रचालन करती हैं। तथापि, दोनों एयरलाइनों का अपने कारोबार में सुधार करने तथा मार्केट में प्रतिस्पर्द्धी बने रहने के लिए लगातार कदम उठाती रहती है। इसके अतिरिक्त दोनों एयरलाइनें आधुनिक विमान लेने की कार्रवाई कर रही हैं जिससे वे अपने विमान बेड़े को नवीनतम बना सकें।

(ग) जी नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

डीटीएच चैनल

***136. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूरदर्शन की डायरेक्ट-टु-होम (डीटीएच) सेवा के अंतर्गत आने वाले चैनलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या चैनलों की संख्या कम होने के कारण दूरदर्शन की डीटीएच सेवा डिशनेट, जी डिश आदि जैसी अन्य डीटीएच सेवाओं के मुकाबले पिछड़ी हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या दूरदर्शन डीटीएच सेवा के अंतर्गत चैनलों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई दिशानिर्देश बनाने का है;

(च) यदि हां, तो ये दिशानिर्देश कब तक बनाए जाने की संभावना है; और

(छ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) दूरदर्शन की डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) सेवा में बारह आकाशवाणी चैनलों के अलावा, उन्नीस दूरदर्शन और चौदह निजी टीवी चैनल शामिल हैं।

(ख) जी, नहीं। "डीडी डायरेक्ट-प्लस", सेवा 16 दिसम्बर, 2004 को शुरू हुई जो अब तक काफी लोकप्रिय सिद्ध हुई है।

(ग) और (घ) दूरदर्शन, अपनी फ्री-टु-एयर डीटीएच सेवा में टीवी चैनलों की वर्तमान संख्या को तैंतीस से बढ़ाकर पचास करने के लिए अतिरिक्त हार्डवेयर अधिग्रहीत करने की कार्यवाही कर रहा है। इस संबंध में, निजी टीवी चैनलों को शामिल करने के तौर-तरीकों के बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रसार भारती द्वारा चैनलों की संख्या को सौ तक बढ़ाने का भी प्रस्ताव है।

(ङ) से (छ) इस संबंध में जब कभी और जैसे ही दूरदर्शन के डीटीएच प्लेटफार्म का विस्तार किया जाएगा निजी टीवी चैनलों की इसमें सहभागिता, दूरदर्शन द्वारा निजी चैनलों के साथ किये जाने वाले औपचारिक संविदाकारी करार की शर्तों के अधीन रहेगी।

[हिन्दी]

जवानों द्वारा आत्महत्या

***137. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:**
श्री संतोष गंगवार:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सशस्त्र बलों के जवानों द्वारा आत्महत्या करने के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान आज की तिथि तक प्रकाश में आए ऐसे मामलों की संख्या कितनी है; और

(घ) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) ऐसे मामलों में वृद्धि का कोई निश्चित रुख नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जनवरी, 2005 तक आत्महत्या के 93 मामलों की सूचना मिली है।

(घ) विभिन्न स्तरों पर बेहतर मानव प्रबंधन तकनीकों के माध्यम से अग्रलक्षी दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। ऐसे हादसों को रोकने के लिए उच्च जोखिम वाले वर्ग का पता लगाने, अफसरों तथा जवानों के बीच अन्तर कार्मिक संबंध तथा संवाद में वृद्धि करने, तनाव-प्रबंधन, पेशेवर विशेषज्ञों आदि परामर्श, हेल्पलाइन की स्थापना तथा कल्याणकारी गतिविधियों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने जैसे उपाय किये जाते है।

[अनुवाद]

अलाभकारी मार्गों का आवंटन

***138. डा. के धनराजू:**
श्री अर्जुन सेठी:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में कितनी नई निजी एयरलाइनों को अपनी उड़ानों के संचालन की अनुमति दी गई है;

(ख) क्या इन एयरलाइनों को घाटे वाले/अलाभकारी मार्ग भी दिए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) निजी एयरलाइनों को भी अलाभकारी मार्ग आबंटित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) किंगफिशर एयरलाइनंस, स्पाइसजेट, पैरामाउण्ट एयरवेज तथा गो एयरलाइंस वे नई निजी अनुसूचित एयरलाइनें हैं जिन्हें अनुसूचित घरेलू हवाई सेवाएं प्रचालित करने की अनुमति दी गई है।

(ख) से (घ) सरकार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में हवाई परिवहन सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हवाई परिवहन सेवाओं का बेहतर नियमन पाने के उद्देश्य से मार्ग संवितरण दिशानिर्देश निर्धारित किये है।

तथापि, यातायात मांग तथा वाणिज्यिक साध्यता के आधार पर विनिर्दिष्ट स्थानों पर हवाई सेवाएं उपलब्ध कराना एयरलाइनों के ऊपर है। इस प्रकार, एयरलाइनें सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों के अनुपालन के अध्याधीन देश में कहीं भी प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

निजी एयरलाइनों से बकाया राशि

***139. श्री मोहन रावले:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी क्षेत्र के एयरलाइनों पर सरकार की बड़ी राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो निजी एयरलाइनों का ब्यौरा क्या है और आज की तिथि के अनुसार उनमें से प्रत्येक पर कितनी राशि बकाया है; और

(ग) इन एयरलाइनों से बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) निजी क्षेत्र की मुख्य/बही एयरलाइनों, जैसे, जेट एयरवेज, सहारा एयरलाइंस, एयर डक्कन, स्पाइस जेट तथा किंगफिशर एयरलाइंस पर बकाया सामान्य देयताएं (क्रेडिट की अवधि के भीतर) क्रमश: 2959.14 लाख रु., 797.72 लाख रु., 577.89 लाख रु., 62.79 लाख रु., तथा 106.66 लाख रुपए हैं। जेट एयरवेज, सहारा एयरलाइंस, एयर डक्कन, स्पाइस जेट, किंगफिशर

एयरलाइंस, ईस्ट-वेस्ट एयरलाइंस, एनईपीसी, स्काइलाइन एनईपीसी, अर्चना एयरवेज, मेस्को, एलबी एयर, वीआईएफ एयरवेज, कांटीनेंटल एविएशन तथा जगसन एयरलाइंस पर क्रमशः 350 लाख रु., 125 लाख रु., 1340 लाख रु., 0.00 रु., 119 लाख रु., 1622 लाख रु., 354.98 लाख रु., 166.10 लाख रु., 39.62 लाख रु., 306 लाख रु., 102.96 लाख रु., 24.79 लाख रु., 184 लाख रु. तथा 131.26 लाख रु., विलम्बित देयताएं हैं।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा देयताओं को नियमित रूप से मॉनीटर किया जाता है। जहां कहीं आवश्यक होता है कानूनी/मध्यस्थता/सार्वजनिक परिसर अधिनियम के माध्यम से कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त, चूककर्ता एयरलाइंसों से विलम्ब काल की देयताओं के लिए ब्याज वसूला जाता है। प्रचालनों के आधार पर सुरक्षा जमा राशि में भी उपयुक्त रूप से वृद्धि की जाती है।

एअर इंडिया के विमानों का रख-रखाव

***140. श्री बालासाहिब विखे पाटील:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन महीनों के दौरान खराब रख-रखाव के कारण हुई तकनीकी खामियों के कारण एअर इंडिया (एआई) द्वारा संचालित उड़ानों में देरी होने का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एअर इंडिया के विमानों का रख-रखाव मानक स्तर का नहीं है जिससे उनमें जल्दी-जल्दी तकनीकी खामियां आ रही हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या एअर इंडिया की उड़ानों के आगमन/प्रस्थान में देरी होने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसकी छवि धूमिल हुई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस संबंध में क्या उपाय किये गये हैं/किये जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) पिछले तीन महीनों के दौरान अभियांत्रिक विलम्बों की वजह से एअर इंडिया द्वारा प्रचालित उड़ानों में हुई देरियों का विवरण निम्नानुसार है:

माह	कुल विलम्ब	अभियांत्रिक विलम्ब	प्रतिशतता
अगस्त, 05	501	193	39
सितम्बर, 05	374	160	43
अक्तूबर, 05	414	110	27

(ख) जी, नहीं। एअर इंडिया नागर विमानन महानिदेशालय तथा अन्य विनियामक एजेंसियों द्वारा जारी अनुरक्षण अनुसूची, अपेक्षाओं, निदेशों तथा दिशानिर्देशों का कठोरता से अनुपालन करती है।

(ग) जी, नहीं। जून, 2005 को समाप्त 12 माह की अवधि के दौरान एअर इंडिया की समग्र तकनीकी प्रेषण विश्वसनीयता उद्योग की औसत से बेहतर थी।

(घ) सभी तकनीकी देरिगों की गहराई से जांच की जाती है तथा आवश्यक उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। एक स्थायी जांच बोर्ड (पीआईबी) भी सारी घटनाओं की जांच करता है तथा इंजीनियरिंग विभाग के गुणवत्ता नियंत्रण एवं तकनीकी सेवा प्रभाग को सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देता है, जो ऐसी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करता है। इसके अतिरिक्त, नागर विमानन महानिदेशालय भी एअर इंडिया द्वारा निष्पादित की जाने वाली अनुरक्षण संबंधी गतिविधियों की निगरानी, छानबीन व लेखा परीक्षा करता है।

[हिन्दी]

कच्चे तेल पर रायल्टी

***141. श्री वी. के. ठुम्मर:**
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कच्चे तेल का उत्पादन करने वाले राज्यों को कितनी रायल्टी का भुगतान किया गया;

(ख) पिछली बार रायल्टी की दरें कब निर्धारित की गई थी; और

(ग) क्या राज्यों को कच्चे तेल पर दी जाने वाली रायल्टी में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस प्रयोजनार्थ गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान कच्चा तेल उत्पादक राज्यों को प्रदान की गई रायल्टी की धनराशि को इंगित करने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) सरकार ने 1.4.1998 से रायल्टी की नई योजना लागू कर दी और कच्चे तेल की दरों में अंतिम बार संशोधन 17.3.2003 को किया।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) से (छ) सरकार ने संयुक्त सचिव (अन्वेषण), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अध्यक्षता में कच्चे तेल पर रायल्टी की एक नई योजना तैयार करने के लिए 26.4.2000 को मंत्रालयीन समिति का गठन किया था। समिति ने कच्चा तेल उत्पादक राज्यों और राष्ट्रीय तेल कंपनियों सहित सभी पणधारकों से परामर्श किया था और राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) से विशेषज्ञ सूचनाएं भी प्राप्त की थीं। सूचनाओं के आधार पर समिति ने अपनी रिपोर्ट 26.11.2001 को प्रस्तुत की थी। सरकार ने समिति की रिपोर्ट पर विचार किया था और कच्चे तेल पर रायल्टी की नई योजना लागू की थी, जैसाकि प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में उल्लेख किया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्ष के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन करने वाले राज्यों को भुगतान की गई रायल्टी

प्राप्त रायल्टी की राशि (करोड़ रुपये में)

राज्य	2004-05	2003-04	2002-03
गुजरात	1130.97	8667.46	887.97
असम	894.06	703.18	589.13
आंध्र प्रदेश	77.25	77.29	78.35
तमिलनाडु	102.32	70.64	71.06
त्रिपुरा	6.96	5.94	5.75
राजस्थान	2.39	1.43	1.20
अरुणाचल प्रदेश	10.98	20.84	4.51
योग	2224.93	9546.78	1637.97

पंजाब मेल में विशिष्ट व्यक्तियों के साथ हाथापाई

1270. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में पंजाब मेल में झांसी के आस-पास कुछ असामाजिक तत्वों ने कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के साथ हाथापाई की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी हां। 16.9.2005 को लगभग 14.06 बजे श्री उमा शंकर गुप्ता, परिवहन मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार गाड़ी सं. 2137 डाऊन पंजाब मेल के वातानुकूलित डिब्बें में अपने परिवार के साथ भोपाल से ग्वालियर तक यात्रा कर रहे थे। श्रीचतर पाल यादव, समाजवादी पार्टी के नेता भी उक्त डिब्बे में यात्रा कर झांसी तक जा रहे थे। डिब्बे में स्थान से संबंधित किसी विषय पर माननीय मंत्री के परिवार के सदस्यों और श्री चतर पाल यादव के बीच विवाद हो गया। उपरोक्त मामले की रपट राजकीय रेलवे पुलिस/

बीना को की गई थी। गाड़ी के बीना रेलवे स्टेशन पर आने के बाद श्री चतर पाल सिंह को गाड़ी से उतार दिया गया और माननीय मंत्री को उनकी ग्वालियर तक सुरक्षित यात्रा के लिए आवश्यक सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। उपरोक्त घटना के परिणामस्वरूप, ललितपुर रेलवे स्टेशन पर माननीय मंत्री को खोजने के लिए 60/70 लोगों की भीड़ जमा हो गई। राजकीय रेलवे पुलिस ललितपुर द्वारा उन्हें शांत व शांति बनाए रखने के लिए मना लिया गया। गाड़ी को बिजौली रेलवे स्टेशन पर जंजीर खींच कर रोका गया और लगभग 500 लोगों की भीड़ ने उक्त वातानुकूलित डिब्बे पर हमला किया और खिड़की के शीशों को लाठी, लोहे की छड़ों आदि से नुकसान पहुंचाया। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने गोलियां भी चलाई जिसके जवाब में सुरक्षा कर्मियों ने भी गोली चलाई। इस घटना के कारण, दो यात्री जो उक्त वातानुकूलित डिब्बे में यात्रा कर रहे थे और एक सिपाही गोली लगने से घायल हो गए।

(ग) उपरोक्त वातानुकूलित डिब्बे के मुख्य टिकट निरीक्षक की शिकायत पर राजकीय रेलवे पुलिस/झांसी ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147, 14, 149, 307 और 427 और रेल अधिनियम, 151 और 152; 7 फौजदारी कानून संशोधन के तहत दिनांक 16.9.2005 को 500 अनजान लोगों के विरूद्ध मामला सं. 93/2005 दर्ज किया है। अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है और श्री चतर पाल सिंह यादव की शिकायत पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 394, 504 और 506 के तहत श्री उमा शंकर गुप्ता, परिवहन मंत्री, मध्य प्रदेश और उनके साथियों के विरुद्ध राजकीय रेलवे पुलिस स्टेशन, झांसी/उत्तर प्रदेश में एक मामला प्रथम सूचना रपट सं. 0155/05 दर्ज किया गया है और क्षेत्राधिकार के आधार पर मामले को राजकीय रेलवे पुलिस स्टेशन, भोपाल, मध्य प्रदेश को स्थानांतरित कर दिया गया। इस मामले में अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है।

परिवहन मंत्री/मध्य प्रदेश के ब्रदर-इन-ला श्री सत्य नारायण की शिकायत पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147, 148, 149, 307, 336, 506 और 120-बी के तहत राजकीय रेलवे पुलिस, भोपाल ने मामले के राजकीय रेलवे पुलिस/झांसी में स्थानांतरण पर श्री चतर पाल सिंह यादव, श्री पुष्पेन्दर यादव, श्री गजेन्दर यादव और श्री अनूप और उनके दो से तीन हजार समर्थकों के विरुद्ध एक मामला सं. 93/05 दर्ज किया। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है।

(घ) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा गाड़ियों में यात्रा करने वाले अतिविशिष्ट यात्रियों को पर्याप्त सुरक्षा दी जा रही है। रेलवे द्वारा राजकीय रेलवे पुलिस प्राधिकारियों के साथ समन्वय रखा जा रहा है। समन्वय बैठकों में गाड़ियों में और रेलवे परिसरों में स्थिति की आवधिक समीक्षा की जा रही है। रेलवे द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक संसाधन और रेल सुरक्षा बल कर्मियों के रूप में हर प्रकार की सहायता दी जा रही है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का क्रियान्वयन

1271. श्री अधिनाश राय खन्ना: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यूनतम मजदूरी अधिनियम तथा अन्य श्रम कानून सीमा सड़क संगठन (बी आर ओ) के असैनिक कर्मचारियों पर लागू होते हैं;

(ख) यदि हां, तो, क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सीमा सड़क संगठन अपने कार्यरत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं दे रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) श्रम कानूनों के उल्लंघन के दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सीमा सड़क संगठन में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम तथा अन्य श्रम कानूनों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 सीमा सड़क संगठन के नियमित सिविलियन कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है। तथापि, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 उन पर लागू होता है।

(ख) सीमा सड़क संगठन में श्रमिकों को सीमा सड़क संगठन में कार्य तथा बजट उपलब्ध होने के आधार पर मजदूरी को दैनिक अथवा मासिक दरों पर लगाया जाता है। मजदूरी की दैनिक अथवा मासिक दरें, चीफ इंजीनियर द्वारा स्थानीय सिविलियन प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके तय की जाती हैं जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन तय न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होती।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आंग्ल-भारतीय समुदाय संबंधी समिति

1272. सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मुस्लिम समुदाय के सामाजिक आर्थिक तथा शैक्षिक स्तर का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में आंग्ल-भारतीय समुदाय के शैक्षिक, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों सहित उनकी समस्याओं का गहन अध्ययन करने के लिए ऐसी ही समिति का गठन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं इसकी संरचना क्या है तथा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने भारत के मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति के संबंध में रिपोर्ट करने के लिए न्यायमूर्ति राजेन्दर सचर की अध्यक्षता में सात सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की है।

(ग) से (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान में बांग्लादेश के कार्मिकों को प्रशिक्षण

1273. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून में बांग्लादेश के कार्मिकों को प्रशिक्षण देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में दोनों देशों के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद जिसके अंतर्गत भारतीय पेट्रोलियम संस्थान आता है से प्राप्त सूचना के अनुसार, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून ने बांग्लादेश के कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए बांग्लादेश के साथ किसी प्रकार के समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा अन्वेषण तथा उत्पादन

1274. श्री परसुराम माझी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) का विचार अन्वेषण तथा उत्पादन कंपनियां खरीदने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2005-2006 के दौरान भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा अवेषण तथा उत्पादन पर प्रस्तावित निवेश का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) हालांकि गेल के कुछ अन्वेषण ब्लाकों में सहभागिता हित हैं, लेकिन इसने अन्वेषण तथा उत्पादन कंपनियों को हासिल करने के लिए किसी भी प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिया है।

(ग) गेल ने 2004-05 में अन्वेषण तथा उत्पादन पर 336.88 करोड़ रुपए के प्रस्तावित व्यय की रिपोर्ट दी है।

हावड़ा से बालुरघाट तक नई रेल लाइन

1275. श्री रनेन बर्मन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हावड़ा से बालुरघाट तक एक नई रेल लाइन को स्वीकृत कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) उक्त परियोजना को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) एकलाखी से बालुरघाट तक पहले ही नई रेल लाइन पूरी हो चुकी है और चालू कर दी गई है। यह लाइन एकलाखी के रास्ते हावड़ा और बालूरघाट के बीच रेल सम्पर्क मुहैया कराती है।

चांगसारी तथा अजारा रेलवे स्टेशनों पर गुड्स यार्ड

1276. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को न्यू गुवाहाटी तथा गुवाहाटी स्टेशन में गाड़ियों की भीड़ को कम करने के लिए चांगसारी तथा अजारा रेलवे स्टेशनों पर गुड्स यार्ड शुरू करने के लिए असम सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं। बहरहाल, आवक माल को संभालने के लिए चांगसारी एवं अजारा दोनों को क्रमश: 1996 एवं 2004 में अधिसूचित किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

'डबल स्टैक कन्टेनर' रेलगाड़ियां

1277. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:**
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना 'डबल स्टैक कन्टेनर' रेलगाड़ियां चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन रेलगाड़ियों को किन-किन मार्गों पर चलाया जाएगा;

(घ) क्या इस परियोजना में विदेशी सहायता ली जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) प्रारम्भ में पिपवाव-जयपुर क्षेत्र में परीक्षण के तौर पर चलाए जाने और उससे संबंधित कार्य की योजना है। अगर ये परीक्षण सफल होते हैं तो इन मार्गों पर नियमित गाड़ियां चलायी जाएंगी। तत्पश्चात् अन्य संभव खण्डों पर चलाने के लिए भी विचार किया जाएगा। डबल स्टैक कंटेनर को प्रस्तावित माल यातायात को समर्पित गलियारा (दिल्ली-मुम्बई और दिल्ली-हावड़ा) पर चलाने की संभावना पर नई लाइनों के लिए व्यावहारिकता रिपोर्ट के अंतर्गत तकनीकी रूप से भी जांच की जा रही है।

(घ) और (ङ) भारतीय रेल के संसाधनों से परीक्षण किए जा रहे हैं। पिपवाव रेल निगम लिमिटेड (पीआरसीएल) परियोजना को मूल्यांकन के स्तर पर शामिल किया गया है। बाहरी (संभावित विदेशी) सहायता की कोई योजना नहीं है।

बज बज तथा फट्टा के बीच नई रेल लाइन

1278. **श्री समिक लाहिरी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बज बज तथा फट्टा के बीच नई रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा यह कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) बज बज और फट्टा के बीच एक नई रेल लाइन के लिए 2000-01 में सर्वेक्षण पूरा हो गया था।

[हिन्दी]

वृद्ध व्यक्ति (भरण पोषण, देखभाल तथा संरक्षण) विधेयक, 2005

1279. **श्री कैलाश मेघवाल:**
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वृद्ध माता-पिता की देखभाल के बारे में 4 अगस्त, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1721 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "वृद्ध व्यक्तियों संबंधी विधेयक 2005" नामक प्रस्तावित विधेयक के बारे में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से टिप्पणियां प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त विधेयक की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में विधान कब तक बनाए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) 20 राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन से दृष्टिकोण पत्र पर टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। सभी स्टेकहोल्डरों के विचार जानने के लिए क्षेत्रीय परामर्श भी किया गया है।

(ग) समय-सीमा निधारित करना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनों का दर्जा

1280. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसी विमाननपत्तन को अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन का दर्जा दिये जाने के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन विमानपत्तनों को अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन का दर्जा दिया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार कुछ और विमानपत्तनों को अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस प्रकार से घोषित अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनों पर ऐसे विमानपत्तनों के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इन विमानपत्तनों को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) सामान्यत:, किसी हवाईअड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के रूप में घोषित किए जाने से पहले निम्नलिखित पूर्व शर्तों को आवश्यक समझा जाता है:

(1) अनुसूचित राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन प्रचालक द्वारा ठोस प्रतिबद्धता;

(2) रनवे की लम्बाई कम से कम 9000 फुट होनी चाहिए;

(3) सीमा शुल्क, आप्रवासन, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता;

(4) रात्रि में विमानों के प्रचालन के लिए भू-प्रकाश सुविधाओं, उपकरण अवतरण प्रणाली की उपलब्धता;

(5) राज्यों (राष्ट्रों) के बीच द्विपक्षीय करार जिसके अंतर्गत इसे विदेशी वाहकों को प्रचालन के लिए प्वाइंट-आफ काल के रूप में पेश किया गया हो।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान श्रीनगर तथा नागपुर हवाईअड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे का दर्जा दिया गया है।

(ग) और (घ) किसी हवाईअड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के रूप में घोषित किया जाना सामान्यत: उपरोक्त पैरा (क) में उल्लखित पूर्व शर्तों पर निर्भर करता है।

(ङ) और (च) जी, हां। बहरहाल, हवाई यातायात की वृद्धि को पूरा करने के लिए मौजूदा सुविधाओं को सतत् आधार पर स्तरोन्नत/आधुनिक किया जाता है।

पे-चैनलों के लिए प्रभार

1281. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ टेलीविजन प्रसारण कंपनियों ने देश में पे-चैनलों के लिए केबल आपरेटरों से बहुत अधिक धनराशि प्रभारित करना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कंपनियों ने सरकार से कोई अनुमति ली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (घ) केबल उपभोक्ताओं द्वारा केबल आपरेटरों को और केबल आपरेटरों द्वारा बहुप्रणाली संचालकों/प्रसारकों को देय प्रभारों का विनियमन भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा किया जा रहा है। प्रभारों को दिनांक 26.12.2003 को प्रभारों के स्तर पर नियत किया गया है। मुद्रा-स्फीति की समस्या से निपटने के लिए इन प्रभारों में दिनांक 01.01.2005 से 7% तक वृद्धि करने की अनुमति दी गई है। ये उच्चतम सीमाएं उन सशुल्क चैनलों के लिए लागू नहीं होती हैं जो दिनांक 26.12.2003 के पश्चात अस्तित्व से आए हैं अथवा उन फ्री-टू-एयर (एफ टी ए) चैनलों के लिए भी जिन्हें दिनांक 26.12.2003 के पश्चात सशुल्क चैनलों में परिवर्तित किया गया है तथापि ट्राई ने यह विनिर्दिष्ट किया है कि इन चैनलों की दरें दिनांक 26.12.2003 तक की स्थिति के अनुसार सदृश चैनलों की दरों के समान होनी चाहिए और इन्हें या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा एक नए पृथक समूह के भाग के रूप में एकल-स्थिति आधार पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। दिनांक 01.10.2004 के प्रशुल्क आदेश के अनुसार किसी नये सशुल्क चैनल(लों) के प्रसारकों को जो कि दिनांक 26.12.2003 को फ्री-टू-एयर चैनल था/थे और तदोपरांत उन्हें सशुल्क चैनलों में परिवर्तित कर दिया गया है, इन चैनलों के प्रभारों के संबंध में प्राधिकरण को सूचना प्रस्तुत करनी होती है।

टी.वी. प्रसारण कम्पनियों को ट्राई द्वारा समय-समय उपर्युक्त प्रशुल्क आदेशों की अपेक्षाओं का अनुपालन करना होता है जो कि इसकी बेबसाइट (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.टीआरआई.जीओवी.आईएन) पर उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

पे-चनलों का नि:शुल्क चैनलों में परिवर्तन

1282. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में दिखाए जा रहे दो प्रकार के चैनलों अर्थात् पे-चैनलों तथा नान पेयमेंट चैनलों के मद्देनजर उपभोक्ताओं जो कि पे-चैनलों को देखने से वंचित रखते हैं के हित में सभी चैनलों को नि:शुल्क डायरेक्ट टू होम (डी टी एच) की परिधि में लाये जाने की आवश्यकता है क्योंकि प्रसारण प्रभार प्राप्त करने के बाद भी ऐसे पे-चैनल विज्ञापनों के माध्यम से भारी कमाई करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार समस्या से निपटने के लिए प्रयास कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पे-चैनलों तथा नान पेयमेंट चैनलों का ब्यौरा क्या है तथा उनके द्वारा चैनल-वार कितना प्रभार लिया जा रहा है;

(ङ) क्या सरकार नि:शुल्क प्रसारण पर अधिकतम जोर देगी;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का विचार विशेष विज्ञापन नीति अपनाकर पे-चैनल प्रसारण को नि:शुल्क चैनल प्रसारण में परिवर्तित करने का है; और

(ज) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (घ) जी, नहीं। इस समय देश में दो सेवा प्रदाताओं द्वारा डी.टी.एच. सेवा प्रदान की जा रही है। इनमें से एक दूरदर्शन द्वारा प्रदान की जा रही डी डी डायरेक्ट (फ्री-टू-एयर) डी.टी.एच. सेवा है। अन्य सशुल्क डी टी एच प्रदाता निजी कंपनी मैसर्स ए.एस.सी. इंटरप्राइजेज लिमिटेड है। उपभोक्ताओं के पास डी.डी. डायरेक्ट की सेवा प्राप्त करने अथवा निजी सेवा प्रदाता की सशुल्क सेवा प्राप्त करने अथवा अपने मनपसंद कार्यक्रमों को देखने के लिए दोनों सेवाओं को प्राप्त करने का विकल्प है। डी.डी. डायरेक्ट और मैसर्स ए.एस.सी. इंटरप्राइजेज द्वारा प्रदत्त चैनलों की सूची विवरण में दी गयी है।

(ङ) और (च) सरकार ने दूरदर्शन को उसकी फ्री-टू-एयर डी.टी.एच. सेवा क्षमता में 50 चैनलों तक वृद्धि करने की पहले ही अनुमति दे दी है।

(छ) किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

डी.डी. डायरेक्ट प्लस के समूह में शामिल चैनलों की सूची

डी.डी. चैनल

1. डी.डी. राष्ट्रीय
2. डी.डी. न्यूज
3. डी.डी. स्पोर्टस
4. डी.डी. इंडिया
5. डी.डी. भारती
6. डी.डी. कशीर
7. डी.डी. पंजाबी
8. डी.डी. नोर्थ ईस्ट
9. डी.डी. बंगाली
10. डी.डी. उडीया
11. डी.डी. गुजराती
12. डी.डी. सहयाद्री (मराठी)
13. डी.डी. सप्तागिरी (तेलगु)
14. डी.डी. चन्दाना (कन्नड़)
15. डी.डी. पोदीगई (तमिल)
16. डी.डी. मलयालम
17. डी.डी. एल.एस. (लोक सभा)
18. डी.डी. आर.एस. (राज्य सभा)

ऐजुकेशन चैनल

1. ज्ञान दर्शन

निजी चैनल

1. आज तक
2. हेडलाइन टुडे
3. बी.बी. वर्ल्ड
4. जैन टी.वी.
5. स्टार उत्सव
6. जी. मूयिज्क
7. स्माइल टी.वी.
8. ई.टी.वी. मराठी
9. सन टी.वी.
10. केराली टी.वी.
11. आकाश बंगला
12. ई.टी.वी. पंजाबी
13. एम.एच.-1
14. टी.वी.-9

रेडियो चैनल

1. विविध भारती
2. आकाशवाणी एफ.एम. रेनबो
3. आकाशवाणी गोल्ड
4. आकाशवाणी हिन्दी
5. आकाशवाणी बंगला
6. आकाशवाणी नोर्थ ईस्ट
7. आकाशवाणी उडीया
8. आकाशवाणी गुजराती
9. आकाशवाणी मराठी
10. आकाशवाणी तेलगु
11. आकाशवाणी तमिल
12. आकाशवाणी कन्नड़

मैसर्स ए.एस.सी. इन्टरप्राइजिज लि. द्वारा अपने डी.टी.एच. प्लेटफार्म पर प्रदत्त चैनल

कुल चैनल-99

पैकेज	किराया
1	2
डिश प्लस पैकेज	125/- रुपये
1. पोगो	
2. बुमीरंग	
3. एच.बी.ओ.	
4. जो स्टुडियो	
5. टी.सी.एम.	
6. वी.एच.आई.	
7. एस.टी.सी.	
8. ट्रैक टी.वी.	
9. रियलटी टी.वी.	
10. जी कैफ	
गोल टी.वी. पैकेज	20/- रुपये
1. गोल टी.वी. 1	
2. गोल टी.वी. 2	
डिश बायोस्कोप	55/- रुपये
1. जी प्रीमियर	
2. जी एक्सन	
3. जी क्लासिक	
4. फिल्माजीया	
डिश न्यूज	60/- रुपये
1. सी.एन.बी.सी. टी.वी. 18	
2. इरो न्यूज	

1	2
3.	सीएनएन हैडलाइन न्यूज
4.	इरो स्पोर्टस न्यूज
5.	जी बिजनिस
6.	सी.एन.बी.सी. आवाज
7.	एन.डी.टी.वी. 24 × 7

डिश पिक

दो चैनल - 30 रुपये प्रति माह
पांच चैनल - 50 रुपये प्रति माह
सात चैनल - 60 रुपये प्रति माह
सभी चैनल - 100 रुपये प्रति माह

डिश वेलकम वेंक्वेट+डिश हिन्दी/पंजाबी या डिश बंगला या डिश उड़ीया या डिश गुजराती या डिश मराठी - 142/- रुपये प्रति माह

डिश वेलकम वेंक्वेट+डिश तमिल/मल्यालम या डिश कन्नड़ या डिश तेलुगु - 107/- रुपये प्रति माह।

डिश वेलकम

मूवीज	म्यूजिक	इंगलिश इंटरनेटमेंट
जी सिनेमा	जी म्यूजिक	ए बी सी एशियापैक
	जी म्यूजिक	सी सी टीवी 9
	ई टी सी म्यूजिक	
	बी फोर यू म्यूजिक	
	एम एच आई म्यूजिक	
	बल्ले बल्ले	
	द म्यूजिक	
किड्स	फैशन	स्पोर्ट्स
कार्टून नेटवर्क	जी ट्रेनडज	ई एस पी एन
	फैशन टीवी	स्टार स्पोर्टस
		जी स्पोर्टस
धार्मिक		न्यूज
जी जागरण	क्षेत्रीय मनोरंजन	जी न्यूज
आस्था	ई टी सी पंजाबी	आज तक
गॉड टीवी	जी अरबिया	सी एन एन
टी सी टी वर्ल्ड	एन इ टीवी	बी बी सी वर्ल्ड
क्यू टीवी	एन टीवी	टोटल टीवी
3 ए बी एन	आकाश बंगला	चैनल 7
अन्तर्राष्ट्रीय	हिन्दी मनोरंजन	
टीवी एशिया (फ्रेंच)	जी स्माइल	
	सिटी चैनल	
	प्ले टीवी	

डिश वेलकम क्षेत्रीय-किसी एक को लेकर आपने वेलकम समूह को पूरा करें

डिस हिन्दी/पंजाबी
जी टीवी
सहारा वन
जी पंजाबी
इ टीवी राजस्थान
इ टीवी-यू पी
इ टीवी-बिहार
इ टीवी-ऊर्दू
जियो टीवी
सहारा समय
इंडिया टीवी
एन डी टीवी इंडिया
द सीटी

डिस गुजराती
जी टीवी
जी गुजराती
इ टीवी गुजराती
सहारा वन
एन डी टी वी इंडिया
सहारा समय
इ टीवी-ऊर्दू
इंडिया टीवी

डिस उडीया
ई टीवी-उड़ीया
जी टीवी
सहारा वन
इ टीवी-ऊर्दू
इ टीवी बिहार
नेपाल-1
एन डी टीवी इंडिया
सहारा समय
इंडिया टीवी

डिश तमिल/मलयालम
एशियानेट
जीवन टीवी
जया टीवी
एन डी टी वी 24×7
इ टीवी ऊर्दू
इंडियाविजन
एस एस म्यूजिक
डी ए एन सिनेमा
एशियानेट न्यूज
एशियानेट पलस
डी एन एन म्यूजिक

डिश बंगला
जी बंगला
इ टीवी-बंगला
जी टीवी
सहारा वन
इ टीवी-बिहार
नेपाल-1
एन डी टीवी इंडिया
सहारा समय
इंडिया टीवी

डिश मराठी
जी मराठी
जी टीवी
सहारा वन
ए डी टीवी इंडिया
सहारा समय
इ टीवी-ऊर्दू
इंडिया टीवी

डिश तेलुगु
जी तेलुगु
इ टीवी-तेलुगु
एम ए ए टीवी
इ टीवी-उर्दू
इ टीवी-2 तेलुगु न्यूज
एन डी टी वी 24 × 7
एस एस म्यूजिक

डिश कन्नड़
इ टीवी-कन्नड़
द सिटी
इ टीवी-ऊर्दू
एनडी टी वी 24×7
एस एस म्यूजिक

फ्री-टू-एयर डीडीडीटीएच सेवा के भाग के रूप में उपलब्ध

डी डी-1
डी डी इंडिया
डी डी न्यूज
डी डी स्पोर्टस
डी डी लोक सभा
डी डी राज्य सभा
डी डी कशीर
डी डी-सप्तगिरी
डी डी बंगला
डी डी नार्थ इस्ट
डीडी गुजराती
डी डी सहाद्री (मराठी)
डी डी उड़ीया
डी डी ज्ञान दर्शन
आज तक
बी बी सी वर्ल्ड
स्टार उत्सव
जैन टीवी
हेडलाइन टुडे
जी म्यूजिक
आकाश बंगला
इ टीवी मराठी
सन टीवी (तमिल)
कैराली (मलयालम)
टीवी 9 (तेलुगु)
इ टी सी पंजाबी

डी डी पंजाबी	डी डी चंदन (कनाडा)	एम एस क्यू म्यूजिक
डी डी भारती	डी डी पोदीगैय (तमिल)	जी स्माइल
	डी डी मलयालम	

रेडियो चैनल

पंजाबी रेडियो	ए आई आर तमिल	ए आई आर कन्नड़	ए आई आर नार्थ इस्ट
ए आई आर बी बी सी	ए आई आर गुजराती	ए आई आर बंगला	ए आई आर पंजाबी
ए आई आर तेलुगु	एफ एम रैनबो	ए आई आर हिन्दी	एफ एम गोल्ड
ए आई आर मराठी			

[अनुवाद]

चित्रदुर्ग-जगलूर-कोट्टूर नई रेलवे लाइन का सर्वेक्षण

1283. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चित्रदुर्ग-जगलूर-कोट्टूर नई रेलवे लाइन का कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) चालू वर्ष के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ङ) परियोजना कब तक पूरी हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी नहीं। बहरहाल, 2005-06 में जगलूर के रास्ते कोट्टूर से चित्रदुर्ग तक नयी लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण शुरू किया गया है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सामुदायिक रेडियो

1284. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सामुदायिक रेडियो सक्रिया, जिससे किसानों, विद्यार्थियों तथा अन्य लोगों को लाभ होगा के द्वितीय चरण को आरंभ करने के लिए कोई नीति बनाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह कब तक बना लिये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (ग) जी, हां। नीति का प्रारूप मंत्री-समूह के समक्ष है।

नरेश चन्द्र समिति की सिफारिशें

1285. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नरेश चन्द्र समिति द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) शेष सिफारिशों को स्वीकार नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) नरेश चन्द्र समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:

* उदारीकृत फिसकल रीजिम आरंभ करके-विमानन टरबाईन ईंधन तथा एवीगैस के युक्तिकरण द्वारा लागत कम करने की प्रणाली।
* अपनी पसंदीदा सप्लायर से एटीएफ प्राप्त करने के लिए अनुमति देना तथा अन्य मंत्रालयों के साथ समन्वय सुधार।

* एटीएफ की सप्लाई के लिए हवाईअड्डों पर सामान्य हाइड्रैट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना।

* हवाईअड्डा प्रभारों को घटाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक लाना।

* अंतरराष्ट्रीय विमान यातायात घटक का उदारीकरण।

* बेहतर अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा सम्पर्क के लिए क्षेत्रीय/बहुपक्षीय ग्रुपों में शामिल होना।

* अंतरराष्ट्रीय सेवाओं के प्रचालन के लिए घरेलू निजी एयरलाइनों को अनुमति देना।

* उदारीकृत अंतरराष्ट्रीय विमान चार्टर।

* विनिवेश इत्यादि से इंडियन एयरलाइंस/एयर इंडिया/पवन हंस हेलीकाप्टर्स लि. की पुन:संरचना करना।

* घरेलू एयरलाइनों के लिए प्रचालनों में आने के लिए कम प्रवेश बैरियर।

* घरेलू एयरलाइनों में एफडीआई सीमा से बढ़ाकर 40 से 49% करना तथा इक्विटी धारिता के लिए विदेशी एयरलाइनों को अनुमति देना।

* क्षेत्रीय विमान सेवाओं को प्रोत्साहित करना।

* अनिवार्य किन्तु अलाभकारी विमान सेवाओं/हवाईअड्डों के रखरखाव के लिए अनिवार्य विमान सेवा निधि का सृजन करना।

* न्यूनतन राज सहायता बोली द्वारा तथा मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों को समाप्त करके अनिवार्य विमान सेवाएं करना।

* हेलीकाप्टर प्रचालनों को प्रोत्साहन देना तथा हेलीकाप्टर प्रचालनों के लिए विशिष्ट नीति तथा कार्यविधि की घोषणा करना।

* उपयुक्त प्रोत्साहन द्वारा सामान्य विमानन को प्रोत्साहित करना।

* भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को अलग-अलग बांटना।

* मुम्बई तथा दिल्ली हवाईअड्डों के निजीकरण में तेजी लाना तथा इनके साथ ही अन्य हवाईअड्डों का निजीकरण।

* ग्राउण्ड हैंडलिंग सेवाओं में विकल्प सुनिश्चित करना।

* कम्प्यूटर प्रणालियों का स्तरोन्नयन तथा आव्रजन तथा अन्य सेवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों पर अधिक स्थान मुहैया करवाना।

* भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से अलग एटीसी सेवाएं तथा नागर विमानन महानिदेशालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन सरकार के स्वामित्व वाले एटीसी निगम के साथ मिलाना।

* विमानन सेक्टर अर्थात् विमानन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के लिए एक पृथक आर्थिक विनियामक का गठन करना।

* विभिन्न एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय के लिए तंत्र की स्थापना।

* विमानन सुरक्षा के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो नोडल एजेंसी के रूप में बना रहना चाहिए।

* इग्नुआ के वाणिज्यिकरण सहित विमान चालकों, इंजीनियरों तथा अन्य तकनीकी कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए इनफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए उपयुक्त कदम उठाना।

* नागर विमानन सुरक्षा अधिनियम का विधायन।

* आव्रजन और सीमा-शुल्क कार्य पद्धति में सुधार।

* नागर विमानन महानिदेशालय का पुन:संरचना तथा दुर्घटना जांच का कार्य नागर विमानन महानिदेशालय से अलग प्राधिकरण को सौंपा जाना।

* वायुयान अधिनियम, 1934, वायुयान नियम, 1937 तथा विनियमों में विमानन के सभी पहलुओं के प्रभावी विनियमन के लिए संशोधन।

* विमानन स्पेस क्षमता में वृद्धि।

* हेलीपैड तथा हेलीपोर्टों का विकास।

* स्वदेशी वैमानिकी उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए उपाय करना।

(ख) और (ग) इन सिफारिशों की जांच की गई है तथा विमानन सेक्टर में स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श करके एक सापेक्ष राष्ट्रीय नागर विमानन नीति का प्रारूप तैयार किया गया है। संबंधित मंत्रालयों के साथ परामर्श करके, नागर विमानन नीति का एक प्रारूप सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर

1286. श्री हरिसिंह चावड़ा: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत देश में कई जिलों में अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर पांच प्रतिशत से भी कम है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे जिलों के नाम क्या हैं;

(ग) इन जिलों में अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप क्या उपलब्धियां प्राप्त हुईं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) भारत की जनगणना, 2001 के अनुसार, देश में ऐसा कोई जिला नहीं है जहां अनुसूचित जातियों में साक्षरता दर 5% से कम है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए धनराशि

1287. श्री सनत कुमार मंडल: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन पी आर पी डी) के लिए आबंटित तथा जारी की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) यह कार्यक्रम एक राज्य क्षेत्र की योजना थी जिसे 1999-2000 में शुरू किया गया था। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता के रूप में वर्ष 1999-2000 से 2001-02 के दौरान निधि आबंटित और जारी की गई थी। इसलिए पिछले तीन वर्षों के दौरान निधि आबंटित और जारी नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे लाइन पर इंटरलॉकिंग प्रणाली का असफल हो जाना

1288. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंटरलॉकिंग प्रणाली होने के बावजूद अभी सितम्बर, 2005 में पानीपत में दो रेलगाड़ियां एक ही रेल लाइन पर आ गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस घटना की कोई जांच करायी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ङ) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी हां। पानीपत में, ड्यूटी पर तैनात अनुरक्षण कर्मियों द्वारा अंतर्पाशन प्रणाली में हस्तक्षेप करने के कारण हुआ।

(ग) जी, हां।

(घ) अंतर्पाशन प्रणाली में अनुरक्षण कर्मियों के हस्तक्षेप के कारण दुर्घटना हुई।

(ङ) ड्यूटी पर तैनात अनुरक्षण कर्मियों के विरुद्ध रेलवे अनुशासन एवं अपील नियम, 1968 के तहत बड़ी शास्ति लगाए जाने के लिए कार्रवाई की गई है।

(च) उत्तर रेलवे द्वारा चलाए गए संरक्षा अभियान में, सभी कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि अंतर्पाशन प्रणाली में हस्तक्षेप न करें। पर्यवेक्षण और अधिकारी स्तर पर निरीक्षणों को बढ़ा दिया गया है।

कन्हान जंक्शन पर एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का ठहराव

1289. श्री सुबोध मोहिते: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नागपुर के निकट दक्षिण-पूर्व-मध्य रेलवे के कन्हान जंक्शन पर कुछ एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का ठहराव बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस संबंध में प्रवासी मित्र मंडल से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ङ) कन्हान छोटा स्टेशन है एवं 9 जोड़ी यात्री गाड़ियों द्वारा सेवित है। इस स्टेशन पर मौजूदा यातायात स्तर के लिए ये गाड़ियां पर्याप्त समझी जाती हैं। कन्हान पर एक्सप्रेस गाड़ियों के ठहराव की जांच की गई है और इसे न तो वाणिज्यिक रूप से औचित्यपूर्ण और न ही परिचालनिक रूप से व्यवहारिक पाया गया है। बहरहाल, एक्सप्रेस रेलगाड़ी से यात्रा करने के इच्छुक कन्हान के कुछ यात्री नागपुर में गाड़ी बदलकर ऐसा कर सकते हैं, जो कन्हान से 19 कि.मी. दूर है।

लेखन सामग्री की खरीद के लिए निविदाएं

1290. श्री रघुनाथ झा: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जे एस एंड सी ए ओ, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में ब्रांड नामों से लेखन सामग्री तथा अन्य वस्तुएं खरीदने हेतु निविदाएं आमंत्रित की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या नई सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 में ब्रांड नामों से निविदाएं मंगाने का कोई प्रावधान है;

(ग) यदि नहीं, तो ब्रांड नामों से निविदाएं मंगाने हेतु उत्तरदायी प्राधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) निविदाएं वेबसाइट पर नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) भविष्य में निविदाओं को वेबसाइट पर दिये जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या जे एस एंड सी ए ओ ने उन वेंडरों से नमूने मंगवाएं हैं जिनकी दरें उनके द्वारा चयन की गई हैं; और

(छ) यदि हां, तो इसके पीछे औचित्य क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) एवं मु.प्र.अ. के कार्यालय ने, सामान्य वित्तीय नियम, 2005 के नियम 160 (vii) की शर्तों के तहत लेखन सामग्री की खरीद के लिए जहां तक व्यवहार्य हो सामान्य (जेनरिक) नामों से निविदाएं आमंत्रित की हैं। 43 मदों से कम मूल्य वाली केवल 5 मदें, जैसे बाल पैन और रिफिल, आदि ब्रांड नामों से थीं।

(घ) और (ङ) चूंकि विभाग की जरूरत तात्कालिक किस्म की थी इसलिए निविदाओं की पहले वेबसाइट पर नहीं डाला जा सका। तथापि, अब ये वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.सीएओएमओडी.एनआईसी.आईएन पर उपलब्ध हैं।

(च) और (छ) खरीदी जाने वाली मदों की गुणवत्ता की जांच करने के प्रयोजन से सभी बोलीकर्ताओं से उनकी दर सूचियों (कोटेशनों) के साथ नमूनों भी आमंत्रित किए गए थे।

भूतपूर्व सैनिक कोटा भरा जाना

1291. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पुनर्रोजगार में भूतपूर्व सैनिक कोटा को न भरे जाने का मामला राज्य सरकारों के साथ उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले को सरकार संबंधित राज्य सरकारों के साथ कब तक उठाने का विचार कर रही है;

(घ) सैन्य कर्मियों को अर्द्ध सैनिक बलों में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव जो कि सरकार के विचाराधीन हैं, की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) उक्त प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप दे दिये जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (ग) रक्षा मंत्रालय, समय-समय पर, राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों से वह अनुरोध करता रहा है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों का इष्टतम उपयोग करने के लिए, जब तक भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों को उनको पुनर्तैनात करके भर नहीं लिया जाता है, तब तक इन रिक्तियों को आगे ले जाए जाने हेतु प्रावधान किया जाए। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को इसके लिए अंतिम बार जनवरी, 2005 में लिखा गया था।

(घ) और (ङ) केंद्रीय अर्ध सैन्य बलों में सशस्त्र सेना कार्मिकों की पार्श्विक भर्ती के लिए प्रस्ताव संबंधी मामला पहले ही एडजुटेंट जनरल सेना मुख्यालय की अध्यक्षता वाले एक कार्यकारी ग्रुप की जानकारी में ला दिया गया है; इस ग्रुप में गृह मंत्रालय, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस संबंध में निश्चित समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है।

कोल्लम जिले के परावूर में सड़क ऊपरि पुल का निर्माण

1292. **श्री पी. राजेन्द्रन:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने कोल्लम जिले के परावूर में सड़क ऊपरि पुल के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) जहां पर ऊपरि सड़क पुल की मांग की गई है, इसके विशिष्ट कि.मी. और समपार संख्या का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। रेलें उन व्यस्त समपारों के बदले ऊपरि/निचले सड़क पुलों का निर्माण करती है। जहां यातायात का घनत्व एक लाख गाड़ी वाहन इकाईयों (टीवीयू) से अधिक है। अन्यथा प्रायोजित करने वाले प्राधिकारियों की लागत पर निक्षेप शर्तों पर करती हैं। दोनों ही मामलों में प्रस्ताव राज्य सरकार/स्थानीय निकायों से प्रायोजित किया जाना होता है। यह उल्लेखनीय है कि केरल राज्य में लागत में भागीदारी के आधार पर पहले से ही 56 ऊपरि/निचले सड़क पुल अनुमोदित किए जा चुके हैं जो किसी भी राज्य के योजना शीर्ष के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों की अधिकतम संख्या है।

बहरहाल, रेल मंत्रालय को केरल के राज्य सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जो कोल्लम-त्रिवेन्द्रम खण्ड पर परवूर और कप्पिल स्टेशनों के बीच परवूर के पास 168/7-8 कि.मी. पर समपार सं. 554 के बदले ऊपरि सड़क पुल निर्माण करने हैं। रेल के निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने से पहले रेलवे द्वारा प्रस्ताव की व्यावहारिकता/लागत, आरेखण आदि के संदर्भ में जांच की जाती है और साथ ही में पहले से ही अनुमोदित कार्यों की कुल संख्या, थ्रो-फारवर्ड आदि को भी ध्यान में रखा जाता है।

[हिन्दी]

बीपीसीएल द्वारा मध्य प्रदेश को पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति

1293. **श्री रामसेवक सिंह:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 5 सितंबर, 2005 को हाल की पेट्रोलियम उत्पादों में मूल्य वृद्धि के कारण मध्य प्रदेश को पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति नहीं की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह जानकारी है कि इंडियन आयल कार्पोरेशन और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड जैसी अन्य कंपनियों ने इसी दिन पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति की थी;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार की बीपीसीएल उपभोक्ताओं विशेषकर किसानों के समक्ष आई इस विशेष समस्या से निपटने के लिए कदम उठाने की योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने बताया कि 6.9.2005, मूल्य वृद्धि के दिन खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओज) को मोटर स्प्रिट (एमएस)/उच्च गति डीजल (एचएसडी) की आपूर्ति मासिक रूझान के अनुसार की गई थी ताकि खुदरा बिक्री केन्द्रों पर उत्पादों की जमाखोरी से बचने के लिए जरूरत से अधिक मांग को रोका जा सके।

(ग) से (ङ) इसको ध्यान में रखकर खुदरा बिक्री केन्द्रों पर इनकी आपूर्ति उनके दैनिक आफ-टैक (खरीद) को देखते हुए की गई थी। 6.9.2005 को मूल्य वृद्धि के दिन ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली कि किसी खुदरा बिक्री केन्द्र पर उत्पाद समाप्त (ड्राई आऊट) हो गया हो।

[अनुवाद]

टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम

1294. **श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रेलवे जोनों पर टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम चालू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा परियोजना की लागत कितनी होगी; और

(ग) सभी रेलवे जोनों में इसके कब तक चालू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) टर्मिनल प्रबंधन प्रणाली मालभाड़ा परिचालन सूचना प्रणाली परियोजना का माड्यूल है। परियोजना की नवीनतम प्रत्याशित लागत 422.79 करोड़ रु. है।

(ग) परियोजना के पूरा होने की नवीनतम लक्ष्य तिथि जून, 2006 रखी गई है।

[हिन्दी]

शिवगंगा एक्सप्रेस का चलाया जाना

1295. श्री विजय कृष्ण: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खचाखच भीड़ और उपलब्ध रेलगाड़ियों की सीमित संख्या के मद्देनजर 2559/2560 शिवगंगा एक्सप्रेस को बलिया तक चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पाकिस्तान के साथ विमान सम्पर्क

1296. श्री के.सी. सिंह 'बाबा': क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा मुक्त आकाश समझौता करके पाकिस्तान के साथ विमान सम्पर्क बढ़ाने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) पाकिस्तान के साथ कोई मुक्त आकाश समझौता नही किया गया है।

पुरी तक एक्सप्रेस ट्रेनों का चलाया जाना

1297. श्री जुएल ओराम: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या धौली एक्सप्रेस और लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस को पुरी तक चलाये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था;

(ख) यदि हां, तो इन दो रेलगाड़ियों को पुरी तक चलाए जाने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पायलटों की सेवानिवृत्ति की आयु

1298. श्री के.सी. पलनिसामी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस में पायलटों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास पायलटों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस बारे में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है;

(ङ) इससे पायलटों की आवश्यकता के किस सीमा तक पूरा होने की संभावना है;

(च) क्या सरकार ने कमी को दूर करने के लिए पायलटों को वापस बुलाने हेतु मानदंडों में छूट दी है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) सरकार ने व्यावसायिक पायलटों की सेवा-निवृत्ति की आयु नहीं बढ़ाई है, फिर भी, सरकार द्वारा व्यावसायिक पायलटों को मौजूदा 61 से 65 वर्ष की आयु तक सेवा प्रदान करने की अनुमति दी है बशर्ते कि विमान बहु-कर्मियों द्वारा परिचालित परिस्थितियों में हो तथा अन्य पायलट 60 वर्ष से कम आयु का हो।

(च) और (छ) सरकार द्वारा विदेश पायलटों का प्रयोग करने के मानदंड को छूट नहीं दी है, फिर भी सरकार द्वारा नागर विमानन महानिदेशालय को विदेशी पायलटों के लाइसेंस को एक वर्ष की अवधि के लिए वैधता प्रदान करने का अधिकार दिया गया है।

कच्चे तेल की उपलब्धता

1299. श्री अधीर चौधरी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आज की तिथि के अनुसार देश में कच्चे तेल की उपलब्धता का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो नवंबर, 2005 के अंत तक देश में कुल कितनी मात्रा में कच्चा तेल उपलब्ध होगा;

(ग) अब तक कच्चे तेल की गणेषणा की संभावना वाले कितने स्थानों का पता लगाया गया है और प्रत्येक ऐसे स्थान पर उपलब्ध कच्चे तेल की मात्रा के संबंध में क्या आकलन किया गया है; और

(घ) देश में कच्चे तेल का वर्तमान वार्षिक औसत उत्पादन कितना है और आने वाले वर्षों के दौरान उत्पादन बढ़ाने की कितनी संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) भंडारों का आकलन वार्षिक आधार पर किया जाता है और प्रति वर्ष 31 मार्च को इनकी रिपोर्ट दी जाती है। अन्वेषण के परिणामस्वरूप 1.4.2005 तक स्थापित तेल भंडारों के आधार पर देश में शेष प्राप्त करने योग्य भंडारों में 740.77 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) तेल अनुमानित है।

(ग) 1.4.2005 को स्थापित शेष प्राप्त करने योग्य तेल भंडारों की मात्रा राज्यवार संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) देश में 2004-05 में तेल का उत्पादन 33.980 एमएमटी था। पिछले तीन वर्षों के दौरान औसत तेल उत्पादन 33.47 एमएमटी था।

विवरण

1.4.2005 को राज्यवार तेल भंडार

राज्य/अपतटीय क्षेत्र	शेष प्राप्ति योग्य तेल भंडार (एमएमटी)
आंध्र प्रदेश	4.72
अरूणाचल प्रदेश	5.21
असम	163.68
गुजरात	173.99
नागालैंड	2.69
राजस्थान	11.10
तमिलनाडु	8.17
भूस्थल पर कुल	369.56
पूर्वी तट	32.53
पश्चिमी तट	338.68
अपतट पर कुल	371.21
सकल योग	740.77

प्रसार भारती के लिए वित्तीय ढांचा

1300. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रसार भारती के कार्यकरण को सुदृढ़ बनाने हेतु व्यवहार्य पूंजी और वित्तीय ढांचे के संबंध में सुझाव देने हेतु कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति में कौन-कौन से सदस्य हैं;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं और इसकी रिपोर्ट कब तक सौंपे जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) जी, हां। प्रसार भारती के कार्यकरण को सुदृढ़ करने को सुविधाजनक बनाने की बाबत प्रसार भारती के लिए एक व्यवहार्य पूंजीगत व वित्तीय संरचना के बारे में सुझाव देने के लिए सरकार द्वारा 30 मार्च, 2005 को एक समिति का गठन किया गया है। इसकी संरचना व 'विचारार्थ विषय' संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) चूंकि विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों से अपेक्षित आंकड़ों के संग्रहण, मिलान व संकलन में समय लगने की संभावना है, इसलिए समिति द्वारा रिपोर्ट को अंतिम रूप देने और उसे प्रस्तुत करने के लिए उसके कार्यकाल को दिनांक 1 अक्तूबर, 2005 से तीन माह की अवधि अर्थात् 31 दिसंबर, 2005 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

विवरण

(1) संरचना:

1.	सचिव (सू. व प्र.)	अध्यक्ष
2.	अपर सचिव (सू. व प्र.)	सदस्य
3.	अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार (सू. व प्र.)	सदस्य
4.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती	सदस्य
5.	सदस्य (वित्त), प्रसार भारती	सदस्य
6.	संयुक्त सचिव (प्रसारण), सू. व प्र.	सदस्य-संयोजक
7.	सलाहकार योजना आयोग	सदस्य
8.	संयुक्त सचिव (व्यय), वित्त मंत्रालय	सदस्य
9.	महानिदेशक, दूरदर्शन	सदस्य
10.	महानिदेशक, आकाशवाणी	सदस्य

इसके अतिरिक्त, एक प्रसिद्ध लागत लेखाकार को समिति में एक विशेषज्ञ के रूप में शामिल किया गया है।

(2) विचारार्थ विषय:

(क) समिति प्रसार भारती के लिए एक व्यवहार्य पूंजीगत व वित्तीय व संरचना का प्रस्ताव करेगी।

(ख) ऐसे एक माडल का प्रस्ताव करते समय, समिति लोक सेवा प्रसारक के रूप में प्रसार भारती की भूमिका तथा वाणिज्यिक परिचालनों के माध्यम से इसकी राजस्व अर्जन क्षमता को इष्टतम बनाने की जरूरत को ध्यान में रखेगी।

संसद सदस्यों हेतु वेतन आयोग

1301. श्री ए. साई प्रताप: क्या **संसदीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद सदस्यों के वेतन, भत्तों और पेंशन में आवधिक रूप से संशोधन किये जाने तथा उन्हें निर्धारित किये जाने हेतु कोई वेतन आयोग गठित किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (ग) जी हां। यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

जन कैरोसिन योजना

1302. श्री एन. जनार्दन रेड्डी:
श्री वाई.जी. महाजन:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री हरिभाऊ राठौड:
श्री सर्वे सत्यनारायण:
कुंवर मानवेन्द्र सिंह:
श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:
श्री मुन्शी राम:
श्री अशोक कुमार रावत:
श्री शिशुपाल पटले:
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ''जन कैरोसिन योजना'' शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है;

(ग) उक्त योजना को लागू करने के लिए कितनी धनराशि व्यय किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने उन राज्यों का पता लगाया है जिनमें इस योजना को शुरू किए जाने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस योजना के कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) जी हां। जन केरोसीन परियोजना, जिसे प्रायोगिक परियोजना के रूप में 417 ब्लाकों में लागू किया गया है का उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिए पीडीएस मिट्टी तेल वितरण नेटवर्क का सुधार करना है कि यह अत्यधिक रियायती उत्पाद अभीष्ठ लाभार्थियों को रियायती मूल्यों पर वांछित मात्रा में वास्तव में उपलब्ध करवाया जाये और द्वितीयत: इस प्रकार मिलावट के लिए पीडीएस एसकेओ का विपथन कम, नियंत्रित और अंतत: समाप्त किया जा सके।

पी डी एस मिट्टी तेल विपणन नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने के लिए योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

(1) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां देश के विकास खण्डों में से प्रत्येक में कम से कम एक मिट्टी तेल (एस के ओ) डीलरशिप स्थापित करेंगी;

(2) जिला प्रशासन और थोक डीलर के साथ परामर्श करके प्रत्येक ब्लाक में लगभग 5-10 उप थोक बिक्री केन्द्र स्थापित किए जाएंगे;

(3) जन सूचना का व्यापक प्रसार और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पी डी एस मिट्टी तेल के परिवहन के लिए टैंकर-ट्रकों (टी टीज) का समर्पित बेड़ा होगा और इन टी टीज पर विशेष लोगो प्रदर्शित करेंगे जो इस समर्पित बेड़े के लिए तैयार किया जा रहा है। टी टी के बाहरी ओर यह स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अभिप्रेत मिट्टी तेल का परिवहन कर रहा है।

(4) ओ एम सीज द्वारा अपने स्वयं के खर्चे पर पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों पर उपलब्ध कराई गई आधुनिक सुविधाओं के समान ही एस के ओ डीलरशिपों पर भण्डार वितरण सेवाएं लगाई जाएंगी। मंत्रालय के तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओ आई डी बी) प्रायोगिक परियोजना के तहत प्रत्येक डीलरशिप पर निम्नलिखित सुविधाओं की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए ओ एम सीज को वित्त पोषित करेगा:

- न्यूनतम 20 कि.ली. की क्षमता वाले भण्डारण टैंक
- मापांकित वितरण पम्प
- उप थोक बिक्री केन्द्रों को एस के ओ के वितरण के लिए विशेष लोगों से सुसज्जित पर्याप्त संख्या में बैरल।
- एक अथवा अधिक बैरल शेड

(5) ओ एम सीज के डिपुओं से थोक बिक्री भण्डारों तक और इसके बाद उप थोक बिक्री केन्द्रों को आपूर्तियां उन ओ एम सीज की सीधी देखरेख और जिम्मेदारी के अंतर्गत की जाएंगी जो पर्याप्त संख्या में ऐसे बैरल उपलब्ध कराएंगी, जो विशेष लोगो से सुसज्जित होंगे और ये बैरल खुदरा केन्द्रों को पीडीएसएसकेओ की सुविधापूर्ण और सुनिश्चित परिवहन के लिए उप थोक बिक्री केन्द्र पर उपलब्ध कराएं जाएंगे। इसी प्रकार के लोगो थोक बिक्री से उप थोक बिक्री केन्द्रों तक और वहां से उचित दर दुकानों के खुदरा केन्द्रों तक पीडीएसएसकेओ का परिवहन करने वाले वाहनों पर प्रदर्शित किये जाएंगे।

(6) प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर पी डी एस एस के ओ स्पष्टत: पहचान किये गये लोगोज लगे बैरलों में भण्डार किया जाएगा जहां जन साधारण उस उचित दर दुकान पर पी डी एस एस के ओ की बकाया उपलब्धता अपने आप जानने के लिए पहुंच सकते हैं।

(7) राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके पंचायतें और ग्राम सभाएं राज सहायता प्राप्त मूल्यों पर पीडीएसएसकेओ की उपलब्धता का सामान्यत: पर्यवेक्षण करने के लिए शक्तिप्रदत्त होंगी और किसी भी कमी की रिपोर्ट राज्य प्रशासन और संबंधित ओ एम सीज को करने के लिए पंचायतों/ग्राम सभाओं के लिए एक रिपोर्टिंग व्यवस्था चालू की जाएगी।

इस योजना पर अनुमानित व्यय 696 करोड़ रुपये है।

इस योजना को आरम्भ में छह महीने की अवधि के लिए प्रायोगिक आधार पर देश के 10% ब्लाकों में क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया है। उसके बाद योजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया जाएगा तथा प्राप्त अनुभव के आधार पर सरकार पूरे देश को कवर करने के लिए योजना का आधार बढ़ाने पर विचार करेगी।

(घ) से (च) यह प्रायोगिक परियोजना 2 अक्तूबर, 2005 से आरम्भ की गई है। फिलहाल, इस प्रायोगिक परियोजना का क्रियान्वयन 23 राज्यों और 1 केन्द्र शासित प्रदेश को शामिल करते हुए 417 ब्लाकों में किया जा रहा है।

[हिन्दी]

लोधी समुदाय को अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किया जाना

1303. श्री चन्द्रभान सिंह: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लोधी समुदाय को छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल में अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन राज्यों में लोधी, लोध तथा महालोध जातियों को अन्य पिछड़े वर्गों में शामिल किया गया है और अनुसूचित सूची में इसकी संख्या कितनी है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार लोधी समुदाय को अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (ङ) छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल राज्यों के लिए अन्य पिछड़े वर्गों की अलग से कोई केन्द्रीय सूची अधिसूचित नहीं की गयी है। मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची, क्रमश: छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल राज्यों के लिए भी लागू है। उन राज्यों, जिनमें लोधी, महालोध को अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल किया गया है, के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में लोधी जाति/समुदाय को शामिल करने का कोई अनुरोध लंबित नहीं है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	जाति/समुदाय	अन्य पिछले वर्गों की केन्द्रीय सूची में प्रविष्टि संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	लोधी	98
2.	असम	लोधी	24 (64)
3.	दिल्ली	लोधी, महा-लोध	35
4.	हरियाणा	लोधी	66
5.	मध्य प्रदेश	लोधी	44
6.	राजस्थान	लोधी	32
7.	उत्तर प्रदेश	लोधी	48

[अनुवाद]

रेल अधोगामी पुलों का निर्माण

1304. श्री एस. मल्लिकार्जुनैया: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक के तुमकुर जिले में शारदा नगर, तिपतुर में रेल अधोगामी पुल निर्मित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त रेलवे स्टेशनों पर रेल यात्रियों की शिकायतों के निवारण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) कोई विशिष्ट किलोमीटर और समपार संख्या का उल्लेख नहीं है जहां निचले सड़क पुल (आरयूबी) की मांग की गई है। रेलवे उन व्यस्त समपारों पर ऊपरि/निचले सड़क पुल का निर्माण करती है जहां यातायात घनत्व 1 लाख गाड़ी वाहन इकाई (टीवीयू) से अधिक हो अन्यथा प्रायोजित प्राधिकरणों की लागत पर निक्षेप शर्त पर करती है। दोनों ही मामलों में प्रस्ताव को राज्य सरकार/स्थानीय निकायों से प्रायोजित होना चाहिए। 39 ऊपरि/निचले सड़क पुल कर्नाटक राज्य में पहले से ही स्वीकृत हैं।

बहरहाल, टिपतुर स्टेशन के पास कि.मी. 139/8-9 समपार सं. 84 केवल एक चौकीदार वाला समपार है जो हिस्सेदारी के आधार पर निचले सड़क पुल के निर्माण के लिए अहर्क नहीं है। राज्य सरकार/स्थानीय निकाय से ऊपरि/निचला सड़क पुल बनाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) सभी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं जो यात्रियों के लिए आवश्यक हैं पहले से ही स्टेशन पर मुहैया कराई गई हैं। अतिरिक्त सुविधाएं आवश्यकता पड़ने पर मौजूदा नियमों के अनुसार मुहैया कराई जाएंगी।

ग्रामीणों को मुआवजा

1305. श्रीमती मिनाती सेन: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और अमरीका के बीच हुए युद्धाभ्यास के दौरान मिजोरम के आसपास के ग्रामीण काफी परेशान हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्रामीणों को उस स्थल से हटाए जाने हेतु कोई मुआवजा दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

तमलुक-दिघा रेल लाइन का सर्वेक्षण

1306. श्री प्रशान्त प्रधान:
श्री लक्ष्मण सेठ:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमलुक-दिघा रेल लाइन को जालेश्वर तक बढ़ाये जाने के सर्वेक्षण की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) अभी तक सर्वेक्षण शुरू नहीं किया गया है।

(ख) सर्वेक्षण की प्रत्याशित लागत 2 लाख रुपए है और बजट 2005-06 में इस प्रयोजन के लिए 1 लाख रुपए की रकम उपलब्ध कराई गई है।

क्लब हाउसों द्वारा रेल भूमि का उपयोग

1307. श्री सुनील खां:
श्रीमती सुस्मिता बाउरी:
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वर्ष 2004 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट संख्या 8 के पैरा सं. 6.1.2 की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें बताया गया है कि रेलवे क्लब, मुम्बई डिवीजन, पश्चिम रेलवे ने नियमों का उल्लंघन करते हुए 7.06 करोड़ की रेलवे भू-खण्ड जो कि क्लब हाउस के उपयोग हेतु था, की क्लब के ठेकेदार को मुफ्त में स्वीकृति प्रदान कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई और सरकार की अनुमति के बिना लोगों को रेलवे सम्पत्ति को मुफ्त में दिए जाने की ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) परिसर को कब्जे में ले लिया गया है और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। सभी क्षेत्रीय रेलों और उत्पादक इकाइयों को अनुदेश दोहरा दिए गए हैं कि रेलवे भूमि को उन प्रयोजनों के लिए लाइसेंस/लीज पर देना अनुमेय नहीं है जो रेलवे से संबंधित नहीं हैं। आपवादिक

मामलों में, जहां लाइसेंस/लीज पर देना जरूरी है, बोर्ड से पूर्व अनुमोदन लेना चाहिए।

निजी गैस एजेंसियों को रसोई गैस की आपूर्ति

1308. श्री एम. अप्पादुरई: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विभिन्न राज्यों के लोगों को गैस के कनेक्शन देने हेतु निजी गैस एजेंसियों को रसोई गैस आपूर्ति कर रही है;

(ख) यदि हां, तो यदि एजेंसियों को किस दर पर गैस की आपूर्ति की जा रही है तथा तत्संबंधी मात्रा कितनी है;

(ग) सरकार से कितनी निजी गैस एजेंसियां रसोई गैस प्राप्त कर रही है;

(घ) क्या ये सभी एजेंसियां सरकार को समय पर भुगतान कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है/ किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) जब सरकार निजी गैस एजेंसियों को एलपीजी की आपूर्ति नहीं कर रही है, निजी कंपनियों को समानांतर विपणन प्रणाली (पीएमएस) के तहत एलपीजी का व्यापार करने की अनुमति है। हाल ही में, सरकार ने मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) को भी कुछ शर्तों पर देश में उत्पादित एलपीजी बेचने की अनुमति प्रदान की है।

धावन पट्टी पर सहारा विमान का फिसलना

1309. श्री निखिल कुमार:
श्री ब्रजेश पाठक:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अक्तूबर, 2005 में मुम्बई में धावन पट्टी पर सहारा विमान फिसल गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि जो विमान धावनपट्टी में ओवर सूटिंग के पश्चात गीली जमीन में फंस गया उसे कुछ दिनों तक वहां से नहीं हटाया गया जिससे वह अन्य विमान कंपनियों के फ्लाइट आपरेशन में बाधा उत्पन्न करता रहा है;

(घ) यदि हां, तो सरकार और अन्य विमान कंपनियों को अनुमानत: कितना घाटा हुआ और सहारा विमान कंपनी से इस घाटे को किस तरीके से वसूला जाएगा;

(ङ) क्या इस संबंध में किसी जांच का आदेश दिया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या निष्कर्ष निकले; और

(छ) इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) मैसर्स एयर सहारा का बोइंग 737 विमान वीटी-एसआईडी दिनांक 9 अक्तूबर, 2005 को मुम्बई एयरपोर्ट के रनवे 27/09 पर सुलभ अवतरण स्थल से आगे निकल गया था तथा रनवे की अंतिम सीमा से आगे गीली जमीन में फंस गया था।

(ग) रनवे 27/09 को 1920 बजे भारतीय मानक समय पर बंद कर दिया गया था और इसी दिन दूसरे रनवे को लगभग 1950 बजे प्रचालन योग्य बना दिया गया था। दिनांक 9 अक्तूबर, 2005 को 2315 बजे भारतीय मानक समय पर रनवे 27 को आंशिक रूप से खोल दिया गया था। सतह की मरम्मत तथा विमान को खींचने के लिए अन्य व्यवस्थाओं का प्रबंध करने के पश्चात् विमान को दिनांक 13 अक्तूबर, 2005 को 0835 बजे भारतीय मानक समय पर दलदल से निकाल लिया गया था। इस अवधि के दौरान उड़ान प्रचालन के लिए संबद्ध समायोजन कर लिए गये थे, विमान प्रचालनों में आए व्यवधानों के कारण यात्री को कुछ असुविधाएं तथा हानियां हुई हैं।

(घ) सामान्य रूप से एयरलाइनों को कोई वास्तविक हानि नहीं हुई थी। 9-13 अक्तूबर, 2005 की अवधि के दौरान मुम्बई एयरपोर्ट से 61 उड़ानों के मार्ग परिवर्तित किए गए थे।

(ङ) से (छ) इस घटना की जांच चल रही है तथा जांच रिपोर्ट में की गई सिफारिशों एवं निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्यवाही की जाएगी।

विमान परिचारिकाओं की सेवानिवृत्ति की आयु

1310. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया में विमान परिचारिकाओं की सेवानिवृत्ति की आयु अलग-अलग है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

आफलोडिंग क्रास होल्डिंग्स

1311. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन आयल कार्पोरेशन, तेल और प्राकृतिक गैस निगम और भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड ने एक दूसरे के क्रास होल्डिंग्स की आफलोडिंग के लिए कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन तेल कंपनियों को सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृति दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह सरकार और तेल कंपनियों के लिए किस सीमा तक लाभप्रद होगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) आईओसी, ओएनजीसी और गेल द्वारा एक दूसरी में धारित परस्पर धारिता के विनिवेश से उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और वे अपनी चल रही और विस्तार परियोजनाओं का वित्तपोषण कर सकेंगीं। उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार से उच्चतर और कर उगाहियों के जरिए सरकार के भी लाभान्वित होने की संभावना है।

[हिन्दी]

फ्लाइंग/ग्लाइडिंग क्लब

1312. श्री रामदास आठवले: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार दिल्ली और अन्य राज्यों में कितने फ्लाइंग/ग्लाइडिंग क्लब हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक क्लब को वर्षवार कितनी धनराशि की राजसहायता और सहायता दी गई है;

(ग) नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा प्रत्येक क्लब को क्या दर्जा दिया गया है; और

(घ) इन फ्लाइंग/ग्लाइडिंग क्लबों की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) आज की तारीख में दिल्ली तथा अन्य राज्यों में 39 फ्लाइंग क्लब तथा 11 ग्लाइडिंग क्लब हैं।

(ख) फ्लाइंग/ग्लाइडिंग क्लबों की सब्सिडी दिनांक 01.04.2001 से रोक दी गई है फिर भी वर्ष 2002-03 के दौरान दो हंसा विमान केरल विमानन प्रशिक्षण केन्द्र, तिरूवनंतपुरम तथा एक हंसा विमान मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब, इंदौर को आबंटित किया गया, वर्ष 2003-04 के दौरान एक हंसा विमान हरियाणा नागर विमानन संस्थान, हिसार तथा वर्ष 2004-05 के दौरान एक हंसा विमान हरियाणा नागर विमानन संस्थान, हिसार को तथा एक हंसा विमान सरकार विमानन प्रशिक्षण संस्थान, भुवनेश्वर को आबंटित किया गया।

(ग) आज की तारीख में 27 सरकारी सहायता प्राप्त फ्लाइंग क्लब तथा 11 निजी फ्लाइंग क्लब हैं। इनके अलावा, नागर विमानन मंत्रालय के अधीन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी नामक एक स्वायत्त संगठन है। 5 ग्लाइडिंग क्लब तथा फ्लाइंग क्लबों के 5 ग्लाइडिंग विंग्स होने के अलावा नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा पुणे में एक सरकारी ग्लाइडिंग केन्द्र संचालित किया जा रहा है।

(घ) फ्लाइंग तथा ग्लाइडिंग क्लब उम्मीदवारों को निजी पायलट लाइसेंस, वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस तथा ग्लाइडर पायलट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण देते हैं।

नागर विमानन महानिदेशालय ने कुल 6886 निजी पायलट लाइसेंस (ए), 138 निजी पायलट लाइसेंस (एच), 4640 वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (ए), 676 वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (एच) तथा 1064 पायलट लाइसेंस (ग्लाइडर) जारी किए हैं।

[अनुवाद]

अन्य देशों के साथ संयुक्त अभ्यास

1313. श्री के. फ्रांसिस जार्ज:
श्री सुग्रीव सिंह:
श्री एस. अजय कुमार:
श्री मुन्शी राम:
श्री अशोक कुमार रावत:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री शिशुपाल पटले:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने अन्य देशों के साथ संयुक्त सैनिक अभ्यास करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सेना के तीनों अंगों द्वारा अन्य देशों के साथ ऐसे कितने अभ्यास किए गए हैं;

(घ) ऐसे अभ्यासों को कराने हेतु सरकार के मुख्य उद्देश्य क्या हैं और इनसे क्या लाभ प्राप्त हुए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इन अभ्यासों के लागत-लाभों का विश्लेषण किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (च) सन् 2003, 2004 और 2005 (नवंबर, 2005 तक) में अन्य देशों के साथ किए गए संयुक्त सैनिक युद्धाभ्यासों की संख्या इस प्रकार है:

	2003	2004	2005
सेना	4	4	7
वायुसेना	1	4	2
नौसेना	8	5	9

सरकार द्वारा विभिन्न देशों के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास करने का निर्णय अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर किया जाता है। संयुक्त सैनिक युद्धाभ्यास करने का उद्देश्य विभिन्न देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाना है। यद्यपि संयुक्त युद्धाभ्यासों पर होने वाला व्यय सशस्त्र सेनाओं को आबंटित वार्षिक बजट में से किया जाता है तथापि, इन युद्धाभ्यासों से होने वाले लाभों का उल्लेख नीचे किया गया है। इन युद्धाभ्यासों से उपस्करों, प्रौद्योगिकी, युद्ध रणनीतियों में हो रहे अद्यतन विकास, सैनिक संक्रियाओं से संबंधित संकल्पनाओं और सिद्धांतों से सशस्त्र सेनाओं को अवगत करवाने, अन्य देशों के मुकाबले में अपनी सशस्त्र सेनाओं का सैन्य कौशल परखने और आपसी समझ तथा सहयोग बढ़ाने का महत्वपूर्ण अवसर मिलता है। संयुक्त सैनिक युद्धाभ्यासों में सफल भागीदारी से हमें अपने प्रशिक्षण मानकों और संक्रियात्मक रणनीतियों का मूल्यांकन करने में सहायता मिलती है। संयुक्त युद्धाभ्यासों से, हमें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी सशस्त्र सेनाओं की छवि को और आगे बढ़ाने का भी अवसर मिलता है।

लिक्विड एनर्जी में सल्फर

1314. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन आयल कार्पोरेशन ने हाई क्वालिटी सल्फर को लिक्विड एनर्जी में बदलने की कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कंपनी ने देश में ऐसे क्षेत्रों की खोज की है जहां इस प्रकार का कोयला उपलब्ध हो;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में ऐसी पहल बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) इंडियन आयल कार्पोरेशन (आईओसी) के आर एंड डी सेंटर ने भारतीय कोल गैसीफिकेशन लिक्विफैक्शन अध्ययनों के लिए प्रयोगशाला की मूलभूत सुविधाएं स्थापित करना आरंभ कर दिया है। तथापि, आईओसी ने वाणिज्यिक कोल (उच्च और निम्न गंधक) परिवर्तन के लिए अब तक कोई परियोजना शुरू नहीं की है।

(ङ) एनटीपीसी-भेल औरैया, उत्तर प्रदेश में निम्न गंधक कोयला पर आधारित कोल गैसीफिकेशन पर एक 125 एमडब्ल्यू एकीकृत गैसीफिकेशन कम्बाईंड साइकिल (आईजीसीसी) प्रदर्शन परियोजना का क्रियान्वयन कर रही है।

[हिन्दी]

कच्चे तेल की कीमत

1315. श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":
डा. चिन्ता मोहन:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सितंबर 2005 में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई थी तो देश में उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल के बिक्री मूल्य में वृद्धि की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या अक्तूबर-नवंबर 2005 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी के साथ-साथ देश में कुछ पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो उक्त विशिष्ट पेट्रोलियम उत्पादों का ब्यौरा क्या है;

(घ) पेट्रोलियम और डीजल की उपभोक्ता कीमतों में कमी न करने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी हां। पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में 6/7 सितंबर 2005 की मध्य रात्रि से क्रमश: 3/-रुपए प्रति लीटर तथा 2/- रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है।

(ख) से (घ) 2003 की समाप्ति से सप्ताह-दर-सप्ताह तथा दिन-प्रतिदिन उतार-चढ़ाव के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में अभूतपूर्व, तीव्र तथा सर्पिल वृद्धि हुई है।

तदनुसार, जून 2004 से सरकार ने सिद्धांतों की व्याख्या की जिससे संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि के भार को उपभोक्ताओं पर रोकने के लिए उसकी नीति पर लागू होंगे। यह निर्णय लिया गया कि भार को उपभोक्ताओं, सरकार तथा तेल कंपनियों द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा। 6.9.2005 को अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि के अनुसार पेट्रोल, डीजल, पीडीएस मिट्टी तेल तथा घरेलू एलपीजी के मूल्यों में अपेक्षित वृद्धि क्रमश: रु. 10.79/ प्रति लीटर रु. 8.28/प्रति लीटर, रु. 11.63/प्रति लीटर तथा रु. 99.65/ प्रति सिलेंडर रही है। हालांकि, सरकार ने सितंबर 2005 में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में मामूली वृद्धि की है। अप्रैल, 2002 से पीडीएस मिट्टी तेल तथा नवंबर 2004 से घरेलू एलपीजी के खुदरा बिक्री मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

उक्त उत्पादों पर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा पहले से अल्प वसूलियों की आंशिक प्रतिपूर्ति के लिए सरकार ने सिद्धांत रूप में तेल बांडों का जारी किया जाना अनुमोदित कर दिया है।

यद्यपि, अक्तूबर-नवंबर 2005 के दौरान कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के अंतरराष्ट्रीय मूल्य अधोगामी प्रवृत्ति दर्शाते हैं, तेल विपणन कंपनियों को अभी भी पेट्रोल, डीजल, पीडीए मिट्टी तेल तथा घरेलू एलपीजी के प्रचलित घरेलू मूल्यों के वर्तमान अंतरराष्ट्रीय मूल्यों से कम होने के बावजूद भी अल्प वसूलियां हो रही हैं।

[अनुवाद]

दिल्ली स्टेशन पर खाद्य/चाय स्टालों को बंद करना

1316. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नई खानपान नीति लागू किए जाने के बाद रेल अधिकारियों द्वारा दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को दिए गए कई छोटे खाद्य/चाय स्टालों को उनकी निर्धारित लाइसेंस अवधि की समाप्ति से पूर्व ही बंद करा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या ऐसे ही आदेश चंडीगढ़ क्षेत्र में जारी किए गए थे जिन्हें माननीय चंडीगढ़ उच्च न्यायालय और रेल प्राधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद वापस ले लिया गया था और वेंडरों को काम करते रहने की अनुमति दी गई थी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा दिल्ली जंक्शन के वेंडरों, जो रेल अधिकारियों के सनकपूर्ण कृत्य के कारण बेबस स्थिति में हैं, को बचाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) स्थैतिक इकाइयों के सभी खान-पान ठेकेदारों के लिए लाइसेंस फीस को 5% से 12% तक परिशोधित कर 01.07.1999 से प्रभावी किया गया था। अधिकांश ठेकेदारों ने विभिन्न न्यायालयों में लाइसेंस फीस वृद्धि के विरोध में मुकद्मा दायर किया। 29.03.2005 को भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने रेलवे के पक्ष में यह कहते हुए एक आदेश पास किया कि लाइसेंसी बकाया राशि का भुगतान रेलवे को करें जिसके न करने पर रेल प्रशासन उनके ठेके को कानूनन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा। इस प्रकार न्यायालय के निर्णय को कार्यान्वित करने के परिणामस्वरूप 6 इकाइयों को बन्द कर दिया गया, इनमें से एक इकाई दिल्ली जंक्शन पर अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित है।

(ग) और (घ) जी हां। फिरोजपुर मण्डल पर बकाया लाइसेंस फीस का भुगतान न करने के कारण 97 खान-पान ठेकों को बन्द कर दिया गया था। इन इकाईयों को पुन: चालू किया गया था क्योंकि दिनांक 05.10.2000 का माननीय न्यायालय के आदेश जो रेलवे को बढ़ी हुई लाइसेंस फीस को लेने से रोकता था, के उल्लंघन के लिए खान-पान/वैंडिग परिसंघ फिरोजपुर मण्डल ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की। वर्तमान में मामला न्यायाधीन है।

निजी एफ एम रेडियो स्टेशन

1317. श्री भर्तृहरि महताब: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्यवार कितने निजी एफ एम रेडियो स्टेशन काम कर रहे हैं;

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार ऐसे कितने स्टेशन खोले गए;

(ग) क्या सरकार का विचार विभिन्न विश्वविद्यालयों में ऐसे और एफ एम रेडियो स्टेशन स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो उनका स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन एफ एम रेडियो स्टेशनों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) नीचे दिए गए वर्तमान में 12 शहरों में 21 निजी एफ.एम. रेडियो केन्द्र प्रचालन में हैं:

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	केन्द्रों की संख्या	शहरों की संख्या
तमिलनाडु	4	3
महाराष्ट्र	5	2
गुजरात	1	1
कर्नाटक	1	1
आन्ध्र प्रदेश	1	1
पश्चिम बंगाल	4	1
उत्तर प्रदेश	1	1
मध्य प्रदेश	1	1
दिल्ली	3	1

(ख) 12 शहरों में 22 केन्द्र प्रत्येक के सामने इंगित तिथियों को चालू किए गए थे:

शहर का नाम	केन्द्रों की संख्या	चालू करने की तिथि
1	2	3
मुम्बई	5	29.04.2002
दिल्ली	3	29.04.2003
कोलकाता	4	03.05.2003
चेन्नई	2	05.05.2003
बंगलौर	1	28.06.2001
इंदौर	1	01.10.2001
लखनऊ	1	10.12.2001
अहमदाबाद	1	10.12.2001
पुणे	1	01.05.2002
विशाखापट्टनम	1	06.02.2003
कोयम्बटूर	1	07.03.2003
तिरूनैवेली	1	07.03.2003

(ग) से (ङ) सरकार ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नु) का भी 40 शहरों में एफ.एम. रेडियो केन्द्र स्थापित करने की अनुमति प्रदान की है जिनमें से अब तक 17 चालू किए जा चुके हैं। आवंटित चालू किए गए केन्द्रों के स्थलों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इग्नू को शेष केन्द्रों को चालू करने के लिए जून, 2007 तक समय प्रदान किया गया है।

इसके अतिरिक्त सरकार ने दिसंबर, 2002 में विश्वविद्यालयों तथा आई आई टी/आई आई एम सहित शैक्षिक संस्थानों को सामुदायिक रेडियो केंद्र स्थापित करने के लिए लाईसेंस प्रदान करने के लिए एक स्कीम की घोषणा की थी। इस स्कीम के अन्तर्गत निम्नलिखित संस्थानों ने सामुदायिक रेडियो केंद्र स्थापित किए हैं: 1. अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई, 2. श्री मानाकुला विनयागार इंजीनियरिंग कालेज, पांडिचेरी, 3. इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट, जयपुर, 4. कोन्नु इंजीनियरिंग कालेज, इरोडे, 5 एम ओपी वैष्णव कालेज आफ वूमैन, चेन्नई, 6. सनबीम इंगलिश स्कूल, वाराणसी, 7. विद्या प्रतिष्ठानस इंस्टीट्यूट आफ इनफारमेंशन टेक्नोलाजी, बारामती, पुणे, 8. सिटी मानटेसरी स्कूल, लखनऊ, 9 सरदार पटेल विश्वविद्यालय, बल्लभ विद्यानगर, 10. एजेके मास कम्युनिकेशन, जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली, 11. बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली, 12. पीजी. कालेज, गाजीपुर, 13. इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मास कम्यूनिकेशन, नई दिल्ली, 4. इरोडे सेंगुंटर इंजीनियरिंग कालेज, इरोडे, 15. पुणे विश्वविद्यालय, पुणे।

विवरण

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को आबंटित और परिचालित चैनलों की अवस्थिति

क्र.सं.	चैनल की अवस्थिति	क्या परिचालित कर दिया गया है
1	2	3
1.	जयपुर	
2.	कटक	
3.	कोयंबटूर	हां
4.	तिरूनेल्वेली	
5.	कानपुर	
6.	भोपाल	हां
7.	तिरूची	
8.	जबलपुर	हां
9.	औरंगाबाद	हां
10.	वाराणसी	हां
11.	त्रिवेंद्रम	
12.	मैसूर	हां
13.	कोलकाता	हां
14.	चैन्नई	हां
15.	अहमदाबाद	
16.	चंडीगढ़	
17.	शिलांग	हां
18.	दिल्ली	हां
19.	मुम्बई	हां
20.	लखनऊ	हां
21.	भुवनेश्वर	
22.	कोचीन	
23.	पुणे	
24.	जालन्धर	
25.	पटना	
26.	रायपुर	हां
27.	विशाखापट्टनम	हां
28.	इंदौर	
29.	जामनगर	
30.	आगरा	
31.	इलाहाबाद	हां
32.	बंगलौर	हां
33.	हैदराबाद	हां
34.	मदुरई	
35.	लुधियाना	
36.	गुवाहाटी	हां
37.	नागपुर	
38.	पणजी	
39.	राजकोट	
40.	श्रीनगर	

एच आई वी/एड्स संक्रमण

1318. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बड़ी संख्या में सशस्त्र बल कर्मी एच आई वी/एड्स संक्रमण से पीड़ित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बलवार संख्या क्या है; और

(ग) इस महामारी को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) यह सही नहीं है कि बड़ी संख्या में सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों को ह्यूमन इम्यूनोडेफिसिएंसी वायरस/एक्वायर्ड इम्यून डेफिसिएंसी सिंड्राम (एच

आई वी/एड्स) से संक्रमित पाया गया है। वास्तव में, सशस्त्र सेनाओं में एच आई वी/एड्स आम लोगों की तुलना में बहुत कम है। सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाओं के पास एच आई वी/एड्स के नियंत्रण के लिए एक क्रियाशील कार्यक्रम है जिसमें निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल हैं:

(1) सैनिकों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य शिक्षा देना।

(2) रक्तदाताओं, यौन जनित रोगों के मरीजों, तपेदिक के मरीजों, प्रसव पूर्व रोगियों, शांति स्थापना मिशनों में विदेश जाने वाले और वहां से लौटकर आने वाले कार्मिकों जैसे भारी जोखिमपूर्ण समूहों पर नजर रखना।

(3) प्रसव पूर्व के सभी रोगियों की शत-प्रतिशत जांच करना।

(4) एच आई वी, हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सी, सिफिलिस और मलेरिया के लिए सभी रक्त/रक्त उत्पादों की शत-प्रतिशत जांच करना।

(5) स्वेच्छा से सलाह लेने और जांच कराने के लिए प्रोत्साहित करना।

(6) दृश्य-श्रव्य साधनों के जरिए एच आई वी/एड्स के बारे में जागरूकता फैलाना।

अंतर-राज्यीय सैन्य भर्ती रैकेट

1319. श्री आनंदराव विठोबा अड्सूल: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सैन्य आसूचना ने हैदराबाद से चलाए जा रहे अंतर-राज्यीय सैन्य भर्ती रैकेट का भंडाफोड किया है जैसाकि दिनांक 26 अक्तूबर, 2005 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जाली प्रमाणपत्रों के आधार पर कितने व्यक्तियों की भर्ती की गई; और

(घ) अब तक कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) हैदराबाद में आयोजित भर्ती रैली में की गई गहन छानबीन प्रक्रिया के दौरान दलालों की कुछ गतिविधियां सामने आई थीं।

(ग) जाली प्रमाण-पत्रों के आधार पर कोई भर्ती नहीं की गई है।

(घ) कथित रैकेट में संलिप्त तीन व्यक्तियों को स्थानीय सिविल पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है।

[हिन्दी]

चीन के साथ समझौता

1320. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
मोहम्मद शाहिद:
श्री शिशुपाल पटले:
श्री संतोष गंगवार:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पेट्रोलियम क्षेत्र में भारत-चीन सहयोग बढ़ाने हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो चीन की कंपनियों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रही भारतीय पेट्रोलियम कंपनियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त समझौतों के कारण क्या लाभ होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) सरकार पेट्रोलियम क्षेत्र में चीन-भारत सहयोग को मजबूत करने के लिए चीन को सरकारी स्तर और तेल कंपनियों के स्तर पर बहुपक्षीय और द्विपक्षीय वार्ताओं में संलग्न कर रही है।

(ख) आईओसीएल, ओवीएन, गेल और ओआईएल अपनी चीनी प्रतिपक्ष कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन करने का प्रस्ताव कर रही हैं जिससे एक दूसरे के देश में परियोजनाओं में प्रतिभागिता करने, अंतरराष्ट्रीय अवसरों की संयुक्त रूप से खोज करने, एलएनजी स्रोतीकरण, कोयला गैसीकरण परियोजनाओं और पेट्रोरसायन परियोजनाओं में भाग लेना और अनुसंधान और विकास, प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण, संरक्षण और कुशलता, पर्यावरण के अनुकूल ईंधनों और वाणिज्यिक तथा कार्यनीतिक भंडारण में सहयोग के माध्यम से एक-दूसरे के ज्ञान आधार का विस्तार करने में मदद मिलेगी।

(ग) ये समझौता ज्ञापन भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि करने, अपने व्यावसायिक कार्यों को विश्वव्यापी रूप से व्यापक

बनाने, अपने हाइड्रोकार्बन संबंधित संगठनों और वाणिज्यिक तथा कार्यनीतिक भंडारण, का विस्तार करने, का अवसर प्रदान करेंगे।

[अनुवाद]

अंडमान और निकोबार में तेल और गैस के भंडार

1321. श्री मनोरंजन भक्त: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में बड़े तेल और गैस भंडारों के लिए कोई अवसादी बेसिन खाका (मैप) तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो क्या अंडमान और निकोबार द्वीपों में कोई खोज की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) भारत का तलछटीय नक्शा लगभग 3.14 मिलियन वर्ग कि.मी. के क्षेत्र वाले 26 तलछटीय बेसिन दर्शाता है जिसमें 1.35 मिलियन वर्ग कि.मी. गहरे पानी का क्षेत्र शामिल है। 1.4.2005 को स्थिति के अनुसार 28-32 बिलियन मीट्रिक टन (बीएमटी) (तेल+तेल समतुल्य गैस) के अनुमानित संसाधनों का अनुमान लगाया गया है जिसमें से 8.28 (ओ+ओईजी) के स्थानिक भूगर्भीय भंडार ओएनजीसी, ओआईएल और निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों के अन्वेषण प्रयासों द्वारा स्थापित हुए हैं।

(ग) और (घ) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) को एकल जोखिम पर/परिसंघ में, अंडमान के गहरे पानी वाले क्षेत्रों में अन्वेषण के लिए 4 नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) ब्लाक अवार्ड किए गए हैं। इन ब्लाकों में 2डी भूकंपीय सर्वेक्षण 2005-06 के दौरान हाथ में लिए जाने की परिकल्पना है।

ओएनजीसी ने अंडमान अपतट में 12 अन्वेषण कूपों का वेधन किया था जिसके फलस्वरूप एक गैस पाई गई।

[हिन्दी]

तेल और प्राकृतिक गैस का आयात मूल्य

1322. श्री मुन्शी राम:
श्री अशोक कुमार रावत:
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस के आयात मूल्य का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष की तुलना में आयात मूल्य का प्रतिशत कितना है; और

(ग) गत वर्ष की तुलना में प्रति बैरल मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रही कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के मूल्यों की लगातार निगरानी कर रही है। ईआईए की अल्पकालीन ऊर्जा आऊट लुक, जो 8 नवंबर 2005 को जारी की गई थी, के अनुसार कड़े अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तियों तथा चक्रवात-प्रभावित आपूर्ति घाटों के कारण, वर्ष 2005 के बाकी समय तथा 2006 के दौरान कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों व प्राकृतिक गैस के मूल्य ऊंचे बने रहने प्रक्षेपित किए गए हैं।

(ख) और (ग) वर्ष 2004-05, 2005-06 (अप्रैल-नवंबर, 2005) के दौरान कच्चे तेल (भारतीय बास्केट) तथा उत्पादों के औसत अंतर्राष्ट्रीय मूल्य और वृद्धि की प्रतिशतता संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

मूल्य	कच्चा तेल (भारतीय बास्केट) अमरीकी डालर/बीबीएल	पेट्रोल अमरीकी डालर/बीबीएल	डीजल अमरीकी डालर/बीबीएल	मिट्टी का तेल अमरीकी डालर/बीबीएल	एलपीजी अमरीकी डालर/एमटी
1	2	3	4	5	6
औसत 2004-05	39.22	49.01	46.91	49.50	368.52

1	2	3	4	5	6
औसत (अप्रैल-नवंबर 2005)	54.22	64.29	64.52	68.33	442.38
2004-05 की तुलना में अप्रैल-नवंबर में 2005 प्रतिशत बढ़ोत्तरी	38.2%	31.2%	37.5%	38.0%	20.0%

[अनुवाद]

निजी एयरलाइनों की अनुमति

1323. डा. राजेश मिश्रा:
श्री जे.एम. आरून रशीद:
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जेट एयरवेज और सहारा एयरलाइंस को कुछ अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर अपनी उड़ानें प्रचालित करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो विमानन नीति की प्रतीक्षा किए बिना इन एयरलाइनों को अंतरराष्ट्रीय वायु मार्ग प्रदान करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार अन्य निजी घरेलू एयरलाइनों के अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों तक अपनी उड़ानें प्रचालित करने के अनुरोध पर विचार करेगी;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) छह महीनों से अधिक समय से लंबित नई एयरलाइनों को स्वीकृति देने के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को स्वीकृति देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) भारतीय पक्ष द्वारा उदारीकरण की अपनी नीति के एक भाग के रूप में तथा यातायात अधिकारों के उपयोग में सुधार की दृष्टि से, सरकार द्वारा निजी अनुसूचित एयरलाइंसों, जिन्होंने घरेलू क्षेत्र में 5 वर्ष नियमित प्रचालन किया हो तथा जिनके पास कम से कम 20 विमानों का बेड़ा हो, को यूएई, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत तथा सऊदी अरब के अलावा अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर प्रचालन करने की मंजूरी देने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के अनुसार, जेट एयरलाइंस तथा सहारा एयरलाइंस को अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर परिचालन की मंजूरी प्रदान की गई है। अन्य एयरलाइंसेंस भी उनकी अनुबद्ध योग्यता मापदंडों के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर यातायात अधिकारों के आवंटन हेतु विचारणीय होगी।

(ङ) और (च) निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार घरेलू निजी अनुसूचित एयरलाइंसों में केवल जेट एयरवेज तथा एयर सहारा ही वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय परिचालनों के लिए अर्हता प्राप्त है। इन एयरलाइंसों को पहले ही अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर प्रचालन हेतु मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

कड़प्पा विमानपत्तन से वायुदूत की उड़ानें

1324. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:
श्री बाडिगा रामकृष्णा:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कड़प्पा विमानपत्तन से संचालित की जा रही वायुदूत की उड़ानें बंद कर दी गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन उड़ानों को फिर से शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। विमान की कमी के कारण, वायुदूत ने कुड़प्पा से/तक अपने प्रचालन बंद कर दिये हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इस समय, इंडियन एयरलाइंस के बड़े में कम क्षमता वाले विमान उपलब्ध नहीं होने तथा जेट इंजिन किस्म के विमान के प्रचालन के लिए कड़प्पा एयर फील्ड उपयुक्त नहीं होने की वजह से इंडियन एयरलाइंस की कड़प्पा से अपने प्रचालन शुरू करने की कोई योजना नहीं है।

लेपटाप की चोरी

1325. श्री उदय सिंह: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 अक्तूबर, 2005 के 'हिंदुस्तान टाइम्स'' में 'मिलिटरी डाटा गोन विद लैपटाप' नामक शीर्षक से प्रकाशित की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) भटिंडा में एक लैपटाप की चोरी का एक मामला सरकार की जानकारी में आया है। तथापि, प्रारंभिक रिपोर्ट दर्शाती है कि इसमें सैन्य सुरक्षा संबंधी महत्व की कोई सूचना नहीं थी। इस संबंध में तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए एक जांच अदालत के आदेश दे दिए गए हैं।

तेल शोधन शालाओं का विस्तार

1326. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का दसवीं और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कुछ तेल शोधनशालाओं का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी शोधनशाला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी हां।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को विस्तार परियोजनाएं चलानी पड़ती है, जैसा कि संलग्न विवरण में ब्यौरा दिया गया है।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा इन रिफाइनरियों के विस्तार पर 12,384.18 करोड़ रुपए के व्यय की संभावना है।

विवरण

विस्तार परियोजनाएं

कंपनी का नाम	रिफाइनरी की अवस्थिति	मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष (एमएमटीपीए) में क्षमता विस्तार
इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड	पानीपत रिफाइनरी (हरियाणा)	6 से 12 एमएमटीपीए
	पानीपत रिफाइनरी (हरियाणा) (अतिरिक्त विस्तार)	12 से 15 एमएमटीपीए
	हल्दिया रिफाइनरी (पश्चिम बंगाल)	6 से 7.5 एमएमटीपीए
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	मुंबई रिफाइनरी (महाराष्ट्र)	5.5 से 7.9 एमएमटीपीए
	विशाखा रिफाइनरी (आंध्र प्रदेश)	7.5 से 8.33 एमएमटीपीए
कोच्चि रिफाइनरी लिमिटेड	कोच्चि रिफाइनरी (केरल)	7.5 से 9.5 एमएमटीपीए
आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	तातीपका (आंध्र प्रदेश)	0.1 से 0.2 एमएमटीपीए

[हिन्दी]

वेंडरों द्वारा रेलगाड़ियों में/स्टेशनों पर घटिया पानी और भोजन की बिक्री

1327. श्री अशोक कुमार रावत:
श्री मुन्शी राम:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेलवे स्टेशनों पर तथा रेलगाड़ियों में घटिया पानी और खराब गुणवत्ता का भोजन बेचने वाले वेंडरों पर काबू पाने हेतु कोई अभियान चलाया है जैसा कि दिनांक 22 अगस्त, 2005 के 'राष्ट्रीय सहारा' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे काम में लगे हुए/पाए गए वेंडरों का ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी अनियमितताओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी हां। खान-पान सेवाओं में सुधार एक सतत् प्रक्रिया है। विभिन्न रेलगाड़ियों में परोसे जाने वाले भोजन की बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई है। इसलिए, खान-पान सेवाओं पर नजर रखने और उसमें सुधार लाने के लिए विशेष अभियान चलाए गए थे।

(ग) इन अभियानों के परिणामस्वरूप, लाइसेंसधारियों को चेतावनी दी गई और जुर्माना किया गया (आठ मामलों में)। उन्हें कमियों में सुधार करने की सलाह दी गई है। 2 मामलों में अनुशासनिक कार्रवाई की गई है।

(घ) क्षेत्रीय रेलों ने पकड़ी गई कमियों को बेस स्टेशन को उचित कदम उठाने और उन्हें दूर करने के लिए भेज दिया है। रेलवे और भारतीय रेल खान-पान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) को सही और विशेष उपाय करने के लिए कहा गया है। जैसे पैक की हुई सभी मदों को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के मानकों के अनुसार परोसना, व्यंजन सूची और मूल्य सूची को प्रदर्शित करना, पैन्ट्री कार प्रबन्धकों के पास शिकायत पुस्तिका का प्रावधान, पैन्ट्री कार और स्थाई इकाईयों में कीटनाशकों का इस्तेमाल आदि।

रेलगाड़ियों और स्टेशनों में अप्राधिकृत विक्रेताओं और घटिया गुणवत्ता के जल और भोजन और अनियमितताओं को रोकने के लिए सामान्य और औचक निरीक्षण किए जाते हैं।

सवारी डिब्बों का आधुनिकीकरण

1328. श्री दरोगा प्रसाद सरोज: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एक्सप्रेस/अन्य मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के सवारी डिब्बों के आधुनिकीकरण हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई; और

(घ) सरकार द्वारा योजना को लागू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) सवारी डिब्बों के आधुनिकीकरण ताकि संरक्षा एवं यात्रियों की सुविधाओं में सुधार हो सके, के लिए भारतीय रेल द्वारा डिजाइनों का नियमित रूप से उन्नयन किया जाता है। उपयुक्त पायी गयी नई विशेषताओं को अपनाने के लिए उत्पादन इकाइयों एवं क्षेत्रीय रेलों को सुझाव दिया जाता है ताकि सवारी डिब्बों में जहां उपयुक्त हो शामिल किया जा सके।

सवारी डिब्बों को आधुनिक बनाने की कुछ नवीनतम विशेषताएं हैं: (1) राजधानी एवं शताब्दी गाड़ियों के लिए लिंक हाफमैन बुश (एलएचबी) की उत्तम, आधुनिक तेज रफ्तार, स्टेनलैस स्टील के बने सवारी डिब्बों को प्रारम्भ करना (2) यात्रियों को बेहतर सेवा मुहैया कराने हेतु देश में ही निर्मित जनशताब्दी सवारी डिब्बों को प्रारंभ करना, (3) बेहतर सौन्दर्य एवं सफाई हेतु माड्यूलर एवं नियंत्रित निकासी टायलेट प्रारंभ करना (4) आग से सुरक्षा बढ़ाने के लिए सवारी डिब्बों में अग्निरोधक सामग्री लगाना इत्यादि।

अलग-अलग विशेषताओं के लिए अलग से कोई राशि मुहैया नहीं करायी जाती है, क्योंकि लागत प्रचलित बैच कास्ट-रिपोर्ट में शामिल हो जाती है।

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों में खान-पान संविदाएं

1329. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन:
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार की नई खानपान नीति के अनुसार लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में भोजन की आपूर्ति हेतु दी गई खानपान संविदाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) नई खानपान संविदाओं की निबंधन और शर्तें क्या हैं और पूर्ववर्ती दर की तुलना में प्रत्येक मामले में निविदा राशि में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत 10 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत अनेक खानपान कर्मचारी अब बेरोजगार हो गए हैं क्योंकि नए ठेकेदार पुराने कर्मचारियों को रोजगार नहीं दे रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) नई खान-पान नीति, 2005 के अनुसार खान-पान ठेकों का विवरण और ठेके राशि के लिए तुलनात्मक आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं। नई खान-पान नीति, 2005 के अनुसार सचल इकाई के ठेकों की शर्तें और निबंधन निम्नानुसार है:

(1) पारदर्शी प्रतियोगितात्मक बोली के आधार पर दो पैकेट खुली निविदा प्रणाली।

(2) लाइसेंस की अवधि पांच वर्ष होगी।

(3) राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों में न्यूनतम लाइसेंस फीस, वार्षिक बिक्री टर्न ओवर का 15% और अन्य मेल एक्सप्रेस गाड़ियों के लिए अनुमानित वार्षिक बिक्री टर्न ओवर का 12% है।

(4) राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के लिए रियायत फीस ठेके की संपूर्ण अवधि के लिए 15% की वार्षिक लाइसेंस फीस में बोली की एकमुश्त राशि होनी चाहिए।

(ग) से (ङ) नई खान-पान नीति लागू करने के परिणामस्वरूप, रेलवे स्टेशनों पर चल रही खान-पान इकाइयों में काम कर रहे श्रमिकों के बेरोजगार होने का कोई खतरा नहीं है। सभी लाइसेंसधारी जिनके मौजूदा ठेके समाप्त हो गये हैं या समाप्त होने वाले हैं, मौजूदा और नए लाइसेंसों के लिए आवेदन करके नई निविदाओं/चयन में भाग ले सकते हैं बशर्ते कि वे पात्रता का मापदंड पूरा करते हो। रोजगार के अवसर कम नहीं होंगे क्योंकि खान-पान इकाइयां बंद नहीं की जाएगी।

विवरण

नई खान-पान नीति के तहत आईआरसीटीसी द्वारा रेलगाड़ियों में दिए गए अनुबंध का विवरण

क्र.सं.	गाड़ी सं.	गाड़ी का नाम	पुराना लाइसेंस शुल्क	वर्तमान (नई खान-पान नीति)
1	2	3	4	5
1.	1025-26	प्रगति एक्सप्रेस	9.24	18.01
2.	7617-18	तपोवन एक्सप्रेस	4.60	12.00
3.	6331-32	टीवीएस-सीएसटीएम एक्सप्रेस	2.97	14.00
4.	6217-18	मैसूर स्वर्ण जयंती	3.09	8.00
5.	4083-84	महानंदा एक्सप्रेस	9.55	31.00
6.	1061-62	पवन एक्सप्रेस	7.20	42.00
7.	1065-66			
8.	9367-68	मालवा एक्सप्रेस	8.43	38.01
9.	8407-08	हीराकुंड एक्सप्रेस	2.94	23.40

1	2	3	4	5
10.	2807-08	समता एक्सप्रेस	2.43	27.50
11.	8603-04	झारखंड एक्सप्रेस	7.97	33.33
12.	2817-18			
13.	2101-02	जनेश्वरी एक्सप्रेस	1930	70.01
14.	2151-52	समराष्ट्रा एक्सप्रेस		
15.	2711-12	पिनकिनी एक्सप्रेस	2.93	20.00
16.	2713-14	सतवाहन एक्सप्रेस	2.47	11.00
17.	2643-44	स्वतंत्रता एक्सप्रेस		
18.	6323-24	टीवीसी-एचडब्ल्यूएच	27.79	93.60
19.	6325-26	अहिल्यानगरी एक्सप्रेस		
20.	6327-28	टीवीसी-बीएसपी एक्सप्रेस		
21.	8401-02	पुरी-एडीआई एक्सप्रेस	6.99	52.91
22.	8403-04	पुरी-ओखा एक्सप्रेस		
23.	7229-30	सबरी एक्सप्रेस	10.24	81.00
24.	7231-32	सबरी एक्सप्रेस		
25.	6337-38	ईआरएस-ओखा एक्सप्रेस	13.31	55.60
26.	8101-02	मुरी एक्सप्रेस	5.02	25.50
27.	2967-68	जेपी-एमएएस एक्सप्रेस	5.62	36.00
28.	2715-16	सचखंड एक्सप्रेस	6.11	36.00
29.	2311-12	कालका मेल	4.99	83.50
30.	6687-88	नवयुग एक्सप्रेस	3.10	12.10
31.	2801-02	पुरूषोत्तम एक्सप्रेस	4.67	48.19
32.	4257-58	काशी विश्वनाथ	10.02	21.52
33.	9045-46	ताप्ती-गंगा एक्सप्रेस	4.67	48.19
34.	9047-48	ताप्ती-गंगा एक्सप्रेस		
35.	2703-04	फलकनुमा एक्सप्रेस	13.59	66.00
36.	2459-60	नई दिल्ली-अमृतसर सुपरफास्ट	9.98	36.54
37.	4681-82	नई दिल्ली-जालंधर एक्सप्रेस		

1	2	3	4	5
38.	2933-34	कर्णावती एक्सप्रेस	9.27	37.94
39.	7021-22	दक्षिण एक्सप्रेस	10.68	60.08
40.	8033-34	अहमदाबाद-हावड़ा एक्सप्रेस	17.08	116.22
41.	9007-08	अरावली एक्सप्रेस	7.18	42.42
42.	2955-56	जयपुर-मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस	7.08	60.08
43.	2163-64	दादर-चेन्नै एक्सप्रेस	11.38	115.78
44.	6309-10	एर्णाकुलम-पटना एक्सप्रेस	3.47	31.21
45.	2607-08	लालबाग एक्सप्रेस	8.65	46.80
46.	2675-76	कोवई एक्सप्रेस	15.89	64.50
47.	2677-78	बेंगलूर-कोयम्बटूर एक्सप्रेस		
48.	2617-18	मंगला एक्सप्रेस	54.28	216.00
		कुल	366.42	1872.14

खान-पान नीति के तहत आईआरसीटीसी द्वारा रेलगाड़ियों में खान-पान अनुबंधों का विवरण

क्र.सं.	गाड़ी सं.	गाड़ी का नाम	लाइसेंस शुल्क रेलवे	उत्पादन की पुरानी लाइसेंस शुल्क	रियायत शुल्क (नई खान-पान नीति) (लाख रुपयों में)
1	2	3	4	5	6
1.	2121-22	राजधानी एक्सप्रेस	15%	15%	92.00
2.	2309-10	राजधानी एक्सप्रेस	15%	15%	113.00
3.	2009-10	शताब्दी एक्सप्रेस	15%	15%	700.00
4.	2029-30	स्वर्ण शताब्दी	15%	15%	518.00
5.	2031-32	शताब्दी एक्सप्रेस			
6.	2433-34	राजधानी एक्सप्रेस	15%	15%	203
7.	2007-08	शताब्दी एक्स.	15%	15%	360.00
8.	2431-32	राजधानी एक्सप्रेस	15%	15%	235.00
9.	2957-58	राजधानी एक्सप्रेस	15%	15%	256.00
10.	2005-06	शताब्दी एक्सप्रेस	15%	15%	176.00
11.	2011-12	शताब्दी एक्सप्रेस	15%	15%	340.00

1	2	3	4	5	6
12.	2017-18	शताब्दी एक्सप्रेस	15%	15%	414.00
13.	2015-16	शताब्दी एक्सप्रेस	15%	15%	81.00
14.	2019-20	शताब्दी एक्सप्रेस	15%	15%	160.00
15.	2429-30	राजधानी एक्सप्रेस	15%	15%	811.11
16.	2425-26	राजधानी एक्सप्रेस	15%	15%	5.51
17.	2013-14	शताब्दी एक्सप्रेस	15%	15%	466.00
18.	2313-14	शताब्दी एक्सप्रेस	15%	15%	786.00
				कुल	5816.62

नोट:*रियायत शुल्क एक एकमुश्त राशि है जो 15% लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त लाइसेंसी द्वारा दी जानी है।

कोलकाता विमानपत्तन का नवीकरण

1330. श्री सुव्रत बोस:
श्री जोवाकिम बखला:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की कोलकाता स्थित नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन पर उपलब्ध अपर्याप्त सुविधाओं को देखते हुए उसका नवीकरण/आधुनिकीकरण करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इसमें शामिल लागत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नवीकरण/आधुनिकीकरण कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विमानपत्तनों पर अवसंरचना सुविधाओं में सुधार, विकास तथा उन्नयन एक निरंतर प्रक्रिया है और यह यातायात मांग, भूमि की उपलब्धता, संसाधनों आदि की निर्भरता पर पूरी की जाती है। नेताजी सुभाष चन्द बोस अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन (एनएससीबीआई) कोलकाता पर प्रगति पर जारी बड़े कार्यों में एकीकृत कार्गो काम्प्लेक्स का निर्माण, करार पर 02 अतिरिक्त पार्किंग स्थल था वर्तमान टैक्सी मार्ग से जोड़ने वाला एप्रन का पहला फेज जैसे 61.43 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले कार्य हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 218.18 करोड़ रुपए की लागत से वर्ष 2006 के दौरान अंतरराष्ट्रीय प्रस्थान भवन (फेज-1) का रूपांतरण सुविधाजनक लाबी का निर्माण, दमम से एन एस सी बी आई हवाईअड्डे तक सम्पर्क गलियारा, 19 एल आरंभ के बाहर सहायक रनवे का विस्तरण, उत्तरी दिशा की ओर कार्गो एप्रन का निर्माण, 06 घरेलू पार्किंग स्टैंड तथा घरेलू टर्मिनल पर आरसीसी केनोपी के निर्माण की योजना बनाई गई है।

रसोई गैस पर राजसहायता

1331. श्री एम. राजामोहन रेड्डी:
श्रीमती मेनका गांधी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा इस समय घरेलू रसोई गैस पर कितनी राजसहायता दी जा रही है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इसके परिणामस्वरूप सरकार को अनुमानत: कितना घाटा उठाना पड़ा है; और

(ग) सरकारी क्षेत्र की तेल शोधनशालाओं द्वारा पेट्रोलियम प्रसंस्करण की उत्पादन लागत को नियंत्रित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) पीडीएस मिट्टी तेल तथा

घरेलू एलपीजी राजसहायता योजना, 2002 के अनुसार, वर्तमान में, सरकार घरेलू एलपीजी के प्रत्येक सिलेंडर पर रु. 22.58 की दर से एक सपाट राजसहायता उपलब्ध कराती है। शेष राजसहायता ओएमसीज द्वारा वहन की जाती है।

(ख) उक्त राजसहायता के परिणामस्वरूप विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा किया गया व्यय निम्नवत् है:

वर्ष	राशि (रु. करोड़)
2002-03	2397.45
2003-04	3635.02
2004-05	1783.64

(ग) उत्पादन लागत को नियंत्रण करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल रिफाइनरियों द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम इस प्रकार हैं:

(1) उच्च सल्फर क्रूड के प्रापण द्वारा तथा कम सल्फर वाले योगजों के प्रयोग से क्रूड लागत का इष्टतमीकरण परिणामस्वरूप अलग-अलग क्रूड लागत में बचत।

(2) अत्यंत बड़े क्रूड कैरियरों (वीएलसीसी) को भाड़े पर लेकर क्रूड परिवहन लागत में कमी।

(3) नए क्रूडों की प्रोसेसिंग द्वारा क्रूड बास्केट का विविधीकरण।

(4) ऊर्जा संरक्षण ईंधन व हानि में कमी/उत्पादन अधिकतमीकरण।

(5) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति द्वारा जनशक्ति की कमी।

(6) इन्वेंटरी प्रबंध सहित कार्यशील पूंजी की निकट निगरानी।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ

1332. डा. चिन्ता मोहन:
श्री रामजी लाल सुमन:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2005-06 के पूर्वार्द्ध में सभी सरकारी तथा निजी क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों ने लाभ अर्जित किया है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष के पूर्वार्द्ध में अर्जित लाभ की तुलना में प्रत्येक कंपनी द्वारा पृथक-पृथक अर्जित किए गए लाभ का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कंपनियों ने उत्पादन, प्रसंस्करण और उत्पादों की बिक्री में वृद्धि की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत वर्ष के पूर्वार्द्ध की तुलना में उक्त अवधि के दौरान उत्पादन, प्रसंस्करण और बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के वर्ष 2004-05 की तदनुरूपी अवधि की तुलना में वर्ष 2005-06 के प्रथम अर्धभाग में हुए लाभ/घाटे का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) से (ङ) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रम का नाम	राष्ट्रीय राजकोष को वर्तमान वर्ष के दौरान लाभांश का भुगतान	राष्ट्रीय राजकोष को वर्तमान वर्ष के दौरान लाभांश का भुगतान
1	2	3	4
1.	आयल इंडिया लि.	815.78	442.08
2.	गेल (इंडिया) लि.	1258.00	795.00
3.	आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि.	7457.00	5692.00
4.	नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	157.90	198.48

1	2	3	4
5.	आईबीपी क.लि.	(-) 424.50	(-) 69.54
6.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.	(-) 530.00	541.61
7.	बामर लारी एंड क. लि.	25.27	11.97
8.	इंजीनियर्स इंडिया लि.	77.70	48.53
9.	बैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोरसायन लि.	381.74	280.47
10.	इंडियन आयल कार्पोरेशन लि.	895.00	2712.00
11.	कोच्चि रिफाइनरी लि.	279.00	329.00
12.	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.	(-) 634.37	468.68
13.	बीको लारी लि.	0.51	0.21
14.	बोंगाईगांव रिफाइनरी एवं पेट्रोरसायन लि.	117.96	293.13
15.	चैन्ने पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.	430.42	291.11

विवरण II

प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों का वर्ष 2004-05 के पूर्वार्द्ध की तुलना में वर्ष 2005-06 के पूर्वार्द्ध के उत्पादन/प्रसंस्करण में बढ़ोत्तरी/गिरावट का प्रतिशत और उत्पादों की बिक्री

क्र.सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रम का नाम	उत्पाद का नाम	राष्ट्रीय राजकोष को वर्तमान वर्ष के दौरान लाभांश का भुगतान	राष्ट्रीय राजकोष को वर्तमान वर्ष के दौरान लाभांश का भुगतान
1.	आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन	कच्चा तेल	(-) 7.5	(-) 8.04
		गैस	(-) 3.5	(-) 4.2
2.	इंडियन आयल कार्पोरेशन लि.	रिफाइनरी थ्रूपुट	(-) 1.22	(-) 2.36
3.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.	रिफाइनरी थ्रूपुट	(-) 12.99	(-) 4.51
4.	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.	रिफाइनरी थ्रूपुट	(-) 1.58	(-) 0.48
5.	गेल (इंडिया) लि.	एलपीजी	(-) 10.00	(-) 8.00
		पेट्रोरसायन	(-) 8.00	(-) 5.00
6.	आयल इंडिया लि.	कच्चा तेल	4.45	(-) 4.62
		प्राकृतिक गैस	18.54	(-) 24.12
		एलपीजी	1.66	(-) 1.84

[अनुवाद]

अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं

1333. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कुछ शिकायतें मिली हैं कि अल्पसंख्यकों को उनके कल्याण के लिए कार्यान्वित योजनाओं से लाभ नहीं मिल पा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) योजनाओं के अंतर्गत निधियों के उपयोग पर नियंत्रण रखने तथा अल्पसंख्यकों तक योजनाओं के लाभ पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य

1334. डा. धीरेंद्र अग्रवाल:
श्री वी.के. दुग्मर:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य अन्य देशों की तुलना में अधिक है;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक लीटर पेट्रोल/डीजल का मूल्य कितना है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य देश-दर-देश अलग-अलग होता है और इनका निर्धारण देश के विशिष्ट आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर होता है जिनमें लक्षित आर्थिक वृद्धि को पूरा करने के लिए सरकारों द्वारा संसाधन जुटाने के लिए कार्यनीति, पेट्रोलियम क्षेत्र के विकास के लिए नीति तथा संबंधित देशों में यथोचित मूल्यों पर जन समुदाय खपत के उत्पाद जैसे डीजल, एसकेओ तथा एलपीजी उपलब्ध कराने की मांग शामिल है। यद्यपि दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के मूल्य निकटवर्ती देशों में प्रचलित मूल्यों की तुलना में उच्चतम है, दिल्ली में पीडीएस मिट्टी तेल तथा घरेलू एलपीजी का मूल्य न्यूनतम है।

(ख) नवंबर 2005 माह के दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल/डीजल के औसत प्रचलित मूल्य निम्नवत् थे:

पेट्रोल : 375 अमरीकी डालर प्रति लीटर (एफओबी सिंगापुर)

डीजल : 363 अमरीकी डालर प्रति लीटर (एफओबी अरब खाड़ी)

(ग) सरकार ने लगातार मूल्य स्थिति पर निगरानी रखी हुई है। मूल्य निर्धारण तंत्र व्यवस्था, विभिन्न पणधारकों यथा, उपभोक्ता, सरकार तथा तेल कंपनियों के हितों में संतुलन रखने का प्रयास करती है।

संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि के भार को रोकने की दृष्टि से, सरकार ने विशेष तौर पर जून 2004 से कई उपाय अपनाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों पर सीमा व उत्पाद शुल्कों में अधोगामी कमी करना तथा समय-समय पर खास कर पेट्रोल और डीजल में मामूली मूल्य वृद्धि शामिल है। इस कार्य को इस दृष्टि से किया जाता है विभिन्न जोखिमधारक अर्थात सरकार, तेल विपणन कंपनियों तथा उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला भार एक समान रूप से वितरित हो। इसके अलावा, सरकार ने हानि हिस्सेदारी की एक योजना तैयार की है जिसके अनुसार संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों पर अपस्ट्रीम तेल कंपनियां, नामत: ओएनजीसी, ओआईएल तथा गेल अल्प वसूलियों के एक तिहाई हिस्से को वहन करेंगे। सरकार राजसहायता प्राप्त पेट्रोलियम उत्पादों पर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा उठाई जा रही अल्प वसूलियों के लिए बांड जारी करने पर भी विचार कर रही है।

सरकार ने डा. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का भी गठन किया है। यह समिति पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण में स्थिरता तथा युक्तिकरण सुनिश्चित करने की दृष्टि से पेट्रोलियम उत्पादों के संबंध में मूल्य निर्धारण तथा कराधान संरचना की जांच करेगी।

[अनुवाद]

बीपीसीएल की रिफाइनरी

1335. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड का विचार मध्य भारत में विशेषकर मध्य प्रदेश में एक रिफाइनरी स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना के स्थान तथा लागत सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रेक्षेपित रिफाइनरी के लिए कोई संयुक्त उद्यम किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने वाडीनार (गुजरात) में कच्चे तेल की आयात सुविधाओं और वाडीनार से बीना तक देश के आरपार कच्चे तेल की पाइपलाइन के साथ मध्य प्रदेश में 6 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की रिफाइनरी की स्थापना करने की योजनाएं बनाई हैं। परियोजना की अनुमोदित संशोधित लागत 6.354 करोड़ रुपए (सितंबर 2001 के मूल्यों पर) है।

(ग) और (घ) बीपीसीएल और ओमान आयल कंपनी लिमिटेड (ओओसी) ने इस रिफाइनरी परियोजना की स्थापना के लिए 23.12.1993 को भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड (बीओआरएल) नामक संयुक्त उद्यम का गठन किया था। संयुक्त उद्यम करार के अनुसार बीओआरएल की इक्विटी पूंजी में बीपीसीएल और ओओसी प्रत्येक का अंतिम अंशदान 26% होना था। बाद में ओओसी ने उनके द्वारा पहले से किये गये अंशदान को इसके अंशदान तक सीमित करने की इच्छा की। तदनुसार 9.9.2004 को एक पूरक करार पर हस्ताक्षर किए गए जिसके अंतर्गत ओओसी के अंशदान को 75.5 करोड़ रुपए तक सीमित किया गया और उनके अधिकारों को तदनुसार संशोधित किया गया।

(ङ) बीना में रिफाईनरी ब्लाक और वाडीनार में कच्चे तेल के टर्मिनल के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। कच्चे तेल की पाइपलाइन के मार्ग के आसपास उपयोगकर्त्ता के अधिकार/मार्ग के अधिकार का अधिग्रहण पूरा किया जा चुका है। परियोजना के लिए मुख्य सांविधिक और पर्यावरणिक अनुमोदन प्राप्त हो गए हैं। अक्तूबर, 2005 की स्थिति के अनुसार परियोजना के लिए कुल संचयी वचनबद्धता 243.28 करोड़ रुपए थी और संचयी व्यय 165.93 करोड़ रुपए था। परियोजना की वास्तविक प्रगति 5.3% है।

हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में गेल के व्यवसाय का विस्तार

1336. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गेल ने अपने भूमंडलीकरण अभियान के अंतर्गत चाइन गैस होल्डिंग्स लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम किया है तथा इसकी योजना चीन के हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में अपने व्यवसायिक हितों का विस्तार करने की है;

(ख) यदि हां, तो इस संयुक्त उद्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार लाभ मिलेगा;

(ग) कंपनी को हासिल होने वाले संभावित उद्देश्यों/लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कंपनी की ऊर्जा संरक्षण क्षेत्र में किसी प्रकार का आयात करने की भी योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी, हां। गेल ने चीन में रीटेल गैस कंपनी चायना गैस होल्डिंग लिमिटेड में भागीदारी हित लिया है। इसके अतिरिक्त गेल का चीन में सीएनजी, एलपीजी, एलएनजी व्यवसाय चलाने के लिए साथ ही साथ भारत, चीन और तीसरे देशों में अन्वेषण और उत्पादन हेतु चायना गैस के साथ एक पृथक संयुक्त उद्यम (जेवी) बनाने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) नवरत्न कंपनी के रूप में गेल के लिए अपने व्यवसाय का वैश्वीकरण करना अनिवार्य है। तदनुसार कंपनी विकास अवसरों की तलाश करने और नए बाजारों में प्रवेश के उद्देश्य से अपने व्यवसाय का वैश्वीकरण कर रही है। वैश्वीकरण के लिए अवसर जुटाने हेतु प्राकृतिक गैस परिवहन परियोजनाओं, गैस संसाधन परियोजनाओं, अन्वेषण और उत्पादन, गैस ई एंड पी के साथ संबद्ध एलएनजी परियोजनाओं, वाहनों के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस और नगर गैस वितरण इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास और रीटेलिंग जैसे प्रमुख महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रयास किए जा रहे हैं। चीन में प्राकृतिक गैस क्षेत्र तीव्र दर से विकसित हो रहा है। प्रवेश कार्यनीति के रूप में गेल ने चायना गैस में निवेश किया है जिससे चीन में गेल के लिए अतिरिक्त परियोजना अवसरों की सुविधा होने की संभावना है, भले ही इस निवेश से भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्षत: लाभ न भी हो, फिर भी ऐसे वाणिज्यिक उद्यमों के कारण गेल के लाभ में किसी भी वृद्धि से सरकार सहित शेयर धारकों को भी लाभ पहुंचेगा।

(घ) और (ङ) इंडियन आयल कार्पोरेशन (आईओसी) और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन (बीपीसीएल) के साथ मिल कर गेल ने 2009 की अंतिम तिमाही से शुरू करते हुए 25 वर्ष की अवधि के लिए ईरान से 5 एमएमटीपीए एलएनजी के आयात के लिए एनआईजीईसी (नेशनल ईरानियन गैस एक्सपोर्ट कंपनी) के साथ एक खरीद करार पर हस्ताक्षर किए हैं। गेल अन्य स्रोतों से भी एलएनजी आयातों की संभावनाओं के लिए भी प्रयास कर रहा है। गेल ईरान और म्यांमार से गैस के स्रोतीकरण के लिए क्रमशः ईरान-पाकिस्तान-भारत और म्यांमार-बांग्लादेश-भारत पाइपलाइन परियोजनाओं में सक्रिय रूप से संलग्न है।

रामगंजमण्ड-भोपाल लाइन

1337. श्री दुष्यंत सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रामगंजमण्ड-भोपाल लाइन को पूरा करने हेतु क्या लक्ष्य तिथि निर्धारित की गई है;

(ख) क्या परियोजना की अनुमानित लागत को संशोधित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो परियोजना की संशोधित लागत कितनी है; और

(घ) उक्त परियोजना को पूरा करने हेतु धनराशि के आबंटन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) परियोजना को पूरा करने के लिए अभी तक लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार, इस कार्य के लिए 2005-06 के दौरान 15 करोड़ रुपए का परिव्यय मुहैया कराया गया है।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में राहत कार्य हेतु भारतीय वायु सेना को लगाया जाना

1338. श्री तूफानी सरोज: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में भूकंप पीड़ितों के लिए राहत कार्य हेतु भारतीय वायु सेना को लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो आज तक बचाव और राहत कार्यों के लिए भारतीय वायु सेना (आई.ए.एफ.) द्वारा कितनी उड़ानें भरी गई तथा कितने विमान और हेलीकाप्टर लगाए गए?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) भारतीय वायु सेना ने, जम्मू और कश्मीर में भूकंप-पीड़ितों के लिए राहत कार्य करने के लिए विमान तैनात किए हैं।

2. भारतीय वायु सेना द्वारा उपलब्ध कराई गई हवाई सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है:

विमान/हेलिकाप्टर का प्रकार	तैनात किए गए विमानों/ हेलिकाप्टरों की संख्या	भरी गई उड़ानों की संख्या
एम आई-17 हेलिकाप्टर	6	556
चेतक हेलिकाप्टर	3	17
चीता हेलिकाप्टर	3	535
ए एन-32 विमान	8	162
आई एल-76 विमान	3	93
डोर्नियर विमान	1	2
बोईंग-737 विमान	1	2
कुल:	25	1367

[अनुवाद]

ओएनजीसी (विदेश) लिमिटेड

1339. श्री बाडिगा रामकृष्णा:
श्री राम कृपाल यादव:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड से ओएनजीसी (विदेश) लिमिटेड (ओवीएल) को वापस लेने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) इसका ओएनजीसी के वित्तीय और कार्यकरण पहलुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) जी नहीं। तथापि, सरकार ओवीएल सहित सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की, उनकी मानवीय, वित्तीय, प्रौद्योगिकीय तथा ज्ञान आधारित क्षमताओं के संबंध में, विदेशों में, उनकी गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न उपायों पर विचार कर रही है इससे उनके लिए, विदेश में उत्पादक परिसंपत्तियों तथा अन्वेषण और उत्पादन (ई एंड पी) परियोजनाओं को प्राप्त करने के प्रस्तावों को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाना संभव होगा।

विमानन क्षेत्र में समझौते

1340 श्री जे.एम. आरुन रशीद: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत और सिंगापुर के बीच विमानन क्षेत्र में किए गए द्विपक्षीय समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हाल ही में सिंगापुर इंटरनेशनल एयरलाइन्स इंजीनियरिंग कंपनी (एस आई ए ई सी) इंडियन एयरलाइंस के साथ रख-रखाव, मरम्मत तथा ओवरहाल (एम आर ओ) सुविधा की स्थापना के संबंध में संयुक्त उद्यम से हाल ही में पीछे हट गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) भारत और सिंगापुर के बीच हवाई सेवा अनुबंध 23 जनवरी, 1968 को हस्ताक्षरित किया गया था। तभी से वचनबद्धता के ज्ञापनों/स्वीकृत कार्यवृतों को हस्ताक्षर करते हुए हवाई सेवा मामलों की समीक्षा समय-समय पर द्विपक्षीय वार्ता द्वारा की जा रही थी, जिसका अंतिम दौर 23-24 अगस्त, 2005 को सम्पन्न हुआ। दोनों राष्ट्रों के बीच इस वर्तमान हवाई सेवा अनुबंध के अनुसार, दोनों ओर की निर्दिष्ट एयरलाइंस लगभग 16,760 सीटों/प्रति सप्ताह तक प्रचालित करने की पात्र हैं। भारत में दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बैंगलोर तथा 18 अन्य पर्यटक स्थल सिंगापुर की निर्दिष्ट एयरलाइनों के लिए उड़ान-स्थलों के रूप में उपलब्ध हैं, तथा भारत की निर्दिष्ट एयरलाइन्सों के लिए सिंगापुर उड़ान स्थल के रूप में उपलब्ध है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

एयर इंडिया के एयरलिंक

1341. श्रीमती मेनका गांधी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन देशों के साथ देश-वार एयर इंडिया के एयरलिंक हैं;

(ख) इन देशों से प्रत्येक वर्ष एयर इंडिया को हो रही आय का देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) एयर इंडिया के वार्षिक व्यय का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) एअर इंडिया के यू एस ए, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, सऊदी अरब, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई, थाइलैण्ड, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, हांगकांग, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, कीनीया तथा तंजानिया केसाथ हवाई सम्पर्क हैं।

(ख) और (ग) एअर इंडिया विश्वभर में अपने प्रचालनों के लिए मार्ग-वार आय तथा व्यय (न कि देश-वार) को संकलित करती है। वर्ष 2004-2005 के दौरान मार्ग-वार राजस्व आय/व्यय निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

मार्ग-वार

मार्ग	राजस्व	व्यय
भारत/यूएसए	2534.49	2255.94
भारत/यूके	257.51	195.91
भारत/फ्रांस	218.90	167.07
भारत/खाडी	2112.79	1569.39
भारत/पूर्वी अफ्रीका	68.04	68.22
भारत/जकार्ता	76.60	69.50
भारत/सिंगापुर	246.44	205.76
भारत/हांग कांग	84.55	66.51
भारत/जापान	427.49	307.52
भारत/चीन	62.49	64.54

नेत्रहीनों के लिए आरक्षण

1342. श्री एम. शिवन्ना: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेत्रहीनों को आरक्षण देने की मांग काफी समय से की जाती रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए कार्यरत संगठनों से दृष्टिहीन व्यक्तियों को एक प्रतिशत आरक्षण देने की मांग करते हुए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 में दृष्टि विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों को अभिज्ञात पदों में रिक्तियों का एक प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है। इसलिए, दृष्टिहीन व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ पहले से ही दिया जा रहा है।

देवलाली छावनी बोर्ड में अतिक्रमण तथा भ्रष्टाचार

1343. श्री देविदास पिंगले: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान आज तक देवलाली छावनी बोर्ड में अतिक्रमण तथा भ्रष्टाचार के संबंध में कितनी घटनाओं की रिपोर्ट मिली हैं;

(ख) सरकार द्वारा अतिक्रमण को हटाने तथा भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देवलाली छावनी बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा स्थानीय सांसदों की सिफारिशों को मनमाने ढंग से नजर अंदाज करके एक पदाधिकारी को नामित किया गया था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई जांच करने का है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, छावनी परिषद, देवलाली की प्रबंधनाधीन भूमि के अतिक्रमण के 29 मामले सूचित किए गए थे। इस अवधि के दौरान, अतिक्रमण से संबंद्ध भ्रष्टाचार का कोई मामला सूचित नहीं किया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, 14 अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं। शेष मामलों में सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

(ग) और (घ) देवलाली छावनी परिषद के अधिकारियों ने देवलाली छावनी की परिवर्तित परिषद में किसी पदाधिकारी को नामित नहीं किया है। छावनी अधिनियम, 1924 के प्रावधानों के अनुसार केन्द्र सरकार ने दक्षिणी कमान के जनरल अफसर कमांडिंग-इन-चीफ के साथ विधिवत परामर्श करने के बाद देवलाली छावनी परिषद के एक सिविलियन सदस्य को नामित किया है।

(ङ) से (छ) प्रश्न नहीं उठते।

खोज तथा उत्पादन पर ओएनजीसी द्वारा निवेश

1344. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओएनजीसी का विचार चालू वर्ष के दौरान देश में तेल की खोज तथा उत्पादन में भारी धनराशि निवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ओएनजीसी का विचार देश में नए हाइड्रोकार्बन बेसिन खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) का वर्ष 2005-06 के लिए कुल योजना परिव्यय, जिसमें अन्वेषण एवं उत्पादन पर व्यय शामिल हैं, निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	संशोधित अनुमान 2005-06
1	2
सर्वेक्षण	1,732.29
अन्वेषण वेधन	2,790.91

1	2
विकसित वेधन	1,690.10
पूंजीगत पयिोजना व क्रय	4,968.27
घरेलू संयुक्त उद्यम	833.12
अनुसंधान और विकास	210.93
एकीकरण	510.00
योजना-ओएनजीसी	12,735.62

(ग) और (घ) ओएनजीसी बेसिनों में नामत: महानदी, बंगाल, कच्छ, सौराष्ट्र, केरल-कोंकण-लक्षद्वीप तथा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल राज्यों में अंडमान और निकोबार तथा भारत के पश्चिमी व पूर्वी तट व जमीनी बेसिनों नामत: सतपुड़ा-दक्षिणी रेवा-दामोदर, बिन्ध्यान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश राज्य में गंगा घाटी और हिमालयी निचली पहाड़ियों में भूकंपनीय सर्वेक्षण व अन्वेषण वेधन के रूप में अन्वेषण करवा रहा है।

विमानन सुरक्षा पर यूरोपीय संघ के साथ संयुक्त सहयोग

1345. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विमानन सुरक्षा, विनिर्माण तथा रख-रखाव पर यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ संयुक्त सहयोग करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विमानन सुरक्षा प्रबंधन में प्रमुख विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर का शैक्षिक पाठ्यक्रम शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) यद्यपि तत्काल मास्टर कोर्स चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, यूरोपीय संघ (ईयू) भारत नागर विमानन सहकारी परियोजना के अंतर्गत यूरोपीय संघ (यू ई) द्वारा महानिदेशालय नागर विमानन को अपने अधिकारियों को आरंभिक और पुनश्चर्या प्रशिक्षण संस्थागत स्तर पर उपलब्ध कराने हेतु, जो कि बाद में विमानन उद्योग के कार्मिकों को प्रशिक्षित करने में प्रयोग किया जाएगा, सहायता देना स्वीकृत किया गया है।

कोल बेड मीथेन की खोज

1346. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 जुलाई, 2005 के बिजनेस लाइन में "ओएनजीसी कीन आन कोल बेड मीथेन प्रोजेक्ट्स" नामक शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में ओएनजीसी के पास विभिन्न राज्यों में कितने सीबीएम ब्लाक मौजूद है;

(ग) क्या ओएनजीसी ने सीबीएम की खोज के लिए ड्रिलिंग कंपनियों को ठेका दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सीबीएम का उत्पादन कब तक शुरू किए जाने की संभावना है और इन ब्लाकों से प्रतिदिन कितनी सीबीएम के उत्पादन का अनुमान है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी हां।

(ख) सीबीएम ब्लाकों की संख्या, जो वर्तमान में अन्यों के साथ-साथ ओएनजीसी के स्वयं के या उसके परिसंघों के पास हैं, निम्नानुसार है:

राज्य का नाम	ब्लाकों की संख्या
पश्चिम बंगाल	1
झारखंड	5
मध्य प्रदेश	1
महाराष्ट्र	1
गुजरात	1
योग	9

(ग) और (घ) दिनांक 9 जुलाई 2005 की खबर के संदर्भ में ओएनजीसी ने समेकित सेवाओं, जिसमें ड्रिलिंग, परीक्षण तथा गैस हैंडलिंग सुविधाएं शामिल है, के लिए निविदाएं पहले ही जारी की है। निविदाओं को अंतिम रूप देने के बाद वर्ष 2006 के आरंभ में सफल कंपनियों/परिसंघों को कार्य प्रदान किया जाएगा। इस ठेके के माध्यम से 3 अन्वेषण ब्लाकों में कुल 19 ऊर्ध्वाकार तथा 17 अत्याधुनिक अनुप्रस्थीय कूपों को ड्रिल की योजना है।

(ङ) वाणिज्यिक व्यवहार्यताओं तथा उत्पादन का आकलन प्रत्येक सीबीएम ब्लाक में अन्वेषण तथा प्रायोगिक चरण पूरा होने के बाद ही किया जा सकेगा। झरिया ब्लाक में प्रथम वाणिज्यिक उत्पादन का लक्ष्य 2007 में है। प्रारंभिक उत्पादन 3 लाख क्यूबिक मीटर/दिन होने का अनुमान है जिसे चरणबद्ध रूप से बढ़ाया जाएगा।

बराक मिसाइलों की खरीद

1347. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इजराइल से बराक मिसाइलें खरीदी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या बराक मिसाइलों को खरीदने की प्रक्रिया में अनेक अनियमितताएं हुई थीं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार कथित अनियमितताओं की सी बी आई जांच करवाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो दोषियों को पकड़ने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ङ) भारत ने बराक-1 एंटी मिसाइल डिफेंस (ए एम डी) सिस्टम के लिए मिसाइलों का अर्जन किया है। इन मिसाइलों के अर्जन में किसी अनियमितता का आरोप नहीं है। तथापि, बराक-1 ए एम डी सिस्टम की अधिप्राप्ति के बारे में कुछ आरोप लगाए गए थे। चूंकि बराक-1 ए एम डी सिस्टम की अधिप्राप्ति संबंधी मामला तहलका टेपों में आया था। अत: इस मामले को जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को भेज दिया गया है।

नाग मिसाइल को शामिल करना

1348. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री के.सी. सिंह 'बाबा':

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाग एंटीटैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम अभी भी सशस्त्र बलों में शामिल किए जाने के लिए तैयार नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मिसाइल प्रणाली को भारतीय सशस्त्र बलों में कब तक शामिल किए जाने की आशा है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) 'नाग' प्रक्षेपास्त्र वाहक (नामिका) से आयोजित उड़ान परीक्षणों के जरिए, टैंकरोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र 'नाग' की क्षमताओं का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया है।

(ग) मार्च, 2006 तक 'नाग' को प्रयोक्ता परीक्षणों के पहले चरण के लिए प्रस्तुत किए जाने की योजना है। प्रयोक्ता परीक्षण पूरे होने के पश्चात यह भारतीय सेना में शामिल किए जाने हेतु तैयार होगा।

सिनर्जी आन एनर्जी

1349. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "सिनर्जी आन एनर्जी" संबंधी कृष्णामूर्ति समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी हां।

(ख) समिति ने नीतिगत तथा संरचनात्मक परिवर्तनों की सिफारिश की है और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के कार्य निष्पादन में सुधार के लिए कुछ प्रबंधन समाधानों का सुझाव भी दिया है। कुछ प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं:

1. तेल क्षेत्र सार्वजनिक उपक्रमों का विलय वर्तमान में उचित नहीं है।
2. नीतिगत मामलों के बारे में एकीकृत ऊर्जा नीति, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली ऊर्जा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति की स्थापना और ऊर्जा मंत्रालय स्थापित करने की आवश्यकता है। समिति ने निगरानी के वर्तमान ढांचे में सुधार और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के पूर्व प्रमुखों, सरकार और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ जांच पूर्व बोर्ड की स्थापना के द्वारा सतर्कता आयोग जैसी विभिन्न निगरानी एजेंसियों द्वारा पर्यवेक्षण करने की भी सिफारिश की है।

3. हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय को विशेषज्ञों के एक पृथक संवर्ग और निधियों के उपयोग सहित स्वायत्त निकाय के रूप में शक्ति प्रदत्त करना।

4. विदेशी उद्यमों के लिए, आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा एक नए समानांतर निकाय की स्थापना करना। विदेशी बोली में की गहन प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) के लिए 2 मिलियन टन के बराबर तेल से अधिक की उत्पादन क्षमता से संबंधित सीमा निर्धारित करना, जिससे अन्य नए निकाय को बोली लगाने की अनुमति होगी।

5. समिति की एक अन्य सिफारिश सिंगापुर के तेमासेक और मलेशिया के खजाना आधार पर थोड़े से संशोधन के साथ राष्ट्रीय शेयरधारिता न्यास की स्थापना करना है। न्यास में सम्मिलित होने वाले तेल क्षेत्र सार्वजनिक उपक्रमों को अपना सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम चरित्र बनाए रखेंगे और न्यास, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम के अंतर्गत या एक सांविधिक निकाय के रूप में गठित गैर लाभ न्यास के रूप में कार्य करेगा। न्यास के बोर्ड में सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में विख्यात व्यक्ति सम्मिलित होंगे। समिति को यह आशा है कि न्यास को अधिक स्वायत्तता देने के प्रचालनों में सिनर्जी सुनिश्चित होगी।

(ग) ये सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

वस्तुओं की ढुलाई

1350. श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले छः महीनों के दौरान रेलवे द्वारा वस्तुओं विशेष रूप से खाद्यान्नों की ढुलाई में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां। चालू वित्त वर्ष के पहले सात महीनों के दौरान भारतीय रेल के माल यातायात में 9.40% (टनों में) की वृद्धि हुई है, जबकि उपर्युक्त अवधि के दौरान अनाज में 12.70% की गिरावट आयी है।

(ख) प्रमुखतः भारतीय खाद्य निगम द्वारा रेकों की मांग में कमी के कारण रेलों के अनाज के परिवहन में गिरावट आई है।

(ग) रेल मंत्रालय ने अनाज के लदानों में कमी के मुद्दे को भारतीय खाद्य निगम/कृषि एवं उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण मंत्रालय से यह मामला उठाया है। समन्वित प्रयासों एवं धान के नए स्टाक के आगमन के बाद, लदान में पहले से काफी ज्यादा सुधार हुआ है।

टी-72 टैंकों का निर्माण

1351. श्री गणेश सिंह: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टी-72 मेन बेटल टैंक (एम बी टी) के निर्माण तथा ओवरहाल में भारी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या टी-72 टैंकों के निर्माण की कम दर तथा उनकी ओवरहालिंग में विलंब से भारतीय सेना की युद्ध संबंधी तैयारी पर गंभीर रूप से प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो टी-72 टैंकों के निर्माण तथा ओवरहालिंग में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) जी, नहीं। सेना के साथ परामर्श करके निर्धारित किए गए लक्ष्यों के अनुरूप ही टी-72 टैंकों का उत्पादन और ओवरहालिंग भारी वाहन निर्माणी, आवड़ी, चेन्नई में की जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, रक्षा मंत्रालय ने भारी वाहन निर्माणी, आवड़ी में टी-72 टैंकों के लिए ओवरहालिंग की क्षमता प्रतिवर्ष 70 टैंकों से बढ़ाकर 120 टैंक किए जाने और 505 आर्मी बेस वर्कशाप में प्रतिवर्ष 50 टैंकों के लिए ओवरहालिंग सुविधाएं स्थापित किए जाने हेतु मंजूरी दे दी है।

भाड़े से अर्जित धनराशि में कमी

1352. कुंवर मानवेन्द्र सिंह:
श्री जी. करूणाकर रेड्डी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष के पूर्वार्द्ध में भाड़े से अर्जित धनराशि में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भाड़े से हो रही कमाई को बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेल साइड वेयर हाउसिंग स्कीम एवं मालडिब्बा निवेश योजना रेलवे में मालभाड़ा आमदनी को बढ़ाने के लिए शुरू की गई हैं।

एन.सी.सी. प्रशिक्षण

1353. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सभी छात्रों को एन.सी.सी. प्रशिक्षण प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अत्यधिक वित्तीय और अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तथा लोकतांत्रिक स्वरूप के अनुरूप राष्ट्रीय कैडिट कोर के प्रशिक्षण को स्वैच्छिक आधार पर रखा गया है।

[हिन्दी]

टाटा-बारबिल क्षेत्र में रेल सुविधाएं

1354. श्री बागुन सुम्बरूई: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार को चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन के अंतर्गत टाटा-बारबिल-बंसपानी रेलवे डिवीजन से माल ढुलाई से कितनी वार्षिक आय होती है;

(ख) क्या माल ढुलाई से अधिकतम राजस्व कमाने वाले रेलवे जोनों में यात्री रेल सुविधाएं प्रदान करने संबंधी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो क्या टाटा-बारबिल क्षेत्र में रेल यात्री सुविधाएं प्रदान करने हेतु बारबिल-हावड़ा एक्सप्रेस रेलगाड़ी तथा टाटानगर-बारबिल (एम.ई.एम.यू) रेलगाड़ी आरंभ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो उक्त रेलगाड़ियों को आरंभ करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) खण्डवार आमदनी का विवरण दर्शाया नहीं गया है।

(ख) यात्री यातायात की आवश्यकताओं के आधार पर यात्री गाड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इनका माल परिवहन से राजस्व की प्राप्ति से कोई संबंध नहीं है। वर्ष 2005-2006 के दौरान दक्षिण पूर्व रेलवे के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त यात्री सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

उपलब्ध कराई गई गाड़ियां

1. 05.07.2005 से 1 आर एल/2 आर एल रांची-लोहरदगा पैसेंजर
2. 08.08.2005 से 3 आर एल/4 आर एल रांची-लोहरदगा पैसेंजर
3. रूपसा और बारीपाडा (प्रस्तावित) के बीच दो जोड़ी पैसेंजर गाड़ी
4. 18.09.2005 से बांकुरा-सौनामुखी खण्ड पर यात्री गाड़ी सेवा जिसे 2005-2006 के दौरान रेनागर तकचलाने का प्रस्ताव है।

विस्तार:

1. 01.07.2005 से 3287/3288 दानापुर-टाटा के भाग को दुर्ग तक चलाना।
2. 09.07.2005 से 8477/8478 पुरी-निजामुद्दीन कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस को हरिद्वार तक चलाना।
3. 02.07.2005 से 2983/2984 पुरी-बिलासपुर एक्सप्रेस को भुवनेश्वर तक चलाना और 03.08.2005 से आगे पुरी तक चलाना।

फेरों में वृद्धि:

1. 01.07.2005 से 8003/8004 हावड़ा यशवंतपुर एक्सप्रेस के फेरे सप्ताह में दो दिन से बढ़ाकर प्रतिदिन करना और तिरूपति के रास्ते इसका मार्ग परिवर्तन करना

2. 01.07.2005 से 3403/3404 रांची-भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस के फेरे सप्ताह में 4 दिन से बढ़ाकर सप्ताह में 5 दिन करना।

भारतीय रेलों पर परिचालनिक व्यवहारिकता, यातायात के औचित्य और डिब्बों की उपलब्धता के आधार पर गाड़ियों का चलाना एक सतत् प्रक्रिया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) परिचालनिक और संसाधनों की तंगी के कारण।

[अनुवाद]

एफ एम रेडियो

1355. श्री पी.सी. थामस: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी क्षेत्र में एफ एम रेडियो सेवाओं को अनुमति देने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (ग) इस समय, देश में इक्कीस निजी एफ.एम. रेडियो स्टेशन कार्यशील हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने देश भर के 91 शहरों के 338 एफ.एम. चैनलों पर रेडियो सेवा संस्थापित करने के लिए भारतीय कंपनियों से अर्हता-पूर्व निविदाएं आमंत्रित करते हुए 21 सितंबर, 2005 को नोटिस जारी कर दिया है।

[हिन्दी]

शक्तिपुंज एक्सप्रेस को आगे तक चलाया जाना

1356. श्री कृष्णा मुरारी मोघे: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से 1447/1448 शक्तिपुंज एक्सप्रेस को आगे भोपाल तक चलाए जाने संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) 1447/1448 जबलपुर-हावड़ा शक्तिपुंज एक्सप्रेस के भोपाल तक विस्तार करने की जांच की गई है परंतु परिचालनिक दृष्टि से इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

[अनुवाद]

नई गैस एजेंसियों का खोला जाना

1357. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण स्तर पर 5 (पांच) किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति के लिए नई गैस एजेंसियां खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा 5 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडरों के विपणन के लिए पृथक विशेष रूप से नई गैस एजेंसियां खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा 14.2 किलोग्राम घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति के लिए नियुक्त वितरक, जिनमें वे भी शामिल हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, 5 किलोग्राम के सिलेंडर भी बेच रहे हैं। नीतिगत रूप में, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को अपनी भविष्य की विस्तार योजनाओं को अर्ध-शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संकेंद्रित करने का सुझाव दिया है।

पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा

1358. प्रो. एम. रामदास: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पैनल की नियुक्ति करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय के अनुसरण में योजना आयोग द्वारा मार्च, 2003 में पंचायती राज मंत्री की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं के प्रशासनिक सशक्तिकरण और एक सशक्त उप-वित्तीय समिति गठित की गई। इस समिति के सदस्यों में उपाध्यक्ष, योजना आयोग, वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, आदिवासी मामलों के मंत्री और असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। उप-समिति के संदर्भ की शर्तों के साथ-साथ केन्द्र और राज्य सरकारों के संसाधनों द्वारा पंचायती राज की वित्तीय शक्ति को बढ़ाने की रीतियों को अपनाने के मामले शामिल हैं। राजस्व बढ़ाने के लिए पंचायती राज सस्थाओं की शक्ति का आकलन करने तथा योजना कार्यान्वयन के विकास के लिए अन्य संसाधनों को बढ़ाकर विभिन्न स्तरों तक पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता का विश्लेषण कर विभिन्न योजनाओं में धन का बंटवारा कर पंचायती राज संस्थाओं के हर स्तर को अनुशासित और वित्तीय उत्तरदायी बना दिया जाना उद्देश्य है।

अब तक अधिकृत उप-समिति ने दो बैठकें की हैं। अन्तिम बैठक दिनांक 7 अगस्त, 2003 को हुई थी। दिनांक 14 सितम्बर 2005 को अधिकृत उप-समिति का पुनर्गठन हुआ है जिसमें केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री अध्यक्ष हैं और केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री को उप-समिति का सदस्य बनाया गया है। उप-समिति की आगामी बैठक दिनांक 21 दिसम्बर 2005 को होनी है।

[हिन्दी]

जोधपुर रेलवे स्टेशन के बाहर भूमि खाली कराना

1359. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में जोधपुर रेलवे स्टेशन के बाहर आवंटित भूमि को कब तक खाली करा लिया जाएगा;

(ख) क्या सरकार का विचार इस लंबित मामले को जल्द से जल्द निपटाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) पार्टी ने एस.टी.डी./पी.सी.ओ. बूथ का आवंटन रद्द होने के खिलाफ, जोधपुर-न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया है जिसका अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। रेल प्रशासन ने उच्च न्यायालय से मामले में शीघ्र निर्णय लेने के लिए अनुरोध किया है और माननीय उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को निदेश दिए हैं कि वे मामले का शीघ्र निपटान करें।

भूमि का अर्जन

1360. **श्री सुरेश चन्देल**: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छावनी तथा रक्षा संबंधी अन्य क्रियाकलापों के प्रयोजनार्थ भूमि का अर्जन भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या अर्जन कार्य के पूरा होने के बाद यह पाया जाता है कि काफी बड़े क्षेत्र का उपयोग नहीं होता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि अप्रयुक्त भूमि पर अधिकारियों के बड़े बंगलों का निर्माण किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो भूमि के अर्जन का क्या औचित्य है;

(च) क्या सरकार ने भूमि के अर्जन हेतु दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए किसी बोर्ड अथवा समिति का गठन किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) रक्षा संबंधी क्रियाकलापों हेतु भूमि का अधिग्रहण मौजूदा और भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

(ख) और (ग) आवश्यकता और प्राधिकार से अधिक भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाता है। तथापि, चूंकि विभिन्न नियोजित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बहुत अधिक धन उपलब्ध नहीं है, इसलिए कुछ क्षेत्र, जिन्हें अन्यथा विभिन्न यूनिटों/स्थापनाओं के लिए जोनों में वर्गित किया गया है, खाली पड़े रहते हैं और संभवत: यह आभास देते हैं कि उक्त भूमि का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है।

(घ) जी, नहीं। रक्षा भूमि पर सभी विनिर्माण "आवास मान नियम, 1983" के अनुसार किए जाते हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) रक्षा प्रयोजनों हेतु भूमि का अधिग्रहण किए जाने के लिए दिशा-निर्देश/मानदंड पहले से मौजूद हैं। भूमि की आवश्यकता अधिकारियों के एक बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाती है तथा अधिग्रहण निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाता है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में दूरदर्शन के स्टूडियो

1361. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में इस समय दूरदर्शन के कितने स्टूडियों कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या मदुरई में दूरदर्शन के स्टूडियो ने कार्य करना आरंभ कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को मदुरई स्टूडियो में पूर्ण प्रोडक्शन एवं ट्रांसमिशन यूनिट की काफी समय से लंबित मांग की जानकारी है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(च) क्या तमिलनाडु में दूरदर्शन और एफ.एम. के और स्टूडियो खोलने का भी विचार है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) इस समय तमिलनाडु में दूरदर्शन के तीन स्टूडियो कार्यशील हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। मदुरई स्थित दूरदर्शन स्टूडियो का उद्घाटन 15 अगस्त, 2005 को किया गया था।

(घ) और (ङ) मदुरई में एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर की स्थापना करने के लिए कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं। कोडईकनाल में कार्यशील उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (डी डी-1 एवं डी डी न्यूज) मदुरई के अधिकतर भागों और अन्य नजदीकी जिलों को कवरेज प्रदान करते हैं। इसके अलावा, डी डी न्यूज चैनल के रिले के लिए एक अल्पशक्ति ट्रांसमीटर भी मदुरई में कार्यशील है। तमिलनाडु में अतिरिक्त दूरदर्शन स्टूडियो की स्थापना करने की कोई स्कीम नहीं है।

(च) से (ज) दूरदर्शन के पास तमिलनाडु में अतिरिक्त स्टूडियो की स्थापना करने की कोई स्कीम नही है जबकि आकाशवाणी ने म्निलिखित स्थानों नामत: धर्मपुरी (स्टूडियो के साथ), तिरूनेलवेली, (स्टीरियो सुविधाओं के साथ), मदुरई (स्टीरियो सुविधाओं के साथ) में स्टूडियो के साथ 10 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा है। (अंतरिम संरचना व रूप में 1 कि.वा. एफ.एम. परिचालित कर दिया गया), जिसका कार्यान्वयन निधियों की उपलब्धता और स्टाफ-संस्वीकृति पर निर्भर करेगा।

कर्मचारियों की कमी

1362. श्री परसुराम माझी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कारवाड़ स्थित परियोजना सी-बर्ड में कर्मचारियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) कारवाड़ में नौसेना बेस परियोजना के लिए 2901 पदों के सृजन के लिए सरकारी संस्वीकृति जारी कर दी गई है।

[हिन्दी]

दिल्ली में एच.पी.सी.एल. के कम गेज वाले टैंक

1363. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** दिल्ली में एच.पी.सी.एल. के कम गेज वाले टैंक के बारे में दिनांक 9 दिसम्बर, 2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1592 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जवाबदेही निर्धारित करने के लिए विभागीय जांच पूरी की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) अधिकारियों की ओर से की गई किसी चूक/लापरवाही का निर्धारण करने सहित सभी सम्बन्धित पहलुओं के मूल्यांकन के मामले में जांच करने हेतु एच.पी.सी.एल. के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल करते हुए मार्च, 2005 में एक समिति गठित की गई थी। जांच समिति ने अपनी जांच पूरी कर ली है और अपनी रिपोर्ट प्रबंधन के समक्ष अगस्त, 2005 में प्रस्तुत कर दी है, जो अभी विचाराधीन है। परिणाम और की-गई-कार्रवाई पर एच.पी.सी.एल. द्वारा शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा।

[अनुवाद]

मनोरंजन क्षेत्र

1364. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मनोरंजन क्षेत्र के लिए कुछ प्रमुख परिवर्तनों की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ किसी समिति का गठन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ङ) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(च) समिति की इन सिफारिशों को किस सीमा तक लागू किया गया/किया जा रहा है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) जी हां, प्रसारण क्षेत्र में एफ एम रेडियो में निजी पणधारियों के प्रवेश हेतु चरण-2 की नीति की हाल में ही घोषणा की गई है। सरकार ने विदेश से अपलिंक किए जा रहे उपग्रह टेलीविजन चैनलों के विनियमन को सुविधाजनक बनाने के लिए डाऊनलिंकिंग दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। इन डाउनलिंकिंग दिशा-निर्देशों में सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु भारत में डाऊनलिंक किए जा रहे सभी निजी चैनलों के पंजीयन का प्रावधान है। अपलिंकिंग की मौजूदा नीति में भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं। इन्हें अधिसूचित किया जा रहा है।

(ख) निजी एफ एम चरण-2 नीति और डाऊनलिंकिंग दिशा-निर्देशों का ब्यौरा मंत्रालय की बेवसाइट अर्थात (mib.nic.in) पर उपलब्ध है।

(ग) और (घ) सरकार केबल टी वी नेटवर्क विनियमन अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत निर्धारित कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता तथा चलचित्र फिल्मों के प्रमाणन संबंधी दिशा-निर्देशों में संशोधन करने पर भी विचार कर रही है, ताकि आत्मपरक विवेक की गुंजाइश कम करने के उद्देश्य से उनको विस्तृत एवं विशिष्ट बनाया जा सके और उनको समकालीन सामुदायिक मानकों की तर्ज पर बनाया जा सके। सिफारिश करने के लिए विभिन्न स्टेक होल्डरों की एक समिति का गठन किया गया है। समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तीन माह का समय दिया गया है। समिति की पहली बैठक दिनांक 10.11.2005 को आयोजित की गई थी।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

डायमंड हार्बर-बरुनपुर रेल लाइन का दोहरीकरण

1365. श्री समिक लाहिरी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार डायमंड हार्बर-बरुनपुर के वर्तमान रेल मार्ग के दोहरीकरण पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना से संबंधित कार्य कब तक आरंभ हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) डायमंड हार्बर-बरुनपुर खंड पर, बरुनपुर-मागराहट का दोहरीकरण शुरू कर दिया गया है। विस्तृत अनुमान स्वीकृत हो चुके हैं और निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं।

[हिन्दी]

बंगलौर से अमृतसर के बीच उड़ान

1366. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलौर से अमृतसर के लिए कोई सीधी उड़ान सेवा है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार अमृतसर से बंगलौर के बीच कोई सीधी सेवा आरंभ करने का है;

(ग) यदि हां, तो इसके कब तक आरम्भ होने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) इस समय, इंडियन एयरलाइंस की अमृतसर तथा बंगलौर के बीच सीधी विमान सेवाएं नहीं हैं।

इस समय, इंडियन एयरलाइंस के बेड़े में उपलब्ध विमान क्षमता मौजूदा शड्यूल में सेवाओं के प्रचालन में पूरी तरह लगी हुई है। इसलिए, इंडियन एयरलाइंस की बंगलौर तथा अमृतसर के बीच अपनी सीधी सेवाएं प्रचालित करने की कोई योजना नहीं है।

[अनुवाद]

डी.डी. न्यूज चैनल

1367. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी.डी. न्यूज चैनल वित्तीय संकट का सामना कर रहा है अथवा उसे बड़े पैमाने पर घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार डी.डी. न्यूज चैनल को बंद करने का है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) चूंकि दूरदर्शन एक लोक सेवा प्रसारक है, इसलिए उसे केवल वाणिज्यिक पहलुओं द्वारा प्रेरित या समायोजित नहीं किया जा सकता है।

(ग) से (ङ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

ए.आई.आर. स्टेशनों का उन्नयन

1368. श्री सनत कुमार मंडल: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान आकाशवाणी के कई स्टेशनों के उन्नयन का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उन्नयन किए जा रहे आकाशवाणी के इस प्रकार के स्टेशनों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ग) विशेषकर देश के सीमावर्ती राज्यों में प्रसारण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) जी, हां। 59 स्थलों पर या तो ट्रांसमीटरों को उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है या मौजूदा स्टेशनों में अतिरिक्त चैनल का प्रस्ताव किया गया है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जम्मू एवं कश्मीर विशेष योजना के भाग के रूप में, आकाशवाणी ने श्रीनगर और कठुआ स्थित ट्रांसमीटरों का उन्नयन किया है और राजौरी, नौशेरा, खालसी, कुपवाड़ा में नए ट्रांसमीटरों की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त, डिसकिट, निओमा, द्रास, तिसुरू और पदुम में 1 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर तथा कारगिल में 200 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर तकनीकी रूप से तैयार हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में रेडियो कवरेज को सुदृढ़ बनाने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पंजाब (2), गुजरात (1), राजस्थान (2) और पश्चिम बंगाल (3) राज्यों में आठ नए ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव है।

इसके अतिरिक्त, आकाशवाणी ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष योजना का भी प्रस्ताव रखा है। तथापि, सभी उपर्युक्त स्कीमों का कार्यान्वयन निधियों की उपलब्धता और अपेक्षित स्टाफ की संस्वीकृति पर निर्भर करेगा।

विवरण

10वीं योजना के दौरान उन्नयन हेतु प्रस्तावित आकाशवाणी स्टेशनों की संख्या दर्शाने वाली राज्य-वार सूची

क्र.सं.	राज्य	उन्नयन हेतु प्रस्तावित स्टेशनों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	2
4.	बिहार	2
5.	चंडीगढ़	1

1	2	3
6.	दिल्ली	1
7.	गुजरात	3
8.	हरियाणा	2
9.	हिमाचल प्रदेश	1
10.	जम्मू-कश्मीर	1
11.	झारखंड	1
12.	कर्नाटक	1
13.	केरल	2
14.	मध्य प्रदेश	1
15.	महाराष्ट्र	5
16.	मणिपुर	1
17.	मेघालय	1
18.	मिजोरम	1
19.	नागालैंड	3
20.	उड़ीसा	3
21.	पंजाब	1
22.	राजस्थान	8
23.	सिक्किम	1
24.	तमिलनाडु	3
25.	त्रिपुरा	1
26.	उत्तर प्रदेश	4
27.	पश्चिम बंगाल	1
सं.रा. क्षेत्र		
	पांडिचेरी	1
	लक्षद्वीप समूह	1
	अंडमान और निकोबार	1
	चंडीगढ़	1
	कुल	59

लीबिया में तेल के ब्लाकों का आबंटन

1369. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (विदेश) लिमिटेड तथा आयल इंडिया लिमिटेड को लीबिया में तेल के ब्लाक आबंटित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लीबिया में ऐसे प्रत्येक ब्लाक के लिए निबंधन एवं शर्तें क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) द्वितीय लीबियाई बोली दौरे, 2005 में अन्वेषण और उत्पादन हिस्सेदारी करार (ई पी एस ए)-4 के तहत 1809 व कि.मी. के आकार के घण्डामेस बेसिन में अन्वेषण ब्लाक 81-1 ओ एन जी सी विदेश लिमिटेड को अवार्ड किया गया है।

पहले ओ वी एल ने 2003 में लीबिया में तो तटीय अन्वेषण ब्लाकों घण्डामेस बेसिन में एन सी-188 और सीटरे बेसिन में एन सी-189 में 49% पण अर्जन किया। तुर्कीश नेशनल आयल कं. की सहायक कंपनी तुर्कीश पेट्रोलियम ओवरसीज कं. (टी पी ओ सी) के पास बकाया 51% पी आई है और यह इस क्षेत्र की प्रचालक है।

इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी) और आयल इंडिया लिमिटेड (ओ आई एल) के परिसंघ को प्रथम बोली दौर 2004 में वेस्टर्न सीटरे बेसिन में ब्लाक 86 (7087 व.कि.मी.) और दूसरे बोली दौर 2005 में ब्लाक 102 (4) (2710 व.कि.मी.) जो कि ब्लाक 86 के निकटस्थ है, अवार्ड किए गए हैं।

(ग) ब्लाक 81-1 के लिए ई.पी.एस.ए. के अनुसार, जिस पर दिसम्बर, 2005 में लीबिया की नेशनल आयल कंपनी (एन.ओ.सी.) के साथ ओ.वी.एल. द्वारा हस्ताक्षर करना प्रस्तावित है ओ.वी.एल. को 500 कि.मी. 2डी और 500 व.कि.मी. 3डी भूकंपीय आंकड़ों के अर्जन का कार्य पूरा करना है और इस ब्लाक में पांच-वर्षीय अन्वेषण चरण में एक अन्वेषण कूप के वेधन का कार्य पूरा करने की अपेक्षा है। ओ.वी.एल. को 6 मिलियन अमरीकी डालर के न्यूनतम अधिदेशी हस्ताक्षर बोनस का भुगतान भी करना है। ओ.वी.एल. की लागत वसूली के लिए उत्पादन आबंटन 11.8% होगा।

ब्लाक एन.सी.-118 और एन.सी.-189 में न्यूनतम कार्य बाध्यताओं के अनुसार 2डी और 3डी भूकंपीय आंकड़ों के अर्जन, संसाधन और निर्वचन के बाद वेधन किए गए दो कूपों से कोई हाईड्रोकार्बन खोज नहीं हो पायी है।

टी.पी.ओ.सी.-ओ.वी.एल. संयुक्त उद्यम ने शेष तीन कूपों का वेधन करने के लिए लीबियाई सरकार से तीन वर्ष की समयवृद्धि मांगी है।

जहां तक आई.ओ.सी.-ओ.आई.एल. परिसंघ को अवार्ड किए गए ब्लाक-86 का संबंध है 5-वर्षीय अन्वेषण चरण में 1000 लाइन किलोमीटर (एल.के.एम.) 2डी भूकंपनीय सर्वेक्षण और 2 कूपों की न्यूनतम कार्य बाध्यता है और 17 मिलियन अमरीकी डालर की न्यूनतम वित्तीय प्रतिबद्धता है।

ब्लाक 102(4) के लिए 3.0 मिलियन अमरीकी डालर का हस्ताक्षर बोनस है और 5-वर्षीय अन्वेषण चरण में 1000 एल.के.एम.-2डी भूकंपीय सर्वेक्षण, 500 व.कि.मी. 3डी भूकंपीय सर्वेक्षण और एक कूप के वेधन की कार्य प्रतिबद्धता है। न्यूनतम वित्तीय प्रतिबद्धता 17 मिलियन अमेरीकी डालर है।

दाहेज-उरान पाइपलाइन परियोजना

1370. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दाहेज-उरान पाइपलाइन परियोजना के क्रियान्वयन में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) महाराष्ट्र को औद्योगिक, विद्युत तथा अन्य परियोजनाओं के लिए कितनी मात्रा में गैस की आपूर्ति किए जाने का प्रस्ताव है तथा ऐसी कितनी परियोजनाएं हैं और उनकी प्रकृति किस प्रकार की है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने अपना दावा किया है अथवा अतिरिक्त गैस आपूर्ति का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) गेल (इंडिया) लिमिटेड ने दाहेज-उरान पाइपलाइन (डी.यू.पी.एल.) परियोजना के क्रियान्वयन के लिए भूमि के लिए प्रयोक्ता का अधिकार (आर.ओ.यू.) अर्जित कर लिया है, सभी रोड/रेल क्रासिंग्स के लिए अनुमति और संबंधित प्राधिकारियों से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर ली है। इस परियोजना के फरवरी, 2007 तक पूरा कर लिए जाने की आशा है।

(ख) गेल (इंडिया) लिमिटेड ने डी.यू.पी.एल. पाइपलाइनों के जरिए महाराष्ट्र में विभिन्न क्षेत्रों नामत: उर्वरक, इस्पात, सेरामिक्स पेट्रोकेमिकल्स, वस्त्र आदि में संभाव्य औद्योगिक उपभोक्ताओं को 7.23 मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन (एम.एम.एस.सी.एम.डी.) गैस की आपूर्ति करने के लिए शर्त पत्र/करार शीर्षों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अतिरिक्त विद्युत क्षेत्र को आपूर्तियों के लिए आरम्भ में 2 एम.एम.एस.सी.एम.डी. और बढ़ाकर 5 एम.एम.एस.सी. एम.डी. गैस के परिवहन के लिए करार शीर्षों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र सरकार ने दाहेज-उरान गैस पाइपलाइन परियोजना को फास्ट ट्रैक आधार पर क्रियान्वित करने तथा मुंबई और पुणे में उपभोक्ताओं को प्राकृतिक गैस की अतिरिक्त आपूर्तियों के लिए अनुरोध किया है। उनको परियोजना के विभिन्न प्राचलों से संबंधित प्रगति से अवगत करा दिया गया है।

एक रैंक एक पेंशन

1371. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: क्या **रक्षा मंत्री** एक रैंक एक पेंशन के बारे में 4.8.2005 के तारांकित प्रश्न संख्या 162 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) (1) एक रैंक एक-पेंशन, (2) अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों की पेंशन, विशेषकर 1996 से पूर्व, तथा (3) अधिकारियों उदाहरणार्थ मेजर जनरल की पेंशन में असमानता के मामलों को अंतिम रूप दिए जाने में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इन मामलों को कब तक अंतिम रूप दे दिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) मंत्री समूह ने, विचार-विमर्श करने के बाद अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दे दिया है जो इस समय मैंत्रिमंडल के विचाराधीन है। मेजर जनरल की तुलना में ब्रिगेडियर के पेंशन संबंधी मामले पर वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

(ख) कोई समय-सीमा दर्शा पाना संभव नहीं है।

फोटोकोपियर पेपर की खरीद

1372. श्री वीरचन्द्र पासवान: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जे.एस. एंड सी.ए.ओ. ने 2005 के दौरान फोटोकोपियर पेपरों की खरीद के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पेपरों के नमूने मांगे गए थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या जे.एस. एंड सी.ए.ओ. ने गुणवत्ता और दरों के मामले में समझौता किया है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(छ) बोलीदाताओं को किस दर पर ई.एम.डी. तथा जमानत राशि जमा करने को कहा गया था; और

(ज) बोलीदाताओं से बोलीदाता-वार कितनी-कितनी धनराशि संग्रहित की गई?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (च) संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) एवं मु.प्र.अ. के कार्यालय ने 17 अक्तूबर, 2005 को लेखन-सामग्री के लिए सीमित टेंडर इन्क्वायरी आमंत्रित की थी। इन टेंडरों में, अन्यों के साथ-साथ फोटोस्टेट पेपर भी शामिल थे। सीमित टेंडर इन्क्वायरी में शामिल प्रत्येक मद के लिए नमूने भी मांगे गए थे तथा गुणता और दरों के मामले में कोई समझौता नहीं किया गया है।

(छ) प्रत्येक बोलीकर्ता को 25,000 रु. ई.एम.डी. जमा कराने के लिए कहा गया था। निष्पादन संबंधी प्रतिभूति, बिक्री कर/वैट को छोड़कर, सप्लाई आर्डर के कुल मूल्य का पांच प्रतिशत है।

(ज) कुल 5 बोलियां लगीं। केन्द्रीय भंडार, नई दिल्ली से कोई राशि एकत्र नहीं की गई जबकि अन्य चार बोलीकर्त्ताओं में से प्रत्येक से 25,000 रुपए एकत्र किए गए थे।

आर.के. पुरम, नई दिल्ली में पी.एन.जी. पाइपलाइन

1373. **श्री रघुनाथ झा:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आर.के. पुरम, नई दिल्ली के सरकारी क्वार्टरों में पाइप्ड नेचुरल गैस (पी.एन.जी.) पाइप लाइन कनेक्शन प्रदान करते समय आबंटियों की सुविधा को ध्यान में नहीं रखा गया था जिसके फलस्वरूप कई क्वार्टर इस सुविधा से वंचित रह गए थे; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सुविधा से वंचित रह गए आबंटियों को पी.एन.जी. पाइप लाइन कनेक्शन प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आई.जी.एल.) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी.पी.डब्ल्यू.डी.) के परामर्श पर आर.के. पुरम, नई दिल्ली स्थित सरकारी क्वार्टरों में पाईप्ड नेचुरल गैस (पी.एन.जी.) कनेक्शन प्रदान कर रहा है। सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने वर्ष 2003-04 के दौरान आर.के. पुरम सेक्टर 1, 2, 3, 4, 5, 7 तथा 13 में 7847 घरों को आई.जी.एल. ने पहले ही कनेक्ट कर दिया है। लेकिन सेक्टर 13 में कार्य अभी प्रगति पर है। वर्ष 2004-05 के दौरान सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने कोई संस्तुति नहीं की। वर्ष 2005-06 में सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने आर.के. पुरम सेक्टर 8 तथा सेक्टर 12 के 2482 घरों में पी.एन.जी. कनेक्शन लगाने का परामर्श दिया है। आई.एल.जी. इसमें से 710 घरों में पी.एन.जी. कनेक्शन पहले ही लगा चुका है और शेष घरों में कनेक्शन करने के लिए कार्य प्रगति पर है।

आर.के. पुरम के जिन उपर्युक्त सेक्टरों के घरों में पी.एन.जी. कनेक्शन नहीं लगाए गए हैं, ये वे घर हैं जो खाली पड़े हुए हैं। तकनीकी व्यवहार्यता की शर्त पर इन घरों में पी.एन.जी. कनेक्शन आबंटियों से अनुरोध प्राप्त होने पर दिए जाएंगे।

तमिलनाडु में तेल खोज हेतु सर्वेक्षण

1374. **श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने तमिलनाडु में अपतटीय तेल की संभावनाओं का पता लगाने के लिए भूकम्पीय सर्वेक्षण आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सर्वेक्षण के कब तक पूरा होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) 1.10.2005 तक, तेल तथा प्राकृतिक गैस कारपोरेशन लि. ने, तमिलनाडु तट के 2-डी का 50,876 लाइन किलोमीटर तथा 3-डी भूकम्पीय डाटा अपतटीय का 2254 वर्ग कि.मी. अधिग्रहित किया है। दसवीं योजना के पहले साढ़े तीन वर्षों में, ओ.एन.जी.सी. ने, ओ.एन.जी.सी. द्वारा प्रचलित क्षेत्रों में, 2-डी का 7906 लाइन किलोमीटर तथा

3 डी भूकम्पीय डाटा का 2137 वर्ग किलोमीटर अधिग्रहण किया। ओ.एन.जी.सी. की कावेरी अपतटीय गहरे जल (डीप वाटर) ब्लाकों में 3-डी भूकंपीय डाटा अधिग्रहण की योजना है।

(ग) इसके अतिरिक्त, हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय की वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 में भारत के पूर्वी तट के साथ भूकंपीय सर्वेक्षण करने की योजना है। कुछ सर्वेक्षण तमिलनाडु तट पर और उससे दूर किया जाएगा तथा सर्वेक्षण आरम्भ होने के प्रथम वर्ष के अंदर ही पूरा हो जाएगा।

चेन्नै में नये अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन की स्थापना

1375. श्री के.सी. पलनिसामी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास चेन्नै में नये अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन परियोजना की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) तमिलनाडु सरकार से इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण करने हेतु प्राधिकृत है;

(घ) यदि हां, तो भूमि समझौते की निबन्धन और शर्तों का क्या ब्यौरा है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा मौजूदा अन्तर्राष्ट्रीय चेन्नै विमानपत्तन के आधुनिकीकरण के लिए हाल ही में क्या विभिन्न कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, चेन्नई में मौजूदा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के निकट समान्तर रनवे तथा संबद्ध अवसंरचना सहित एक अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल परिसर के निर्माण का एक प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण पहले ही मौजूदा हवाईअड्डे के उत्तर में समीपस्थ 583 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण का अनुरोध कर चुका है, तथा तदनुसार तमिलनाडु राज्य सरकार उक्त भूमि का अधिग्रहण करने की प्रक्रिया में है। तमिलनाडु सरकार आवश्यक भूमि स्वामित्व आधार पर नि:शुल्क तथा सभी प्रकार के ऋणों से मुक्त करके भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंप रही है।

(ङ) चेन्नई हवाईड्डे के आधुनिकीकरण के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम हैं:

(1) अन्ना अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल चरण-2 का विस्तार तथा सुधार।

(2) कामराज घरेलू टर्मिनल की सिटी साइड पर कैनोपी का विस्तार।

(3) बे सं. 35 तथा हाई स्टैण्ड के लिए एप्रन का निर्माण।

(4) एयरो-लिंक कारीडोर का निर्माण।

(5) निजी हवाई यातायात प्रचालकों के लिए 5 बे तथा लिंक टैक्सी ट्रैकों का निर्माण।

(6) एबी-321 विमानों के लिए 10 रिमोट पार्किंग बे तथा सेकेण्डरी रनवे के लिए टैक्सी सम्पर्कों का निर्माण।

(7) आन्तरिक जलापूर्ति तथा नाली प्रणाली की संस्थापना सहित एकीकृत कार्गो परिसर चरण-2 का निर्माण।

(8) वे सं. 43, 44, 46 तथा 47 का निर्माण।

(9) सेकेण्डरी रनवे 12/30 के लिए शोल्डर्स तथा टर्निंग पैड का निर्माण।

बंगलौर से उड़ानें

1376. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बंगलौर तक की उड़ानों की बारम्बारता में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो अतिरिक्त उड़ानों के कब तक आरम्भ किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) इंडियन एयरलाइंस के पास क्षमता और प्रचालन कर्मीदल के अनुसार इस समय इतने संसाधन नहीं हैं जिससे बंगलौर के लिए और वहां से उड़ानों की आवृत्ति की संख्या में वृद्धि करने पर विचार किया जा सके। यातायात मांग के आधार पर, जब कभी भी आवश्यक समझा जाता है, विमान क्षमता और प्रचालन कर्मीदल की उपलब्धता के आधार पर इंडियन एयरलाइंस द्वारा अतिरिक्त उड़ानें प्रचालित की जा रही हैं।

अनुसूचित जातियों हेतु प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना

1377. **श्री जुएल ओराम:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में अनुसूचित जातियों के लिए और अधिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 2005-06 के दौरान राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार कितने नए केन्द्रों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कुलियों द्वारा सीटों पर अवैध कब्जा

1378. **श्री हरिकेवल प्रसाद:**
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुली अनारक्षित डिब्बों में सीटों पर अवैध रूप से कब्जा कर लेते हैं और यात्रियों से उन सीटों का पैसा वसूलते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान, आज की तिथि तक प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(घ) दोषी पाए गए कुलियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) सरकार ने इस प्रकार के गैर-कानूनी कृत्य को रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) यात्रियों से पैसा लेने के लिए अनारक्षित डिब्बों में कुलियों द्वारा अनधिकृत स्थान ग्रहण करने के मामलों की समय-समय पर जानकारी मिलती है एवं पकड़े जाने पर ऐसे लोगों के विरुद्ध संबंधित क्षेत्रीय रेलों द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाती है। बहरहाल, रेलों पर ऐसे मामलों के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

(ङ) कुलियों की इस प्रकार की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए रेलों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) पुलिस के सहयोग से वाणिज्य एवं सतर्कता विभाग द्वारा नियमित जांच;

(2) सामान्यत: गाड़ियों के प्रारंभिक स्टेशनों पर यात्री गाड़ियों के रेकों को अनुरक्षण साइडिंग से प्लेटफार्म पर लाया जाता है जिसमें अनारक्षित डिब्बों को बंद स्थिति में लाया जाता है।

[अनुवाद]

गैर-सरकारी संगठनों में नि:शक्त व्यक्तियों का कोटा

1379. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:**
श्री कीर्तिवर्धन सिंह:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संशोधित सामान्य वित्तीय नियमों के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) में कार्यरत नि:शक्त व्यक्तियों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता में नि:शक्त व्यक्तियों की तुलना में काफी वृद्धि की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) पूर्व-संशोधित सामान्य वित्त नियमावली के अंतर्गत, गैर-सरकारी संगठनों में नियोजन में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था। अत: इस प्रसुविधा को वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेलवे लाइनों का दोहरीकरण

1380. श्री शिशुपाल पटले:
श्री मुन्शी राम:
श्री अनन्त नायक:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने समुद्री पत्तनों को जोड़ने वाली रेलवे लाइनों के दोहरीकरण की कोई योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितनी परियोजनाओं के अंतर्गत नई लाइनें बिछायी जायेंगी;

(घ) उक्त रेलवे लाइनों को बिछाने पर कुल कितना खर्च होने का अनुमान है;

(ङ) क्या इन लाइनों का निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है;

(च) यदि हां, तो क्या रेलवे लाइन के दोहरीकरण का कार्य धीमी गति से चल रहा है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) जी हां। एक गैर-बजटीय निवेश पहल जिसे राष्ट्रीय रेल विकास योजना के नाम से जाना जाता है, 15.8.02 को आरंभ की गई है, जो स्वर्णिम चतुर्भुज एवं उसके विकर्णों को जोड़ने के अलावा पत्तनों/भीतरी क्षेत्र से रेल संपर्क स्थापित करने की संकल्पना की गई है। पत्तन संपर्क स्थापित करने के अंतर्गत निजी रेलवे परियोजना के रूप में तीन नई लाइन परियोजनाओं का निर्माण किए जाने के अतिरिक्त 6 नई लाइन, 12 आमान परिवर्तन एवं 8 दोहरीकरण परियोजनाएं शामिल हैं।

(घ) इन 6 नई लाइन एवं 8 दोहरीकरण परियोजनाओं की वर्तमान प्रत्याशित लागत क्रमश: 2698 करोड़ रु. और 785 करोड़ रु. है। इसके अतिरिक्त तीन निजी रेलवे नई लाइन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 318 करोड़ रु. है।

(ङ) 3 नई लाइनों एवं 7 दोहरीकरण परियोजनाओं के लिए जिनकी स्वीकृति मिल गई है, पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है।

(च) जी नहीं।

(छ) और (ज) प्रश्न नहीं उठता।

विमानन क्षेत्र में भारत और अमेरिका

1381. श्रीमती किरण माहेश्वरी:
श्री राजनरायन बुधौलिया:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और अमेरिका विमानन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बारे में दोनों देशों के बीच कोई वार्ता हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप क्या निर्णय लिये जायेंगे?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) विमानन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए अप्रैल, 2005 को भारत तथा यू.एस.ए. के बीच एयर सर्विसेज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस करार के अंतर्गत, दोनों देश पूरी तरह से तथा यातायात अधिकारों से बाहर दूसरे देश की सीमा में किसी भी स्थान पर कितनी भी सेवाएं प्रचालित करने के लिए कितनी भी एयरलाइनों को नियुक्त कर सकती हैं।

अधिशेष भूमि का वाणिज्यिक उपयोग

1382. श्री अजीत जोगी:
श्री सांताश्री चटर्जी:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वाणिज्यिक विकास हेतु 180 हेक्टेयर रिक्त पड़ी रेलवे भूमि का पता लगाया है जैसा कि दिनांक 3 अक्तूबर, 2005 के "टाइम्स आफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो जोन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न राज्यों में वाणिज्यिक उपयोग हेतु अब तक कितनी भूमि विकसित की गई है; और

(घ) इससे जोन-वार कितने राजस्व की प्राप्ति हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क), (ख) और (घ) अभी तक रेलों ने रेलवे के वाणिज्यिक विकास के लिए रेलवे भूमि का लगभग 195.6 हेक्टेयर भूमि/एयर-स्पेस का पता लगाया है। ऐसी भूमि एवं अभी तक अर्जित राजस्व का जोन-वार ब्यौरा निम्नानुसार हैं:

रेलवे	भूमि का लगभग क्षेत्र (हेक्टेयर में)	राजस्व (करोड़ रुपये में)
1	2	3
मध्य	7.0	2.83
पूर्व	23	शून्य
पूर्व मध्य	0.57	शून्य
पूर्व तट	3.53	शून्य
उत्तर	90.5	शून्य
उत्तर मध्य	36.3	शून्य
उत्तर पूर्व	शून्य	शून्य
पूर्वोत्तर सीमा	3.8	2.0
उत्तर पश्चिम	1.0	शून्य
दक्षिण	6.0	शून्य
दक्षिण मध्य	2.3	0.33
दक्षिण पूर्व	1.3	0.50
दक्षिण पूर्व मध्य	शून्य	शून्य
दक्षिण पश्चिम	2.4	शून्य
पश्चिम	8.4	शून्य
पश्चिम मध्य	3.0	शून्य
मेट्रो कोलकाता	6.5	1.06
कुल	195.6	6.72

(ग) वाणिज्यिक उपयोग के लिए विकसित भूमि का राज्य-वार ब्यौरा रेलवे द्वारा तैयार नहीं किया जाता है।

रेल परियोजनाएं

1383. प्रो. महादेवराव शिवनकर: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो भूमि अधिग्रहण न किये जाने की वजह से आरंभ नहीं की जा सकीं और जोन-वार इनके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने भूमि अधिग्रहण में विलंब की वजह से ऐसी परियोजनाओं की लागत और इनमें निर्धारित समय से अधिक समय लगने के बारे में कोई आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो परियोजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा भूमि उपलब्ध न कराए जाने के कारण निम्नलिखित रेल परियोजनाएं शुरू नहीं की जा सकीं:

क्र.सं.	रेलवे	रेल परियोजनाएं	कारण संक्षिप्त में
1	2	3	4
1.	उत्तर पश्चिम	अजमेर-पुश्कर नई लाइन	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से अनुमति की प्रतीक्षा है
2.	दक्षिण	अंगामालि-सबरीमाला नई लाइन	क्षेत्रीय लोगों द्वारा संरेखण के संबंध में प्रतिरोध
3.	पूर्वोत्तर सीमा	दुधनोई-देपा नई लाइन	जहां कहीं भूमि अधिग्रहण किया जाना है, के क्षेत्रीय लोगों द्वारा प्रतिरोध

1	2	3	4
4.	दक्षिण पूर्व मध्य	दल्लीराजाहरा-जगदलपुर नई लाइन	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से अनुमति की प्रतीक्षा है
5.	मध्य	बारामती-लौनाड नई लाइन	राज्य सरकार द्वारा भूमि हस्तांतरण नहीं किया गया
6.	दक्षिण	तनुर (कुट्टीपुरम)-गुरुवायूर दोहरीकरण	तीव्र जन प्रतिरोध के कारण
7.	दक्षिण	कोट्टायम-इरूमेली नई लाइन	तीव्र जन प्रतिरोध के कारण

केरल सरकार ने कोट्टायम-इरूमेली नई लाइन परियोजना को छोड़ने की सिफारिश की है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) संबंधित राज्य सरकार के साथ मामला उठाया गया है।

भारतीय हवाई सीमा का उल्लंघन

1384. श्री मोहन सिंह: क्या रक्षा मंत्री यह बतो की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में पाकिस्तान और कुछ अन्य देशों के हेलीकोप्टरों ने जम्मू और कश्मीर में भारतीय हवाई सीमा का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले कुछ महीनों के दौरान ऐसी कितनी घटनाएं हुईं; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में, जून 2005 से भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने के चार मामले हुए हैं।

(ग) इस मामले को राजनयिक माध्यम से संबंधित देश के साथ उठाया गया है।

उग्रवादी संगठनों की घुसपैठ

1385. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं और इन क्षेत्रों से आतंकवादी भारत में घुसपैठ कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उग्रवादी संगठन भूकम्प के पश्चात नियंत्रण रेखा पर अफरा-तफरी के माहौल का लाभ उठाकर सीमा-पार से ज्यादा घुसपैठ कर रहे हैं जैसाकि दिनांक 17 अक्तूबर, 2005 के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इस समाचार के बाद उग्रवादियों ने कितनी घुसपैठें कीं; और

(ङ) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ङ) आसूचना एजेंसियों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार, पाक अधिकृत कश्मीर स्थित आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों की कार्रवाइयों की रिपोर्टें मिली हैं। 8 अक्तूबर, 2005 को आए भूकंप के परिणामस्वरूप इनमें से कुछ प्रशिक्षण शिविरों के क्षतिग्रस्त अथवा नष्ट हो जाने का अनुमान है।

सेना की समग्र घुसपैठरोधी रणनीति में एक बहु-स्तरीय व्यवस्था की परिकल्पना है जिसमें सबसे आगे सैन्य टुकड़ियों की तैनाती करना, अत्याधुनिक निगरानी उपकरण स्थापित करना, नियंत्रण रेखा पर बाड़ लगाना और बाड़ के बाद भी सैन्य टुकड़ियों की तैनाती करना शामिल है। इसके परिणामस्वरूप घुसपैठ/बहिर्गमन पर नियंत्रण रखा जा सका है। सेना अन्य आसूचना और सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय करके अपनी रणनीति की लगातार समीक्षा करती रहती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि घुसपैठ कम से कम हो।

भूकंप के बाद, सेना ने अपनी रक्षात्मक तथा घुसपैठरोधी स्थिति को पूरी तरह पुनः स्थापित कर लिया है। इस संबंध में पर्याप्त उपाय कर लिए गए हैं तथा ऐसे कोई सुभेद्य तथा असुरक्षित स्थान नहीं हैं जिनका नियंत्रण रेखा के पार से आतंकवादियों द्वारा लाभ उठाया जा सके। भूकंप के बाद आतंकवादियों की घुसपैठ में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

8 अक्तूबर, 2005 को आए भूकंप के बाद से, नियंत्रण रेखा पर तैनात सेना यूनिटों ने घुसपैठ/बहिर्गमन के कुल 10 प्रयासों को निष्फल किया है जिनमें 25 आतंकवादी मारे गए।

सरकार ने घुसपैठ को और कम करने के लिए समुचित कार्रवाई की है। घुसपैठ की प्रवृत्ति की विभिन्न स्तरों पर मानीटरिंग की जा रही है। भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुई नियंत्रण रेखा की बाड़ तथा एकीकृत निगरानी उपकरणों की पूरी तरह से मरम्मत कर ली गई है। घुसपैठ रोकने के लिए राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर घुसपैठरोधी प्रयासों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

[अनुवाद]

रसोई गैस सिलेण्डरों का भार कम होना

1386. श्री रेवती रमन सिंह: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली और देश के अन्य महानगरों में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के कम भरे हुए सिलेण्डरों के पीछे कोई गिरोह मौजूद है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान, आज की तिथि तक ऐसे कितने मामलों का पता चला;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचयती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) जब कभी कम भार वाले सिलेंडरों की आपूर्ति के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां शिकायत प्राप्त करती हैं, तो वे उनकी जांच करती हैं और यदि शिकायत सिद्ध होती है तो एलपीजी विपणन अनुशासन मार्गनिर्देशों (एमडीजी) के प्रावधानों के अनुसार संबंधित एलपीजी वितरकों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। तेल विपणन कंपनियों ने चालू वर्ष के दौरान दिल्ली में अपने वितरकों द्वारा कम भार वाले सिलेंडरों की आपूर्ति के 9 मामलों की रिपोर्ट की है। दोषी वितरकों का, विपणन अनुशासन मार्गनिर्देशों के प्रावधान के अनुसार तेल विपणन कंपनियों द्वारा जुर्माना लगाया गया है। तेल विपणन कंपनियों द्वारा की-गई-कार्रवाई के अतिरिक्त राज्य के माप-तोल विभाग कम भार वाले सिलेंडरों की आपूर्ति के मामले में कानूनी कार्रवाई करते हैं।

मनोरंजन उद्योग

1387. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आगामी वर्षों में मनोरंजन उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में मनोरंजन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) भारतीय मनोरंजन उद्योग पर वर्ष 2004-05 के लिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग चैम्बर्स परिसंघ (फिक्की) प्राइसवाटरहाउस कूपर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय फिल्म उद्योग से 18 की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से विकास करते हुए वर्ष 2009 तक सकल 12,900 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जन करने की आशा है।

(ख) भारत में फिल्म उद्योग के विकास के समग्र हित में केन्द्र सरकार ने इस क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित पहल की हैं:

* संस्थागत और बैंक वित्त अब मनोरंजन उद्योग को सुलभ हैं।
* फिल्म क्षेत्र में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुज्ञेय है।
* फिल्म उद्योग की दृश्यता में वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकार ने वैश्विक बाजारों में सहभागिता का मार्ग प्रशस्त किया है।
* विभिन्न देशों के साथ पारस्परिक आधार पर फिल्म सप्ताहों और समारोहों का आयोजन किया जाता है।
* इटली गणराज्य के साथ एक श्रव्य-दृश्य-सह-निर्माण करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं तथा भारतीय फिल्म

उद्योग के लिए वित्त एवं बाजार के अवसरों का विस्तार करने के लिए अन्य देशों के साथ सदृश प्रस्तावों की संभावना का पता लगाया जा रहा है।

* फिल्म उद्योग के लिए नीतिगत ढांचे के बारे में सुझाव देने के लिए गठित राज्य सूचना मंत्रियों के सम्मेलन (सिमकॉन) की एक उप-समिति, मनोरंजन क्षेत्र के विकास हेतु समिति ने मनोरंजन कर में कटौती करने, फिल्म क्षेत्र में चोरी-रोधी कदम उठाने, भारत में विदेशी फिल्मों की शूटिंग को सुविधाजनक बनाने आदि की सिफारिश की है।

* राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, जो कि इस मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है, फिल्मों के लिए सीमित निधियन उपलब्ध कराता है तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीति के उद्देश्यों के अनुरूप फिल्म उद्योग के एकीकृत विकास का पर्यवेक्षण करता है।

दक्षिण पूर्व रेलवे में रेलवे भूमि पर अतिक्रमण

1388. श्री सुनील खां:
श्रीमती सुस्मिता बाउरी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1,51,931.77 वर्ग मीटर रेलवे भूमि पर अतिक्रमण हुआ जिसके परिणामस्वरूप सरकार को 49.28 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है;

(ख) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे 8.78 एकड़ क्षेत्र की रेलवे भूमि पर अपने ही कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अतिक्रमण करने से रोक नहीं पाया; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने अतिक्रमण करने वालों से भूमि मुक्त करवाने के लिए क्या कदम उठाए हैं और दोषी पाए गए रेलवे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) दक्षिण पूर्व रेलवे के खडगपुर पर कुछ सेवारत और सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों और कुछ बाहरी लोगों ने लगभग 8.78 एकड़ रेलवे भूमि को अनाधिकृत रूप से घेरा हुआ है।

(ग) सम्पदा अधिकारी के समक्ष भूमि को खाली कराने के लिए मामले दायर किये गये हैं और सेवारत रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई आरंभ की गई है।

वरिष्ठ नागरिकों को रियायतें

1389. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने अपनी घरेलू उड़ानों में वरिष्ठ नागरिकों को प्रदान की जा रही रियायतों को वापस लेने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस प्रस्तावित वापसी के विरुद्ध वरिष्ठ नागरिकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय के कब तक लिये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

ए.टी.सी. को पृथक करना

1390. श्री मोहन रावले: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) के अंतर्गत वायु यातायात नियंत्रण विभाग को जल्द ही एक पृथक अनुषंगी इकाई के रूप में पृथक किये जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ए.ए.आई. के भार को कम करने के मद्देनजर ए.ए.आई. में सरकार के हिस्से के विनिवेश के मामले में यह किस सीमा तक सहायक होगा?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) प्रारूप नागर विमानन नीति में अन्य बातों के साथ-साथ, विमान यातायात प्रबंध पर नीति का उल्लेख किया गया है। तथापि, जब तक नागर विमानन नीति को अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता, तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती।

(ग) सरकार की इस समय भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में इसके स्टेक के अधिकार से वंचित करने की कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

भारत-रूस संयुक्त रक्षा अभ्यास

1391. श्री वाई.जी. महाजन:
श्री अविनाश राय खन्ना:
श्री ई. पोन्नुस्वामी:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और रूस के बीच सैन्य बलों ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए संयुक्त अभ्यास किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत-रूस संयुक्त रक्षा अभ्यास के दौरान एक दुर्घटना के दौरान एक बड़ा घाटा होते-होते टल गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस बारे में कोई जांच की गई है;

(च) यदि हां, तो जांच रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस बारे में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (घ) अब तक का पहला भारत-रूसी विमानवाहित युद्धाभ्यास इंद्र-06, आगरा तथा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, 10-19 अक्तूबर, 2005 तक किया गया था। यह संयुक्त युद्धाभ्यास, संयुक्त राष्ट्र अधिदेश के अधीन प्रति-आतंकवादी कार्रवाई विषय पर आधारित था। इस युद्धाभ्यास में भारतीय पैरा ट्रूपरों और रूसी विमानवाहित कार्मिकों ने भाग लिया।

रूसी रक्षा मंत्री श्री एस.बी. इवानोव ने 16 अक्तूबर, 2005 को यह युद्धाभ्यास देखा। पैरा-ड्राप के दौरान, एक विमान से गिराई गई भारी वस्तु दर्शकों के लिए बनाए गए एक बड़े स्टैंड के समीप आ गिरी। ऐसा उच्चस्तरीय तेज हवाओं के कारण हुआ था। इस युद्धाभ्यास के दौरान कोई दुर्घटना नहीं हुई।

[अनुवाद]

तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान गैस पाइप लाइन

1392. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) के अधिकारियों के एक दल ने हाल ही में 1680 कि.मी. वाली तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान (टीएपी) गैस पाइप लाइन की व्यवहार्यता का आकलन करने और भारत तक इसके परिषण के लिए उजबेकिस्तान का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ गेल (जीएआईएल) ने कोई परामर्शदाता नियुक्त किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह मुद्दा हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री द्वारा भारत-ईरान पाइप लाइन परियोजना पर चर्चा करने के लिए पाकिस्तान का दौरा किये जाने के दौरान उभर कर सामने आया था; और

(च) यदि हां, तो गेल द्वारा टी.ए.पी. पाइपलाइन परियोजना पर क्या अंतिम रुख अपनाया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) जी, नहीं। गेल टीम ने टीएपी गैस पाइपलाइन की व्यवहार्यता और इसके आगे भारत तक परिवहन का मूल्यांकन करने के लिए उजबेकिस्तान का दौरा किया है। इसके वर्तमान संकेन्द्रण के तहत टीएपी पाइपलाइन उजबेकिस्तान के रास्ते नहीं गुजरती। गेल ने इस परियोजना का अध्ययन करने के लिए किसी परामर्शक की नियुक्ति नहीं की है।

(ङ) और (च) जून, 2005 के पेट्रोलिमय और प्राकृतिक गैस मंत्री के पाकिस्तान के दौरे के दौरान पाकिस्तान के पेट्रोलियम और प्राकृतिक संसाधन मंत्री ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री को उक्त टीएपी परियोजना का ब्यौरा उपलब्ध कराया जिसमें भारतीय पक्ष ने रुचि दर्शाई। मंत्री (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस) ने पुष्टि की कि वे अगली संचालन समिति की बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेने के निमंत्रण का सकारात्मक प्रत्युत्तर देंगे। भारत को सकारात्मक प्रत्युत्तर देंगे। भारत को अश्गाबत में आयोजित की जाने वाली परियोजना की अगली मंत्रालयीन संचालन समिति बैठक में भागीदारी करने के लिए आमंत्रित किया गया है।

रेल परियोजनाओं की लागत की हिस्सेदारी

1393. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को रेल परियोजनाओं की लागत का हिस्सा वहन करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अधिशेष विद्युत वाले राज्यों को रेलवे को सस्ती दरों पर बिजली की पेशकश करने का भी आग्रह किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी हां। रेल मंत्रालय ने राज्यों से धन की कमी दूर करने हेतु, वित्तीय रूप से अव्यवहार्य नई लाइनों और आमान परिवर्तन परियोजनाओं की लागत में सहभागिता के लिए अनुरोध किया है। जो दूरस्थ क्षेत्र रेल संपर्क योजना के तहत शामिल हैं और जिनसे देश के दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों में रेल संपर्क उपलब्ध होगा, जिससे उनके समग्र विकास के लिए अवसंरचना उपलब्ध होगी, ज्यादातर राज्य सरकारों से प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) और (घ) जी नहीं। बहरहाल, रेलवे विद्युत कर्षण टैरिफ की लागत कम करने के लिए राज्य विद्युत बोर्डों और राज्य विद्युत विनियामक आयोगों से संपर्क करती रही है।

[हिन्दी]

भारतीय तेल निगम में आरक्षित पदों का बैकलॉग

1394. श्री रामदास आठवले: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय तेल निगम (आईओसी) में आरक्षित पदों का बैकलॉग है;

(ख) यदि हां, तो वर्ग-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बकलाग पदों को भरने के लिए कोई विशेष अभियान चलाया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस बैकलाग को कब तक भरे जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की इंडियन आयल कारपोरेशन (आईओसी) में समूह "क" और समूह "ग" पदों पर भर्ती में गिरावट नहीं, परन्तु समूह "घ" के पदों पर अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों में आंशिक गिरावट आई है। दिनांक 30.9.2005 की अवस्थिति के अनुसार, समूह "घ" के पदों के लिए सीधी भर्ती में हुई गिरावट की स्थिति निम्नानुसार है:

अनुसूचित जनजाति	–	15 (संख्या)
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)	–	50 (संख्या)

समूह "ख" वर्ग के लिए प्रत्यक्ष भर्ती नहीं की जाती है और इन्हें केवल विभागीय प्रौन्नति द्वारा ही भरा जाता है।

(ग) समूह "घ" में अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में गिरावट आंशिक रूप से हुई है। कंपनी की पुनर्वास योजना के तहत अनुकंपा के आधार पर रोजगार के मामलों के अलावा सामान्यत: समूह "घ" के पदों पर भर्ती नहीं की जाती है। इसलिए आईओसी अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए एक विशेष प्रयास की शुरुआत करने का प्रस्ताव नहीं करती।

(घ) और (ङ) उत्तर के उपर्युक्त भाग "ग" को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अनाथाश्रमों का खोला जाना

1395. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या थल सेना का देश के अलगाववाद से त्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले आतंकवाद पीड़ितों के लिए अनाथाश्रम खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे अनाथाश्रमों को किन-किन स्थानों पर खोले जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) सेना, जम्मू-कश्मीर राज्य में आतंकवाद से पीड़ित बच्चों के लिए 'मुस्कान' नामक एक अनाथाश्रम चला रही है। इस समय इस अनाथाश्रम में 53 लड़कों तथा 11 लड़कियों का पालन-पोषण किया जा रहा है।

सेना कुछ अनाथाश्रम चलाने में जम्मू-कश्मीर के सिविल प्रशासन को भी सहायता प्रदान कर रही है। बारामूला में सरकारी कन्या अनाथाश्रम के भवन का निर्माण करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 75 लाख रुपये की धनराशि निर्दिष्ट की गई है।

इंडियन एयरलाइंस में खेलकूद कोटे के अंतर्गत नियुक्तियां

1396. **श्री अजय चक्रवर्ती:** क्या **नागर विमानन मंत्री** इंडियन एयरलाइन्स में खेलकूद कोटा के अंतर्गत नियुक्तियों के बारे में 18.8.2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3542 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा उक्त मामले की जांच कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) यह मामला अभी भी सरकार के परीक्षणाधीन है। चूंकि इंडियन एयरलाइंस के कार्मिक विभाग तथा इंडियन एयरलाइंस के खेलकूद नियंत्रण बोर्ड के साथ इस मामले में परामर्श किया जा रहा है। अत: किसी निर्धारित समय सीमा का उल्लेख नहीं किया जा सकता।

समेकित रेल सड़क परिवहन प्रणाली

1397. **श्री वरकला राधाकृष्णन:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे स्टेशनों से दूर स्थित बस स्टैंडों के दृष्टिगत रेलवे भूमि पर पार्किंग सुविधाएं मुहैया कराकर समेकित रेल सड़क परिवहन प्रणाली बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) नीतिगत तौर पर रेलवे स्टेशनों पर बसों को पार्क करने संबंधी रेल सड़क एकीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, संबंधित जोनों/मंडलों द्वारा किये गये स्थानीय स्तर के प्रबंध मौजूद हो सकते हैं।

हैदराबाद विमानपत्तन पर सुविधाएं

1398. **श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी स्वामित्व वाली इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया सहित विभिन्न एयरलाइनों ने हैदराबाद विमानपत्तन पर घटती सुविधाओं के बारे में चिंता जाहिर की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त विमानपत्तन पर सुविधाओं में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) एयरलाइनों तथा अन्य प्रयोक्ता एजेंसियों के साथ आवधिक बैठकों के दौरान, कुछ एयरलाइनों ने हैदराबाद हवाईअड्डे पर पार्किंग स्टैण्डों की कमी, बैगेज पहचान क्षेत्र की कमी के संबंध में टर्मिनल भवन, अंतराष्ट्रीय तथा घरेलू यात्रियों को घुलमिल जाने, अंतरराष्ट्रीय प्रस्थान लाज में स्थानाभाव, अंतरराष्ट्रीय प्रस्थान पर अपर्याप्त एक्सरे बैगेज मशीनों के बारे में चिन्ताएं जताई हैं।

(ग) एयरलाइनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयोजनार्थ, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने हैदराबाद हवाईअड्डे पर सुविधाओं को सुधारने के लिए कार्रवाई आरम्भ की है जैसे पार्किंग स्टैण्डों को बढ़ाने के लिए एप्रन का विस्तार, एप्रन पर दिशानिर्देश चिन्हों का पुनर्निर्धारण, अतिरिक्त एस्कलेटर्स, इलेवेटर्स उपलब्ध कराने के लिए अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल भवन का विस्तार, परिचालन क्षेत्र के सुधार के लिए कुछ सुविधाओं की प्रतिस्थापना आदि।

एनटीपीसी को तेल खंडों का आवंटन

1399. **श्री अधीर चौधरी:**
श्री उदय सिंह:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) को कुछेक राज्यों में तेल खंड आबंटित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनटीपीसी के साथ निबंधन और शर्तें तथा उत्पादन हिस्सेदारी संविदा तय कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संविदा से सरकार तेल कंपनियों को किस सीमा तक फायदा होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने एनटीपीसी लिमिटेड-जिओपेट्रोल इंटरनेशनल तथा कानारो रिसोर्स लिमिटेड के परिसंघ को नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी-5) के पांचवें दौर के तहत एक अन्वेषण ब्लाक अधिनिर्णित किया है। यह ब्लाक अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और 294 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है।

(ग) और (घ) इस परिसंघ के साथ उत्पादन भागीदारी समझौतों (पीएससी) की शर्तों पर वार्ता हुई। प्रस्तावित उत्पादन भागीदारी समझौते (पीएससी) की विस्तृत शर्तें संलग्न विवरण में दी हैं।

(ङ) यदि कोई खोज तदुपरांत वाणिज्यिक उत्पादन की ओर अग्रसर होती है, तब केन्द्र सरकार को पेट्रोलियम से लाभ मिलेगा तथा राज्य सरकार रायल्टी से लाभान्वित होगी।

विवरण

(1) पीएसी में सरकार और परिसंघों के बीच उत्पादन भागीदारी समझौते को उपबंधित किया गया है।

(2) एनटीपीसी लिमिटेड-जिओपेट्रोल इंटरनेशनल तथा कानारो रिसोर्स लिमिटेड के भागीदारी लाभ क्रमश: 40-30-30 प्रतिशत हैं।

(3) उत्पादन भागीदारी समझौते के तहत परिसंघ द्वारा न्यूनतम अन्वेषण कार्यक्रम पूरा करना अपेक्षित है।

(4) उत्पादन भागीदारी समझौते के अनुसार परिसंघ द्वारा रॉयल्टी का भुगतान करना अपेक्षित है।

(5) परिसंघ के पेट्रोलियम उत्पादों के उपयोग हेतु आयात पर सीमाशुल्क के भुगतान की छूट प्राप्त होगी।

(6) परिसंघ भारतीय कानूनो के अधीन है।

(7) परिसंघ को शत-प्रतिशत लागत वसूली की अनुमति है।

(8) परिसंघ को तेल और गैस की बिक्री के संबंध में भारतीय बाजार मूल्यों की स्वतंत्रता है।

रेल भाड़ा कारीडार के माध्यम से एशियाई बाजार को जोड़ना

1400. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि अन्तर्राष्ट्रीय रेलवे सहयोग के लिए विश्वव्यापी संस्था यू.टी.सी. की मंशा रेलभाड़ा कारीडार के माध्यम से एशियाई बाजार को जोड़ने की है जैसा कि दिनांक 26 अक्तूबर, 2005 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। यूनियन इंटरनेशनल डेस केमिन्स डी फेर (यू टी सी) रेल कंपनियों/संगठनों का एक स्वैच्छिक संगठन है और यह केवल रेल विकास के लिए परियोजनाओं पर सलाह दे सकता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेश मंत्रालय ने मेकांग-गंगा निगम के तत्वावधान में भारतीय-म्यामांर रेल लिंक को उपलब्ध कराने पर वार्ता की थी। भारत सरकार भी युनाइटेड नेशन्स-इकोनोमिक्स एंड सोशल कमीशन फार एशिया एंड पेसिफिक द्वारा ट्रांस-एशियन रेलवे पर उठाए गए कदमों का समर्थन कर रही है।

[हिन्दी]

रिफाइनरी परियोजनाओं को रद्द किया जाना

1401. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछेक राज्यों में पूर्व में घोषित रिफाइनरी परियोजनाओं को रद्द कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) रिफाइनरी क्षेत्र को जून, 1998 से लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है और भारत में किसी भी स्थान पर किसी भी रिफाइनरी को निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा प्रोन्नायक द्वारा उसकी व्यवहार्यता के आकलन के आधार पर स्थापित किया जा सकता है। केन्द्र सरकार नहीं वनर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्यमी ही रिफाइनरी स्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार करते हैं।

शराब की अवैध बिक्री

1402. श्री ब्रजेश पाठक: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सशस्त्र सेनाओं की कैंटीन से शराब और अन्य मदों की अवैध बिक्री से संबंधित कोई घटना हाल ही में सरकार की जानकारी में आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन घटनाओं में संलिप्त पाए गए अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (घ) हाल ही में, सशस्त्र सेनाओं की यूनिट-संचालित कैंटीनों से शराब की अवैध बिक्री की निम्नलिखित घटनाएं सरकार की जानकारी में आई हैं जिनमें कर्मचारी शामिल पाए गए हैं:

(1) 35 इन्फैंट्री ब्रिगेड (दिल्ली) में शराब की अवैध बिक्री के मामले में एक ब्रिगेडियर को "बरखास्तगी तथा नौ माह के कठोर कारावास" की सजा दी गई थी।

(2) भावनगर में कमांडर रैंक के एक नौसेना अफसर द्वारा अवैध रूप से शराब रखने के एक मामले में अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है।

(3) 6 माउंटेन डिवीजन (बरेली) में शराब की कथित अवैध बिक्री के एक मामले में मेजर जनरल रैंक के एक अफसर को निलंबित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

रेल दुर्घटना जांच रिपोर्ट की सिफारिशें

1403. श्री मनोरंजन भक्त: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जनवरी, 2005 में प्रस्तुत की गई रेल दुर्घटना जांच रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की जानकारी है जिसमें देश में विभिन्न कमजोर पुलों में बाढ़ के स्तर का मूल्यांकन करने वाले किसी इलेक्ट्रानिक उपकरण को विकसित करने का सुझाव दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त सिफारिशों को कार्यान्वित किए जाने की स्थिति में हाल ही की आन्ध्र प्रदेश रेल दुर्घटना को टाला जा सकता था; और

(ग) यदि हां, तो इन सिफारिशों को कार्यान्वित न करने वाले दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जनवरी 2005 में रेल दुर्घटना जांच रिपोर्ट में ऐसी कोई सिफारिश प्रस्तुत नहीं की गई है। बहरहाल, 1987 में हुई एक पूर्व दुर्घटना से संबंधित जांच रिपोर्ट में रेल संरक्षा आयोग द्वारा ऐसे उपक्रम पर विचार करने के लिए सिफारिश की थी जिसका काफी स्थानों पर परीक्षण किया गया लेकिन उसे उपयुक्त नहीं पाया गया। रेल संरक्षा आयोग द्वारा इसे नोट कर लिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति की सूची में राजभर जाति को शामिल किया जाना

1404. डा. राजेश मिश्रा: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को अनुसूचित जातियों की सूची में पिछड़े वर्ग की राजभर जाति को शामिल करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्र सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) जी, हां। अनुसूचित जातियों की सूची में भर/राजभर को शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार कार्रवाई की गई है। अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

कोयला गैसीकरण परियोजना

1405. श्री उदय सिंह:
प्रो. एम. रामदास:
श्री बसुदेव आचार्य:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओ एन जी सी) ने कोयला गैसीकरण परियोजना की स्थापना हेतु ब्रिटिश पेट्रो पी एल सी के साथ बातचीत शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ओ एन जी सी ने विगत में एक कोयला गैसीकरण परियोजना की संयुक्त रूप से स्थापना के लिए कोल इंडिया लिमिटेड से भी बातचीत शुरू की थी; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के संदर्भ में लागू नहीं।

(ग) और (घ) ओ एन जी सी ने भूमिगत कोयला गैसीकरण (यू सी जी) की एक संयुक्त परियोजना आरम्भ करने के लिए दिल्ली में 3.11.05 को कोल इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से कोल इंडिया लिमिटेड तथा ओ एन जी सी भारत में कोयले वाले राज्यों में यू सी जी से संबंधित सेवा, प्रचालन, प्रोसेस विकास तथा अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करेंगे।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशनों पर साइबर कैफे

1406. श्री अशोक कुमार रावत:
श्री कृष्णा मुरारी मोघे:
श्री के.सी. सिंह 'बाबा':

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेलवे स्टेशनों पर साइबर कैफे की स्थापना के लिए रेलटेल की योजना को स्वीकृति दे दी है जैसाकि दिनांक 14 सितंबर, 2005 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत किन-किन रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है;

(ग) क्या प्रस्तावित साइबर कैफे को निजी ठेकेदारों को सौंपा जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस योजना को कब तक शुरू किए जाने और पूरा किए जाने की संभावना है;

(च) इस योजना पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने का अनुमान है; और

(छ) अभी तक कितनी आप्टीकल फाइबर केबल (ओ एफ सी) बिछाई जा चुकी है और शुरू की जा चुकी है तथा इस पर कितनी अनुमानित लागत आएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां। रेलटेल को केवल महत्वपूर्ण स्टेशनों पर फ्रैंनचाइज के आधार पर चरणबद्ध तरीके से साइबर कैफे की योजना बनाने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(ख) इस योजना के अंतर्गत पहचान किए गए 82 रेलवे स्टेशनों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) रेलवे स्टेशनों पर साइबर कैफे की स्थापना राजस्व में भागीदारी के आधार पर खुली निविदा प्रणाली के माधयम से फ्रैंनचाइजों के द्वारा किया जाएगा।

प्रस्ताव पहले से ही आमंत्रित किए जा चुके है और निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। फ्रैंनचाइजों द्वारा अवसंरचना के निर्माण पर निवेश किया जाएगा, रेलटेल/रेल मंत्रालय रेलवे स्टेशनों पर केवल सुविधाजनक स्थानों पर रेलटेल की इन्टरनेट बैंड के साथ जगह/भूमि मुहैया कराएगा।

(ङ) एक ऐसा साइबर कैफे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहले से ही चल रहा है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लगभग 51 स्टेशनों पर ऐसे और साइबर कैफे के निर्माण की योजना बनायी जा रही है।

(च) इसमें रेलवे का कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होगा क्योंकि रेलवे सिर्फ जगह और बैंड ही मुहैया करेगा और फ्रैंनचाइजों को सभी अपेक्षित अवसंरचना प्रदान करनी होगी।

(छ) सितम्बर 2005 तक कुल 27,716 मार्ग किमी पर आप्टीकल फाइबर केबल (ओ एफ सी) बिछाई जा चुकी है। जिसमें से 23,516 मार्ग किमी पर ओएफसी संचार व्यवस्था शुरू की जा चुकी है। ओ एफ सी बिछाने की मौजूदा लागत लगभग 2 लाख रुपए प्रति किमी है।

विवरण

82 स्टेशनों की सूची

क्र.सं.	स्टेशनों का नाम
1	2
1.	हावड़ा
2.	सियालदह
3.	आसनसोल
4.	पटना
5.	गया
6.	धनबाद
7.	मुगलसराय
8.	भुवनेश्वर
9.	कटक
10.	पुरी
11.	विशाखापत्तनम
12.	सम्बलपुर
13.	गुवाहाटी
14.	खड़गपुर
15.	टाटानगर
16.	रांची
17.	राउरकेला
18.	रायपुर
19.	बिलासपुर
20.	बरेली
21.	लखनऊ
22.	गोरखपुर
23.	वाराणसी
24.	अमृतसर
25.	जालंधर
26.	लुधियाना
27.	अम्बाला
28.	जम्मूतवी
29.	लखनऊ
30.	चंडीगढ़
31.	मुरादाबाद
32.	सहारनपुर
33.	हरिद्वार
34.	देहरादून
35.	शिमला
36.	कानपुर सेंट्रल
37.	आगरा छावनी
38.	झांसी
39.	मथुरा
40.	ग्वालियर
41.	इलाहाबाद
42.	अलीगढ़
43.	जयपुर
44.	जोधपुर
45.	आबुरोड
46.	अजमेर
47.	सिकंदराबाद
48.	हैदराबाद
49.	विजयवाड़ा

1	2
50.	तिरूपति
51.	गुंटूर
52.	बंगलौर
53.	मैसूर
54.	हुबली
55.	चेन्नई
56.	चेन्नई एग्मोर
57.	कालीकट
58.	कोयम्बटूर
59.	मदुरै
60.	तिरूचिरापल्ली
61.	एर्नाकुलम
62.	त्रिवेंद्रम
63.	पालघाट
64.	लोनावाला
65.	नागपुर
66.	दादर
67.	पुणे
68.	बाम्बे सेंट्रल
69.	वापी
70.	बान्द्रा
71.	सूरत
72.	इन्दौर
73.	उज्जैन
74.	वलसाड
75.	अहमदाबाद
76.	कोटा
77.	वडोदरा
78.	बोरीवली
79.	बोयसर
80.	चर्चगेट
81.	भोपाल
82.	जबलपुर

पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री हेतु नीति

1407. डा. चिन्ता मोहन:
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने फुटकर विक्रेताओं के माध्यम से उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल बेचने के लिए एक चुनिंदा नीति लागू की है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति का ब्यौरा क्या है और इस नीति के अंतर्गत पेट्रोल और डीजल बेचने के लिए किन शर्तों को पूरा किए जाने की आवश्यकता है;

(ग) इस नीति के अंतर्गत इन शर्तों को लागू करने के क्या कारण हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उदारीकरण नीति के अंतर्गत इस नीति से हटाई गई शर्तों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) सरकार द्वारा जारी दिनांक 8 मार्च, 2002 के संकल्प में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, परिवहन ईंधनों के विपणन हेतु नए प्रवेशकों को प्राधिकृत करने हेतु पात्र गतिविधियों के लिए कम से कम 2,000 करोड़ रुपए का पूंजीगत निवेश अपेक्षित हैं। इसे प्राथमिक रूप से छुपकर प्रचालन करने वालों को बेचने के लिए जबकि डाऊन स्ट्रीम विपणन क्षेत्र में व्यापक निवेश को आकर्षित करने के लिए कहा गया है।

(घ) सरकार ने दिनांक 8 मार्च, 2002 के संकल्प में उल्लिखित किसी भी शर्त को वापिस नहीं लिया है।

[अनुवाद]

विमान किराये में संशोधन

1408. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया ने विगत तीन महीनों के दौरान विमान किराये और मालभाड़ा दरों में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विमान ईंधन की कीमतों में वृद्धि का इस संशोधन में कितना योगदान रहा है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) चूंकि एअर इंडिया द्वारा पिछले तीन महीने के दौरान उड़ान भाड़े और किराया दरों में संशोधन/बढ़ोत्तरी नहीं की गई है। एविएशन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) के अनुसार समय-समय पर ईंधन सरचार्ज में मामूली सा फेरबदल किया गया है। इंडियन एयरलाइंस तथा एलाइंस एयर (इंडियन एयरलाइंस की अनुषंगी संस्था) द्वारा घरेलू किराया दरों तथा घरेलू रुपया भाड़ा में अक्टूबर 2005 तक प्रभावी 10% तक बढ़ोत्तरी, एटीएफ कीमतों में हुई बढ़ोत्तरी के कारण प्रचालन लागत में होने वाली बढ़ोत्तरी के अनुसार की गई है।

दिल्ली विमानपत्तन पर भीड़भाड़

1409. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सी एस ओ) द्वारा किए गए अध्ययन की जानकारी है जिसमें बताया गया है कि दिल्ली विमानपत्तन सर्वाधिक भीड़भाड़ वाला विमानपत्तन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिल्ली विमानपत्तन पर भीड़भाड़ कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली हवाईअड्डे पर भीड़-भाड़ कम करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं:

(1) टावर की आवृत्ति पर अतिसंचय को कम करने के लिए क्लीयरेंस डिलिवरी पोजीशन की स्थापना की गयी है;

(2) मानक मार्गों पर शीघ्र प्रस्थान करवाने के लिए आटो रिलीज प्रक्रिया शुरू की है।

(3) निम्न के लिए निर्णय लिये गये हैं:

(1) नया हाइस्पीड निकासी एवं समान्तर टैक्सी वे

(2) वायु यातायात फ्लो मैनेजमेन्ट शुरू करना

(3) वायु यातायात नियंत्रण आटोमेशन प्रणाली का स्तरोन्नयन

(4) एडवांस सरफेस मूवमेन्ट तथा मार्ग दर्शक नियंत्रक प्रणाली स्थापित करना

(5) विमान के लिए बे, रेपिड निकासी टैक्सी ट्रेक, समान्तर टैक्सी ट्रेक का निर्माण

(6) भवन का आशोधन/विस्तार करना

(7) पुनर्संरचना एवं आधुनिकीकरण के भाग के रूप में अंतरदेशीय तथा अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनलों का निर्माण करना।

इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया की बाजार हिस्सेदारी

1410. श्रीमती मेनका गांधी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में निजी एयरलाइनों के आगमन से एयर इंडिया (ए आई) और इंडियन एयरलाइंस (आई ए) को विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बाजार हिसेदारी और राजस्व की कितनी अनुमानित हानि हुई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): गत तीन वर्षों के दौरान निजी एयरलाइनों के अंतरराष्ट्रीय प्रचालनों की तुलना में एअर इंडिया/इंडियन एयरलाइंस के बाजार हिस्से एवं अर्जित राजस्व के बीच कोई संबंध नहीं रहा, क्योंकि निजी एयरलाइनों द्वारा (सार्क को छोड़कर) अंतरराष्ट्रीय सैक्टर पर प्रचालन करते हुए सेक्टर पर अर्जित राजव एवं बाजार हिस्से के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

वर्ष	बाजार हिस्सा	अर्जित राजस्व
1	2	3
एअर इंडिया		
2002-2003	19.9%	5689.88 करोड़
2003-2004	19.4%	6322.07 करोड़

1	2	3
2004-2005	20.4%	7629.99 करोड़
इंडियन एयरलाइंस		
2002-2003	11.4%	1628 करोड़
2003-2004	10.9%	1633 करोड़
2004-2005	9.7%	1651 करोड़

सैन्य ठिकानों की कार्यशालाओं का क्षमता उपयोग

1411. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सैन्य ठिकानों की कार्यशालाएं प्रति वर्ष 20 बोफोर्स तोपों के लक्ष्य की तुलना में केवल 10 बोफोर्स तोपों की मरम्मत कर सकती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सैन्य ठिकानों की कार्यशालाएं (ए.बी.डब्ल्यूज) अपनी क्षमता का केवल 32 से 60 प्रतिशत तक उपयोग कर पाईं जबकि उन्होंने 100 प्रतिशत और इससे अधिक क्षमता का उपयोग दर्शाया;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने पूर्ण क्षमता का उपयोग न करने और निर्धारित लक्ष्य प्रात न करने के कारणों का पता लगाने के लिए मामले की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सैन्य ठिकानों की कार्यशालाओं के कार्यकरण को सुधारने और निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) 155 मि.मी. बोफोर्स आर्टिलरी तोपों के लिए 506 आर्मी बेस वर्कशाप एकमात्र ओवरहाल एजेंसी है। इस वर्कशाप ने वर्ष 2000-01 में इन तोपों का प्रायोगिक ओवरहाल शुरू किया, जो वर्ष 2002-03 तक चलता रहा। उन्होंने इन तोपों का नियमित ओवरहाल करना वर्ष 2003-04 से शुरू किया। आर्मी बेस वर्कशाप ने वर्ष 2003-04 में 5 तोपों और वर्ष 2004-05 में 10 तोपों के ओवरहाल का अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) आर्मी बेस वर्कशापों का आधुनिकीकरण।

(2) गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, गुणवता सूची प्रणाली लागू करना, जैसाकि निगमित क्षेत्र में किया जा रहा है।

(3) लक्ष्यों की प्राप्ति में आने वाली कमी को दूर करने के लिए संस्थागत मानीटरी-तंत्र की व्यवस्था।

बंगलौर राजधानी एक्सप्रेस के फेरों में वृद्धि करना

1412. श्री एम. शिवन्ना: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलौर-निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के फेरे में वृद्धि करने की मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) 249/2430 निजामुद्दीन-बंगलौर राजधानी एक्सप्रेस के फेरे बढ़ाने के लिए कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं। बहरहाल, वर्तमान में परिचालनिक और संसाधनों की तंगी के कारण 2429/2430 निजामुद्दीन-बंगलौर राजधानी एक्सप्रेस के फेरे बढ़ाना व्यवहारिक नहीं है।

रनवे को बेहतर बनाना

1413. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिक रनवे की हालत बहुत खराब है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सरकार द्वारा इन रनवे के रख-रखाव पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) यदि पायलटों ने भी इस पर अपनी चिंता व्यक्त की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं। प्रचालनीय एयरपोर्टों में अधिकांश के रनवे अच्छी स्थिति में हैं। इन रनवे का पुन: सतहलेपन, सुदृढ़ीकरण या अपग्रेडेशन आयात मांग के आधार पर समय-समय पर किया जाता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों यानी वर्ष 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान प्रचालनीय एयरपोर्टों पर रनवे के अनुरक्षण तथा अपग्रेडेशन तथा संबद्ध पटरी के निर्माण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा खर्च की गई राशि क्रमशः 66.76 करोड़ रुपए 95.87 करोड़ रुपए तथा 164.01 करोड़ रुपए है।

(ग) रनवे के जीर्ण-शीर्ण स्थिति के संबंध में पायलटों से न तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा और न ही नागर विमानन महानिदेशालय (डी जी सी ए) द्वारा कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कच्चे तेल का उत्पादन

1414. श्री रामकृपाल यादव: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल क्षेत्र में किए गए निवेश की तुलना में पिछले तीन चार वर्षों के दौरान देश में कच्चे तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन में बढ़ोत्तरी नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा देश में कच्चे तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन में बढ़ोत्तरी करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) गत चार वर्षों के दौरान देश में कच्चे तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन निम्नानुसार है:

(मात्रा एम एम टी में)

वर्ष	कच्चा तेल	उत्पाद
2001-02	32.03	104.3
2002-03	33.04	108.7
2003-04	33.37	117.6
2004-05	33.90	122.7

गत चार वर्षों के दौरान किए गए निवेश का विवरण एकत्र किया जा रहा है।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) घरेलू तेल तथा गैस उत्पादन बढ़ाने के लिए अन्वेषण गतिविधियां काफी तेज करने के लिए विविध उपाय किए जा रहे हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एन ई एल पी) के माध्यम से अन्वेषण प्रयासों को बढ़ाना; एन ई एल पी के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से 108 अन्वेषण ब्लाक राष्ट्रीय तेल कंपनियों, विदेशी कंपनियों तथा निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों को प्रदान किए गए हैं। इनमें एन ई एल पी के पांचवें दौर में हाल ही में दिए गए 18 अन्वेषण ब्लाक भी शामिल हैं।

(2) विशेष रूप से परिवर्धित तेल वसूली (ई ओ आर)/ संवर्धित तेल वसूली (आई ओ आर) योजनाओं के कार्यान्वयन द्वारा मौजूदा प्रमुख तेल क्षेत्रों से वसूली घटक को बढ़ाते हुए तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओ एन जी सी) ने 10,972 करोड़ रुपए की अनुमानित निवेश पर इस उद्देश्य के लिए 15 तेल क्षेत्रों को लिया है। जिससे इस क्षेत्रों से तेल उत्पादन को तेज गति देने में सहायता मिलेगी।

(3) विशेष रूप से गहरे पानी और कठिन सीमावर्ती क्षेत्रों में और पहले से ही उत्पादन कर रहे क्षेत्रों में गहरी परतों में नये अन्वेषण क्षेत्र, और

(4) नये खोजे गए क्षेत्रों को तीव्र गति से विकसित करना और उत्पादन क्षेत्रों में भूकंपनीय सर्वेक्षण, वर्क ओवर, स्टीमूलेशन आपरेशनों, कुएं का वेधन आदि के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ाना।

पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन के लिए तेल शोधन क्षमता जो 1.4.2005 में 127 एम एम टी थी, अगले वर्ष तक बढ़कर 138 एम एम टी हो जाने की संभावना है।

पायलटों का पलायन

1415. श्री एन. जनार्दन रेड्डी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पायलटों द्वारा बिना सूचना दिए अपनी नौकरी छोड़कर चले जाना और विदेशी एयरलाइन्सों में नौकरी प्राप्त करने के परिणामस्वरूप विमानपत्तनों से उड़ानों के न उड़ पाने और यात्रियों के वहीं फंस जाने के संकट से एअर इंडिया

और इंडियन एयरलाइन्स को बचाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिए भारत सरकार ने सी.ए.आर. (नागर विमानन अपेक्षाएं) खंड-7 सीरिज एक्स, भाग-2, दिनांक 1 सितम्बर, 2005 जारी किया है जिसके अनुसार एयरलाइन्स से त्यागपत्र देने वाले विमान चालक को अपने नियोक्ता को 6 महीने का नोटिस देना अपेक्षित है।

पुनर्वास केन्द्रों का कार्यकरण

1416. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकरिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पुनर्वास केन्द्रों की दशा और कार्यकरण बहुत ही दयनीय है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2005 के दौरान आज की तिथि तक प्राप्त हुई शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार के पास पुनर्वास कार्यक्रम के लिए नीति बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (ग) विकलांग व्यक्ति पुनर्वास केन्द्रों द्वारा की जा रही सेवाओं के संबंध में इन केन्द्रों की मानीटरिंग की जाती है। प्रशिक्षित श्रम शक्ति की कमी के कारण समस्याओं का सामना कर रहे कुछेक मामलों को छोड़कर, ये केन्द्र प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं। इन केन्द्रों की श्रम शक्ति जरूरत को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं।

इन केन्द्रों के खराब कार्य करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा उत्पादन

1417. श्री कैलाश मेघवाल:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम की योजना राजस्थान में दो नए तेलशोधन कारखानों की स्थापना सहित वर्ष 2009-10 तक अपने कच्चे तेल के उत्पादन को इसके वर्तमान स्तर 27 मिलियन टन से बढ़ाकर इसमें तेरह प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इसे 30 मिलियन टन तक ले जाने की है;

(ख) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम का विचार भारत के गहरे समुद्र में पहली बार पता चले कृष्ण-गोदावरी बेसिन में अप्रैल, 2006 तक उत्पादन शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो नए तेलशोधन कारखानों की स्थापना के संबंध में निर्धारित समय सीमा, मिलियन में क्षमता वार उत्पादन और प्रत्येक मामलों में आवश्यक निवेश को दर्शाते हुए उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि. द्वारा उनके द्वारा प्रचालित क्षेत्रों से 2005-06 के दौरान अनुमानित (सं.अ.) कच्चा तेल उत्पादन 25.101 मिलियन मीट्रिक टन (एम एम टी) है और संयुक्त उद्यम क्षेत्रों से उनका हिसा 1.775 एम एम टी है। सीमांत क्षेत्रों के विकास से, उन्नत तेल निकासी/वर्द्धित तेल निकासी उपाय, क्षेत्रों के फिर से विकास और उत्पादन में नई खोजों से ओ एन जी सी की योजना तेल उत्पादन 2006-07 में बढ़ाकर लगभग 29.085 एम एम टी करने की है। जिसमें संयुक्त उद्यम क्षेत्रों से उनका 1.735 एम एम टी हिस्सा शामिल है।

ओ एन जी सी, अपनी सहायक कंपनी मंगलौर रिफाइनरी तथा पेट्रोकैमिकल्स लि. के जरिए, कैरन और ओ एन जी सी के संयुक्त उद्यम द्वारा खोजे गए हैवी क्रूड आयल की प्रोसेसिंग के लिए कैरन के सहयोग से राजस्थान में एक कूप शीर्ष रिफाइनरी स्थापित करने की व्यवहार्यता खोजती रही है।

ओ एन जी सी का अप्रैल, 2006 से कृष्णा-गोदवारी बेसिन में नई खोजों से उत्पादन आरम्भ करने का भी प्रस्ताव है।

रिफाइनरी परियोजना के लिए समय सीमा का हिसाब निवेश निर्णय की पुष्टि तथा विस्तृत तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन के पूरा होने के बाद ही लगाया जा सकता है।

[अनुवाद]

पुरानी रेल पटरियों को बदलना

1418. श्री गणेश सिंह:
श्री रघुनाथ झा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पुरानी रेलपटरियों की गेजवार कुल लंबाई कितनी है;

(ख) क्या रेलवे की संरक्षा संबंधी स्थाई समिति ने पुरानी रेल पटरियों और रोलिंग स्टाक को बदलने की सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा रेलवे संरक्षा संबंधी समिति की सिफारिशों के अनुसार पुरानी रेल पटरियों और रोलिंग स्टाक को बदलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) 31.3.2004 को भारतीय रेलों पर कुल रेलपथ (किलोमीटर) 1,08,486 कि.मी. (यार्ड सहित) है। इसमें से 88,547 कि.मी. बड़ी लाइन 16,489 कि.मी. मीटर लाइन एवं 3,450 कि.मी. छोटी लाइन है। आयु एवं हालत के आधार पर नवीकरण के लिए बकाया रेलपथ की नवीकरण के लिए स्वीकृति मिल गई है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। 31.3.2005 को लगभग 12,100 कि.मी. रेलपथ के नवीकरण का कार्य स्वीकृत कर दिया गया है। इसमें से 4,000 कि.मी. का चालू वित्त वर्ष में नवीकरण करने का लक्ष्य है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) रेल मंत्रालय द्वारा सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं। 17,000 करोड़ रुपये का एक विशेष रेल संरक्षा निधि का सृजन किया गया है ताकि मार्च, 2001 तक उपार्जित रेलपथ एवं चल स्टाक इत्यादि के बकाये को मिटाया जा सके। इन कार्यों को 31.3.07 तक पूरा करने की योजना है। अप्रैल, 2001 तक प्रतिस्थापन के लिए बकाये परिसंपत्तियों को मूल्यह्रास आरक्षित निधि के अंतर्गत प्रतिस्थापित किया जाना है।

चिली के नौसेना प्रमुख की यात्रा

1419. श्री अर्जुन सेठी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चिली के नौसेना प्रमुख से नवम्बर 2005 के प्रथम सप्ताह में भारत की यात्रा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या चिली के नौसेना प्रमुख ने सैन्य हार्डवेयर और साफ्टवेयर खरीदने में रुचि दिखाई है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में हुए विचार-विमर्श से क्या परिणाम निकले हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) चिली के नौसेनाध्यक्ष एडमिरल रोडोल्फो कोडिना ने 6-12 नवंबर, 2005 तक भारत का दौरा किया। इस दौरे के दौरान चिली के नौसेनाध्यक्ष ने नकली युद्धाभ्यास (वार-गेमिंग) के लिए भारत से प्रक्षेपास्त्र, हेलिकाप्टर, पनडुब्बियां, टारपीडो, जलपोत, मानवरहित वायु वाहन, गोलाबारूद, साफ्टवेयर अधिप्राप्त करने में दिलचस्पी दिखाई है। यात्रा के दौरान की गई चर्चाएं सामान्य तथा अन्वेषणात्मक किस्म की थीं।

[हिन्दी]

पंचायतों में महिलाओं द्वारा शक्तियों का प्रयोग

1420. श्री विजय कृष्ण: क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पंचायतों में लगभग 10 लाख महिला प्रतिनिधियों को चुना गया है और उनकी शक्तियों का प्रयोग उनके सहयोगी पुरुष द्वारा किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि महिलाओं को प्रत्यायोजित की गई शक्तियों का प्रयोग केवल महिलाओं द्वारा ही किया जाए, के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी नहीं, प्राप्त सूचना के आधार पर देश में विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधियों की संख्या लगभग 8,90,605 थी जो विधि द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग कर रही हैं तथा उनके अधिकारों का प्रयोग उनके पुरुष साथियों द्वारा नहीं किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। पंचायतों के लिए निर्वाचित महिलाओं के लिए बिल्डिंग प्रशिक्षण कार्यक्रमों की क्षमता को सरकार समर्थन देती है ताकि वे संविधान में बताये गये कर्तव्य और उत्तरदायित्वों को प्रभावशाली ढंग से पूरा कर सकें और ग्राम और तालुक से संबंधित मामलों में सक्रिय रूप से भाग ले सकें।

पंचायती राज को सुदृढ़ बनाने के उपायों पर राष्ट्रीय एकमतता को विकसित करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने जुलाई 2004 और दिसम्बर 2004 के मध्य राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की सात गोलमेज बैठकें आयोजित की हैं। गोलमेज बैठक में लगभग 150 बिन्दुओं जिनमें पंचायती राज के 18 विस्तार बिन्दुओं को कार्रवाई के लिए एकमत से बनाया गया है। साथ-साथ, इसमें केन्द्र और राज्यों से संबंधित पंचायत राज संस्थाओं और ग्राम सभा में महिलाओं के सक्रिय भाग लेने के लिए कार्रवाई बिन्दु सम्मिलित हैं। इसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:

(1) पंचायती राज संस्थाओं के बजट में महिला कम्पोनेंट योजना का प्रबन्ध।

(2) स्वयंसेवी समूह (एस एच जी) के साथ हारमोनाइज लिंकेज।

(3) पर्याप्त प्रशिक्षण और कैपेसिटी बिल्डिंग।

(4) ग्राम सभा और वार्ड सभा (अथवा उप ग्राम सभा फोरम के समकक्ष) की महिला सभा (अथवा समकक्ष) में महिला से संबंधित मामलों में महिलाओं का अभिनन्दन और प्राथमिकता।

(5) ग्राम सभा और उप ग्राम सभा फोरम में महिलाओं की भागीदारी के लिए अलग से फोरम।

रायपुर में आयोजित गोलमेज बैठक में महिला संबंधित लिए गए निष्कर्षों का पूर्ण ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पंचायती राज के प्रभारी मंत्रियों का तीसरा गोल-मेज सम्मेलन, रायपुर

23-24 सितम्बर, 2004

भारत के संविधान के भाग-9 और उससे संबद्ध प्रावधानों में यथानिर्धारित पंचायती राज के प्रभावी कार्यान्वयन की जानकारी देने की सहयोगी संघवाद की भावना को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज के प्रभारी मंत्री और उनके प्रतिनिधि अपनी-अपनी सरकारी कार्यवाही के निम्नलिखित बिन्दुओं पर केन्द्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से स्वीकृति के लिए सिफारिश करने पर सहमत हुए:

2. महिलाओं के लिए आरक्षण

(1) यह सही है कि महिलाएं अपने प्रतिनिधित्व को संविधान में निर्धारित न्यूनतम $33^{1}/_{3}$ % से अधिक करने में सक्षम रही हैं। कर्नाटक में 45% निर्वाचित पद महिलाओं के पास हैं और उत्तर प्रदेश में 54% जिला पंचायतों की अध्यक्ष महिलाएं हैं। इसी प्रकार, तमिलनाडु में भी ग्राम पंचायतों के अध्यक्षों की 36% सीटें महिलाओं के पास हैं।

(2) पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से बड़ी संख्या में सामाजिक उद्देश्यों को बढ़ावा देने में राज्यों को महिला सशक्तीकरण के मुद्दों के प्रति जागरूक किया जा सकता है ताकि ऐसी नीतियां अपनाने में आए परिणामों से पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका में कमी न आ जाए।

(3) संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के रोटेशन का प्रावधान तो है परंतु इसमें इस बात का उल्लेख नहीं है कि रोटेशन से पहले सीट को कितने कार्यकाल तक आरक्षित रखा जाए। सीटों को एक कार्यकाल अथवा दो कार्यकाल अथवा राज्य विधायिका द्वारा राज्य निधि में किए गए प्रावधानों के आधार पर अधिक कार्यकाल के लिए आरक्षित रखा जा सकता है। विभिन्न राज्यों में अलग-अलग रीतियां अपनाई जा रही हैं और अनेक राज्यों में अलग-अलग रीतियां विचाराधीन हैं। इस कारण से, सीटों को एक कार्यकाल से अधिक के लिए आरक्षित करने का विकल्प खुला है परंतु यह राज्य विधायिका को तय करना है कि सीटें कितने कार्यकाल तक आरक्षित रखी जाएं।

(4) पंचायतों में आरक्षण के माध्यम से महिलाओं का सशक्तीकरण पहला आवश्यक कदम है परंतु इस हेतु अन्य कई उपाय किए जाने आवश्यक हैं। जैसे-

(क) पंचायती राज संस्थाओं के बजट में महिला घटक योजनाओं का प्रावधान;

(ख) स्व-सहायता समूहों (एस.एच.जी.) के साथ सम्पर्क;

(ग) पर्याप्त प्रशिक्षण और क्षमता विकास;

(घ) राजनीतिक दलों को महिला उम्मीदवार खड़े करने के लिए प्रोत्साहित करना;

(ङ) जब महिलाएं पंचायती राज प्रणाली में पद पर निर्वाचित हो जाएं तो उनके लिए कार्यकाल पूरा करने का अवसर;

(च) ग्राम सभाओं और वार्ड सभाओं (अथवा समकक्ष उप-ग्राम सभा मंच) में उठाई जा रही महिलाओं

की समस्याओं और प्राथमिकताओं पर विचार के लिए महिला सभाएं;

(छ) ग्राम सभा एवं उप-ग्राम सभा मंच पर महिला भागीदारी के लिए अलग कोरम।

न्यायालय में प्रावधानों के उपयुक्त बचाव और सम्बद्ध मुद्दों पर विधि सम्मन स्पष्टीकरणों की मांग करते हुए पंचायती राज प्रणाली में अध्यक्ष का पद आरक्षित रखे जाने को न्यायालय में चुनौती दी गई है।

[अनुवाद]

रेल कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण

1421. श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:
श्री जुएल ओराम:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार द्वारा रेल कार्यशालाओं के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए कोई कदम उठाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) प्रत्येक कार्यशाला पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) इस प्रयोजन के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना के पहले 4 वर्षों के लिए 269.11 करोड़ रुपए निर्धारित किये गये थे।

(ग) संलग्न विवरण की तालिका में 2002-03 और उससे आगे कारखानों के लिए धन का आबंटन दर्शाया गया है। सामान्यत: धन के आबंटन के अनुसार ही रकम खर्च की गई है।

विवरण

(आंकड़े हजार रुपयों में)

स्थान	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	कुल योग
1	2	3	4	5	6
अजमेर	–	100	30900	51858	82858
आलमबाग	–	–	–	100	100
अमृतसर	–	–	1500	3833	5333
भोपाल	5000	12100	21500	2500	41100
भुसावल	5000	10000	1000	6360	22360
चारबाग	12901	21500	17960	20368	72729
दाहोद	–	–	–	500	500
डिब्रूगढ़	14089	45154	21500	1000	81743
गोरखपुर	55010	45000	100000	7000	207010
हरनौट	–	100	150000	300000	450100
हुबली	10900	4500	–	–	15400
इज्जतनगर	–	350	2141	7390	9881
जगाधरी	34223	13260	32101	31293	110877

1	2	3	4	5	6
जमालपुर	40695	41219	67632	67848	217394
झांसी	7103	–	–	–	7103
जोधपुर	5990	10000	88556	34072	138618
कनचारापार	4000	500	500	35000	40000
खड़गपुर	39413	26439	5323	10946	82121
कोटा	–	150	500	9142	9792
नानागुडा	500	20000	18200	19950	58650
लिलुआ	52260	65024	51455	38174	206913
लोअर परेल	–	1200	41106	89300	131606
लखनऊ	10985	4257	5308	5570	26120
महालक्ष्मी	–	–	100	19809	19909
मनचेस्वर	11930	17250	6335	36907	72422
मातुंगा	37993	10000	8500	43672	100165
मैसूर	20000	10100	8900	600	39600
न्यु बौंगाइगांव	2703	7279	15442	25500	50924
परेल	9368	20000	8000	69550	106918
पैराम्बूर	49500	19500	14679	4500	88179
पौनमलाई	18780	8500	6080	39637	72997
रायपुर	10000	16508	2774	9989	39271
रेयानापाडु	73	2574	5017	1000	8664
रोयापुरम	–	–	–	500	500
सिथोली	10000	5000	4420	39700	59120
तुगलकाबाद	14137	–	–	–	14137
कुल योग	482553	437564	737429	1033568	2691114

रेल में सुविधाओं को बेहतर बनाना

1422. प्रो. एम. रामदास: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा सभी रेलों में साफ-सफ़ाई रखने और रेलवे द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार रेल में प्रदान की जा रही सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी अपनाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार शिकायत निवारण तंत्र को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कोई कदम उठा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) विभिन्न श्रेणी के सवारी डिब्बों के लिए सुविधाओं की उपलब्धता और अनुरक्षण "सुविधाओं की अनुसूची" के अनुसार प्राथमिकता और द्वितीय अनुरक्षण के दौरान सुनिश्चित की जाती है।

प्रत्येक सवारी डिब्बे की आवधिक मरम्मत की जाती है जिसमें सवारी डिब्बों की स्थिति ठीक की जाती है। कुछ डिब्बों जो 12-15 वर्ष पुराने हों, उन सवारी डिब्बों की हालत को बेहतर बनाने के लिए उनका मध्यावधि पुन: स्थापन भी किया जाता है। यात्रियों को आरामदायक यात्रा उपलब्ध कराने के लिए, अभिकल्प और प्रौद्योगिकी में भी लगातार सुधार किया जाता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) भारतीय रेलवे ने शिकायत निवारण तंत्र को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

* कर्मचारियों का जनता से संपर्क कम करने के लिए इंटरनेट बुकिंग, मोबाइल फोन द्वारा आरक्षण आदि नई प्रौद्योगिकी को शुरू किया गया।
* उन विशेष क्षेत्रों को जहां फ्रंटलाइन स्टाक के विरुद्ध शिकायत हो, चिन्हित किया गया है और निवारण कदम उठाए गए हैं।
* शिकायतों की संख्या घटाने के लिए पूछताछ, एकीकृत रेलगाड़ी पूछताछ प्रणाली स्थापित की गई।
* फ्रंटलाइन कर्मचारियों को क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है।
* रेलगाड़ियों के बेहतर समयपालन के लिए समयपालन अभियान चलाए जाते हैं। देरी से चलने वाली रेलगाड़ियों को चिन्हित किया जाता है और निवारक कदम उठाए जाते हैं।
* भीड़-भाड़ की अवधि के दौरान, अतिरिक्त बुकिंग काउंटर खोले जाते हैं और यात्रियों की प्रतीक्षा सूची को खत्म करने के लिए अतिरिक्त डिब्बे लगाए जाते हैं।
* स्टेशनों और रेलगाड़ियों में बेहतर स्वच्छता के लिए, महत्वपूर्ण स्टेशनों पर यांत्रिक सफाई प्रणाली शुरू की गई है।
* धन वापसी संबंधी नियमों को उदारीकृत किया गया है और धन वापसी मामलों की अधिकारी स्तर पर निगरानी रखा जाती है।

संस्कृत कार्यक्रम

1423. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूरदर्शन को संस्कृत कार्यक्रम के लिए कौन-सा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या दूरदर्शन ने आगामी वर्षों में आने वाले अपने सहस्राब्दि कार्यक्रम में संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) दूरदर्शन ने सूचित किया है कि उनके द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया गया है।

(ख) से (ङ) जी, हां। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि भारतीय श्रेण्य-साहित्य श्रृंखला के अन्तर्गत कमीशंड श्रेणी में संस्कृत में निम्नलिखित कार्यक्रमों को अनुमोदित किया गया है:

1. 'उत्तर रामचरितम्'
2. 'गाथा सप्तसती'
3. 'रघुवंशम्'
4. 'कुमार संभव'
5. 'अभिज्ञान शाकुंतलम्'।

गेल द्वारा विदेशी व्यापार का विस्तार

1424. श्री एस. के. खारवेनथन: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण का विचार हाइड्रो-कार्बन क्षेत्र में अपने आपरेशन का विस्तार विदेशों में करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस विस्तार के लिए कितनी परियोजनाओं की पहचान की गई है; और

(ग) इस आपरेशन से कितना राजस्व प्राप्त होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) गेल ने विदेश में अनेक तेल और गैस क्षेत्र परियोजनाओं में कार्य आरम्भ किया है। गेल के वैश्विकरण प्रयासों के अंतर्गत अब तक गेल ने मिस्र में तीन खुदरा गैस कंपनियों और चीन में एक खुदरा गैस कंपनी में इक्विटी हित प्राप्त किए हैं। इसके अलावा गेल ने म्यांमार (ए-1 और ए-3) में दो अपतटीय ई एण्ड पी ब्लाकों में 10 प्रतिशत भागीदारी हित के साथ फार्मड-इन किया है। ए-1 ब्लाक में गैस की खोजें पहले ही की जा चुकी हैं।

गेल ने भारतीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनी भागीदारों के साथ आस्ट्रेलियन बोली दौर में भागीदारी की है।

गेल चीन, ईरान, मिस्र, तुकी, रूस, कजाखस्तान, म्यांमार, बंगलादेश, इंडोनेशिया और आस्ट्रेलिया में ई एण्ड पी, एल एन जी, राष्ट्रपार और क्षेत्रीय पाइपलाइन, गैस संसाधन, पेट्रोरसायन, पी एन जी/सी एन जी परियोजनाओं सहित गैस क्षेत्र में विभिन्न व्यावसायिक अवसरों की खोज कर रही है।

(ग) गेल ने मिस्र की कंपनियों में किए गए निवेश से लाभांश प्राप्त करना आरम्भ कर दिया है। इस अवस्था में गेल के विदेशी व्यवसाय प्रचालन से होने वाली आय का अनुमान लगाना सम्भव नहीं होगा।

नौसेना बेसों को निजी संस्थाओं को किराए पर देना

1425. श्री रघुनाथ झा: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय नौसेना ने वर्ष 1999 के दौरान सक्षम प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किए बिना अपने नौसेना बेसों को बाजार किराए की तुलना में बहुत कम किराए पर निजी व्यावसायिक संस्थाओं को किराए पर दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय नौसेना ने गैर-सरकारी कोष के अंतर्गत अर्जित राजस्व को अपने पास ही रखा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सुरक्षा की अनदेखी करते हुए नौसेना बेसों को निजी संस्थाओं को किराए पर देने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन मामलों में क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) 1996 से 1999 तक की अवधि के दौरान नौसेना द्वारा रक्षा भूमि पर तीन व्यावसायिक संस्थाओं नामत: मुम्बई तथा विशाखापट्टनम में नौसेना समुद्री अकादमी (एनएएमएसी) तथा मुम्बई में नौसेना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) की स्थापना की गई थी। ये संस्थाएं वित्तीय रूप से स्वसंपोषण आधार पर चल रही हैं तथा इस प्रयोजनार्थ किसी सरकारी धन का प्रयोग नहीं किया जाता है। इनसे प्राप्त आय को नौसेना के गैर-सरकारी कोषों में जमा कराया जाता है तथा इसका उपयोग संस्थानों के दिन-प्रति-दिन के कामकाज के लिए तथा प्रशिक्षण-अवसंरचना के सतत उन्नयन के लिए किया जाता है।

(घ) इन संस्थाओं के नियमितीकरण हेतु एक प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के विचाराधीन है।

दूरदर्शन का तकनीकी स्टाफ

1426. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री कीर्तिवर्धन सिंह:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दूरदर्शन में काम करने वाले स्टाफ को, विशेषकर तकनीकी स्टाफ को निजी क्षेत्र द्वारा पैसों का लालच दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अभी तक लम्बी अनुपस्थिति और निजी कार्य करने के कारण दूरदर्शन के कितने स्टाफ को निलंबित और बर्खास्त किया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन की मानव संसाधन प्रबंधन नीति की समीक्षा करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इसकी समीक्षा कब तक किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि 12 कर्मचारियों को अनाधिकृत अनुपस्थिति और 2 कर्मचारियों को गैर-सरकारी कार्य करने के लिए निलंबति/बरखास्त कर दिया गया है।

(घ) से (च) दूरदर्शन हेतु लागू मौजूदा मानव संसाधन प्रबन्धन नीति इस नीति को प्रसार भारती द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए प्रसार भारती अधिनियम, 1990 के प्रावधानों के अंतर्गत अपनायी गयी नीति द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने तक जारी रहेगी।

[हिन्दी]

भारत और पाकिस्तान के बीच रेल लाइन

1427. श्रीमती किरण माहेश्वरी:
श्री राम सिंह कस्वां:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत और पाकिस्तान के बीच मुनाबाओ-खोकरापार रेल लिंक को खोलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान सरकार से इस रेल मार्ग के लिए अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उपर्युक्त रेल लिंक मार्ग के निर्माण पर कितना अनुमानित व्यय होने की संभावना है; और

(ङ) मुनाबाओ-खोकरापार रेल सुविधा कब तक शुरू होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) और (ङ) पाकिस्तान के माननीय राष्ट्रपति के 18 अप्रैल, 2005 को भारतीय दौरे के अंत में जारी हुए संयुक्त बयान में, मुनाबाओ (भारत)-खोखरापार (पाकिस्तान) मार्ग को 1 जनवरी, 2006 तक पुनः चालू करने पर सहमति हुई थी।

(घ) मुनाबाओ स्टेशन से भारत-पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक रेल पथ को पुनः बहाल करने पर 10.73 करोड़ रु. का व्यय होने का अनुमान है।

तीव्र गति की रेल

1428. प्रो. महादेवराव शिवनकर: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा 160 किलोमीटर से अधिक की गति से चलने वाली तीव्र गति की रेल संबंधी योजना वहीं की वहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या वित्तीय अड़चनों के कारण उक्त योजनाएं वहीं की वहीं हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस योजना में कितनी लागत अंतर्ग्रस्त है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) रेल मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के माध्यम से वर्ष, 2005-06 के लिए जापानी तकनीकी सहयोग के विकास अध्ययन कार्यक्रम के अन्तर्गत मुम्बई-अहमदाबाद के बीच तेज रफ्तार वाली रेल लिंक परियोजना पर विचार किया था। सरकार ने तत्पश्चात् जापानी प्राधिकारियों को सूचित किया कि परियोजना की प्राथमिकता में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए व्यावहारिकता अध्ययन शुरू नहीं किया जाए।

(घ) से (च) रेल मंत्रालय ने मुम्बई-अहमदाबाद के बीच तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी चलाने के लिए व्यावहारिकता अध्ययन रेल इंडिया टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग सर्विस द्वारा करवाया है। यातायात चालू करते समय (2011-12 में) अनुमानित लागत वित्तीय आंतरिक प्रतिफल की दर 20,352 करोड़ रु. आंकी गई थी जो कि बहुत कम है।

[अनुवाद]

मिट्टी के तेल के डिपो/फुटकर बिक्री केन्द्र

1429. श्री जी. करूणाकर रेड्डी:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में 46 प्रतिशत ब्लाकों में एक भी मिट्टी के तेल का डिपो/फुटकर बिक्री केन्द्र नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रत्येक ब्लाक में कम से कम एक मिट्टी के तेल का डिपो/फुटकर बिक्री केन्द्र की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई योजना तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (च) फिलहाल सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओ एम सीज) देश में कुल 6050 ब्लाकों में से 2776 ब्लाकों में मिट्टी तेल के थोक बिक्री डीलरों का प्रचालन नहीं कर रही है। सरकार ने देश में पी डी एस नेटवर्क को सुदृढ़ करने की योजना हाल में अनुमोदित की है। योजना, जो जन केरोसीन परियोजना (जे के पी) नामक प्रायोगिक परियोजना के रूप में चलाई जा रही है, का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पी डी एस मिट्टी तेल वितरण नेटवर्क को सुधारा जाए ताकि यह भारी राजसहायता प्राप्त उत्पाद वास्तव में आशयित लाभ प्राप्तकर्त्ताओं को राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर अपेक्षित मात्रा में वास्तव में उपलब्ध हो और दूसरी ओर इस प्रकार मिलावट के लिए पी डी एस एस के ओ के विपथन को नियंत्रित, कम और अंततोगत्वा समाप्त किया जा सके।

पी डी एस मिट्टी तेल विपणन नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने के लिए योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

(1) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां देश के विकास खण्डों में से प्रत्येक में कम से कम एक मिट्टी तेल (एस के ओ) डीलरशिप स्थापित करेंगी;

(2) जिला प्रशासन और थोक डीलर के साथ परामर्श करके प्रत्येक ब्लाक में लगभग 5-10 उप थोक बिक्री केन्द्र स्थापित किए जाएंगे;

(3) जन सूचना का व्यापक प्रसार और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पी डी एस मिट्टी तेल के परिवहन के लिए टैंकर-ट्रकों (टी टीज) का समर्पित बेड़ा होगा और इन टी टीज पर विशेष लोगो प्रदर्शित करेंगे जो इस समर्पित बेड़े के लिए तैयार किया जा रहा है। टी टी के बाहरी ओर यह स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अभिप्रेत मिट्टी तेल का परिवहन कर रहा है।

(4) ओ एम सीज द्वारा अपने स्वयं के खर्चे पर पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों पर उपलब्ध कराई गई आधुनिक सुविधाओं के समान ही एस के ओ डीलरशिपों पर भण्डार वितरण सेवाएं लगाई जाएंगी। मंत्रालय के तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओ आई डी बी) प्रायोगिक परियोजना के तहत प्रत्येक डीलरशिप पर निम्नलिखित सुविधाओं की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए ओ एम सीज को वित्त पोषित करेगा:

- न्यूनतम 20 कि.ली. की क्षमता वाले भण्डारण टैंक
- मापांकित वितरण पम्प
- उप थोक बिक्री केन्द्रों को एस के ओ के वितरण के लिए विशेष लोगो से सुसज्जित पर्याप्त संख्या में बैरल।
- एक अथवा अधिक बैरल शेड।

(5) ओ एम सीज के डिपुओं से थोक बिक्री भण्डारों तक और इसके बाद उप थोक बिक्री केन्द्रों को आपूर्तियां उन ओ एम सीज की सीधी देखरेख और जिम्मेदारी के अंतर्गत की जाएंगी जो पर्याप्त संख्या में ऐसे बैरल उपलब्ध कराएंगी, जो विशेष लोगो से सुसज्जित होंगे और ये बैरल खुदरा केन्द्रों को पी डी एस एस के ओ की सुविधापूर्ण और सुनिश्चित परिवहन के लिए उप थोक बिक्री केन्द्र पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसी प्रकार के लोगो थोक बिक्री से उप थोक बिक्री केन्द्रों तक और वहां से उचित दर दुकानों के खुदरा केन्द्रों तक पी डी एस एस के ओ का परिवहन करने वाले वाहनों पर प्रदर्शित किये जाएंगे।

(6) प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर पी डी एस के ओ स्पष्टत: पहचान किये गये लोगोज लगे बैरलों में भण्डार किया जाएगा जहां जन साधारण उस उचित दर दुकान पर पी डी एस एस के ओ की बकाया उपलब्धता अपने आप जानने के लिए पहुंच सकते हैं।

(7) राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके पंचायतें और ग्राम सभाएं राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर पी डी एस एस के ओ की उपलब्धता का सामान्यत: पर्यवेक्षण करने के लिए शक्तिप्रदत्त होंगी और किसी भी कमी की रिपोर्ट राज्य प्रशासन और संबंधित ओ एम सीज को करने के लिए पंचायतों/ग्राम सभाओं के लिए एक रिपोर्टिंग व्यवस्था चालू की जाएगी।

इस योजना को आरम्भ में छह महीने की अवधि के लिए प्रयोगिक आधार पर देश के 10% ब्लाकों में क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया है। उसके बाद योजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया जाएगा तथा प्राप्त अनुभव के आधार पर सरकार पूरे देश को कवर करने के लिए योजना का आधार बढ़ाने पर विचार करेगी।

यह प्रायोगिक परियोजना 2 अक्तूबर, 2005 से आरम्भ की गई है। फिलहाल, इस प्रायोगिक परियोजना का क्रियान्वयन 23 राज्यों और 1 केन्द्र शासित प्रदेश को शामिल करते हुए 417 ब्लाकों में किया जा रहा है।

विदेशी प्रसारणकर्ता

1430. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घरेलू प्रसारणकर्ताओं की तुलना में विदेशी प्रसारणकर्ता सरकार को बहुत कम कर का भुगतान कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विदेशी तथा घरेलू प्रसारणकर्ताओं से कुल कितनी निधि एकत्र की गई है;

(घ) देश में डी टी एच सेवा प्रदाताओं के नाम तथा उनके उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है; और

(ङ) विदेशी प्रसारणकर्त्ताओं से घरेलू प्रसारणकर्ताओं के समान कर एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/ प्रस्तावित हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार विदेशी प्रसारकों से आयकर अधिनियम, 1961 सेवा कर विनियमों और उनके लिए अनुप्रयोज्य दोहरी कराधान परिहार्यता संधि के प्रावधानों के अनुसार कर प्रभारित किया जाता है।

(ग) राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय ने सूचित किया है कि विदेशी एवं स्वदेशी प्रसारकों द्वारा प्रदत्त सेवा कर के ब्यौरे के संबंध में किसी प्रकार के पृथक आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं। तथापि, गत तीन वर्षों 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान संग्रहीत सेवाकर क्रमश: 90 करोड़ रुपए, 178 करोड़ रुपए और 273 करोड़ रुपये है।

(घ) मैसर्स ए एस सी इंटरप्राइजेज लिमिटेड नामक केवल एक सशुल्क डीटीएच सेवाप्रदाता है, जिसके पास दिनांक 31.3.2005 तक की स्थिति के अनुसार 154684 ग्राहक हैं।

(ङ) वित्त मंत्रालय ने सूचित किया है कि विदेशी प्रसारण कम्पनियों को इस बात को सुनिश्चित करते हुए आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत लाया जाता है कि वे प्रत्येक वर्ष आय विवरणी प्रस्तुत करते हैं और इन विवरणियों के आधार पर उनका उपयुक्त मूल्यांकन किया जाता है। इसके अतिरिक्त उनको किए गए भुगतान में से स्रोत पर ही कर की कटौती करके कर संग्रहण किया जा रहा है।

कंटेनर परिवहन नीति

1431. श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री बसुदेव आचार्य:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैश्विक व्यापारियों से कंटेनर भाड़ा (फ्रेट) व्यावसाय में और अधिक प्रतिस्पर्धा को अनुमति देने के लिए निरंतर दबाव रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कंटेनर भाड़ा (फ्रेट) व्यवसाय को निजी व्यापारियों के लिए खोलने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार कंटेनर परिवहन नीति बनाने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) से (च) जी हां। रेलवे जनित कंटेनर यातायात को निजी व्यापारियों के लिए खोलने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। विस्तृत नीति निर्धारण के बाद इस व्यवसाय को निजी व्यापारियों के लिए खोल दिया जाएगा।

डाउनलिंकिंग दिशा-निर्देश

1432. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों में डाउनलिंकिंग करने वाले चैनलों के मालिकों/वितरकों के पूर्ववृत्त की जांच और वैधता के सत्यापन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उपग्रह टेलीविजन चैनलों के बेहतर विनियमन के लिए डाउनलिंकिंग दिशा-निर्देश बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) डाउनलिंकिंग दिशा-निर्देश कब तक बनने और अधिसूचित करने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (घ) अभी तक, विदेश से अपलिंक किए जा रहे टी वी चैनलों पर कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था। एकमात्र नियंत्रण केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के जरिए उनके प्रसारण/पुन:प्रसारण पर था। विदेश से अपलिंक किए जाने वाले किसी टेलीविजन चैनल के सहज अभिग्रहण पर कोई नियंत्रण नहीं था। इसके मद्देनजर, सरकार ने हाल ही में, डाउनलिंकिंग के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनमें भारत में डाउनलिंक किए जा रहे टी वी चैनलों के पंजीकरण का प्रावधान है। उनमें ये भी प्रावधान है कि टी वी चैनलों की डाउनलिंकिंग करने की इच्छुक कोई भी कम्पनी/संस्था सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करेगी। विस्तृत दिशा-निर्देश सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट http//mib.nic.in पर उपलब्ध हैं।

टी वी चैनलों की डाउनलिंकिंग करने संबंधी अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदक कम्पनी के लिए दिशा-निर्देशों में पात्रता संबंधी निर्धारित विस्तृत मापदंडों में प्रावधान है कि:

* इसे, इक्विटी संरचना, विदेशी स्वामित्व या प्रबंध नियंत्रण के निरपेक्ष, भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत भारत में पंजीकृत एक कम्पनी होना चाहिए।
* आवेदक कंपनी का भारत में उसके मुख्य व्यावसायिक स्थल के साथ भारत में वाणिज्यिक अस्तित्व होना चाहिए।
* आवेदक कंपनी को अपने निदेशकों एवं मुख्य कार्यपालकों के संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए उनका ब्यौरा उपलब्ध कराना चाहिए।
* सभी मौजूदा चैनलों को अनुपालन हेतु 180 दिन दिए गए हैं।

चैनलों का आबंटन

1433. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दूरदर्शन के फ्री-टु-एयर प्लेटफार्म हेतु कम से कम एक सौ चैनलों के लिए अपने स्थान (स्पेस) का विस्तार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान प्लेटफार्म का ब्यौरा क्या है और उनमें से दूरदर्शन और निजी प्रसारणकर्त्ताओं द्वारा कितने-कितने चैनल प्रसारित किए जा रहे हैं;

(घ) स्थान (स्पेस) के विस्तार के पश्चात दूरदर्शन और निजी प्रसारणकर्त्ताओं को कितने-कितने चैनल आवंटित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) विस्तार परियोजना कब तक पूर्ण होने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क), (ख) और (ङ) प्रसारण भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन के फ्री-टु-एयर डी टी एच समूह में टी वी चैनलों की संख्या को वर्ष 2006-2007 के दौरान मौजूदा तैंतीस चैनलों से पचास चैनलों तक बढ़ाये जाने की परिकल्पना है। इसके अतिरिक्त, प्रसार भारती का अपनी क्षमता को 100 टी वी चैनल तक बढ़ाने का एक अलग प्रस्ताव है।

(ग) दूरदर्शन की फ्री-टु-एयर डी टी एच सेवा बारह आकाशवाणी चैनलों के अतिरिक्त उन्नीस दूरदर्शन और चौदह निजी चैनल उपलब्ध कराती है।

(घ) इस मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

कुरद्वारी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म का निर्माण

1434. रामदास आठवले: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार महाराष्ट्र में कुरद्वारी रेलवे स्टेशन पर एक और प्लेटफार्म के निर्माण पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सोलापुर मंडल पर कुरद्वारी एक 'डी' कोटि वाला स्टेशन है जहां दो उच्च स्तर के द्वीपीय प्लेटफार्म 1/2 और 3/4 हैं। इस प्रकार वहां आगमन/प्रस्थान के लिए चार प्लेटफार्म उपलब्ध हैं और जो यात्री यातायात के स्तर और गाड़ियों के मौजूदा फेरों के लिए पर्याप्त है।

[अनुवाद]

संपर्क सड़कों का मरम्मत कार्य

1435. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्व रेलवे प्राधिकारियों ने सियालदह मंडल के बारासात-हसनाबाद खंड के बीच के सभी स्टेशनों को जाने वाली संपर्क सड़कों का मरम्मत कार्य शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मरम्मत कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) पूर्व रेलवे बारासात-हसनाबाद खंड में 9 स्टेशनों, अर्थात् चम्पापुकुर, मालातीपुर, मध्यमपुर, टाकी रोड, बशीरहाट, हसनाबाद, बाहीरा, कालीबाडी, सौनडालिया और हारुआ रोड के पहुंच मार्गों की मरम्मत कर रहा है। इन कार्यों को मई, 2006 में पूरा करने की योजना है।

एरनाकुलम-त्रिवेन्द्रम का विद्युतीकरण कार्य

1436. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में एरनाकुलम-त्रिवेन्द्रम लाइन के विद्युतीकरण कार्य में अभी तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) निर्धारित समय में कार्य के पूरा न होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) एरनाकुलम-त्रिवेन्द्रम रेल लाइन (अलैप्पी और कोट्टायम के रास्ते) 320 मार्ग किमी का विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है। मार्च, 2005 तक 252 मार्ग किमी को विद्युतीकृत किया जा चुका है। समग्र खंड को पूरा करने का लक्ष्य दिसंबर, 2005 है।

पुराने नियमों में परिवर्तन

1437. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सकार ने एयर लाइन्स हेतु पुराने नियमों में परिवर्तन करके उन्हें यूरोप और संयुक्त राज्य द्वारा पालन किए जा रहे आधुनिक मानकों के अनुरूप बनाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) वायुयान अधिनियम तथा वायुयान नियमों की समय-समय पर संवीक्षा की जाती है तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर के साथ बराबरी रखने तथा नागर विमानन सैक्टर में विकास के प्रावधान को ध्यान में रखकर संशोधन किए जाते हैं।

विज्ञापनों के माध्यम से दूरदर्शन और ए आई आर को अर्जित होने वाला राजस्व

1438. श्री जसुभाई धानाभाई बारड: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान विज्ञापनों के टेलीकास्ट/ब्राडकास्ट से दूरदर्शन और आल इंडिया रेडियो (एआईआर) की राजस्व अर्जन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान दूरदर्शन तथा ए आई आर द्वारा अर्जित कुल राजस्व का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान विज्ञापनों की दरों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई; और

(घ) दूरदर्शन और ए आई आर के माध्यम से और अधिक विज्ञापनों को आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि आकाशवाणी द्वारा अर्जित राजस्व लगातार बढ़ रहा है। गत तीन वर्षों के दौरान दूरदर्शन/आकाशवाणी द्वारा अर्जित वाणिज्यिक राजस्व का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	आकाशवाणी	दूरदर्शन
2002-03	132.25	553.81
2003-04	141.04	530.23
2004-05	156.39	665.27

(ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि आकाशवाणी ने केवल प्रायोजित कार्यक्रमों/घरेलू कार्यक्रमों की प्रायोजकता के निःशुल्क वाणिज्यिक समय के मूल्य और स्पाट-बाई दर को युक्तिसंगत बनाने के लिए दिसम्बर, 2002 में विज्ञापनों के लिए दरों को संशोधित कर दिया है। वृद्धि की प्रतिशत नगण्य है। जहां तक दूरदर्शन का संबंध है, विज्ञापनों की दरों में 10% की वृद्धि वर्ष 2003-04 में की गई थी जिसे वर्ष 2004-05 में हटा दिया गया था।

(घ) आकाशवाणी ने अपने केन्द्रीय बिक्री एकक (सीएसयू), मुंबई में आनलाइन बुकिंग प्रणाली शुरू की है जिसे सभी विज्ञापनदाताओं और ग्राहकों के लिए इसके सभी 15 विज्ञापन प्रसारण सेवा केन्द्रों से जोड़ दिया गया है। इसके अतिरिक्त, आकाशवाणी गुवाहाटी में एक नए विज्ञापन प्रसारण सेवा केन्द्र की स्थापना पर कार्रवाई कर रहा है और तिरूवनंतपुरम में नए विपणन प्रभाग स्थापना पर विचार कर रहा है। आकाशवाणी ने स्थल बुकिंग हेतु और अधिक विज्ञापनदाताओं को आकर्षित करने के लिए 1:1 बोनस स्कीम भी शुरू की है।

जहां तक दूरदर्शन का संबंध है, राजस्व बढ़ाने के विचार से कई कदम उठाए गए हैं। ये नीचे दिए निम्न प्रकार से हैं:

1. कार्यक्रमों के विपणन में सुधार करने के लिए मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता और बंगलौर में विपणन प्रभागों को चालू कर दिया गया है।

2. कार्य प्राप्त करने और विभिन्न मंत्रालयों/सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की प्रचार अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए विकास संचार प्रभाग की स्थापना कर दी गई है।

3. यह सुनिश्चित करना कि विभिन्न चैनलों पर स्लाटों के खाली न रहें।

4. समय पर बिलों की तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली में दूरदर्शन की विज्ञापन सेवा की बिलिंग प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण।

5. दूरदर्शन के कार्यक्रमों और इसकी ब्रांड छवि, समाचारपत्रों हेतु विनिमय व्यवस्था प्रबन्धों को प्रोत्साहित करना।

6. विभिन्न व्यावसायिक साफ्टवेयर घरानों से गुणवत्ता वाले साफ्टवेयर की अधिप्राप्ति।

7. सिगनलों के डिजिटलीकरण करके प्रसारण गुणवत्ता में सुधार करना और अब केबल आपरेटरों को सिगनलों के डिजिटलीकरण करके प्रसारण गुणवत्ता में सुधार करना और अब केबल आपरेटरों को सिगनलों एनालग प्रणाली अथवा डिजिटल प्रणाली में डाउनलोड करने का विकल्प दे दिया गया है।

8. वाणिज्यिक दर कार्ड की निरन्तर समीक्षा की जा रही है और इसे बाजार प्रक्रिया के अनुसार संशोधित किया जा रहा है।

9. गैर-गंभीर एजेंसियों की बड़ी संख्या को कम करने के लिए प्रत्यायित एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली बैंक गारंटी की राशि को 3.00 लाख रुपये से बढ़ा कर 25.00 लाख रुपये कर दिया गया है।

आर सी आई द्वारा पोलियो प्रभावित व्यक्तियों को प्रशिक्षण

1439. श्री मनोरंजन भक्त: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुनर्वास परिषद् (आर सी आई) द्वारा पोलियो प्रभावित व्यक्तियों को विशेष शिक्षा तथा पुनर्वास (कार्यक्रम) में प्रशिक्षण दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसे पोलियो प्रभावित लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोई योजना/कार्यक्रम बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) पोलियोग्रस्त व्यक्तियों सहित इच्छुक और पात्र व्यक्तियों को भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यताप्राप्त विशेष शिक्षा एवं पुनर्वास कार्यक्रम में प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ख) ऐसे कार्यक्रमों का ब्यौरा, भारतीय पुनर्वास परिषद की वेबसाइट: www.rehabcouncil.nic.in पर उपलब्ध है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

एफ एम टेलीविजन

1440. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार निजी क्षेत्र द्वारा चलाए जा रहे एफ एम रेडियो की तर्ज पर एफ एम टेलीविजन को अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित एफ एम टेलीविजन दूरदर्शन से प्रतिस्पर्धा करेगा;

(ग) यदि हां, तो क्या एफ·एम टेलीविजन द्वारा अर्जित राजस्व को सरकार के साथ बांटा जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (ङ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने अगस्त, 2005 में निजी स्थलीय टी वी प्रसारण सेवा से संबंधित मुद्दों के बारे में सिफारिश की हैं। सरकार द्वारा इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

विमान दुर्घटनाएं

1441. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी विमान दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ख) ऐसी दुर्घटनाओं के कारण क्या हैं और इनके परिणामस्वरूप इंडियन एयरलाइन्स द्वारा वहन की गई हानि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में दुर्घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, भारतीय सिविल पंजीकृत विमानों की 17 दुर्घटनाएं हुई।

(ख) जांच रिपोर्टों में बताए गए कारण, विमानचालकों का गलत निर्णय, खराब विमान कर्मी समन्वय, यांत्रिक/तकनीकी समस्याएं, खराब अनुरक्षण, अनुभव की कमी तथा मौसम व्यवधान होना है। इन दुर्घटनाओं में इंडियन एयरलाइन्स का कोई विमान शामिल नहीं था।

(ग) नागर विमानन महानिदेशालय संरक्षा आडिट के माध्यम से लगातार आधार पर, सभी विमान आपरेटर द्वारा संरक्षा मानकों का कड़ा अनुपालन सुनिश्चित करते हैं, जिसमें निजी आपरेटर भी शामिल हैं, इसके अलावा, डीजीसीए द्वारा अनुरक्षण कार्यकलापों पर की मौके पर ही जांच की जाती है। नागर विमानन महानिदेशालय, नागर विमानन अपेक्षाएं/परिपत्रों को अद्यतन भी रखती हैं जिससे विमानन संरक्षा पहलुओं को सुदृढ़ किया जा सके।

विमान संरक्षा पहलू में सुधार के लिए बेहतर उड़नयोग्यता अनुसूची प्रदान करने के लिए, सरकार नागर विमानन महानिदेशालय तथा एयरलाइनों के अधिकारियों के लिए दो अन्तरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम अर्थात्, प्रचालनात्मक संरक्षा का सहकारी विकास व सतत् उड़नयोग्यता कार्यक्रम (कोसकैप) तथा यूरोपीय यूनियन-भारत प्रशिक्षण कार्यक्रम, चला रही है। नागर विमानन महानिदेशालय के उड़ान निरीक्षक विमानचालक, विभिन्न आपरेटरों के विमानचालकों की आवधिक दक्षता तथा मानकीकरण जांच करते हैं जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्धारित प्रचालन कार्यविधियों का अनुपालन किया जा रहा है।

कर्मचारी-वायुयान अनुपात

1442. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रति वायुयान कर्मचारियों की दृष्टि से एअर इंडिया में भारी अधिशेष जनशक्ति है;

(ख) यदि हां, तो अन्य विदेशी एयरलाइनों में अनुपात सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वायुयान अनुपात के अनुसार कर्मचारियों की संख्या को तर्कसंगत बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) एअर इंडिया के विमान से कर्मचारी का अनुपात 385 है। यद्यपि अन्य विदेशी एयरलाइंसों के हवाले से आंकड़े नहीं रखे गए हैं, विमान से कर्मचारी का अनुपात अन्य एयरलाइंसों की तुलना में तुलनात्मक रूप से अधिक है। जबकि सम्पूर्ण विश्व में अधिकांश एयरलाइसें अनुरक्षण कार्य एक सीमा तक ही करती हैं तथा बड़े अनुरक्षण कार्य भू सेवाएं, यात्री/कार्गो सेवाएं आदि बाहरी संसाधनों से किए जाते हैं, एअर इंडिया द्वारा ये सभी कार्रवाइयां पूर्णतया स्वयं की जाती हैं तथा साथ ही बहुत सी विदेशी एयरलाइंसों के लिए भी भू सेवा कार्य निष्पादित किए जाते हैं। तथापि, एअर इंडिया द्वारा कर्मचारियों की संख्या कम करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें—

(1) गैर-प्रचालन श्रेणियों में आंतरिक भर्ती को रोकना

(2) विदेशी स्टेशनों पर कर्मचारियों की संख्या में कटौती।

(3) गैर-प्रचालन कर्मचारियों की प्रचालन श्रेणियों में पुन: तैनाती।

(4) स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना लागू करना।

(5) सेवानिवृत्ति की आयु को 60 से 58 वर्ष में कम करना।

(6) गैर-कोर-गतिविधियों के लिए आउटसोर्सिंग तथा सब्सिडियरी कंपनियों की स्थापना।

मार्गों के चयन हेतु प्रतिमान (पैरामीटर)

1443. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा कुछ नई अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन उड़ानों के लिए मार्गों के चयन के लिए क्या प्रतिमान (पैरामीटर) है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं के प्रचालन के लिए यातायात अधिकारों को विभिन्न देशों के साथ किए गए हमारे द्विपक्षीय हवाई सेवा करारों में विनिर्दिष्ट किया जाता है तथा यातायात मांग, हमारे वाहकों के हितों के सन्तुलन, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समग्र हित तथा राजनयिक/राजनैतिक विचारों के आधार पर एक सतत् प्रक्रिया के एक भाग के रूप में इनकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है। तथापि, मार्ग चयन सहित वास्तविक प्रचालनों को एयरलाइनों के वाणिज्यिक निर्णयन पर छोड़ दिया जाता है।

एअर इंडिया द्वारा द्विपक्षीय करार

1444. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एअर इंडिया तथा अन्य एयरलाइनों के बीच किए गए द्विपक्षीय करारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान एअर इंडिया तथा अन्य एयरलाइनों द्वारा किए गए सीट समायोजनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप एअर इंडिया ने अन्य एयरलाइनों के लिए बहुत सारी सीटें खो दी हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) हालांकि, सरकारी स्तर पर द्विपक्षीय विमान सेवा करारों पर हस्ताक्षर किए गए एअर इंडिया ने क्षतिपूर्ति, कोड-शेयर/ब्लाक्ड स्पेस, राजस्व पूलिंग, संयुक्त उद्यम करार के रूप में 22 एयरलाइनों के साथ वाणिज्यिक करार किए।

(ख) एअर इंडिया ने 12 एयरलाइनों अर्थात एरोफ्लोट, एयर फ्रांस एयर मारीशियस, आस्ट्रियन एयरलाइन्स, अमीरात, कुवैत एयरवेज, लुफ्थांसा, मलेशिया एयरलाइन्स, सिंगापुर एयरलाइन्स, स्विस अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन्स, थाई एयरवेज तथा टर्किश एयरलाइन्स के साथ किए गए कोड शेयर/ब्लाक्ड स्पेस करारों में सीटों के समायोजन का समझौता किया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को प्रशिक्षण

1445. श्री रामदास आठवले: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, भारत और विदेशों में नियमों के अनुसार जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारत तथा विदेशों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के लिए कितने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भारत तथा विदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को नियमानुसार प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान भारत/विदेश में अ.जा./अ.ज.जा. के कार्मिकों के लिए आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है:**

	2002-03	2003-04	2004-05
प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	1424/36	1427/29	1840/27
नामांकित अ.जा. अधिकारियों की संख्या	1742/10	2395/9	2024/2
नामांकित अ.ज.जा. अधिकारियों की संख्या	732/6	713/0	890/0

**विदेश में आई ओ सी ने कोई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया। उपर्युक्त कार्यक्रमों को बाह्य एजेंसियों द्वारा आयोजित किया गया है।

(ग) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) आई ओ सी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आई ओ सी के अ.जा./अ.ज.जा. कार्मिकों को नियमों के अनुसार भारत और विदेश में प्रशिक्षित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

दबाव और थकावट के मामले

1446. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि थलसेना के जवानों के बीच दबाव और थकावट के कारण हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो आज तक पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष ऐसी कितनी घटनाएं सूचित की गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने जवानों में ऐसी प्रवृत्ति के कारणों को ढूंढने के लिए कोई अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या निवारणात्मक उपाय किए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) हमला और हंगामा करने के इक्के-दुक्के मामले, अथवा हत्या या आत्महत्या करने जैसे अन्य आपराधिक कृत्यों का सहारा लेना, मौटे तौर पर व्यावसायिक दबाव के कारण हो सकता है न कि अत्यधिक थकान के कारण। ऐसी घटनाओं की संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में रिपोर्ट की गई हमले तथा हंगामों की वारदातों सहित हिंसा की कुल घटनाओं की कुल संख्या नीचे दी गई है। सेना में, 1154108 कार्मिक हैं। इस संदर्भ में, नीचे दिए गए आंकड़े देखे जा सकते हैं:

वर्ष	हिंसा, जिसमें हमला तथा दंगा शामिल हैं
2002	37
2003	25
2004	33
2005 (आज तक)	18

हत्या और आत्महत्या के मामलों की कुल संख्या निम्नलिखित है:

वर्ष	हत्या	आत्महत्या
2002	6 (सूचित)	66 (सूचित)
2003	16	96
2004	18	100
2005 (आज तक)	16	71

(ग) और (घ) सैनिकों द्वारा किए जाने वाले गंभीर अपराधों के मामलों की पहचान, विश्लेषण तथा रोकथाम करना एक सतत् प्रक्रिया है। इस बारे में, रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय की अध्ययन-रिपोर्ट में सुझाए गए उपाय सभी संबंधितों को व्यापक रूप से सूचित कर दिए गए हैं। ऐसे अनुदेश जारी किए जा चुके हैं जिनसे सैनिकों की आवश्यकताओं तथा यूनिट की भावनाओं का समय पर तथा सकारात्मक प्रत्युत्तर देने को प्रोत्साहित किया जाता है।

सवारी-डिब्बों का निर्माण

1447. श्री गणेश सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई ने स्टेनलेस स्टील के रेल सवारी डिब्बों का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो (प्रति सवारी डिब्बा) सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इनकी निर्यात क्षमताओं का मूल्यांकन करने के लिए कोई विपणन नीति तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) मलेशिया की रेलवे के लिए सवारी डिब्बा कारखाना ने मैसर्स हर्तासुमा एस डी एन बी एच डी को बिना बोगियों एवं आंतरिक परिसज्जा के मीटर आमान वातानुकूलित स्टेनलेस स्टील के 11 डिब्बों के खाकों का निर्माण किया है और सप्लाई की है। यह आर्डर 790,170 अमेरिकी डालर का था।

(ग) और (घ) निर्यात विपणन को बढ़ावा देना एक सतत् प्रक्रिया है जो भारतीय रेल की तरफ से मैसर्स रेल इंडिया एंड इकोनामिक सर्विसेज (राईट्स) द्वारा किया जाता है। मानक आमान बोगी के डिजाइन का विकास विश्व बाजार में संभाव्य निर्यात के लिए स्वयं को तैयार करने की दिशा में एक कदम है।

[हिन्दी]

मुक्त आकाश नीति

1448. श्री वाई.जी. महाजन:
श्री अविनाश राय खन्ना:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मुक्त आकाश नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या इस नीति के तहत विमानन उद्योग की वृद्धि की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) चूंकि सरकार द्वारा विदेशी मार्गों पर यातायात अधिकारों को धीरे-धीरे उदारीकृत किया गया है, 'खुला आकाश' जैसी कोई नीति नहीं अपनाई गई है। यातायात अधिकारियों के उदारीकरण के परिणामस्वरूप भारत तथा अन्य देशों के बीच प्रचालन में वृद्धि हुई है।

[अनुवाद]

जयपुर विमानपत्तन पर राडार सुविधा

1449. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जयपुर विमानपत्तन पर कार्य के निष्पादन के लिए कर्मचारियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई प्रस्तावित है;

(ग) क्या जयपुर विमानपत्तन पर द्वितीयक राडार सुविधा प्रदान नहीं की गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा विमानपत्तन पर यह सुविधा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जयपुर हवाईअड्डे पर द्वितीयक राडार सुविधा उपलब्ध कराने की वर्तमान में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा वि प्रा) की कोई योजना नहीं हैं।

[अनुवाद]

नई विपणन रणनीति

1450. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कंटेनर निगम ने नई विपणन रणनीति की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नई विपणन रणनीति के कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

एफ एम रेडियो

1451. श्री एस.के. खारवेनथन:
श्री अब्दुल्लाकुट्टी:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एफ एम रेडियो के द्वितीय चरण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) राज्यवार कितनी अतिरिक्त फ्रिक्वेंसी आबंटित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार किसी एक एफ एम चैनल में देश के सभी भागों को शामिल करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एफ एम रेडियो के द्वितीय चरण का प्रसारण कब तक शुरू होने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (ङ) निजी एफ एम रेडियो (चरण-2) के लिए नीति की अधिसूचना के अनुसरण में सरकार ने, दिनांक 21.9.2005 को देश भर के 91 शहरों में 338 रेडियो स्टेशनों की स्थापना करने के लिए भारतीय कम्पनियों से अर्हता-पूर्व निविदाएं आमंत्रित की। स्टेशनों की अवस्थितियों और स्टेशनों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

सरकार ने विभिन्न शहरों की वित्तीय नीलामी की समय-सारणी भी अधिसूचित की है जिसे जनवरी-फरवरी, 2006 नियत किया गया है। अर्हता-प्राप्त कम्पनियां वित्तीय नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की पात्र होंगी। आशय-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् सफल निविदाताओं को अधिकतम नौ माह की अवधि के भीतर विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करने की जरूरत होगी, जिस पर वे सरकार के साथ "अनुमति मंजूरी करार" नामक एक करार पर हस्ताक्षर करेंगे। तत्पश्चात् पक्षकारों द्वारा करार की तारीख से एक वर्ष के भीतर और अधिकतम 18 माह तक स्टेशन को परिचालित करना आवश्यक होगा।

विवरण

चरण-2 के लिए एफ एम चैनलों की अवस्थिति का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	शहर	श्रेणी	चैनलों की उपलब्ध संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	ए	7
		विजयवाड़ा	बी	2
		विशाखापट्टनम	बी	3

1	2	3	4	5
		राजामुंदरी	सी	4
		तिरुपति	सी	2
		वारांगल	सी	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर	डी	4
3.	असम	गुवाहाटी	सी	4
4.	बिहार	पटना	बी	4
		मुज्जफरपुर	सी	4
5.	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	सी	4
		रायपुर	सी	4
6.	गोवा	पणजी	डी	3
7.	गुजरात	सूरत	ए	4
		अहमदाबाद	ए	5
		राजकोट	बी	3
		वढोदरा	बी	4
8.	हरियाणा	हिसार	डी	4
		करनाल	डी	2
9.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	डी	4
10.	जम्मू-कश्मीर	श्रीनगर	सी	4
		जम्मू	सी	3
11.	झारखण्ड	रांची	सी	4
		जमशेदपुर	बी	4
12.	कर्नाटक	बंगलौर	ए	7
		गुलबर्गा	सी	4
		मंगलौर	सी	4
		मैसूर	सी	4
13.	केरल	तिरुअनंतपुरम	सी	4
		कोची	बी	3
		कोजीकोड	सी	2

1	2	3	4	5
		त्रिशूर	सी	4
		कन्नूर	सी	4
14.	मध्य प्रदेश	सागर	सी	4
		भोपाल	बी	4
		इन्दौर	बी	3
		जबलपुर	बी	4
		ग्वालियर	सी	4
15.	महाराष्ट्र	शोलापुर	सी	3
		मुंबई	ए +	5
		पुणे	ए	3
		नागपुर	ए	6
		अहमदनगर	सी	3
		धुले	सी	2
		जलगांव	सी	4
		कोलापुर	सी	2
		नांदेड़	सी	4
		नासिक	सी	2
		सांगली	सी	2
		अकोला	सी	4
		औरंगाबाद	सी	3
16.	मणिपुर	इम्फाल	डी	4
17.	मेघालय	शिलांग	डी	4
18.	मिजोरम	एजवाल	डी	4
19.	नागालैंड	कोहिमा	डी	4
20.	उड़ीसा	राऊरकेला	सी	4
		भुवनेश्वर/कटक	सी	4
21.	पंजाब	अमृतसर	बी	4
		जालंधर	सी	4

1	2	3	4	5
		पटियाला	सी	4
22.	राजस्थान	जयपुर	ए	5
		अजमेर	सी	4
		जोधपुर	सी	4
		बीकानेर	सी	4
		कोटा	सी	4
		उदयपुर	सी	4
23.	सिक्किम	गंगटोक	डी	4
24.	तमिलनाडु	चैन्नई	ए +	6
		तिरूचि	सी	4
		तिरूनेलवेली	सी	3
		टूटीकोरीन	सी	4
		कोयम्बटूर	बी	3
		मदुरई	बी	3
25.	त्रिपुरा	अगरतला	डी	4
26.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	ए	2
		कानपुर	ए	3
		आगरा	बी	3
		इलाहाबाद	बी	4
		वाराणसी	बी	4
		अलीगढ़	सी	2
		बरेली	सी	4
		गोरखपुर	सी	4
		झांसी	सी	4
27.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	ए +	5
		असनसोल	बी	2
		सिलीगुडी	सी	4
28.	दिल्ली	दिल्ली	ए +	6

1	2	3	4	5
29.	चण्डीगढ़	चण्डीगढ़	सी	2
30.	अण्डमान और निकोबार	पोर्ट ब्लेयर	डी	4
31.	दमन एवं दीव	दमन	डी	2
32.	पाण्डिचेरी	पाण्डिचेरी	सी	3
	कुल	91		338

रेलवे के राजस्व में गिरावट

1452. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि रेलवे कम किराए वाले एयरलाइन्सों की प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए अपने उच्च श्रेणी के किराए में कमी कर सकती थी;

(ख) यदि हां, तो एयरलाइन्सों के घटते किरायों के कारण रेलवे के राजस्व अर्जन पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ग) रेलवे की आय को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) रेलों को एयरलाइन्स सेक्टर, विशेषकर कम लागत वाली एयरलाइन्स से प्रतियोगिता की जानकारी है। बहरहाल, रेल यात्री आमदनी में कोई दृश्य प्रभाव नहीं पड़ा जिसमें चालू वित्त वर्ष के प्रथम सात महीनों में 8% से अधिक वृद्धि का प्रदर्शन किया है। रेल ने यात्री आमदनी बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(1) अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाकर और यात्री प्रोफाइल प्रबंधन परियोजना द्वारा रेलगाड़ियों के प्रोफाइल में परिवर्तन करके बैठने के लिए अतिरिक्त स्थान सृजित करना।

(2) लोकप्रिय रेलगाड़ियों को अधिकतम भार से चलाना।

(3) अतिरिक्त डिब्बे लगाकर प्रतीक्षा सूची क्लीयर करना।

(4) कोचिंग स्टाक की उपयोगिता में सुधार करना ताकि डिब्बों की कमी को दूर किया जा सके।

सेंसर बोर्ड

1453. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हिन्दी के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं में फीचर फिल्मों को सेंसर किए जाने के संबंध में गैर-सरकारी संगठनों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सेंसर बोर्ड और इसकी क्षेत्रीय समितियों का पुनर्गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सेंसर बोर्ड और इसकी क्षेत्रीय समितियों का पुनर्गठन कब तक किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) जी, हां। एक गैर-सरकारी संगठन से प्रमाणन हेतु केवल एक फिल्म प्राप्त हुई थी।

(ख) फिल्म 'देवराय' (मराठी) को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा सी.सी.सं.सी.आई.एल./3/90/2004-सी.एल. के तहत प्रमाणित किया गया था जिसके निर्माता व आवेदक स्किजोफ्रेनिया अवेयरनेस एसोसिएशन और के.एस. वानी मेमोरियल ट्रस्ट हैं और इसे 'वयस्क' प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया था।

(ग) और (घ) जी, हां। केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति की दिनांक 13.10.2004 की अधिसूचना के तहत की गयी थी और सेंसर बोर्ड के सदस्यों के दिनांक 5.2.2005, 3.3.2005 और 3.6.2005 की अधिसूचनाओं के तहत नियुक्त किया गया था जिससे सदस्यों की कुल संख्या 23 हो गयी। मुंबई,

चेन्नै, हैदराबाद, बंगलौर, दिल्ली और तिरूवनंतपुरम के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए सलाहकार पैनलों का पुनर्गठन किया गया था। फरवरी, 2004 में गठित कोलकाता, कटक और गुवाहाटी के सलाहकार पैनलों का आगे पुनर्गठन नहीं किया गया है।

(ङ) सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल सामान्यत: तीन वर्षों की अवधि का अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, होता है। सलाहकार पैनल के सदस्यों की नियुक्ति दो वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाती है।

नागर विमानन क्षेत्र में उचित प्रतिस्पर्धा

1454. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुक्त आकाश नीति के अनुपालन में कई निजी एयरलाइन्सों ने नागर विमानन क्षेत्र में प्रवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में भारत में संचालित की जा रही निजी एयरलाइन्सों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या निजी एयरलाइन्सों द्वारा आकर्षक छूट दिए जाने के बावजूद सामान्य परिस्थितियों में सरकारी कर्मचारियों को मात्र सरकारी क्षेत्र की एयरलाइन्स द्वारा यात्रा करने को अनिवार्य बनाकर काफी लम्बे समय से सरकारी क्षेत्र की एयरलाइन्स को अनुसूचित संरक्षण दिए जाने के मद्देनजर निजी एयरलाइन्सों को अभी भी समान अवसर दिया जाना शेष है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नागर विमानन क्षेत्र के श्रेष्ठ हित में उचित प्रतिस्पर्धा उपलब्ध कराने के लिए समान अवसर देने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) इस समय देश में 8 निजी एयरलाइनें अनुसूचित हवाई यातायात सेवाएं प्रदान कर रही हैं।

(ग) से (च) सार्वजनिक क्षेत्र की एयरलाइनें सरकार की सामाजिक आर्थिक वचनबद्धता को निभाने का कार्य कर रही हैं और दूरवर्ती एवं दुर्गम क्षेत्रों तक हवाई संपर्क पहुंचाने के उद्देश्य से काफी सारे अनार्थिक रूटों पर प्रचालन करती हैं। इसके अतिरिक्त, सरकारी कर्मचारी पहले-आओ-पहले-पाओ आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के वाहकों द्वारा प्रस्तुत रियायती एवं संवर्धनात्मक किरायों का लाभ भी उठा सकते हैं। इस प्रकार से सार्वजनिक क्षेत्र के वाहकों को कोई अनुचित संरक्षण प्रदान नहीं किया जा रहा है। सरकारी कर्मचारी उन क्षेत्रों में निजी एयरलाइनों द्वारा यात्रा कर सकते हैं जहां सार्वजनिक क्षेत्र के वाहकों द्वारा संपर्क नहीं हैं।

अप्रयुक्त हवाई पट्टियों का उपयोग

1455. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में निमान यातायात में बढ़ोत्तरी के मद्देनजर अप्रयुक्त हवाई पट्टियों का उपयोग आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में निजी एयरलाइन्सों के प्रवेश के पश्चात् काम में लायी जा रही हवाई पट्टियों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) वर्ष 2004-05 के दौरान आज तक इन हवाई पट्टियों के उपयोग द्वारा कुल कितना घाटा कम हुआ है; और

(ङ) सरकार द्वारा अप्रयुक्त हवाई पट्टियों पर व्यय को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) हाल में, ग्वालियर, इलाहाबाद तथा गोरखपुर पर सिविल एन्क्लेव तथा जबलपुर, हुबली तथा बेलगांव पर एयरपोर्टों का प्रचालन प्रारंभ किया गया है।

(घ) वर्ष 2004-05 के दौरान, कुल घाटे में कमी नहीं आई है बल्कि घाटा और 28.49 लाख रुपए बढ़ गया है।

(ङ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) द्वारा प्रयोग न की जा रही हवाई पट्टियों के पहरा तथा निगरानी स्टाफ में न्यूनतम तक कटौती की गई है। इसके अतिरिक्त, संबंधित राज्य सरकार को विमानन प्रयोजनों के लिए प्रयोग न की जा रही हवाई पट्टियों को लीज पर लेने का प्रस्ताव दिया गया है।

रेल परियोजनाओं की समीक्षा

1456. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सचिवों की समिति (सी.ओ.एस.) ने 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक की लागत वाली 78 रेल परियोजनाओं की व्यापक समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब के कारण समय और लागत में भारी बढ़ोत्तरी हुई है; और

(ग) यदि हां, तो सचिवों की समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गयी हैं और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां, 24.8.2005 को सचिवों की समिति (सी.ओ.एस.) की एक बैठक हुई थी जिसमें 100 करोड़ रुपये और इससे अधिक की लागत की 139 रेल परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई थी।

(ख) जी नहीं, समय और लागत की अधिकता की अवधारणा को कड़ाईपूर्वक सिर्फ उन परियोजनाओं के लिए लागू किया जा सकता है जहां परियोजनाओं को शुरू करते समय धन प्रतिबंधित वित्त पोषण सुनिश्चित हो और रेल के मामले में धन का विनिश्चय वार्षिक आधार पर किया जाता है और इस प्रकार, सभी परियोजनाओं को पूरा करने का समय बता पाना संभव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जनजातीय क्षेत्रों में टी.वी. स्टेशन

1457. श्री रामदास आठवले: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषत: जनजातीय क्षेत्रों में आज की तिथि के अनुसार स्थापित टेलीविजन रिले स्टेशनों की स्थान-वार संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन रिले स्टेशनों पर कितना व्यय आया है;

(ग) इनमें से कितने रिले केन्द्र उचित ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं; और

(घ) इनके कार्यकरण को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) प्रसार भारती द्वारा यह सूचित किया गया है कि देश में दूरदर्शन नेटवर्क के 1404 ट्रांसमीटरों में से 429 ट्रांसमीटर जनजातीय उप-योजना (टी.एस.पी.) जिलों में अवस्थित हैं। इन ट्रांसमीटरों की राज्य-वार अवस्थितियां संलग्न विवरण में अन्तर्विष्ट हैं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ट्रांसमीटर-परियोजनाओं पर वहन किया गया व्यय निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	व्यय (करोड़ रुपए में)
2002-03	177.37
2003-04	65.38
2004-05	45.81

(ग) दूरदर्शन नेटवर्क में ट्रांसमीटरों का कार्य-निष्पादन सामान्यत: संतोषजनक है। उन्चास अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (एल.पी.टी.) पर्याप्त स्टाफ की अनुपलब्धता के कारण इस समय सीमित प्रसारण कर रहे हैं तथा अन्य दस अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर उपस्कर में खराबी, चोरी आदि के कारण कार्यशील नहीं हैं।

(घ) दूरदर्शन द्वारा निर्बाधित प्रसारण मुहैया कराने तथा खराबी को तत्काल ठीक करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाते हैं। अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों के मामले में, खराबी को ठीक करने में कुछ समय लगता है क्योंकि ये कर्मी-दल रहित प्रतिष्ठान हैं और स्टाफ को नजदीकी अनुवीक्षण केंद्र से तत्काल भेजा जाना होता है।

विवरण

जनजातीय उपयोजना जिलों में स्थित दूरदर्शन ट्रांसमीटर

राज्य	ट्रांसमीटर	
1	2	
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (अदद-5)		
	अ.श.ट्रां.	कार निकोबार
	अ.अ.श.ट्रां.	कैंपबेल बे
	अ.अ.श.ट्रां.	ग्रेट निकोबार
	अ.अ.श.ट्रां.	काटछल
	अ.अ.श.ट्रां.	नानकोवरी

1	2
आन्ध्र प्रदेश (अदद-31)	
उ.श.ट्रां.	राजामुदरै
उ.श.ट्रां.	राजामुदरै (डी डी न्यूज)
उ.श.ट्रां.	विशाखापट्टनम्
उ.श.ट्रां.	विशाखापट्टनम (डी डी न्यूज)
उ.श.ट्रां.	वारंगल
अ.श.ट्रां.	आदिलाबाद
अ.श.ट्रां.	अमलापुरम
अ.श.ट्रां.	बेलामपाल्लै
अ.श.ट्रां.	भद्राचलम
अ.श.ट्रां.	भाईनसा
अ.श.ट्रां.	भीमाडोलू
अ.श.ट्रां.	भीमावरम्
अ.श.ट्रां.	बेबबिली
अ.श.ट्रां.	काकीनाडा (डी.डी. न्यूज)
अ.श.ट्रां.	खाम्माम
अ.श.ट्रां.	कोठगोदाम
अ.श.ट्रां.	मंदासा
अ.श.ट्रां.	निर्मल
अ.श.ट्रां.	सिरपुर
अ.श.ट्रां.	सिरीकाकुलम
अ.श.ट्रां.	टेककाली
अ.श.ट्रां.	टयूनी
अ.श.ट्रां.	विशाखापट्टनम
अ.श.ट्रां.	विशाखापट्टनम (डी डी न्यूज)
अ.श.ट्रां.	चेलानांदू
अ.अ.श.ट्रां.	छिनतापाल्ली (आर.एल.एस.)
अ.अ.श.ट्रां.	इच्छापुरम (आर.एल.एस.)
अ.अ.श.ट्रां.	पार्वतीपुरम (आर.एल.एस.)
अ.अ.श.ट्रां.	सीतामपेत्ता (आर.एल.एस.)
असम (अदद 22)	
उ.श.ट्रां.	डिबरूगढ़
उ.अ.श.ट्रां.	गुवाहाटी
उ.अ.श.ट्रां.	गुवाहाटी (डी.डी. न्यूज)
उ.अ.श.ट्रां.	सिलचर
अ.अ.श.ट्रां.	सिलचर (डी.डी. न्यूज)
अ.अ.श.ट्रां.	बोकाघाट
अ.अ.श.ट्रां.	बोनगाईगांव
अ.अ.श.ट्रां.	दुबरी
अ.अ.श.ट्रां.	डिबरूगढ़ (डी.डी. न्यूज)
अ.अ.श.ट्रां.	गोलपारा
अ.अ.श.ट्रां.	हाटसंधीमारी
अ.अ.श.ट्रां.	जोरहाट
अ.अ.श.ट्रां.	कोकराझार
अ.अ.श.ट्रां.	मारघीरीटा
अ.अ.श.ट्रां.	नाजीरा
अ.अ.श.ट्रां.	उत्तरी लखीमपुर
अ.अ.श.ट्रां.	सोनारी
अ.अ.श.ट्रां.	तेजपुर
अ.अ.श.ट्रां.	तिनसुखिया
अ.अ.श.ट्रां.	डिगबोई
एक्सर अ.श.ट्रां.	गुवाहाटी

1	2
छत्तीसगढ़ (28 अदद)	
उ.श.ट्रां.	अंबिकापुर
उ.श.ट्रां.	जगदलपुर
उ.श.ट्रां.	रायपुर
उ.श.ट्रां.	रायपुर (डी.डी. न्यूज)
अ.श.ट्रां.	बाईलाडिल्ला
अ.श.ट्रां.	बिलासपुर
अ.श.ट्रां.	चम्पा
अ.श.ट्रां.	डुंगरगढ़
अ.श.ट्रां.	कानकेर
अ.श.ट्रां.	खारोड़
अ.श.ट्रां.	कोरबा
अ.श.ट्रां.	खुरसिया
अ.श.ट्रां.	मानिंदेरगढ़
अ.श.ट्रां.	नारायणपुर
अ.श.ट्रां.	पनडेरिया
अ.श.ट्रां.	पेनडरा रोड
अ.श.ट्रां.	रायगढ़
अ.श.ट्रां.	राजहारा झारंडिली
उ.श.ट्रां.	साकती
अ.अ.श.ट्रां.	बीजापुर
अ.अ.श.ट्रां.	देवभोग
अ.अ.श.ट्रां.	जैशपुरनगर
अ.अ.श.ट्रां.	कोनडागांव
अ.अ.श.ट्रां.	कोयलीबेडा
अ.अ.श.ट्रां.	पखनजौर
अ.अ.श.ट्रां.	पथलगांव
अ.अ.श.ट्रां.	सरणगढ़

1	2
दमन और दीव (1 अदद)	
अ.श.ट्रां.	दमण
गुजरात (33 अदद)	
उ.श.ट्रां.	सूरत
उ.श.ट्रां.	सूरत (डी.डी. न्यूज) (इनट.)
अ.श.ट्रां.	अहवा
अ.श.ट्रां.	हमोद
अ.श.ट्रां.	भाब्बर
अ.श.ट्रां.	भारूच
अ.श.ट्रां.	छोटा उदयपुर
अ.श.ट्रां.	देदियापारा
अ.श.ट्रां.	दीसा
अ.श.ट्रां.	देवगढ़ वरिया
अ.श.ट्रां.	घरमपुर
अ.श.ट्रां.	दोहाड
अ.श.ट्रां.	ईडेर
अ.श.ट्रां.	झागडिया
अ.श.ट्रां.	केवडिया कलोनी
अ.श.ट्रां.	लुनावाडा
अ.श.ट्रां.	मंगरौल (सूरत)
अ.श.ट्रां.	मोडसा
अ.श.ट्रां.	पालनपुर
अ.श.ट्रां.	राजपीपला
अ.श.ट्रां.	सनजेली
अ.श.ट्रां.	श्यामलाजी
अ.श.ट्रां.	सोनगढ़
अ.श.ट्रां.	थरड़

1	2	
	अ.श.ट्रां.	अमरगांव
	अ.श.ट्रां.	वडोदरा
	अ.श.ट्रां.	वडोदरा (डी.डी. न्यूज)
	अ.श.ट्रां.	वालसद
	अ.श.ट्रां.	वेरावल
	अ.अ.श.ट्रां.	काकरापुर (आर.एल.एस.)
	अ.अ.श.ट्रां.	नेतरंग (आर.एल.एस.)
	अ.अ.श.ट्रां.	सगवाडा (आर.एल.एस.)
हिमाचल प्रदेश (12)		
	अ.अ.श.ट्रां.	भारमौर
	अ.अ.श.ट्रां.	चंबा
	अ.अ.श.ट्रां.	छाऊरी खास
	अ.अ.श.ट्रां.	डलहौजी
	अ.अ.श.ट्रां.	होली
	अ.अ.श.ट्रां.	जहलमा
	अ.अ.श.ट्रां.	काजा
	अ.अ.श.ट्रां.	कालपा
	अ.अ.श.ट्रां.	केलोंग
	अ.अ.श.ट्रां.	निछार
	अ.अ.श.ट्रां.	तिस्सा
	अ.अ.श.ट्रां.	उदयपुर
झारखंड (13)		
	उ.श.ट्रां.	डालटनगंज
	उ.श.ट्रां.	जमशेदपुर
	उ.श.ट्रां.	जमशेदपुर (डी.डी. न्यूज)
	उ.श.ट्रां.	रांची
	उ.श.ट्रां.	रांची (डी.डी. न्यूज)
	अ.श.ट्रां.	बर्हार्वा

1	2	
	अ.श.ट्रां.	चाईबासा
	अ.श.ट्रां.	दुमका
	अ.श.ट्रां.	घाटशिला
	अ.श.ट्रां.	गोड्डा
	अ.श.ट्रां.	गुमला
	अ.श.ट्रां.	लोहरदग्गा
	अ.श.ट्रां.	मुराबाणी
	अ.श.ट्रां.	नौमुंडी
	अ.श.ट्रां.	सरायकेला
	अ.अ.श.ट्रां.	गड़वा (डी.डी. न्यूज)
	अ.अ.श.ट्रां.	सिम्डेगा
कर्नाटक (अदद सं.-13)		
	उ.अ.श.ट्रां.	मंगलौर
	उ.अ.श.ट्रां.	मैसूर
	उ.अ.श.ट्रां.	मैसूर (डी.डी. न्यूज)
	अ.श.ट्रां.	बन्तवाल
	अ.श.ट्रां.	बेल्ठान्गडी
	अ.श.ट्रां.	चिक्मगलुर
	अ.श.ट्रां.	कोप्पा
	अ.श.ट्रां.	मेदीकेरी
	अ.श.ट्रां.	मुदीगेरे
	अ.श.ट्रां.	पुट्टुर
	अ.श.ट्रां.	उडीपी
	अ.अ.श.ट्रां.	श्रृंगेरी (आर.एल.एस.)
	अ.अ.श.ट्रां.	सुल्या (आर.एल.एस.)
केरल (अदद सं.-19)		
	उ.श.ट्रां.	केन्नानोरी (अन्तरीम सेट अप)

1	2
उ.श.ट्रां.	त्रिवेन्द्रम
उ.श.ट्रां.	त्रिवेन्द्रम (डी.डी. न्यूज)
अ.श.ट्रां.	अट्टाप्पडी
अ.श.ट्रां.	केन्नानोरी (डी.डी. न्यूज)
अ.श.ट्रां.	चंगानाचेर्री
अ.श.ट्रां.	इडुक्की
अ.श.ट्रां.	केल्पेट्टा
अ.श.ट्रां.	मालाप्पुरम
अ.श.ट्रां.	मन्जेरी
अ.श.ट्रां.	पाला
अ.श.ट्रां.	पालघाट
अ.श.ट्रां.	शोरानूर
अ.श.ट्रां.	टेल्लीचेर्री
अ.श.ट्रां.	थेडूपुज्हा
अ.अ.श.ट्रां.	देवीकोलम (आर.एल. एस.)
अ.अ.श.ट्रां.	ईराटटुपेट्टा (आर.एल. एस.)
अ.श.ट्रां.	कंजीरापल्ली (आर.एल. एस.)
अ.श.ट्रां.	मुंडाकायम (आर.एल. एस.)
मध्य प्रदेश (अदद-सं. 34)	
उ.श.ट्रां.	जबलपुर
उ.श.ट्रां.	जबलपुर (डी.डी. न्यूज)
उ.श.ट्रां.	शहडोल
अ.श.ट्रां.	अलीराजपुर
अ.श.ट्रां.	बडवानी
अ.श.ट्रां.	बालाघाट

1	2
अ.श.ट्रां.	बेतूर
अ.श.ट्रां.	विजयपुर
अ.श.ट्रां.	बुरहानपुर
अ.श.ट्रां.	छिंदवाड़ा
अ.श.ट्रां.	हर्डा
अ.श.ट्रां.	इटारसी
अ.श.ट्रां.	जाओड़ा
अ.श.ट्रां.	झाबुआ
अ.श.ट्रां.	केलारास
अ.श.ट्रां.	खण्डवा
अ.श.ट्रां.	खरगांव
अ.श.ट्रां.	कुक्षी
अ.श.ट्रां.	लखनडोम
अ.श.ट्रां.	मलानजखंड
अ.श.ट्रां.	माण्डला
अ.श.ट्रां.	मुल्ताई
अ.श.ट्रां.	मुरवाड़ा
अ.श.ट्रां.	पंचमाही
अ.श.ट्रां.	पिपारिया
अ.श.ट्रां.	रतलाम
अ.श.ट्रां.	सेओनी
अ.श.ट्रां.	शेओपुर
अ.श.ट्रां.	सीधी
अ.श.ट्रां.	सिन्धवा
अ.श.ट्रां.	सिंगरौली
अ.अ.श.ट्रां.	अलोट
अ.अ.श.ट्रां.	पैरासिया
अ.अ.श.ट्रां.	सिंगरौली

1	2
महाराष्ट्र (53 अदद)	
उ.श.ट्रां.	चन्द्रपुर
उ.श.ट्रां.	जलगांव (अंतरिम)
उ.श.ट्रां.	पुणे
उ.श.ट्रां.	पुणे (डी.डी. न्यूज)
अ.श.ट्रां.	अचलपुर
अ.श.ट्रां.	अहेरी
अ.श.ट्रां.	अहमदनगर
अ.श.ट्रां.	अमलनेर
अ.श.ट्रां.	अमरावती
अ.श.ट्रां.	अमरावती (डी.डी. न्यूज)
अ.श.ट्रां.	बादलापुर
अ.श.ट्रां.	भामरागाड
अ.श.ट्रां.	भुसावल
अ.श.ट्रां.	ब्रह्मपुरी
अ.श.ट्रां.	चन्दूर
अ.श.ट्रां.	दरियापुर
अ.श.ट्रां.	घाड़गांव
अ.श.ट्रां.	धर्माबाद
अ.श.ट्रां.	धुले
अ.श.ट्रां.	धुले (डी.डी. न्यूज)
अ.श.ट्रां.	डिगलूर
अ.श.ट्रां.	गढ़चिलोरी
अ.श.ट्रां.	किवन्त
अ.श.ट्रां.	मालेगांव
अ.श.ट्रां.	मालेगांव (डी.डी. न्यूज)
अ.श.ट्रां.	मनमांडू

1	2
अ.श.ट्रां.	मोर्सी
अ.श.ट्रां.	नांदेड़
अ.श.ट्रां.	नांदेड़ (डी.डी. न्यूज)
अ.श.ट्रां.	नन्दूवाड
अ.श.ट्रां.	नासिक
अ.श.ट्रां.	नासिक (डी.डी. न्यूज)
अ.श.ट्रां.	नवापुर
अ.श.ट्रां.	पंधारकावाड़ा
अ.श.ट्रां.	पुसाद
अ.श.ट्रां.	रावेड
अ.श.ट्रां.	संगमनेर
अ.श.ट्रां.	सतना
अ.श.ट्रां.	शहाद
अ.श.ट्रां.	शिरडी
अ.श.ट्रां.	सिरपुर
अ.श.ट्रां.	शिरोंचा
अ.श.ट्रां.	उमारखेड़
अ.श.ट्रां.	वाणी
अ.श.ट्रां.	यवतमाल
अ.अ.श.ट्रां.	भोकार (आर.एल.एस.)
अ.अ.श.ट्रां.	चिकालधारा (आर.एल.एस.)
अ.अ.श.ट्रां.	चिमूर (आर.एल.एस.)
अ.अ.श.ट्रां.	जुनार (आर.एल.एस.)
अ.अ.श.ट्रां.	पिंपालनेर, सांडकी (आर.एल.एस.)
अ.अ.श.ट्रां.	सिंधवाही (आर.एल.एस.)
अ.अ.श.ट्रां.	तीसवा (आर.एल.एस.)

1	2
मणिपुर (6 अदद)	
उ.श.ट्रां.	चुराचांदपुर
अ.श.ट्रां.	उखरूल
अ.अ.श.ट्रां.	चन्देल
अ.अ.श.ट्रां.	कांगपोक्पी
अ.अ.श.ट्रां.	मोरेह
अ.अ.श.ट्रां.	सेनापती
उड़ीसा (अदद 61)	
उ.श.ट्रां.	बालेश्वर
उ.श.ट्रां.	बेहरामपुर
अ.श.ट्रां.	भवानीपटना
अ.श.ट्रां.	सम्बलपुर
अ.श.ट्रां.	सम्बलपुर (डी.डी. न्यूज)
अ.श.ट्रां.	आनन्दपुर
अ.श.ट्रां.	बालेश्वर (डी.डी. न्यूज)
अ.श.ट्रां.	बलियापाल (डी.डी. न्यूज)
अ.श.ट्रां.	बालीगुरहा
अ.श.ट्रां.	बारगढ़
अ.श.ट्रां.	बारीपड़ा
अ.श.ट्रां.	भद्रक
अ.श.ट्रां.	भांजनगर
अ.श.ट्रां.	बीरमित्रपुर
अ.श.ट्रां.	बोनई
अ.श.ट्रां.	बोऊध
अ.श.ट्रां.	बृजराजनगर
अ.श.ट्रां.	चिकीटी
अ.श.ट्रां.	देवगढ़

1	2
अ.श.ट्रां.	जी. उदयगिरी
अ.श.ट्रां.	जेयपुर
अ.श.ट्रां.	जोडा
अ.श.ट्रां.	काबीसूर्यनगर
अ.श.ट्रां.	करणजिया
अ.श.ट्रां.	केओनझारगढ़
अ.श.ट्रां.	खरीयाड़
अ.श.ट्रां.	कोरापुट
अ.श.ट्रां.	कोटयाड
अ.श.ट्रां.	कुचिन्डा
अ.श.ट्रां.	मलकानगिरी
अ.श.ट्रां.	मोहाना
अ.श.ट्रां.	नवरंगपुर
अ.श.ट्रां.	नौपाड़ा
अ.श.ट्रां.	पद्मपुर
अ.श.ट्रां.	पदमापुरम
अ.श.ट्रां.	पदुआ
अ.श.ट्रां.	पलीखेमुन्डी
अ.श.ट्रां.	फुलबाणी
अ.श.ट्रां.	रायरंगपुर
अ.श.ट्रां.	रायागाडा
अ.श.ट्रां.	रेधखोल
अ.श.ट्रां.	राउरकेला
अ.श.ट्रां.	सिम्लीगुडा
अ.श.ट्रां.	सोहेला
अ.श.ट्रां.	सुंदरगढ़
अ.श.ट्रां.	उमरकोट
अ.श.ट्रां.	बड़ा बारबील

1	2	
	अ.अ.श.ट्रां.	चित्राकोन्डा (आर.एल. एस.)
	अ.अ.श.ट्रां.	जयपटना
	अ.अ.श.ट्रां.	कलामपुर (आर.एस.एस.)
	अ.अ.श.ट्रां.	काशीपुर (आर.एल.एस.)
	अ.अ.श.ट्रां.	कोकसारा
	अ.अ.श.ट्रां.	लांजीगढ़ (आर.एल.एस.)
	अ.अ.श.ट्रां.	मछखुड (आर.एल.एस.)
	अ.अ.श.ट्रां.	पायकमल (आर.एल. एस.)
	अ.अ.श.ट्रां.	राउरकेला (आर.एल.एस.)
	अ.अ.श.ट्रां.	सिम्लीपालगढ़ (आर.एल. एस.)
	अ.अ.श.ट्रां.	सुब्डेगा (आर.एल.एस.)
	अ.अ.श.ट्रां.	थुआमल रामपुर
	ट्रांसपोंडर	सुनाबेडा
राजस्थान (22 अदद)		
	अ.श.ट्रां.	बन्सी (डी.डी. न्यूज)
	अ.श.ट्रां.	बन्सवाड़ा
	अ.श.ट्रां.	बाड़ी सदड़ी
	अ.श.ट्रां.	चित्तौड़गढ़
	अ.श.ट्रां.	डूंगरपुर
	अ.श.ट्रां.	केसरियाजी
	अ.श.ट्रां.	कुशलगढ़
	अ.श.ट्रां.	माउंटआबू
	अ.श.ट्रां.	नाथवाड़
	अ.श.ट्रां.	प्रतापगढ़
	अ.श.ट्रां.	रावतसर
	अ.श.ट्रां.	सागवाड़ा

1	2	
	अ.श.ट्रां.	सलूमबेड़
	अ.श.ट्रां.	सिरोही
	अ.श.ट्रां.	उदयपुर
	अ.श.ट्रां.	उदयपुर (डी.डी. न्यूज)
	अ.श.ट्रां.	बल्लभनगर
	अ.अ.श.ट्रां.	अमेट
	अ.अ.श.ट्रां.	भीम
	अ.अ.श.ट्रां.	देवगढ़
	अ.अ.श.ट्रां.	कोटरा
	अ.अ.श.ट्रां.	कुम्भलगढ़
	अ.अ.श.ट्रां.	रावतभाटा
सिक्किम (8 अदद)		
	अ.श.ट्रां.	गंगटोक
	अ.श.ट्रां.	गंगटोक (डी.डी. न्यूज)
	अ.अ.श.ट्रां.	ग्यालशिंग
	अ.अ.श.ट्रां.	मानगन
	अ.अ.श.ट्रां.	नामची
	अ.अ.श.ट्रां.	रांगपो
	अ.अ.श.ट्रां.	सिंगटम
	अ.अ.श.ट्रां.	जोरआंग
तमिलनाडु (27 अदद)		
	अ.श.ट्रां.	एम्बुर
	अ.श.ट्रां.	अरानी
	अ.श.ट्रां.	आरकोट
	अ.श.ट्रां.	अट्टुर
	अ.श.ट्रां.	चेय्यार
	अ.श.ट्रां.	चिदम्बरम
	अ.श.ट्रां.	कुड्डलोर

1	2	
	अ.श.ट्रां.	देनकानिकोट्टा
	अ.श.ट्रां.	धरमापुरी
	अ.श.ट्रां.	गुडियाटम
	अ.श.ट्रां.	कल्लाकुरूचि
	अ.श.ट्रां.	कृष्णागिरी
	अ.श.ट्रां.	नेप्पेली
	अ.श.ट्रां.	पेरानामपेट
	अ.श.ट्रां.	सलेम
	अ.श.ट्रां.	सलेम (डी.डी. न्यूज)
	अ.श.ट्रां.	टिन्डीवनम
	अ.श.ट्रां.	तिरूचिरापल्ली
	अ.श.ट्रां.	तिरूचिरापल्ली (डी.डी. न्यूज)
	अ.श.ट्रां.	तिरूपट्टुर
	अ.श.ट्रां.	तिरूपट्टुर (डी.डी. न्यूज)
	अ.श.ट्रां.	वानीयाम्बाड़ी
	अ.श.ट्रां.	वेल्लोर
	अ.श.ट्रां.	वेल्लोर (डी.डी. न्यूज)
	अ.श.ट्रां.	विल्लुपुरम
	अ.अ.श.ट्रां.	जिन्जी (आर.एल.एस.)
	अ.अ.श.ट्रां.	वाजापाडी (आर.एल.एस.)
त्रिपुरा (9 अदद)		
	उ.श.ट्रां.	अगरतला
	उ.श.ट्रां.	अगरतला (डी.डी. न्यूज)
	अ.श.ट्रां.	उमरपुर
	अ.श.ट्रां.	जोलगईबाड़ी
	अ.श.ट्रां.	कैलासहर
	अ.श.ट्रां.	कैलासहर (डी.डी. न्यूज)

1	2	
	अ.श.ट्रां.	तेलियामुरा
	अ.अ.श.ट्रां.	धरमनगर
	ट्रांसपोंडर	बेल्लोनिया
उत्तर प्रदेश (1 अदद)		
	उ.श.ट्रां.	लखीमपुर
पश्चिम बंगाल (28 अदद)		
	उ.श.ट्रां.	आसनसोल
	उ.श.ट्रां.	आसनसोल (डी.डी. न्यूज)
	उ.श.ट्रां.	बलूरघाट (अन्तरिम सेट अप)
	उ.श.ट्रां.	खरागपुर (अन्तरिम सेट अप)
	उ.श.ट्रां.	कुर्सेयांग
	उ.श.ट्रां.	मुर्शीदाबाद
	उ.श.ट्रां.	मुर्शीदाबाद (डी.डी. न्यूज)
	उ.श.ट्रां.	शांतिनिकेतन
	अ.श.ट्रां.	अलीपुरद्वार
	अ.श.ट्रां.	बागमण्डी
	अ.श.ट्रां.	बलरामपुर
	अ.श.ट्रां.	बर्धमान
	अ.श.ट्रां.	बसान्ती (डी.डी. न्यूज)
	अ.श.ट्रां.	बिष्णुपुर
	अ.श.ट्रां.	कोनटई
	अ.श.ट्रां.	दार्जीलिंग
	अ.श.ट्रां.	फराक्का
	अ.श.ट्रां.	गढ़बेटा
	अ.श.ट्रां.	झलडा
	अ.श.ट्रां.	झारग्राम

1	2	
	अ.श.ट्रां.	कलींपोंग
	अ.श.ट्रां.	काल्ना
	अ.श.ट्रां.	माल्दाह
	अ.श.ट्रां.	मोदिनीपुर
	अ.श.ट्रां.	पुरूलिया
	अ.श.ट्रां.	रायना
	अ.श.ट्रां.	शांतिनिकेतन (डी.डी. न्यूज)
	अ.अ.श.ट्रां.	एग्रा (आर.एल.एस.)

[अनुवाद]

बंगाल की खाड़ी में नए अन्वेषण

1458. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगाल की खाड़ी बेसिन में नए प्राकृतिक गैस भण्डार क्षेत्र पाए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस भण्डार की व्यावसायिक व्यवहार्यता का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पश्चिम बंगाल में तेल और गैस के अन्वेषण हेतु प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) जी, हां। ब्लाक एन.ई.सी.-ओ.एस.एन.-97/2 का प्रचालक मैसर्स रिलायंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बंगाल की खाड़ी में 6 जगह गैस की खोज की है।

(ग) और (घ) इन गैस खोजों के लिए किए गए प्रचालनकर्ता के वाणिज्यिक रूप से आकलनों को उत्पादन हिस्सेदारी संविदा के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार समीक्षा करने हेतु हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय को प्रस्तुत किया जा चुका है।

(ङ) पश्चिम बंगाल में तेल एवं प्राकृतिक गैस कारपोरेशन लिमिटेड के पास एक एकड़ क्षेत्र है। कोन्टाई क्षेत्र ओ.एन.जी.सी. को नामांकन आधार पर दिया गया था। ब्लाक से अर्जित 3-डी भूकंपीय डाटा का निवर्चन किया जा रहा है।

कोझीकोड विमानपत्तन पर सुरक्षा

1459. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 नवम्बर, 2005 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'केरल एयरपोर्ट रेड रिप्स सिक्योरिटी मिथ' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) कोझीकोड अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर सुरक्षा कड़ी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/करने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) दिनांक 2-3 नवम्बर, 2005 को कस्टम के आगमन हाल में छापा मारा गया जहां कस्टम द्वारा रखा गया एक दिहाड़ी कर्मचारी टर्मिनल भवन में समाप्त हुए एयरपोर्ट प्रवेश पास के साथ पाया गया। समाप्त हुए पास को सी.आई.एस.एफ. द्वारा सीज कर दिया गया। एयरक्राफ्ट अधिनियम और नियमों के अपराध संख्या 635/05 की धारा 448 आई.पी.सी. तथा 78ए और 161(आई) द्वारा एक मामला दर्ज किया गया।

जैसा कि एक खबर में अपरिचित सामान के बारे में उल्लेख किया गया था, यह सूचित किया गया है कि दिनांक 30.10.2005 को एक यात्री पुन: प्राप्त सामान को एअर इंडिया की उड़ान-957 (बहरीन-दोहा-कालीकट-कोच्ची) में कोझीकोड हवाई अड्डे पर उतरते समय भूल गया। कोच्ची से कालीकट को उड़ान भरते समय केबिन क्रू द्वारा इसे पाया गया। इस मामले से कमांडर को सूचित किया गया तथा उड़ान पुन: इस सामान को उतारने के लिए कोच्ची लौट आई। एअर इंडिया द्वारा ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कार्मिक को 4.11.2005 से निलंबित कर दिया गया।

(ग) कोझीकोड अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा कड़ी करने के लिए, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने विमानपत्तन निदेशक तथा कमांडर, सी.आई.एस.एफ. को निदेश दिये कि वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य में सुरक्षा नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए तथा यह भी संस्तुति की कि दोषी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करते हुए विमानपत्तन पर उनके प्रवेश को भी वर्जित किया जाए।

पाइप लाइन परियोजनाओं में भारत-रूस सहयोग

1460. श्री रायापति सांबासिवा रावः क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने छह अंतरराष्ट्रीय तेल और गैस पाइपलाइन परियोजनाओं में भारतीय तेल और गैस कंपनियों की भागीदारी पर रूसी अधिकारियों के साथ चर्चा आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं; और

(ग) इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गयी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और भारतीय पेट्रोलियम कंपनियां भारत, रूस और तीसरे देशों में परियोजना चलाने के लिए रूस में अपनी जैसी प्रतिस्थानी कंपनियों के साथ वार्ता करने में सक्रियता से लगी हुई हैं। तथापि, अब तक कोई विशिष्ट राष्ट्रपार पाइपलाइन परियोजना की पहचान भागीदारी के लिए नहीं की है।

रूसी राष्ट्रपति श्री ब्लादीमिर पुतिन के दिसम्बर, 2004 में भारत के दौरे के दौरान गेल (इंडिया) लि. ने रूसी गैस कंपनी गाजप्राम के साथ एक कार्यनीतिक सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें भारत, रूस और तीसरे देशों में पाइपलाइन परियोजनाओं में सहयोग करना शामिल है।

इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा विद्युत संयंत्रों की स्थापना

1461. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन (आई.ओ.सी.) का विचार कुछ राज्यों में विद्युत संयंत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आई.ओ.सी. का विचार अन्य देशों के सहयोग से तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) संयंत्र भी स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन विद्युत संयंत्रों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) आई.ओ.सी. का पेट्रोपार्स, जो ईरान की नफ्टईरान इंटरट्रेड कंपनी लिमिटेड की 100% सहायक कंपनी है, के साथ ईरान में एकीकृत एल.एन.जी. परियोजना की स्थापना करने का प्रस्ताव है। आई.ओ.सी. और पेट्रोपार्स ने आई.ओ.सी. और पेट्रोपार्स द्वारा नामांकन आधार पर संयुक्त रूप से एकीकृत परियोजना के विकास के लिए नेशनल ईरानियन आयल कंपनी (एन.आई.ओ.सी.) का सैद्धांतिक अनुमोदन लेने के लिए उसे पूर्व-प्रस्ताव भेजा है। एकीकृत परियोजना में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे-

(1) गैस के तरलीकरण के लिए संबंधित डाउनस्ट्रीम सुविधाओं में प्रति वर्ष 9.0 मिलियन टन एल.पी.जी. का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त फीड गैस के उत्पादन हेतु "अपस्ट्रीम सुविधाएं"; और

(2) संबंधित डाउनस्ट्रीम गैस तरलीकरण सुविधाएं ("एल.एन.जी. सुविधाएं")।

आई.ओ.सी. ने भारत में विपणन के लिए 25 वर्षों हेतु प्रति वर्ष 4.5 मिलियन टन एल.एन.जी. का उठान करने का वचन दिया है। शेष 4.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष एल.एन.जी. के लिए, जैसा कि एन.आई.ओ.सी. के साथ परस्पर रूप से सहमति हुई है, आई.ओ.सी. ने भारत या अन्य कहीं विपणन का प्रथम अधिकार मांगा है; अन्यथा एन.आई.ओ.सी. भी स्वयं इसके विपणन की व्यवस्था करेगी।

उपर्युक्त (क) को देखते हुए विद्युत संयंत्रों की पूर्णता के लिए समयावधि का प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सरकारों पर बकाया राशि

1462. श्री अधलराव पाटील शिवाजीरावः क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 अक्तूबर, 2005 की तिथि के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारों पर ऋण आधार पर जारी टिकटों के रूप में इंडियन एयरलाइन्स और इसकी अनुषंगी एयरलाइन्सों की कुल कितनी राशि बकाया है;

(ख) क्या हाल ही में इंडियन एयरलाइन्स और इसकी अनुषंगी एयरलाइन्सों ने राज्य सरकारों को ऋण आधार पर टिकट जारी करना बंद कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) संबंधित राज्य सरकारों से बकाया राशि वसूलने के लिए इंडियन एयरलाइन्स द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) दिनांक 30 जून, 2005 को इंडियन एयरलाइन्स तथा इसकी सहायक एयरलाइनों द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को उधार पर जारी किए गए टिकटों पर बकाया कुल देय 3.38 करोड़ रुपए है। 31 अक्तूबर, 2005 तक के आंकड़े अभी समेकित किए जाने हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भुगतान करने में विलंब की स्थिति में, इंडियन एयरलाइन्स के संबंधित अधिकारियों द्वारा आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

ऊर्जा सुरक्षा

1463. श्री सनत कुमार मंडल: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषत: कच्चे तेल की कमी तथा इसकी उच्च कीमतों के कारण होने वाली समस्याओं के मद्देनजर देश की ऊर्जा सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई वैकल्कि हल खोजे गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) जी, हां। राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के ऊर्जा सुरक्षा उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार पश्चिमी एशियाई देशों के साथ विभिन्न विकल्पों की खोज कर रही हैं जिनमें कच्चे तेल के लिए दीर्घ कालिक संविदाएं, तेल और गैस क्षेत्र में परस्पर निवेश और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) के रूप में या गैस समृद्ध देशों (ईरान सहित), म्यांमार और सम्भावित रूप से तुर्कमेनिस्तान से राष्ट्रपार पाइपलाइनों के माध्यम से प्राकृतिक गैस का आयात सम्मिलित है। इसके अलावा ओ.एन.जी.सी. विदेश लिमिटेड (ओ.वी.एल.), आई.ओ.सी., ओ.आई.एल. और गेल जैसी राष्ट्रीय तेल कंपनियां विदेश में इक्विटी तेल और गैस की प्राप्ति और साथ ही साथ विदेश में अन्वेषण रकबों और उत्पादन परिसंपत्तियों की प्राप्ति के मौके खोज रही है। इन कंपनियों के वियतनाम, सूडान, रूस, इराक, इरान, म्यांमार, लीबिया, सीरिया, आस्ट्रेलिया, आइवरी कोस्ट, कतर, मिस्र, नाइजीरिया और क्यूबा में तट अपतट स्थित तेल और गैस परियोजनाओं में प्रतिभागिता हित (पी.आई.) हैं। सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण के लिए एथनोल मिश्रित पेट्रोल और बायो डीजल की भी शुरूआत की है। ईंधन के वैकल्पिक स्रोतों जैसे हाइड्रोजन, सौर और पवन ऊर्जा को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

लघु अवधि आपूर्ति रुकावटों के समय पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने मंगलौर (1.5 एम.एम.टी.), विजाग (1.0 एम.एम.टी.) और मंगलौर या समीपवर्ती स्थान (2.5) में 5 मिलियन मीट्रिक टन (एम.एम.टी.) के कार्यनीतिक कच्चे तेल भण्डारों के निर्माण का अनुमोदन कर दिया है।

भारतीय वायु सेना कर्मियों का संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में शामिल होना

1464. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वायु सेना सूडान में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में शामिल हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सूडान में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में शामिल होने वाले वायु सेना कर्मियों के लिए लागू निबंधन और शर्तें क्या हैं; और

(घ) सूडान में अब तक कितने वायुयान और वायु सेना कर्मी भेजे गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (घ) एक वैमानिकी टुकड़ी, जिसमें छह एम आई-17 हेलिकाप्टर तथा 196 कार्मिक (188 वायुसेना कार्मिक तथा 8 सेना कार्मिक) शामिल हैं, को संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति स्थापना संबंधी कार्यों के एक हिस्से के रूप में एक वर्ष के लिए सूडान में तैनात किया गया है। यह कार्य निरंतर चलता रहता है तथा इस मिशन में तैनात कार्मिकों की सेवा-शर्तों पर इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ/सरकार द्वारा जारी आदेश/अनुदेश लागू होते हैं।

संघटकों की कमी

1465. श्री गणेश सिंह: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वायु सेना अपने लड़ाकू विमानों के रखरखाव हेतु अपेक्षित संघटकों की अत्यधिक कमी और 'स्पेशल आक्जिलरी एयरो प्लेन' की अनुपलब्धता की समस्या का सामना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या प्रभावी कदम उठाए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) लड़ाकू विमानों के अनुरक्षण के लिए अपेक्षित संघटकों की कोई कमी नहीं है। भारतीय वायुसेना में 'स्पेशल ऑक्सिलरी एयरोप्लेन' नामक कोई वायुयान नहीं है।

डिकोम आयल फील्ड में आग

1466. श्री सुग्रीम सिंह:
श्री मणी कुमार सुब्बा:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सितम्बर, 2005 में आयल इंडिया लिमिटेड के डिकोम आयल फील्ड में आग लगने की घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस आग लगने की घटना से कितनी संपत्ति की हानि हुई;

(ग) क्या सरकार ने आग बुझाने के लिए अमरीका के तेल अग्निशमन विशेषज्ञों को बुलाया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने तथा उनसे निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी, हां। आयल इंडिया लिमिटेड के डिकोम तेल क्षेत्र में 15.9.2005 को आग लगने की घटना हुई।

(ख) 13.9.2005 को ऊपरी असम में डिब्रूगढ़ जिले में आयल इंडिया लिमिटेड (ओ.आई.एल.) के डिकोम तेल क्षेत्र में कूप संख्या 15 से तेल और गैस अनियंत्रित रूप से निकला/ एहतियाती उपाय के रूप में डिकोम तेल संग्रह केन्द्र से जुड़े सभी कूप तुरन्त बन्द कर दिए गए। कूप पर काबू पाने/नियंत्रित करने का प्रयास करते समय कूप में 15.9.2005 को अचानक आग लग गई। कूप में आग 5.10.2005 को पूरी तरह बुझा दी गई। इस घटना के कारण लगभग 1400 टन कच्चे तेल का सीधे ही नुकसान हो गया। सुरक्षा एहतियात के रूप में आसपास के कूपों को अस्थायी रूप से बंद कर दिए जाने के कारण लगभग 25,600 टन का अस्थाई नुकसान हुआ।

(ग) और (घ) आयल इंडिया लिमिटेड ने आरम्भ में कूप के नियंत्रण के लिए ओ.एन.जी.सी. विशेषज्ञों की सहायता के लिए अनुरोध किया। ओ.एन.जी.सी. के सुझाव पर ओ.आई.एल. ने मैसर्स बूट्स एण्ड कूट्स इंटरनेशनल वेल कंट्रोल इनकार्पोरेटेड, यू.एस.ए. से संपर्क किया जो उस समय कूप अग्नि/आग को नियंत्रित करने के लिए राजामुन्दरी के पास ओ.एन.जी.सी. के साथ कार्यरत थे। विशेषज्ञ 16.9.2005 को असम में कार्य स्थल पर पहुंच गए। मैसर्स बूट्स एंड कूट्स इंटरनेशनल वेल कंट्रोल इनकार्पोरेटेड, यू.एस.ए. के विशेषज्ञों ने कूप को नियंत्रित करने और आग को बुझाने के लिए ओ.एन.जी.सी. और ओ.आई.एल. संकट प्रबंधन दलों के परामर्श से विस्तृत कार्रवाई योजना तैयार की। कूप पर सफलतापूर्वक नियंत्रण पा लिया गया और आग 5.10.2005 को पूरी तरह से बुझा दी गई।

(ङ) ओ.आई.एल. ने ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए–

(1) सभी तेल क्षेत्रों के सुरक्षा पहलुओं की क्षेत्र निगरानी।

(2) प्रचालनात्मक क्षेत्रों में सुरक्षा जागरूकता अभियान।

(3) अभ्यास सहित आनसाइट और आफसाइट आपदा प्रबंधन योजना।

(4) राज्य सरकार और पड़ोसी उद्योगों के साथ आपदा प्रबंधन के लिए परस्पर सहायता योजना।

ओ.आई.एल. ने भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय भी किए–

(1) भविष्य में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए परस्पर सहायता के लिए ओ.आई.एल. और ओ.एन.जी.सी. के बीच समझौता ज्ञापन का निष्पादन।

(2) कुछ विशिष्ट उपस्कर की प्राप्ति।

(3) संकट प्रबंधन दल (सी.एम.टी.) सदस्यों को संबंधित प्रशिक्षण।

समाचार-पत्रों का प्रकाशन बंद किया जाना

1467. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान कितने समाचार-पत्रों और उनके संस्करणों ने अपना प्रकाशन बंद कर दिया है;

(ख) इनको बंद किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) समाचार-पत्रों की सहायता करने और उन्हें बंद होने से बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक का कार्यालय द्वारा प्राप्त बंद करने संबंधी उद्घोषणाओं के अनुसार, दिल्ली और असम के दो-दो समाचारपत्रों अर्थात् चार समाचार-पत्रों ने वर्ष 2004-2005 के दौरान अपने प्रकाशन बंद कर दिए हैं। वर्ष 2003-2004 के दौरान, किसी समाचारपत्र के बंद होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई।

(ख) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय द्वारा संबंधित जिलाधिकारियों के माध्यम से प्राप्त बंद करने संबंधी अपनी उद्घोषणाओं में प्रकाशकों ने समाचारपत्रों के बंद करने संबंधी कारणों का उल्लेख नहीं किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अनिवार्य कैंसर जांच

1468. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सशस्त्र सेना कर्मियों हेतु अनिवार्य कैंसर जांच का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने रक्षा स्थापनाओं में कैंसर जांच करने के लिए आवश्यक अवसंरचना स्थापित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सभी रक्षा चिकित्सा केन्द्रों में ऐसी सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) सरकार ने सशस्त्र सेना कार्मिकों के लिए अलग से किसी अनिवार्य कैंसर जांच हेतु निर्णय लिया है।

(ख) ऊपर (क) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सशस्त्र सेना अस्पतालों में कैंसर का पता लगाने तथा आवश्यकता होने पर जांच करने की सुविधाएं मौजूद हैं।

(ङ) ऊपर (ग) और (घ) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

यात्रियों को मुआवजा

1469. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने को कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ानों में विलंब होना/उड़ानों का रद्द होना आजकल एक सामान्य बात हो गई है जिसके कारण यात्रियों को असुविधा और वित्तीय हानि होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या यात्री एक ग्राहक होने के नाते मुआवजे का हकदार है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अपनी किसी गलती के बिना एयरलाइन्स के कारण वित्तीय या अवसर संबंधी हानि उठाने वाले यात्रियों को रहने और खाने की सुविधा प्रदान करने के अतिरिक्त मुआवजा देने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी नहीं, तथापि जब भी उड़ानें विलंब/रद्द हुई हैं, एयरलाइन्सों द्वारा अपने यात्रियों की असुविधा को न्यूनतम करते हुए उन्हें भोजन, होटल में ठहरने, अन्य एयरलाइन्सों से पुन: मार्गस्थल करने, पुन: बुकिंग करने आदि की सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाते हैं।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

लौह अयस्क की ढुलाई हेतु वैगन

1470. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निर्यात हेतु पत्तनों तक लौह अयस्क की ढुलाई के लिए पर्याप्त संख्या में वैगन उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) पिछले ढाई वर्षों के दौरान लौह निर्यात के मांग में अचानक एवं अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। भारतीय रेल द्वारा लौह अयस्क निर्यात की लदान जो वर्ष 2002-03 में 16.66 मिलियन टन था, 2003-04 में बढ़कर 26.66 मिलियन टन (0.6% वृद्धि) और 2004-05 में बढ़कर 8.33 मिलिटन टन (44% वृद्धि) हो गया। चालू वित्तीय वर्ष के पहले सात महीनों में भारतीय रेल द्वारा लौह अयस्क निर्यात के लदान में आगे और 13.32% की वृद्धि हुई है।

लदान में पर्याप्त सुधार के बावजूद, यातायात को संभालने के लिए पत्तनों की क्षमता सहित अवसंरचनात्मक बाध्यताओं की वजह से लौह अयस्क के निर्यात के लिए यातायात की मांग अभी भी पूरी नहीं हो पा रही है।

(ग) अपनी क्षमता को बढ़ाकर एवं पत्तनों को बेहतर संपर्क मुहैया कराकर निर्यात वाले लौह अयस्क के यातायात के लदान में और सुधार करके भारतीय रेल द्वारा कई कदम उठाए गए हैं और अधिक स्टाक प्रापण एवं रेल वैगन की फेरों में सुधार करके वैगनों की उपलब्धता में सुधार किया जा रहा है।

म्यांमार से गैस

1471. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या म्यांमार सरकार ने भारत को गैस निर्यात हेतु 2.52 अमरीकी डालर प्रति मिलियन मीट्रिक ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एम.एम.बी.टी.यू.) के वैल-हैड मूल्य के संकेत दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) भारतीय प्रतिनिधिमंडल के अगस्त, 2005 में म्यांमार दौरे के दौरान म्यांमार पक्ष ने यह कहा था कि वे एक मसौदा करार शीर्ष भारतीय पक्ष को अक्तूबर, 2005 के अंत तक विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे जिसमें पाइपलाइन के माध्यम से भारत को प्रस्तावित गैस आपूर्तियों के निबंधनों और शर्तों को सम्मिलित किया जाएगा। मसौदा करार शीर्ष अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है और म्यांमार पक्ष से इसे शीघ्र भेजने के लिए अनुरोध किया गया है जिससे इस मामले पर आगे विचार-विमर्श किया जा सके।

विमानपत्तनों के उन्नयन हेतु धनराशि जारी किया जाना

1472. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न विमानपत्तनों के उन्नयन/विकास हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को धनराशि जारी की है;

(ख) यदि हां, गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान जारी की गई धनराशि और प्रत्येक विमानपत्तन पर वास्तव में खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को देश में विभिन्न विमानपत्तनों के उन्नयन/विकास हेतु जारी धनराशि के दुरूपयोग के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र, अमृतसर तथा अन्य अतिमहत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे लेह, कारगिल आदि के हवाई अड्डों के विकास के लिए पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2002-03, 2003-04 व 2004-05 के दौरान सरकार द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को जारी की जाने वाली निधि की राशि क्रमश: 33.59 करोड़, 22.08 करोड़ तथा 30.00 करोड़ रुपए है। पिछले तीन वर्षों के दौरान खर्च की गई निधि की वास्तविक राशि क्रमश: 54.10 करोड़, 37.55 करोड़ तथा 38.35 करोड़ रुपए है। हवाईअड्डा-वार विवरण (करोड़ रुपए में) निम्नानुसार है:

अगरतला (13.96, 10.20, 3.47), बारापानी (1.22, 0.31, 0.16), दीमापुर (1.07, 2.13, 2.85), डिब्रूगढ़ (2.72, 0.01,

0.21), गुवाहाटी (1.20, 0.63, 1.19), लीलाबाड़ी (4.54, 0.33, 1.53), इम्फाल (5.27, 5.26, 1.95), सिल्चर (1.06, 0.05, 1.64), तेजपुर (1.86, 0.56, 0.00), जम्मू (1.46, 0.00, 2.12), कारगिल (2.44, 0.00, 0.00), लेह (1.65, 1.00, 0.89), श्रीनगर (0.00, 1.48, 3.93), अमृतसर (15.65, 15.59, 18.41)।

(ग) ऐसी कोई रिपोर्ट अभी तक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सैन्य उपकरणों का स्वदेशी उत्पादन

1473. श्री सनत कुमार मंडल: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत की सैन्य उपकरण आधुनिकीकरण की आवश्यकताएं अधिकांशत: आयात के द्वारा पूरी होती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत अब तक उपकरणों के अपने उत्पादन, डिजाइनिंग और विकास कार्य को करने में समर्थ नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार उपर्युक्त प्रयोजनों हेतु आवश्यक धनराशि प्रदान कर रही है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) ऐसे आधुनिक सैन्य उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन के लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (च) नीति के तौर पर सभी रक्षा उपस्कर अपने देश से ही प्राप्त करने को प्राथमिकता दी जाती है। केवल ऐसी स्थिति में ही रक्षा मदों का आयात किया जाता है, जहां सशस्त्र सेनाओं को किसी विशिष्ट प्रौद्योगिकी की मदों की जरूरत होती है तथा वे एक निश्चित समय-सीमा के भीतर अपेक्षित होते हैं और उन्हें स्वदेश से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। किसी रक्षा उपस्कर के आयात का निर्णय लिए जाने पर भी, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के अधीन उसके स्वदेश में निर्माण का पता लगाया जाता है। 'खरीदो', ''खरीदो और बनाओ'' अथवा ''बनाओ'' का निर्णय, एक सुविचारित आयोजना प्रक्रिया के पश्चात्, जिसमें उनके दीर्घावधिक, मध्यावधिक और अल्पावधिक सापेक्ष महत्व पर विचार करना भी शामिल है, मंत्रालय में एक उच्च शक्ति प्राप्त निकाय द्वारा लिया जाता है। रक्षा शिपयार्ड, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम और आयुध निर्माणियां, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तथा अन्य एजेंसियों के निकट समन्वय से, अनेक रक्षा उपस्करों/मदों/युद्धपोतों को स्वदेश में डिजाइन तैयार करके उनका उत्पादन कर पाई हैं।

सरकार, अत्याधुनिक रक्षा मदों के डिजाइन तैयार करने और उनका निर्माण करने की स्वदेशी क्षमता के विकास को प्रोत्साहित करने और उसकी सहायता करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। सरकार के प्रयासों में, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं स्थापित करने के लिए धनराशि जुटाने से लेकर अनुसंधान एवं विकास करना तक शामिल हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा स्थापित अनेक संगठनों में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अधीन रक्षा (अनुसंधान एवं विकास) प्रयोगशालाओं का नेटवर्क शामिल है।

एफ.एम. रेडियो

1474. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आकाशवाणी और निजी तौर पर इस समय राज्यवार कितने एफ.एम. रेडियो चैनलों का प्रसारण किया जाता है;

(ख) क्या कुछ निजी पार्टियां एफ.एम. चैनलों को चलाने के लिए आगे आ रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने एफ.एम. रेडियो के संबंध में किसी नई नीति का प्रस्ताव किया था; और

(ङ) यदि हां, तो नई नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (ङ) जी, हां। सरकार ने निजी एजेंसियों (चरण-2) के माध्यम से एफ.एम. रेडियो प्रसारण के विस्तार हेतु एक नई नीति को अनुमोदित किया है। यह नीति अन्य बातों के साथ-साथ, बंद निविदा प्रणाली के आधार पर निर्णीत किए जाने वाले एकमुश्त प्रवेश शुल्क (ओ.टी.ई.एफ.), आरक्षित ओ.टी.ई.एफ. के न्यूनतम 10 प्रतिशत के अध्यधीन सकल राजस्व के 4 प्रतिशत की दर पर वार्षिक शुल्क, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित विदेशी निवेश, 20 प्रतिशत तक की प्रदत्त इक्विटी, समाचार और सम-सामयिक

विषयों के प्रसारण पर प्रतिबंध जारी रखने और शर्तों एवं निबंधन के उल्लंघन के लिए श्रेणीकृत दण्ड प्रणाली का प्रावधान करती है। इस नीति में चरण-1 आपरेटरों को चरण-2 प्रणाली में स्थानांतरण करने का भी प्रावधान है। इस नीति का और अधिक ब्यौरा मंत्रालय की वेबसाइट (www.mib.nic.in) पर उपलब्ध है।

उपर्युक्त नीति के अनुसरण में सरकार ने दिनांक 21 सितम्बर, 2005 को सारे देश के 91 शहरों में 338 चैनलों के लिए भारतीय कंपनियों से पूर्व अर्हता बोली आमंत्रित की हैं। काफी संख्या में कंपनियों ने एफ.एम. रेडियो स्टेशन स्थापित करने की रुचि दिखायी है।

विवरण

मौजूदा एफ.एम. चैनलों का राज्यवार/संघशासित प्रदेश-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	चैनलों की संख्या		
		आकाशवाणी	निजी एफ.एम. रेडियो	कुल
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	9	1	10
2.	असम	5	–	5
3.	बिहार	3	–	3
4.	छत्तीसगढ़	4	–	4
5.	दिल्ली	2	3	5
6.	गोआ	1	–	1
7.	गुजरात	5	1	6
8.	हरियाणा	3	–	3
9.	हिमाचल प्रदेश	5	–	5
10.	जम्मू-कश्मीर	6	–	6
11.	झारखंड	5	–	5
12.	कर्नाटक	14	1	15
13.	केरल	5	–	5
14.	मध्य प्रदेश	13	1	14
15.	महाराष्ट्र	16	5	21
16.	मेघालय	1	–	1
17.	मिजोरम	1	–	1
18.	मणिपुर	1	–	1
19.	नागालैंड	1	–	1
20.	उड़ीसा	5	–	5

1	2	3	4	5
21.	पंजाब	3	–	3
22.	राजस्थान	12	–	12
23.	तमिलनाडु	8	4	12
24.	त्रिपुरा	3	–	3
25.	दमन एवं दीव	1	–	1
26.	पांडिचेरी	1	–	1
27.	चण्डीगढ़	1	–	1
28.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1	–	1
29.	उत्तर प्रदेश	8	1	9
30.	उत्तरांचल	1	–	1
31.	प. बंगाल	6	4	10
	कुल	153	21	174

[हिन्दी]

गुजरात तेल चयन बोर्ड

1475. श्री रामदास आठवले: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष में नई डीलरशिप के चयन को अंतिम रूप देने हेतु गुजरात तेल चयन बोर्ड का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) आरम्भिक डीलर चयन बोर्ड 9.5.2002 से भंग कर दिया गया था तत्पश्चात् सरकार द्वारा सार्वजनिक तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सी.) को सुझाए गए कतिपय विस्तृत मानदंडों के आधार पर इन्होंने पेट्रोलियम उत्पादों के डीलरों/वितरकों के चयन करने के लिए अपने दिशानिर्देश बनाए और अब इन्हीं दिशानिर्देशों के अनुसार चयन किए जा रहे हैं। डीलरों/वितरकों का चयन करने के लिए तेल विपणन कंपनियों द्वारा अपनायी जा रही विस्तृत प्रक्रियाओं का प्रावधान इन दिशानिर्देशों में किया गया है। इन प्रक्रियाओं में यह भी शामिल है कि जब भी किसी तेल विपणन कंपनी द्वारा चयन करने की आवश्यकता पड़े तो वह ऐसी चयन समिति का गठन कर ले। अतएव गुजरात राज्य के लिए सरकार द्वारा किसी भी तेल चयन बोर्ड के गठन का प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

नि:शक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षित पद

1476. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत सरकारी स्थापनाओं में पहचान किए पदों पर नि:शक्त व्यक्तियों हेतु तीन प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो नि:शक्त व्यक्तियों के कितने पद रिक्त पड़े हैं; और

(ग) इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जी, हां।

(ख) विकलांग व्यक्तियों के लिए अभिज्ञात रिक्त पदों की संख्या से संबंधित सूचना को केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

(ग) चूंकि भर्ती एक सतत प्रक्रिया है, अत: रिक्तियों को भरने के लिए कोई समय सीमा नियत नहीं की जा सकती है।

पश्चिम बंगाल में नई रेल परियोजनाएं

1477. श्री बीर सिंह महतो: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल में नई और लंबित रेल परियोजनाओं तथा किए गए सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में विशेषत: चालू वर्ष के दौरान परियोजनावार कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इन प्रत्येक परियोजना/सर्वेक्षणों को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं के कार्य अपने निर्धारित समयानुसार प्रगति पर है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल में रेल मार्गों के निर्माण/आमान परिवर्तन हेतु सर्वेक्षण कराने के लिए कोई नया प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) लंबित परियोजनाएं उन परियोजनाओं को समझा जाता है जो बजट आवश्यक समाशोधन के बिना शामिल की हुई होती है एवं समाशोधन भी लंबित होते हैं। पश्चिम बंगाल में इस प्रकार की कोई लंबित परियोजना नहीं है। माननीय संसद सदस्य ने शायद पश्चिम बंगाल में पूर्णत:/अंशत: आने वाली जारी रेल परियोजनाओं एवं सर्वेक्षणों का संदर्भ दे रहे हैं जिनकी प्रगति एवं पूरा होने की अनुसूचित समय जहां भी निर्धारित हैं, निम्नलिखित हैं। कार्यों जिनका लक्ष्य अंकित हैं, का समापन संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु. में)	परिव्यय 2005-2006 (करोड़ रु. में)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
नई लाइनें				
1.	लक्ष्मीकांतपुर-नामखना (47.5 कि.मी.)	101.15	2.15	कार्य पूरा हो गया।
2.	हावड़ा वर्धमान गलियारा (85 कि.मी.) को शामिल करते हुए कुमरकुंडु बाईपास तक विस्तार के साथ तारकेश्वर-बिशनपुर	276	10.00	तारकेश्वर से आरामबाग के बीच भूमि अधिग्रहण कार्य शुरू किया गया है।
3.	अजीमगंज (नासीपुर)-घाट्स तक (3 कि.मी.) जियागंज	22.78	1.00	कार्य शुरू करने की प्रारंभिक कार्रवाई शुरू की जा रही है।
4.	मंदारहिल-दुमका (130 कि.मी.) से होकर रामपुर हाट	254.07	10.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है। भूमि अधिग्रहण कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। मिट्टी संबंधी, पुलों के और अन्य कार्य भी शुरू किये जा चुके हैं।
5.	न्यू मैनागुड़ी-जोगीघोपा (245 कि.मी.)	894.38	50.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है। भूमि अधिग्रहण कार्रवाई शुरू की

1	2	3	4	5
				जा चुकी है। मैयनागुड़ी रोड-छांगरवांदा के बीच मिट्टी संबंधी और पुलों के कार्य भी शुरू हो चुके हैं।
6.	एकलाखी-बालूरघाट और गजोल-इटहर (118 कि.मी.)	282.74	2.00	इकलाखी-बलूरघाट कार्य पूरा किया जा चुका है। गजोल-इताहर के बीच अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है।
7.	तामलुक-दिघा (87.5 कि.मी.)	293.97	1.00	कार्य पूरा हो चुका है और खंड को खोल दिया गया है।
8.	हावड़ा-अमटा और बरगछिया-चम्पाडंगा (73.5 कि.मी.)	154.3	2.00	हावड़ा-आमटा खंड पूरा हो चुका है। बडगाचिया-चम्पाडांगा के बीच भूमि अधिग्रहण कार्य शुरू किया जा चुका है।
आमान परिवर्तन				
1.	न्यू जलपाईगुड़ी-सिलिगुड़ी-न्यू बोंगाईगांव (415.48 कितमी.)	890.83	10.00	न्यू जलपाईगुडी-फकीरग्राम के बीच कार्य पूरा हो चुका है जबकि फकीरग्राम-न्यू बोंगई गांव के बीच कार्य पूरा होने को है। अलीपुरद्वार से वामनहाट के बीच शाखा लाइन को बदलने का कार्य भी शुरू हो चुका है।
2.	बोवाईचंडी से खाना (198 कि.मी.) तक नई रेल लाइन के विस्तार सहित बांकुरा-दामोदर नदी परियोजना	158.16	23.00	बंकुरा-सोनमुखी खंड पूरा हो चुका है। शेष खंड पर कार्य शुरू किया जा चुका है।
3.	कटिहार-जोगबनी (कटिहार-राधिकापुर सहित) (196 कि.मी.)	402.98	20.50	बरसोई-राधिकापुर खंड 2005-06 तक पूरा किया जाने का लक्ष्य है। शेष खंड पर कार्य पूरा किया जा चुका है।
दोहरीकरण				
1.	तारकेश्वर-शिवराफुल्ली, चरण-1 (शिवराफुल्ली)-नलिकुल) (18 कि.मी.)	38.88	5.00	शोराफुल्ली-दिआरा पूरा हो चुका है। दिआरा-सिंगुर के 2005-06 के दौरान पूरा किया जाने का लक्ष्य है।

1	2	3	4	5
2.	गुरूप-शक्तिगढ़ तीसरी लाइन (26 कि.मी.)	62.09	3.00	गुरुप-पल्लारोड-गुरुप, जऊग्राम-मस्साग्राम खंड पूरे किए जा चुके हैं। कार्य राष्ट्रीय रेल विकास योजना के अंतर्गत रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया जा ररा है।
3.	हवड़ा-चंदपाड़ा (22.25 कि.मी.)	40.81	2.00	मिट्टी संबंधी और पुलों के कार्य शुरू किए जा चुके हैं।
4.	सोनारपुर कैनिंग चरण-1 (सोनारपुर-घुटियारी शरीफ) (29 कि.मी.)	30.47	3.00	सोनारपुर-चम्पाहाटी पूरा किया जा चुका है। चम्पाहाटी-घुटियारी शरीफ को 2005-06 के दौरान पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
5.	बरूईपुर-लक्ष्मीकांतपुर चरण-1 (बरूईपुर-बक्षनियां-बारासात) (17 कि.मी.)	31.82	1.00	मिट्टी संबंधी और पुलों के कार्य शुरू किए जा चुके हैं।
6.	बोलपुर-अहमदपुर (19 कि.मी.)	55.07	1.00	कार्य पूरा किया जा चुका है।
7.	कृष्णानगर-शांतिपुर और कृष्णानगर नई लाइन से चारताला (51 कि.मी.) तक आमान परिवर्तन के रूप में विस्तार सहित कालीनारायणपुर-कृष्णानगर	43.39	4.00	मिट्टी संबंधी और पुलों के कार्य शुरू किए जा चुके हैं।
8.	चरण-1 (बारासात-सोंदलिया) (12.12 कि.मी.) के विद्युतीकरण के साथ बारासात-हसनाबाद दोहरीकरण	23.65	0.50	मिट्टी संबंधी और पुलों के कार्य शुरू किए जा चुके हैं।
9.	बंडेल-जिरत (20 कि.मी.)	50.13	5.00	बंडेल - बांसबेरिया को 2005-06 के दौरान पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
10.	बरूईपुर-मगरहाट (15 कि.मी.)	30.09	0.01	निविदाओं की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
11.	अहमदपुर-सैंथिया (13 कि.मी.)	26.76	2.00	कार्य पूरा किया जा चुका है।
12.	कुमारगंज-एकलाखी (6 कि.मी.)	21.57	10.00	कार्य को 2005-06 के दौरान पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
13.	हरिश्चंद्रपुर-कुमारगंज (30 कि.मी.)	63.22	8.00	कार्य को 2005-06 के दौरान पूरा किये जाने का लक्ष्य है।

1	2	3	4	5
14.	टिकियापाड़ा-सन्तरागाछी 4 लाइन (5.6 कि.मी.)	46.42	–	कार्य रेल विकास निगम लि. द्वारा राष्ट्रीय रेल विकास योजना के अंतर्गत किया जा रहा है।
15.	पंशकुरा-हल्दिया चरण-1 (16 कि.मी.)	26.02	10.00	पंसकुरा-रघुनाथवाड़ी पूरा किया जा चुका है। रघुनाथवाड़ी-राजगोड़ा खंड 2005-06 के दौरान पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
16.	पंडावेश्वर-चिनपई (21.41 कि.मी.)	56.47	3.00	प्रारंभिक कार्य शुरू किये जा चुके हैं।
17.	चिनपई-सैंथिया (29.71 कि.मी.)	80.00	3.26	बजट 2005-06 में नया कार्य शामिल किया गया है। कार्य शुरू करने के लिए प्रारंभिक व्यवस्था की जा रही है।
18.	चंदपाड़ा-बोंगांव (9.77 कि.मी.)	27.48	1.00	प्रारंभिक कार्य शुरू किये जा रहे हैं।
महानगर परिवहन				
1.	दम-दम-गरिया, द्रुत परिवहन परियोजना का अभिकल्प एवं निर्माण (22 कि.मी.)	2624.24	63.00	ऊपरी रेल पथ के लिए नींव, उपढांचा और मुख्य ढांचे के निर्माण के लिए कार्य प्रगति पर है। इसको जून, 2007 तक पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2.	दम-दम-ताला विद्युतीकरण (18.5 कि.मी.) सहित सर्कुलर रेलवे	242.42	45.00	प्रिंसेपघाट से माजरहाट तक कार्य पूरा हो चुका है। दमदम से नेताजी सुभाष चन्द्र बोस एयरपोर्ट का कार्य शुरू किया जा चुका है। उल्टाडांगा से राजाघाट (प्रथम चरण में केवल लेक टाउन तक) चित्तपुर यार्ड ले आउट के पूरा होने तक और पूर्व-पश्चिम गलियारे के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिये जाने तक स्थगित कर दिया गया है।
रेल विद्युतीकरण				
1.	कृष्णानगर-लालगोला (128 कि.मी.)	63.83	20.00	कार्य को दिसम्बर, 2006 तक पूरा किये जाने का लक्ष्य है।

पश्चिम बंगाल में पूर्णत:/अंशत: आने वाली जारी सर्वेक्षणों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	सर्वेक्षण का नाम	लम्बाई (कि.मी.) में	पूरा होने की लक्ष्य तिथि
नई लाइनें			
1.	पार्क सर्कस से धामखाली	60	30.06.06
2.	कैनिंग-सोनाखाली	20	31.03.06
3.	दिगहा-जलेश्वर	40	31.03.06
4.	पांशुकुरा-चन्द्रकोना	80	31.03.06
5.	बज-बज-पुजाली	18	31.03.06
6.	बालुरघाट-हिली	30	31.03.06
7.	समसी-चंचल-हरिश्चन्द्रपुर	25	31.03.06
8.	रानीगंज-बांकुरा	45	31.03.06
9.	बुरामरा-चकुलिया	50	31.03.06
10.	अमता-बगनाना	18	31.03.06
11.	चम्पाडंगा-तारकेश्वर	12	31.03.06
आमान परिवर्तन			
1.	कटवा-अहमदपुर	53	31.03.06
दोहरीकरण			
1.	शांतिपुर-कलिनारायणपुर	16	31.03.06
2.	पंडाबेश्वर-सैंथिया	53	31.03.06

(ङ) पश्चिम बंगाल में रेल लाइन के निर्माण/परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण कराने हेतु चालू वर्ष में अब तक कोई नया प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में एल.पी.जी. सुविधाएं

1478. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रत्येक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में एल.पी.जी. उपलब्ध कराने के संबंध में क्या नीति तथा कार्य योजना बनाई गई है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान सहित ऐसे राज्य कौन-कौन से हैं, जहां गैस एजेन्सी मार्केटिंग स्कीम में शामिल किए जाने के बावजूद गैस एजेन्सियां नहीं खोली गई हैं;

(ग) इन स्थानों पर कब तक गैस एजेन्सियां खोले जाने की संभावना है; और

(घ) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां गैस आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है तथा इन स्थानों पर गैस की आपूर्ति किस दर से की जाएगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओ.एम.सीज.) घरेलू एल.पी.जी. की आपूर्ति अपने वितरण तंत्र के माध्यम से करती हैं और वे अपने वाणिज्यिक हितों के अनुसार व्यवहार्य स्थानों पर एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं। एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना एक सतत प्रक्रिया है और उसमें उपयुक्त स्थान की पहचान, गोदाम स्थापित करने के लिए भूमि की व्यवस्था करना और अन्य सांविधिक अनापत्तियां प्राप्त करना शामिल है। इसे ध्यान में रखते हुए राजस्थान सहित देश के ग्रामीण इलाकों में एजेंसियों की स्थापना के लिए विशेष समय-सीमा दर्शाना संभव नहीं है। तथापि, शामिल न किए गए ब्लाकों/तहसीलों/मंडलों को शामिल करने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) ने 5 किलोग्राम सिलेंडरों और सामुदायिक रसोईयों की स्थापना आरम्भ करने में पहल की है। नीतिगत मामले के रूप में, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) को अपनी भविष्य की विस्तार योजनाओं को अर्द्ध शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संकेंद्रित करने का सुझाव दिया है। निकट भविष्य में गैस एजेंसियां खोले जाने संभावित स्थानों का विवरण सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) के निदेशक (विपणन) के पास उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

डी.आर.डी.ए. का जिला परिषद में विलय

1479. श्री परसुराम माझी: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी.आर.डी.ए. का जिला परिषद में विलय का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) कोलकाता, जुलाई 2004 में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों का प्रथम गोलमेज सभा हुई थी जिसमें निर्णय किया गया था कि जिला पंचायतों का जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के साथ मिलाने के माध्यम से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी.आर.डी.ए.) को पंचायती राज का प्रमुख माध्यम मान लिया जाना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित अधिकारियों के सभी स्तर द्वारा उत्तरदायित्व और अनुशासन बनाते हुए जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को तकनीकी सहायता मिलनी चाहिए। कार्यों और कार्यकलापों और वित्तीय मामलों में सुगमता लाने के लिए पंचायती राज प्रणाली में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को एक्टीविटी मैप के रूप में मान लेना चाहिए ताकि संसाधन, कुशलता, सुविधाएं और जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों की जनशक्ति के सभी स्तर तक जनता की पहुंच हो सके।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासनिक योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों को सामान्य नीति के अनुसार डी.आर.डी.ए. और जिला परिषद को मिलाने के लिए नहीं कहा गया है। फिर भी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को संचालित करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के तहत, राज्य सरकारों को जिला परिषद के जिला प्रकोष्ठ के रूप में अलग से पहचान बनाते हुए सुगम कार्य करने की अनुमति दी गई है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों की रचना में परिवर्तन लाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों के सचिवों की एक समिति संविधान के अधीन है।

(ख) कर्नाटक, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे तीन राज्यों में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को जिला परिषद में मिला दिया गया है। अन्य राज्यों की स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के अध्यक्षों की राज्य-वार स्टेटस

क्र.सं.	राज्य	अध्यक्ष
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	उपायुक्त
2.	अरुणाचल प्रदेश	उपायुक्त

1	2		3
3.	असम		अध्यक्ष, जिला परिषद
4.	छत्तीसगढ़		अध्यक्ष, जिला परिषद (जिला परिषद के अन्तर्गत डी.आर.डी.ए. प्रकोष्ठ)
5.	बिहार		अध्यक्ष, जिला परिषद
6.	गोवा		अध्यक्ष, जिला परिषद
7.	गुजरात		मु.का.अधि.
8.	हरियाणा		उपायुक्त
9.	हिमाचल प्रदेश		अध्यक्ष, जिला परिषद
10.	जम्मू-कश्मीर		उपायुक्त
11.	झारखण्ड		उपायुक्त (जिला परिषद नहीं)
12.	कर्नाटक		अध्यक्ष, जिला परिषद (मर्जड)
13.	केरल		अध्यक्ष, जिला परिषद
14.	मध्य प्रदेश		अध्यक्ष, जिला परिषद (मर्जड)
15.	महाराष्ट्र		अध्यक्ष, जिला परिषद (जिला परिषद के अन्तर्गत डी.आर.डी.ए. प्रकोष्ठ)
16.	मणिपुर		अध्यक्ष, जिला परिषद
17.	मेघालय	पंचायत अधिनियम लागू नहीं	उपायुक्त
18.	मिजोरम		उपायुक्त
19.	नागालैंड		उपायुक्त
20.	उड़ीसा		अध्यक्ष, जिला परिषद
21.	पंजाब		उपायुक्त
22.	राजस्थान		अध्यक्ष, जिला परिषद (जिला परिषद के अन्तर्गत डी.आर.डी.ए. प्रकोष्ठ)
23.	सिक्किम		सचिव, ग्रामीण विकास
24.	तमिलनाडु		उपायुक्त
25.	त्रिपुरा		अध्यक्ष, जिला परिषद
26.	उत्तर प्रदेश		अध्यक्ष, जिला परिषद
27.	उत्तरांचल		अध्यक्ष, जिला परिषद
28.	पश्चिम बंगाल		अध्यक्ष, जिला परिषद (विलय किया हुआ परन्तु अलग से लेखा द्वारा)

[हिन्दी]

आयुध भंडार की सुरक्षा

1480. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पंजाब के लुधियाना जिले के वद्दोवल में स्थित 17 फील्ड आयुध भंडार के ऊपर से निर्धारित मानकों के विरुद्ध तीन हाई टेंशन केबिल गुजरती हैं जिससे उक्त भंडार को खतरा बना हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा भंडार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या निवारक उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) पंजाब में लुधियाना-फिरोजपुर राजमार्ग पर वद्दोवल, लुधियाना में स्थित 17 फील्ड गोला-बारूद डिपो से लगभग 250 मीटर की दूरी पर तीन उच्च क्षमता वाली केबलें गुजर रही हैं जबकि निर्धारित दूरी डिपो से 1145 मीटर है। अत: डिपो ने उच्च क्षमता वाली केबलों को पुन: लगाए जाने के लिए पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के साथ मामला उठाया है।

इस डिपो की संरक्षा तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित निवारक कदम उठाए गए हैं:

(1) डिपो नियमित रूप से संरक्षा तथा सुरक्षा अनुदेशों को अद्यतन करता है।

(2) संरक्षा और सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्थाओं की जांच करने के लिए अफसरों के एक बोर्ड द्वारा डिपो के आविधिक निरीक्षण किये जाते हैं।

(3) अग्निशामक उपस्करों की संख्या बढ़ाई गई है और खराब उपस्करों की मरम्मत की गई है।

(4) अप्रयोज्य गोला-बारूद को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जा रहा है।

(5) संरक्षा और सुरक्षा बढ़ाने के लिए, वर्तमान में खुले कुर्सी क्षेत्र में तिरपाल के नीचे भण्डार किए गए गोला-बारूद को विस्फोटक भण्डारण गृहों में स्थानांतरित करने के लिए और विस्फोटक भण्डारण गृहों के निर्माण हेतु अतिरिक्त निधियां आबंटित की गई हैं।

[अनुवाद]

दूरसंचार बाजार में गेल की भागीदारी

1481. श्री के.सी. पलनिसामी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गेल (इंडिया) लिमिटेड की योजना राष्ट्रीय दूरस्थ दूरभाष क्षेत्र में प्रवेश हेतु नेशनल लांग डिस्टेंस आपरेटर (एन.एल.डी.ओ.) लाइसेंस प्राप्त करके दूरसंचार बाजार का दोहन करने की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) गेल (इंडिया) लिमिटेड ने यह सूचित किया है कि वह संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा एन.एल.डी. लाइसेंस शर्तों में छूट के बारे में की गई घोषणा को ध्यान में रखते हुए पहले से धारित मूलभूत सुविधाएं प्रदानकर्ता श्रेणी-2 लाइसेंस से राष्ट्रीय लम्बी दूरी प्रचालक (एन.एल.डी.ओ.) लाइसेंस में जाने की मंशा रखती है।

(ख) इस लाइसेंस से उद्यम घटक का पूरा बाजार विशेष रूप से गैस ग्राहकों और अन्य निगमों, तथा सरकारी क्षेत्र, विशेष रूप से सरकारी और सरकार द्वारा समर्थित ई-ज्ञान ई-शासन और साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क आफ इंडिया (एस.टी.पी.आई.) जैसी सूचना प्रौद्योगिकी पहलों से संपर्क शीलता और राष्ट्रीय लम्बी दूरी (एन.एल.डी.) ट्रेफिक पहुंच के साथ-साथ खुल जाएगा।

स्लीपरों की खरीद में अनियमितताएं

1482. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दक्षिण रेलवे और दक्षिण पश्चिम रेलवे द्वारा स्लीपरों की खरीद में अनियमितताएं हुई हैं जैसाकि दिनांक 19 अक्तूबर, 2005 के 'पंजाब केसरी' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बारे में जन प्रतिनिधियों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले की जांच हेतु कोई उच्च स्तरीय समिति गठित की है/गठित करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) रेलवे बोर्ड की निविदा सं. सी एस 156/2005 के प्रत्युत्तर में कंक्रीट स्लीपरों की खरीद में हुए 260 करोड़ रु. के घाटे के बारे में लोक सभा के माननीय संसद सदस्य से प्राप्त पत्र रेल मंत्रालय में विचाराधीन है।

(घ) जी नहीं। निविदा को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ङ) लागू नहीं।

(च) विभिन्न स्लीपर विनिर्माताओं को जारी अधिकांश जवाबी प्रस्ताव उनके द्वारा स्वीकार नहीं किये गये हैं और इसलिए जवाबी प्रस्तावों के निविदा संबंधी प्रस्तावों के संबंध में अंतिम फैसला अभी लिया जाना है।

तहलका कांड

1483. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तहलका कांड की सुनवाई हेतु गठित जनरल कोर्ट मार्शल ने रक्षा उपकरण सौदे में सहायता करने हेतु भारतीय सेना के अधिकारियों को रिश्वत के कथित भुगतान संबंधी अपनी जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें लिप्त सेना के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) सभी तीनों अफसरों के संबंध में जनरल कोर्ट मार्शल की कार्यवाही पूरी कर ली गई है। जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा एक अफसर को दी गई सजा की पुष्टि करके प्रख्यापित कर दिया गया है। जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा उक्त भूतपूर्व अफसर को बरखास्त करने तथा चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई है तथा उक्त अफसर को जेल भेजने के लिए 8 अप्रैल, 2005 को सिविल पुलिस को सौंप दिया गया था। शेष दो अफसरों में से एक की सजा की पुष्टि हो गई है परन्तु इसका प्रख्यापन किया जा रहा है। दूसरे अफसर के संबंध में सजा के प्रख्यापन से पहले अभी इसकी पुष्टि की जानी है।

सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा राष्ट्रीय राजकोष में लाभांश अदा करना

1484. श्रीमती मेनका गांधी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को और अपने शेयरधारकों को अलग-अलग अदा किये गये लाभांश और वार्षिक कारोबार के संबंध में सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों के कार्य निष्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजकोष में अदा किये गये/अदा किये जाने वाले लाभांश का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रम का नाम	कुल कारोबार			सरकार को अदा किया गया लाभांश			अन्य अंशधारकों को लाभांश का भुगतान			राष्ट्रीय राजकोष की वर्तमान वर्ष के दौरान लाभांश का भुगतान
		2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003-04	2004-05	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि.	35387.00	32927.00	47245.00	3598.0	2736.40	4228.70	679.90	685.60	1475.30	लगभग 3350 के भुगतान का प्रस्ताव है।
2.	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि.	119884	130203	150677	1022	2012	1964	224	441	431	लगभग 958 के भुगतान का प्रस्ताव है।
3.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.	52698.99	56332.57	64689.51	424.41	476.56	330.78	332.51	365.90	249.37	शून्य*
4.	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.	48502.35	53448.36	63857.00	297.90	347.55	248.25	152.10	177.45	126.75	शून्य*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	गेल (इंडिया) लि.	10641.99	11295.67	12927.07	427.13	455.60	387.94	207.11	220.92	288.56	193.97
6.	इंजीनियर्स इंडिया लि.	818.26	1069.53	913.05	13.96	20.30	32.99	1.48	2.15	3.50	38.07
7.	ऑयल इंडिया लि.	2896.83	3143.46	3888.04	241.50	315.00	294.00	4.61	6.01	5.61	214.00
8.	बॉमर लॉरी एंड कं. लि.	816.42	932.84	1006.16	3.12	3.52	5.54	1.93	2.18	3.42	शून्य
9.	बीको लॉरी लि.	20.23	26.50	35.39	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

* वर्तमान वर्ष के दौरान अदा किए गए लाभांश को वित्त वर्ष 2004-05 में शामिल किया गया।

[हिन्दी]

रेलवे का राजस्व अर्जन

1485. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अप्रैल-अगस्त 2005 के दौरान पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में रेलवे के कुल राजस्व अर्जन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुल अर्जन रेलवे के बजट लक्ष्य के अनुरूप था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(घ) रेलवे के कुल अर्जन में से यात्री अर्जन का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसमें और सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) पिछले वर्ष की तुलना में अगस्त, 2005 के अंत तक कुल आय का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रु. में)

	अप्रैल-अगस्त, 2005	अप्रैल-अगस्त, 2004
यात्री	6072.72	5647.06
अन्य कोचिंग	423.18	361.85
समान	14165.53	11932.72
विविध	302.51	298.53
कुल आय	20963.94	18240.16

(ख) और (ग) जी हां। 20046.80 करोड़ रु. के बजटीय लक्ष्य की तुलना में अगस्त, 2005 में 20963.94 करोड़ रु. की कुल आमदनी हुई।

(घ) अगस्त, 2005 तक कुल यात्री आदमनी 6072.72 करोड़ रु. है जो 20963.94 करोड़ रु. की कुल आय का 28.97% है।

(ङ) यात्री राजस्व बढ़ाने के लिए, रेलों ने कई कदम उठाए हैं, जिसमें स्पेशल रेलगाड़ियां चलाना, प्रतीक्षासूची खत्म करने के लिए अतिरिक्त डिब्बों को लगाना, गहन टिकट जांच करना, यात्री प्रोफाइल प्रबंधन (पीपीएम) परियोजनाओं को लागू करना आदि शामिल है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) रेलटेल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रेलटेल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2906/05]

(ख) (एक) कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2907/05]

(2) (एक) इंडियन रेलवे वेलफेयर आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन रेलवे वेलफेयर आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2908/05]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार): महोदय, मैं श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन की ओर से नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 73 की उपधारा (3) के अंतर्गत नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) (संशोधन) नियम, 2005 जो 21 सितंबर, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 376 (अ.) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 2909/05]

अपराह्न 12.01 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है:-

'मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने मंगलवार 30 अगस्त, 2005 को हुई अपनी बैठक में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है:-

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि श्री जीवन राम, जो राज्य सभा से सेवानिवृत्त हो गए हैं के स्थान पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की शेष अवधि के लिए सहयोजित करने हेतु राज्य सभा से एक सदस्य को नामनिर्दिष्ट किया जाए और सभापति के यथा निदेशानुसार रीति से सभा के सदस्यों में से एक सदस्य को उक्त समिति का कार्य करने के लिए निर्वाचित किया जाए।"

2. मुझे लोक सभा को यह और सूचित करना है कि उपर्युक्त प्रस्ताव का पालन करते हुए श्री के. चन्द्रन पिल्लै, सदस्य राज्य सभा को उक्त समिति के लिए विधिवत निर्वाचित किया गया है।

अपराह्न 12.01½ बजे

लोक लेखा समिति

अठारहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): महोदय, मैं ''सबरीमाला की तीर्थयात्रा-मानवीय समस्याएं और पारिस्थतिकी'' पर लोक लेखा समिति (14वीं लोक सभा) का अठारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.01¾ बजे

वित्त संबंधी स्थायी समिति

पच्चीसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी (गढ़वाल): अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति के भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक, 2005 पर 25वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02 बजे

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

आठवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण (उपभोक्ता मामले विभाग) की ''अनुदान की मांगें (2005-06)'' पर सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 8वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02½ बजे

शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति

ग्यारहवां और बारहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तरपूर्व): महोदय, मैं शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित की गई कार्यवाही प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2005-06) पर छठे प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही पर समिति का 11वां प्रतिवेदन; और

(2) शहरी विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2005-2006) पर सातवें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही पर समिति का 12वां प्रतिवेदन।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम विशेष उल्लेखों को लेंगे।

श्री ज्योतिर्मयी सिकदर।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): कल सवाल उठाया गया था कि उत्तर प्रदेश में बी.जे.पी. पार्टी के एम.एल.ए. श्री कृष्णानंद राय की हत्या हुई है। उसके बाद हमें कहा गया था कि इस पर कार्रवाई होगी *...(व्यवधान)* लेकिन न तो अभी तक सी.बी.आई. से जांच कराने की कोई कार्रवाई हुई है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह केन्द्र सरकार का मामला नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इसमें से कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह पूर्णत: राज्य सरकार का मामला है।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: सैंट्रल गवर्नमेंट ने इस बारे में क्या जांच की है? सैंट्रल गवर्नमेंट को मामले के बारे में बताना चाहिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सैंट्रल गवर्नमेंट का इसमें कुछ नहीं है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया मुझे अपना निर्णय देने दीजिए।

प्रो. मल्होत्रा मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं क्योंकि उनके दल के नेता की हत्या कर दी गई थी। आप भली भांति जानते हैं कि यह राज्य का मामला है। कल यहां पर हमने कुछ उल्लेख किए थे। मुझे यकीन है कि संबद्ध सरकार द्वारा सभी समुचित कदम उठाए जाएंगे। यह मेरा निर्णय है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इसमें कोई संदेह नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: केंद्र सरकार द्वारा कुछ नहीं किया गया है *...(व्यवधान)* गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। *...(व्यवधान)*

सैंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया और कोई कार्रवाई नहीं की गई है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसमें से कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): इसमें सैंट्रल गवर्नमेंट कहां से आती है? *...(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: हालात बिगड़ गए हैं *...(व्यवधान)* हम प्रोटेस्ट करते हैं और वाक आउट करते हैं। *...(व्यवधान)*

अपराह्न 12.05 बजे

(इस समय प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप भी सब लोग शान्त हो जायें, वे लोग बाहर चले गये हैं।

[अनुवाद]

कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। मैंने एक महिला सदस्य का नाम पुकारा है। वह एक अति महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहती है। अपने साथी को बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: अब क्या हो गया है, आप क्यों इतने उत्तेजित हो रहे हैं?

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि कुछ बड़े नेताओं के निर्देशन पर कल पूर्वी उत्तर प्रदेश के 3-4 जिलों में माइनौरटीज के घरों में आग लगा दी गई, दुकानों को जलाया गया। यह कोशिश की गई कि किसी तरह साम्प्रदायिक दंगा फैले *...(व्यवधान)* यह गम्भीर मामला है और निरंतर ऐसी कोशिशें हो रही हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: और कुछ नहीं। मुझे यकीन है कि संबद्ध सरकार समुचित कार्यवाही करेगी।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो. रामगोपाल यादव: सरकार पहले ही कार्रवाई कर चुकी है।

अपराह्न 12.06 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) विश्व एड्स दिवस के बारे में

[हिन्दी]

श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर (कृषनगर): अध्यक्ष महोदय, आज अंतर्राष्ट्रीय एड्स जागरुकता दिवस है। मैं सबसे पहले यू.पी.ए. सरकार की तारीफ करना चाहती हूं कि उसने एड्स से बचाने के लिए शक्तिशाली कदम उठाये हैं। मैं सरकार से कुछ मांग भी करना चाहती हूं। आज दुनिया के बहुत सारे देशों में यह बीमारी खतरनाक रूप ले रही है और भारतवर्ष भी इससे बचा नहीं है। हमारे देश में इस रोग के संबंध में जनता के मन में बहुत सारी गलत धारणायें हैं। जैसा कि यह रोग छूआछूत का रोग है। मेरा कहना है कि इस रोग को सामाजिक बहिष्कार से बचाना चाहिये। रोग निवारण और रोग से बचाने के लिये सुरक्षा जरूरी है। देश के कई प्रदेशों में कंडोम मुफ्त में वितरित किये जा रहे हैं। इस रोग से बचाने के लिये यह जरूरी है कि सड़क के किनारे ढाबा हैं जहां ट्रक ड्राइवर ठहरते हैं और सैक्स वर्कर्स हैं, उनको सही जानकारी दिए जाने के लिये उन्हें शिक्षित किया जाये। इसके लिए कैम्प लगाये जायें जहां इस पाठ्यक्रम का नियोजन किया जाये क्योंकि से आज उपभोगवाद का लालच बढ़ रहा है। आज की युवा पीढ़ी को इस रोग से बचाने के लिए सस्ते मनोरंजन से जुड़ी मीडिया नीति बनाई जाये। पूरे भारतवर्ष में एड्स के रोगियों को एक जगह इकट्ठा किया जाये। पिछले कुछ वर्षों से सचमुच यह रोग बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसके लिये जगह-जगह पर कौंउसलिंग सैंटर्स खोले जायें। मूल रूप से इसकी शिक्षा पर जोर दिया जाये। अगर जरूरत हो तो अलग-अलग मंत्रालयों की संयुक्त निगरानी समिति बनाई जाये जो इस खतरनाक रोग से देश को बचाने के लिये रणनीति तैयार करे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे इस विषय पर कुछ अन्य सदस्यों से पर्याप्त नोटिस मिल चुके हैं और मैं उन्हें धन्यवाद अदा करता हूं। ये सदस्य इस प्रकार हैं: श्रीमती मिनाती सेन, श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री वरकला राधाकृष्णन, डा. के.एस. मनोज, श्री पी करूणाकरन और श्री राजनरायन बुधौलिया। इन सबके नोटिस इस विषय से सम्बन्धित है। मैं उनकी पहल की प्रशंसा करता हूं। इनके नाम इस मामले के साथ सम्बद्ध किये जायेंगे।

श्री राजनरायन बुधौलिया (हमीरपुर, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब और नहीं।

[हिन्दी]

श्री राजनरायन बुधौलिया: अध्यक्ष महोदय, बुन्देलखंड क्षेत्र में एड्स के उपचार के लिये चिकित्सा केन्द्र खोले जायें।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आपके सुझाव को नोट कर लिया गया है।

[अनुवाद]

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट): माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत में डेयरी क्षेत्र गम्भीर संकट का सामना कर रहा है। हमारे देश में लाखों लोग डेयरी क्षेत्र में संलग्न हैं जबकि विकसित देशों में बहुत कम कृषक ही बहुत अधिक दूध का उत्पादन करते हैं। इसकी तुलना में, भारत में छोटे कृषक जिनके पास 30 प्रतिशत भूमि है, उनके पास 60 प्रतिशत दुधारू पशु हैं। इन पशुओं की देखभाल महिलाएं करती हैं। उत्पादित दुग्ध का लगभग 50 प्रतिशत घरों में ही उपभोग किया जाता है। उपभोक्ताओं से अर्जित धन का साठ से सत्तर प्रतिशत तक धन कृषकों के पास चला जाता है। वर्ष 2004-05 में भारत ने 91 मिलियन टन दूध का उत्पादन किया। मुद्रा के रूप में यह 23.2 बिलियन अमेरिकी डालर के बराबर रहा। यह राशि भारत में उत्पादित कुल चावल और गेहूं से अधिक है। यह सब सहकारी कृषि की वजह से ही सम्भव हो पाया है।

भारत में अब आयातित मक्खन पर शुल्क घटक 40 प्रतिशत और पाउडर वाले दूध पर 60 प्रतिशत है। जापान मक्खन के आयात पर लगभग 550 प्रतिशत और आयातित पाउडर वाले दूध पर 200 से 300 प्रतिशत शुल्क लगाता है। अमेरिका और यूरोपीय संघ में मक्कन के आयात पर अभी भी 75 से 150 प्रतिशत शुल्क विद्यमान है। यद्यपि पाउडर वाले दूध के आयात पर 300 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने का प्रावधान मौजूद है फिर भी भारत सरकार ने केवल 60 प्रतिशत का मामूली आयात शुल्क निर्धारित किया हुआ है और भारतीय डेयरी उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा

है। विकसित देशों में 50 से 150 प्रतिशत तक राजसहायता सहित विभिन्न प्रकार की सरकारी सहायता प्रदान की जाती है।

इस नई स्थिति का सामना करने के लिए सरकार को सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाकर, यदि आवश्यक हो, विलय के माध्यम से भारतीय डेयरी कृषकों को सक्षम बनाना चाहिए जिससे कि वे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। ऐसे उत्पादों को उत्पाद शुल्क और बिक्री कर से मुक्त रखा जाना चाहिए।

डेयरी उत्पादों सहित सभी कृषि उत्पादों पर विकसित देशों द्वारा सरकारी सहायता को बन्द करने की आबंटित समय-सीमा वर्ष 2005 में समाप्त हो गई है। मैं सरकार से दिसम्बर में हांगकांग में होने वाली डब्ल्यूटीओ मंत्रिमण्डलीय वार्ताचक्र में इन मुद्दों को उठाने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल शर्मा (जम्मू): आनरेबल स्पीकर साहब, मैं आपकी वसासत से सरकार और खासकर डिफैन्स मिनिस्टर साहब की तवज्जह अपने क्षेत्र के पुंछ और राजौरी जिलों की तरफ दिलाना चाहता हूं। दरियाए चिनाब पर एक ही पुल है और पिछले दिनों जलजला आ जाने की वजह से उसे थोड़ा नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से जराये आमद-ओ-रफ्त को काफी जक पहुंच रही है। मैं सरकार से मौदबाना गुजारिश करना चाहता हूं कि सैकिन्ड ब्रिज, जिसका प्रोसैस एक साल पहले शुरू हुआ था, उसका टेन्डर हुआ, एक फर्म को अलाट हुआ और फिर वह कैन्सिल हो गया। जब से भूकम्प आया है, राजौरी और पुंछ में राहत कार्यों में बाधा पहुंच रही है। वहां बच्चों को आने-जाने की बड़ी परेशानी हो रही है। पढ़ने वाले बच्चों को चूंकि जम्मू आना पड़ता है। चार-चार घंटे दरिया चिनाब के इस पार और उस पार रुकना पड़ता है। ये दोनों जिले एक्चुअल लाइन आफ कंट्रोल पर वाके हैं। इसलिए मैं आनरेबल डिफैन्स मिनिस्टर साहब से मौदबाना गुजारिश करूंगा कि इस प्रोसैस को जल्दी शुरू किया जाए और उसका टेन्डर करके काम शुरू किया जाए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाए, यह मेरी केन्द्र सरकार से मांग है। यह मांग मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सभी विषयों के विभाग इसमें बने हुए हैं। यहां अच्छी पढ़ाई होती है। लैक्चरर्स बहुत अनुभवी और अच्छे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय को जगह की कमी शुरू से नहीं रही। स्वर्गीय महाराजा मानसिंह जी, जो जयपुर में दरबार रहे हैं, उन्होंने इस विश्वविद्यालय के विस्तार के लिए पर्याप्त भूमि दे रखी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो केन्द्र सरकार के अधीन है, उससे मेरा निवेदन है कि राजस्थान विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। मुझे उम्मीद है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय मेरी इस वाजिब मांग को निश्चित रूप से क्रियान्वित करायेगा। धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री गिरधारी लाल भार्गव एक आदर्श सदस्य हैं। वे अपना नोटिस देते हैं, अपनी बारी की प्रतीक्षा की। कोई व्यवधान नहीं हुआ और उन्हें अवसर मिल गया।

श्री प्रभुनाथ सिंह, इसके बावजूद, मैं उन्हें अवसर दे रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से जो निवेदन कर रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी को कहिये कि वह जरा उसे सुनें। अगर नहीं सुनेंगे तो निवेदन का क्या लाभ। हम सरकार को सुनाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय: यह सुनेंगे, यहां से सब इन्टीमेशन चली जाती है।

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, हमने भोजपुरी भाषा को संविधान की अष्टम सूची में शामिल करने का कई बार आग्रह किया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप भोजपुरी में बोल रहे हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह: यदि कहा जाए तो हम बोलेंगे। आप इजाजत दें तो मैं बोलूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: शायद, भोजपुरी का कोई भी भाषान्तकार नहीं है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: भोजपुरी तो हम इतनी रफ्तार से बोलेंगे कि सारा देश सुनता रह जायेगा। अगर आप इजाजत दें तो मैं बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय: आप हिन्दी में ही बोलिये।

श्री प्रभुनाथ सिंह: महोदय, एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से भी हमने इस सवाल को उठाया था और तब माननीय गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि भोजपुरी भाषा को अष्टम सूची में शामिल किया जायेगा। हमने व्यक्तिगत तौर भी गृह मंत्री जी से मिलकर इसका आग्रह किया है। उन्होंने कहा तो जरूर है कि इसे शामिल किया जाएगा, लेकिन इसकी कोई समय सीमा सामने नहीं

आ रही है। पश्चिम बंगाल के बोलपुर संसदीय क्षेत्र में भी भोजपुरी भाषा-भाषी लोग हैं। संसदीय कार्य मंत्री महोदय के संसदीय क्षेत्र में भी भोजपुरी भाषा-भाषी लोग बहुत ज्यादा संख्या में हैं तथा उनके मतदाता भी हैं। पूरी दुनिया के नौ देशों में भोजपुरी भाषा के लोग हैं। पूरी दुनिया में बीस करोड़ लोग इस भाषा को बोलने वाले हैं, वहीं भारत में लगभग 16 करोड़ लोग इस भाषा को बोलने वाले हैं। कई विश्वविद्यालयों में जैसे बीआरए विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर, जेपी विश्वविद्यालय, छपरा, कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर तथा जौनपुर विश्वविद्यालय में भी इंटरमिडिएट से एमए तक की पढ़ाई भोजपुरी में होती है। भोजपुरी भाषा बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल के अलावा देश के सभी महानगरों तथा औद्योगिक नगरों में बोली जाती है। भोजपुरी भाषा के कार्यक्रम जैसे गीत और धारावाहिक पटना में और खास तौर से वाराणसी, रांची, मुजफ्फरपुर आदि से दूरदर्शन एवं आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा प्रसारित किए जाते हैं। भोजपुरी फिल्में आज सिनेमा उद्योग के मुख्य व्यवसाय के रूप में स्थापित हो चुकी हैं। भोजपुरी भाषा में पत्र-पत्रिकाएं, अखबार, समृद्ध साहित्य बहुत बड़ी संख्या में प्रकाशित होते हैं। यह भाषा इतनी सहज है कि इसे कोई दूसरी भाषा बोलने वाला भी आसानी से समझ लेता है। इसलिए यह देश की सबसे लोकप्रिय भाषा है। भोजपुरी भाषा देश की एकमात्र ऐसी भाषा है जो भारत के अतिरिक्त दूसरे देशों जैसे मारीशस, सूरीनाम, त्रिनीडाड, गुआना, हालैंड, नेपाल, फिजी, दक्षिण अमरीका और वेस्टइण्डीज के कुछ आइलैण्ड्स में लगभग चालीस से पचास प्रतिशत लोगों द्वारा बोली जाती है। फिर भी भोजपुरी भाषा को संविधान की अष्टम सूची में शामिल नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, हम निवेदन करते हैं और आपसे संरक्षण चाहते हैं कि इसे अष्टम सूची में शामिल किया जाए। संसदीय कार्य मंत्री आग्रह करने पर भी नहीं सुन रहे हैं। मंत्री जी आपके क्षेत्र में भी भोजपुरी भाषा बोली जाती है और जब हम भोजपुरी भाषा का सवाल उठा रहे हैं तो आप अन्य कामों में व्यस्त हैं, वे लोग सुनेंगे तो गुस्सा करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): भोजपुरी के बारे में ही बात कर रहे हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह: हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, चूंकि इस सदन में सरकार की तरफ से आश्वासन मिल चुका है कि भोजपुरी भाषा को संविधान की अष्टम सूची में शामिल कर लिया जाएगा। हम खास तौर से संसदीय कार्य मंत्री और सोनिया गांधी जी से भी निवेदन करते हैं कि आप आदेश देंगी तो यह काम जल्दी हो जाएगा। आप अपने गृह मंत्री जी को भी कह दीजिए, वे इसे जल्दी करवा देंगे।

अध्यक्ष महोदय: क्या सभी भोजपुरी भाषा बोलने वाले इनको वोट देंगे?

श्री प्रभुनाथ सिंह: इनको तो वोट देते ही हैं।

अध्यक्ष महोदय: तब तो जल्दी हो जाएगा।

श्री प्रभुनाथ सिंह: हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी इस बारे में कह देंगे तो सरकार जल्दी करवा देगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। वे बहुत समृद्ध है। स्वाभाविक तौर पर, इन्हें शामिल करने की प्रक्रियाएं और नियम हैं। मुझे भरोसा है और मैं मानता हूं कि यह भाषा विचारार्थ है।

श्री सुरेश कलमाडी (पुणे): महोदय, यह एक अच्छी बात है कि पुणे 12 दिसम्बर से अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन बन रहा है। किन्तु दुर्भाग्यवश, अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर जो सुविधाएं होनी चाहिए वे अनुपस्थित हैं। वहां कोई पार्किंग स्थान नहीं है। वहां केवल चार विमानों के लिए पार्किंग स्थल है। रक्षा मंत्रालय ने कई अनुस्मारकों के बावजूद भी आठ एकड़ भूमि को खाली नहीं किया है। इंस्ट्रूमेंट लेंडिग सिस्टम अच्छी गुणवत्ता वाला नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय को भवन का विस्तार करना होगा। प्रश्न नागरिकों और रक्षा मंत्रालय के लोगों के बीच विमानपत्तनों की भागीदारी का है। विमानों के संचलन के लिए नियम निर्धारित होने चाहिए। रक्षा विमानपत्तनों अथवा नागरिक विमानपत्तनों में रक्षा विमान और नागरिक विमान दोनों विद्यमान होने चाहिए। इसके लिए नियम बनाए जाने चाहिए।

पुणे के निकट अन्य अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन बनाया जाना है। इसको भी तत्काल आरम्भ कर दिया जाना चाहिए। यह काम चलाऊ व्यवस्था है।

श्री राजेन गोहेन (नौगांव): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्र में इसकी भौगोलिक पृथकता, अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं और बाजार का आकार, कानून व्यवस्था आदि जैसे कई अन्य घटकों के बावजूद औद्योगिकीकरण एवं निवेश को आकर्षित करने के लिए सौहार्दपूर्ण माहौल तैयार करने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति की घोषणा की गई।

दुर्भाग्यवश, जम्मू और कश्मीर, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश जैसे अन्य पहाड़ी राज्यों तक इस नीति का विस्तार होने के बाद इस क्षेत्र में औद्योगिकीकरण की गति मंद हो गई है। इस नीति के अनुसार, जो निवेशक परिवहन राजसहायता, करो में छूट और

केन्द्रीय उत्पाद कर आदि जैसे लाभों को पाना चाहते हैं उन्हें अपनी औद्योगिक इकाइयां घोषित अधिसूचित क्षेत्र में ही स्थापित होनी चाहिए। अन्य औद्योगिक इकाइयां जो अधिसूचित क्षेत्रों में नहीं आती वे इस नीति में प्रदत्त लाभों से वंचित रहेगी।

महोदय, मुझे पता है कि अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों की अनुपलब्धता की वजह से अधिसूचना हेतु वित्त मंत्रालय के पास लगभग 68 प्रस्ताव लम्बित पड़े हैं। इस देरी से सम्पूर्ण क्षेत्र की उपलब्धियां बाधित हो रही है। यह पता चला है कि इस लाभदायक नीति के अन्तर्गत सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र को घोषित करने के लिए नयी नीति बनाई जा रही है। किन्तु लम्बित प्रस्तावों को अभी भी मंजूर और अधिसूचित किया जाना है, जिनका विलय नई नीति में कर दिया जायेगा।

महोदय, इस सम्बन्ध में, असम के मुख्यमंत्री श्री तरूण गोगोई ने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा है। रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री विजय हान्डिक ने भी इस बारे में पत्र लिखा है किन्तु वित्त मंत्रालय ने अभी भी इन प्रस्तावों को मंजूर नहीं किया है। मैं नहीं जानता इसका क्या कारण है। इसलिए, मैं सरकार से इन प्रस्तावों को मंजूर करने के लिए सभी कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रभूषण सिंह (फर्रुखाबाद): माननीय अध्यक्ष जी, रिजर्व बैंक के इंस्ट्रक्शन्स और फायनेंस मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शन्स के बाद भी देश के जितनी भी रीजनल रूरल बैंक्स (आर.आर.बी.) हैं वे किसानों से ज्यादा रेट आफ इंटरैस्ट चार्ज कर रही हैं।

सदन इस बात से अवगत है कि जब देश स्वतंत्र हुआ था, तो एग्रीकल्चर से टोटल 52 प्रतिशत इन्कम थी। आज वह घटकर 30 प्रतिशत के आसपास रह गई है। आज ही के अखबार में मैंने पढ़ा कि देश में सर्विस सैक्टर की ग्रोथ 12 प्रतिशत से ऊपर है और एग्रीकल्चर की ग्रोथ मात्र 1.8 प्रतिशत है।

महोदय, आपके माध्यम से मेरा सरकार से आग्रह है कि रिजर्व बैंक के इंस्ट्रक्शन्स के बाद भी आर.आर.बी., सी.सी. लिमिट पर 13.5 प्रतिशत ब्याज चार्ज कर रही हैं जबकि नैशनलाइज्ड बैंक मात्र 10 प्रतिशत चार्ज करते हैं। जो लोग एग्रीकल्चर सैक्टर में छोटी-छोटी काटेज इंडस्ट्रीज लगाते हैं, छोटे-छोटे उद्योग-धंधे लगाते हैं, उनसे यदि ग्रामीण बैंक 13.5 प्रतिशत इंटरैस्ट चार्ज करते हैं, तो मैं यह निश्चित ही मानकर चलता हूं कि इस सरकार की नीयत कृषि को बढ़ावा देने की नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए और आर.आर.बी. के रेट आफ इंटरैस्ट को कम करना चाहिए।

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हजारीबाग): अध्यक्ष महोदय, झारखंड में हर महीने अरबों रुपए के कोयला और लाइमस्टोन की तस्करी होती है और अवैध खनन के कारण हर वर्ष 100-150 लोगों की मृत्यु होती है। दिनांक 19 सितम्बर, 2005 को हजारीबाग जिले में सी.सी.एल. की एक खान में 300-350 मजदूर काम कर रहे थे। एकाएक खान धंसने से 15 मजदूरों की मौत हो गई जिसमें 11 महिलाएं थीं। कोयले के अवैध उत्खनन में, सारे पुलिस पदाधिकारी, कोयला तस्कर, सारे लोग, यहां तक कि मंत्री तक लगे हुए हैं और अरबों रुपए की खुल्लमखुल्ला तस्करी हो रही है। इसमें बराबर सी.सी.एल. के कुछ पदाधिकारी और कोल इंडिया के कुछ पदाधिकारी सम्मिलित हैं। इस प्रकार से लगातार कोयला और अन्य खनिज सम्पदा की तस्करी हो रही है। इससे केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को अरबों रुपए का घाटा हो रहा है।

महोदय, विशेषरूप से जो गरीब लोग हैं, जो कोयला खनन में रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, अवैध उत्खनन के कारण उन्हें जॉब नहीं मिल रहा है और उन्हें 400-500 रुपए की बजाय अवैध खनन करने वाले तस्कर लोग मात्र 50-60 रुपए देते हैं। इस प्रकार से गरीब मजदूरों का शोषण हो रहा है। वहां अवैध खनन बहुत तेजी से चल रहा है। राज्य सरकार अवैध खनन को रोकने में बिलकुल विफल रही है और सारे मंत्री तथा पदाधिकारी इसमें लगे हुए हैं और करोडों रुपए की आमदनी, कोयला एवं अन्य खनिजों की अवैध तस्करी से कर रहे हैं। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अपील करता हूं कि वह झारखंड में अवैध खनन को रोकने के लिए कारगर कदम उठाए और इस अवैध खनन में जो गरीब मजदूर, तस्करों के माध्यम से खनन कार्य में लगे हुए हैं, उन्हें बचाने का उपाय करे।

श्री मनोज कुमार (पलामू): अध्यक्ष महोदय, हम झारखंड के पलामू क्षेत्र में आते हैं और वह क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है। केन्द्र सरकार के द्वारा इस इलाके के विकास के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यहां का जो दिशा-निर्देश है, वहां के स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा उसका उल्लंघन किया जाता है, जिससे योजनाओं का समुचित लाभ आम जनता तक नहीं पहुंचा पाता है। हम इस संबंध में पूर्व में भी माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी को लिखित सूचना दे चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करते हैं कि केन्द्र सरकार द्वारा एक जांच टीम भेज कर केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का विश्लेषण कराया जाए और इसका लाभ आम जनता तक पहुंचाने का कारगर कदम उठाया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री बची सिंह रावत–उपस्थिति नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले सबसे पहले तो आपने समय पर नोटिस नहीं दिया। आपने प्रतीक्षा करनी होगी, यदि मुझे समय मिला तो आपको अवसर दिया जाएगा। नोटिस प्रात: 9.30 बजे तक देना होता है। परन्तु आपने यह प्रात: 10.00 बजे दिया और आप वरीयता भी चाहते हैं। ऐसा किस प्रकार किया जा सकता है?

[हिन्दी]

श्री हेमलाल मुर्मू (राजमहल): अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग 80, जिसकी लगभग दस किलोमीटर लम्बाई है, यह पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है। फरक्का के पास एनएच-80 पुल निर्माण की आवश्यकता है। इसके लिए तीन-तीन बार टैंडर हो चुका है और आंदोलन भी हुए, लेकिन जानबूझ कर पुल निर्माण एवं सड़क निर्माण नहीं कराया जाता, क्योंकि इस क्षेत्र के आपराधिक तत्व प्रशासन एवं अन्य लोगों की मिलीभगत से प्रत्येक वाहन प्रचालकों से 200-300 रुपए बजाप्ता रास्ता काट कर, रंगदारी टैक्स के रूप में वसूल किया जाता है, जिससे कि करोड़ों रुपए की कमाई का बंदरबांट होता है। यह सड़क पश्चिम बंगाल एवं झारखंड राज्य की आर्थिक सेतु के समान है। दैनिक उपयोग की हर वस्तु बंगाल से झारखंड आती है। ऐसी स्थिति में ट्रक आपरेटरों से मुंह मांगी वसूली की जाती है, इस कारण वाहन आपरेटरों ने इस रास्ते से आना छोड़ दिया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि एनएच-80 पर पुल निर्माण सड़क निर्माण एवं मरम्मत हेतु एनएचएआई एवं संबंधित विभाग को शीघ्रातिशीघ्र आदेश जारी करने की व्यवस्था की जाए।

श्री अनंत गुढ़े (अमरावती): अध्यक्ष महोदय, देश में रोज किसानों की आत्महत्या का सिलसिला लगातार चालू है। हम जब भी अखबार देखते हैं तो हर पहले पन्ने पर, कहीं न कहीं किसानों की आत्महत्या की बात हमें पढ़ने को मिलती है। किसानों की समस्या के बारे में कई बार संसद में चर्चा हुई और किसानों की आत्महत्या के बारे में भी चर्चा हुई, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की तरफ से जो प्रयास होने चाहिए, वे प्रयास होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। जिन किसानों ने आत्महत्या की है, उन किसानों के परिवारों को राज्य सरकारें मदद के रूप में कुछ पैसा देती हैं, लेकिन हमने देखा है, मैं केवल कुछ जगहों की बात कर रहा हूं, पश्चिम विदर्भ में साल भर में, पिछले पूरे साल में 657 किसानों ने आत्महत्या की है। गत छ: महीनों में, केवल 150 दिनों में 142 किसानों ने आत्महत्या की है। लेकिन अगर देखा जाये तो पूरे साल में किसानों को जो मदद मिली है, वह केवल 15 किसानों के परिवारों को दी गई है। किसानों के पास सागबाड़ा रहता है, आज तो उनकी ऐसी स्थिति है कि काम नहीं होने की वजह से गांवों के किसानों के परिवार के जो बाकी सदस्य हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो स्टूडैण्ट्स हैं, वे भी आत्महत्याएं कर रहे हैं। अमरावती जिले के आसरा नाम के गांव में एक स्कूली बच्ची ने आत्महत्या की है। उसने अपने निवेदन में कहा है कि पिताजी काम पर जाते हैं, उन्हें काम नहीं मिलता है, मां काम पर जाती है, उन्हें काम नहीं मिलता है, घर में दो बच्चे पढ़ने वाले हैं, वे पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैं आत्महत्या कर रही हूं। आज इस प्रकार की बात चल रही है। यह बहुत ही गम्भीर विषय है। सारे देश का किसान वर्ग आज बड़े संकट में आ गया है।

इसमें दो बातें सबसे महत्वपूर्ण हैं। जहां लोग साहूकारों से कर्जा लेते हैं, वे बड़ी मात्रा में लोगों से ब्याज लेते हैं, इसलिए इन साहूकारों के ऊपर सारे देश में बन्दी लगनी चाहिए। इसके लिए सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है.

दूसरी बात यह है कि किसानों के लिए सरकार करोड़ों रुपये कई इलाकों में कई कामों पर खर्च करती है, लेकिन किसानों को उनके काम के लिए या उनकी खेती के लिए जो कर्जा देते हैं, बिन ब्याजी कर्जा किसानों को देने के लिए सरकार को कुछ कदम उठाने की जरूरत है, यह मांग मैं आपके माध्यम से करता हूं। सारा सदन किसानों के साथ अपने संवेदना प्रकट करेगा, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: निश्चित रूप से यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला, जो बिहार सरकार के स्तर पर लगभग एक वर्ष पूर्व कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से केन्द्र सरकार के पास भेजा गया है, उठाना चाहता हूं। लगभग आठ जातियों, नोनिया, विंद, मल्लाह, कमार, बढ़ई, तुरहा, राजभर, चन्द्रवंशी को अनुसूचित जातियों की अनुसूची में शामिल कर दे और बाद में फिर बिहार सरकार ने तीन जातियों नाई, कानू और तांती का नाम भेजा। इनको भी अनुसूचित जाति की अनुसूची

में शामिल करने के लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार को अनुशंसा की है, मगर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि अभी तक भारत सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है।

बार-बार अनुरोध करने के बाद भी इन जातियों को अनुसूचित जाति की अनुसूची में शामिल नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण इनका पिछड़ापन और आर्थिक स्थिति और भी खराब हो रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप अपने स्तर से खास तौर से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी और यहां जो यू.पी.ए. की अध्यक्ष सोनिया गांधी मैडम बैठी हैं, उनसे मेरा विशेष अनुरोध होगा कि आप हस्तक्षेप करके उन 8 और तीन कुल 11 जातियों को, जिन्हें बिहार सरकार ने अनुसूचित जाति की अनुसूची में शामिल करने के लिए भेजा है, शामिल करवाने की कार्रवाई करवाकर निर्देशित करावें ताकि उनको न्याय मिल सके। इनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब है, उनकी स्थिति बहुत खराब है, वे इससे लाभ पाकर अपनी स्थिति में सुधार करने का काम कर सकें।

मेरा पुन: आपके माध्यम से अनुरोध होगा, माननीय मैडम सोनिया गांधी जी, आप इस पर हस्तक्षेप करें, पहल करें और इस पर कार्रवाई कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव तथा श्री रघुनाथ झा को इसके साथ संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है। हालांकि उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया है, परन्तु मामले के महत्व पर विचार करते हुए मैं उन्हें संबद्ध करने की अनुमति दे रहा हूं। इसे भविष्य के लिए उदाहरण न माना जाए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह महत्वपूर्ण मामले हैं। मुझे विश्वास है कि भारत सरकार इस पर ध्यान देगी।

श्रीमती पी. सतीदेवी (बडागरा): धन्यवाद महोदय, मैं सभा का ध्यान कालीकट, केरल के अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर यात्रियों के शोषण की ओर दिलाना चाहती हूं। इस रैकेट को सीमा-शुल्क विभाग के उच्च अधिकारी कुछ बड़े लोगों की मिलीभगत से चला रहे हैं जिनके कुछ बड़े राजनीतिक नेताओं से संबंध हैं। पिछले महीने के दौरान विमानपत्तन पर सीबीआई के छापों के दौरान यह खुलासा हुआ।

मीडिया में यह समाचार आ चुका है कि 1,14,000/- रु. की अनधिकृत धनराशि के साथ एकत्र सीमा-शुल्क इंस्पेक्टर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। समाचार-पत्रों में आई खबरों के अनुसार इस रैकेट को 'विमानपत्तन वित्त मंत्री' उपनाम का व्यक्ति चला रहा है। जब भी कोई उड़ान अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर उतरती है तो खाड़ी देशों से कई वर्षों के कड़े परिश्रम के बाद अपने-अपने घरों को लौट रहे असहाय यात्रियों से उक्त गैंग लाखों रुपए की धनराशि तथा सामान हड़प लेता है। ऐसे समाचार है कि इस रैकेट का संबंध विभिन्न श्रेणियों के विमानपत्तन कर्मचारियों तथा आसूचना स्कन्ध से भी है।

समाचारों में यह भी कहा गया है कि पिछले कई वर्षों से धन, मूल्यवान वस्तुओं और नशीले पदार्थों तथा विदेशी शराब के अनधिकृत लेन-देन के लिए यह रैकेट मुख्य रूप से विमानपत्तन के एयर कार्गो अनुभाग, आई.टी.डी.सी. की ड्यूटी फ्री शाप तथा निर्यात एवं आयात अनुभागों पर चल रहा है। इसके अतिरिक्त इससे आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की आशंका है तथा उससे राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न हो सकता है।

वस्तुत: इन घटनाओं से लोगों में सीमा-शुल्क विभाग तथा आसूचना स्कन्ध की छवि खराब हुई है। अत: मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले की विस्तृत जांच कराए तथा इस लूट के पीछे संलिप्त बड़े लोगों का पता लगाए।

अध्यक्ष महोदय: श्री जे.एस. आरुन रशीद-उपस्थित नहीं।

माननीय सदस्यों हम सभी ने यह निर्णय लिया है कि प्रारंभ में जिन माननीय सदस्यों ने इस सप्ताह नोटिस नहीं दिए थे, उन माननीय सदस्यों को पहले अनुमति दी जाएगी। सप्ताह के दौरान जो सदस्य पहले ही मामले उठा चुके हैं, यदि समय बचा तो उनकी बारी आएगी। मैं पहले उन सदस्यों को पुकारूंगा, जिन्हें पहले अवसर नहीं दिए गए हैं। जितना संभव होगा मैं अधिक से अधिक सदस्यों को अवसर दूंगा। इसलिए थोड़ा संयम रखिए और मैं सभी माननीय सदस्यों को अवसर देने का प्रयास करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि और मामले उठाए जाएं।

आप पहले ही एक अन्य मामला उठा चुके हैं इसलिए आपकी बारी बाद में आएगी। किसी को मना करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। प्रक्रिया का पालन कीजिए।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, रैगिंग सारी सीमाएं तोड़ कर एक बुराई बन चुकी है। इसमें हो रही निर्दयता, क्रूरता तथा अश्लीलता पर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए। हाल ही में केरल में एक घटना घटी, जिसमें एक नर्सिंग कालेज की छात्रा से बलात्कार किया गया। अधिकारियों ने इस मामले को दबाने का

प्रयास किया तथा सरकार भी उचित समय पर उचित कार्रवाई नहीं कर रही थी। कई मामलों में मानसिक पीड़ा के कारण छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। कई मामले ऐसे भी हैं, जहां गरीब छात्र अपनी उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए कालेज जाना नहीं चाहते। कई मामलों यें रेगिंग के कारण छात्रों ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी है।

महोदय, यह मामला ऐसा है जिस पर इस सभा में चर्चा कराए जाने की आवश्यकता है और इस बुराई का कोई न कोई समाधान ढूंढना होगा। इस प्रकार के कार्य भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है। लोगों के एक वर्ग का मानना है कि छात्रों की भलाई के लिए ही यह किया जाता है, परन्तु कुछ अन्य तरीकों से भी छात्र के व्यक्तित्व को निखारा जा सकता है। इसके लिए उन छात्रों, जोकि उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में जाते हैं, ये बर्बरतापूर्ण व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं।

श्रीमती रंजीत रंजन आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर नोटिस दिया है। मैं अगले सप्ताह इस विषय पर एक ध्यानाकर्षण की अनुमति दूंगा और उसमें आपका नाम शामिल कर लिया जाएगा। मैं संबंधित अधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर ध्यानाकर्षण में उनका नाम शामिल किया जाए। श्री सांगवान, आप पहले ही दो मामले उठा चुके हैं। इसलिए, अगले सप्ताह आपको बोलने का कोई अवसर नहीं मिलेगा।

अपराह्न 12.39 बजे

(दो) भूतपूर्व सैनिकों के लिए "एक रैंक एक पेंशन" के बारे में

[हिन्दी]

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे देश के पूर्व सैनिकों की वन रैंक वन पैंशन की बहुत पुरानी मांग के बारे में कहना चाहता हूं। देश के पूर्व सैनिक कई वर्षों से इस बात के लिए लड़ रहे हैं, मांग कर रहे हैं। वे कई बार डिफैंस मिनिस्टर से भी मिले हैं। उन्होंने एजीटेशन किए हैं, लेकिन आज तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल सका। सबसे ज्यादा दुख की बात है कि बड़े पूर्व सैनिक अधिकारियों को वन रैंक वन पैंशन का लाभ मिल गया लेकिन छोटे कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल पाया। हम लगभग हर सैशन में उनकी इस बात को उठाते हैं, लेकिन उन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिला। इसके साथ ही पूरे देश में जो सैनिक बोर्ड बने हुए हैं, उनमें बहुत भारी भ्रष्टाचार चल रहा है। सैनिक रैस्ट हाउसेज का मिसयूज हो रहा है। पूर्व सैनिकों को कैंटीन की जो फैसीलिटी मिलती है, उसमें भ्रष्टाचार है, सैनिकों को कुछ नहीं मिलता और दूसरे लोग उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं।

इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के डिफैंस मिनिस्टर से मांग करता हूं कि जिन लोगों ने देश की सेवा की है, उन्हें न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए और उन्हें वन रैंक वन पैंशन की सुविधा मिलनी चाहिए।

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने विशेषकर एक रैंक एक पेंशन योजना हेतु मंत्रियों के एक समूह का गठन किया है। मंत्रियों का समूह इस मामले पर विचार कर रहा है तथा शीघ्र ही इस बारे में निर्णय लिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर दूबे (धनबाद): अध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष में रेलवे स्टेशनों पर लाखों की संख्या में लाल यूनीफार्म में कुली कार्यरत हैं। वे लोग दिन-रात स्टेशनों पर ही रहकर यात्रियों को पोर्टर्स की सेवा प्रदान करते हैं। स्टेशनों पर उनकी सेवाएं अति आवश्यक हैं। विदित हो कि स्टेशनों पर न ही उनके विश्राम के लिए कोई स्थान है और न ही उन्हें सामाजिक सुरक्षा के तहत असंगठित मजदूरों के रूप में पैंशन आदि की सुविधा प्राप्त है। उनका जीना-मरना रेलवे प्लेटफार्म पर ही है। रेल विभाग के निर्णय के अनुसार रेलवे की अतिरिक्त खाली भूमि के व्यावसायिक उपयोग की योजना बन रही है।

अत: उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में मैं सरकार से मांग करता हूं कि प्रत्येक रेलवे स्टेशन के समीप अतिरिक्त खाली भूमि पर कार्यरत कुलियों के अनुपात में आवश्यकतानुसार जगह आवंटित की जाए, जहां पर वे अपना स्थायी आशियाना बना सकें। साथ ही उनका निबंधन कर सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत असंगठित मजदूरों के रूप में पैंशन की योजना बनाई जाए ताकि उस वर्ग का भविष्य भी सुरक्षित हो सके।

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक): महोदय, मैं देश के करोड़ों बेरोजगार युवाओं से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाना चाहता हूं।

महोदय, बेरोजगारी के कारण बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा गलियों में फेरी लगा-लगाकर जीविकोपार्जन कर रहे हैं। वर्ष 2004 में सरकार ने फेरीवालों के लिए एक नीति की घोषणा की थी। इस नीति के अनुसार नगरपालिकाओं और निगमों की कुल जनसंख्या में से फेरीवालों का पुनर्वास किया जाना है। क्योंकि इस संबंध में कोई विधान नहीं बना था इसलिए इस घोषित नीति को क्रियान्वित नहीं किया गया। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में एक विधेयक पुर: स्थापित करें ताकि केन्द्र सरकार फेरीवालों के हितों की रक्षा कर सके। इस विधान में नगरपालिकाओं और निगमों को वित्तीय सहायता देने का भी उपबंध होना चाहिए ताकि फेरीवालों का पुनर्वास किया जा सके। इससे नगर और कस्बों को स्वच्छ और सुन्दर बनाया जा सकेगा और साथ ही करोड़ों बेरोजगार युवा अपना जीविकोपार्जन भी कर सकेंगे।

इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से यही अनुरोध करता हूं।

श्री जे.एम. आरून रशीद (पेरियाकुलम): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 250 किलोमीटर लम्बी पर्वत श्रृंखला है। यहां अनेक हाथियों से यहां पर रहने वाले लोगों के जीवन को खतरा है। ये हाथी नारियल के पेड़ की कोमल पत्तियों, जिन्हें ''कुरूथ्थू'' कहते हैं और अन्य पौधों को खा जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय: इससे पता चलता है कि हाथी नारियल की ओर आकर्षित होते हैं।

श्री जे.एम. आरून रशीद: पिछले एक महीने के दौरान हाथियों के विनाश के कारण चार लोगों की मौतें हुई हैं। पहले आक्रमण के दौरान कुमबम विधानसभा क्षेत्र में हाथियों ने दो लोगों को मार डाला। हाथियों ने गन्ना ''खीराई थंडु'' अंगूर के बगीचे और मूंगफली जैसे अधिकतर पौधों को बर्बाद कर दिया।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे गन्ना नहीं उगाने के लिए नहीं कह सकता।

श्री जे.एम. आरून रशीद: दूसरे आक्रमण के दौरान हाथियों ने एक महिला सहित दो लोगों को मार डाला। यह घटना कोम्बाई के निचले पर्वतीय क्षेत्र के थोड़ी विधानसभा क्षेत्र में घटित हुई।

अध्यक्ष महोदय: इसे पंचायत को देखना चाहिए।

श्री जे.एम. आरून रशीद: हाथियों द्वारा मेरे संसदीय क्षेत्र में फसलों को बर्बाद किए जाने से लोग बहुत चिंतित है। कमबम में दो स्थानों पर और थोडी में एक स्थान पर लोग प्रात: और सांय को घर से बाहर निकलते हुए बहुत डरते हैं। हाथियों ने खड़ी हुई फसलों को बर्बाद कर दिया ...*(व्यवधान)* वे प्रतिदिन खतरनाक ढंग से आक्रमण करते हैं। मैं इस संबंध में राज्य सरकार को पहले ही पत्र लिख चुका हूं। इन आक्रमणों में संपत्ति का भारी मात्रा में नुकसान हुआ है।

अध्यक्ष महोदय: आप इसे यहां क्यों उठा रहे हैं?

श्री जे.एम. आरून रशीद: हमने पर्यावरण और वन मंत्रालय से संपत्ति और फसल की हानि के आकलन के लिए एक दल को भेजने का अनुरोध करते हैं। हम पेरियाकुलम संसदीय क्षेत्र के लोगों का अमूल्य जीवन बचाया जाना चाहिए अथवा उन्हें ऊपरी पहाड़ों पर खदेड़ देना चाहिए अथवा उन्हें वहीं पर प्रशांतक से गिराकर चिड़ियाघर में भेज देना चाहिए। हमें लोगों के अमूल्य जीवन और उनकी फसलों को बचाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी चिंताओं की कद्र करता हूं। लेकिन आपकी चिंता हाथियों से संबंधित नहीं है। आपको हाथियों की भी चिंता करनी चाहिए। हाथियों और मानव दोनों को बचाना चाहिए।

श्री जे.एम. आरून रशीद: उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से संचार मंत्री जी का ध्यान राजस्थान राज्य की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। राजस्थान में 45 हजार गांव हैं और 45 हजार ढहाणियां है, लेकिन आज भी वहां संचार सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। पहले यह कहा गया था कि राजस्थान में प्राइवेट सैक्टर की निजी कम्पनियां वहां संचार सुविधाएं उपलब्ध करेंगी, लेकिन आज तक किसी भी गांव में संचार सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है। आज संचार सुविधा केवल विलासिता की वस्तु नहीं रही। राजस्थान के हजारों नागरिक आज सेना में कार्यरत हैं तथा कई बिजनेसमैन भी हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि भारत संचार निगम यह काम स्वयं अपने हाथ में ले तथा जहां-जहां टावर बनने हैं वहां पर टावर बनें। जहां डब्ल्यूएलएल का काम चालू होना है, वहां उस काम को जल्दी चालू कराया जाये। राजस्थान के गांवों में जहां लोगों को संचार सुविधा की आवश्यकता है, वहां भारत संचार निगम स्वयं इस काम को अपने हाथ में लेकर लोगों को इसकी सविधा प्रदान करे, यह मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा।

श्री सुनील कुमार महतो (जमशेदपुर): अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य में बिजली की समस्याओं के प्रति, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज वहां बिजली की काफी किल्लत है। वहां एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री एरिया आदितपुर है। आज यहां सारे उद्योग बंद पड़े हुए हैं क्योंकि राज्य सरकार वहां बिजली देने में सफल नहीं हो रही है। इस कारण वहां सारे इंडस्ट्रिलिस्ट सड़कों पर उतर आए हैं। वे लोग जुलूस और प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां आजादी के बाद से ही बिजली के इन्फ्रास्ट्रक्चर लगे हुए हैं, जो बहुत पुराने हो चुके हैं। वे भी आधे से ज्यादा बंद पड़े हैं। आज वहां बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज राज्य सरकार के साथ एमओयू साइन कर रही है। बड़ी-बड़ी मल्टी नैशनल कम्पनी वहां उद्योग लगाने के लिए आ रही हैं। वहां बिजली की जो किल्लत है, इस मामले में किसी भी कीमत पर केन्द्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और इस समस्या को दूर करना चाहिए। इससे राज्य की भी उन्नति होगी और साथ-साथ देश की भी उन्नति होगी। वहां संसाधन की कमी नहीं है। वहां आज सबसे ज्यादा कोयला दूसरे राज्य में एन.टी.पी.सी. के नाम पर जाता है और इस तरह से बहुत ज्यादा खर्च होता है। वहां एन.टी.पी.सी. क्यों नहीं बनाया जाए? यूरेनियम भी भारी मात्रा में वहां उत्पादित होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां अगर एटामिक पावर प्रोजेक्ट बनाया जाए तो बिजली की समस्या उसी राज्य से ही समाप्त की जा सकती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जनहित में इस कार्य को देखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा इसमें हस्तक्षेप किया जाए।

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर, हि.प्र.): अध्यक्ष महोदय, मैं सड़क परिवहन मंत्रालय का ध्यान हिमाचल प्रदेश के नेशनल हाइवेज की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में रेलों की पटरियों का निर्माण आजादी के बाद बहुत ही कम हुआ है और इस कारण भी जो आवागमन है, वह सड़कों पर ज्यादा निर्भर है। सन् 2000 में सरकार ने चार नेशनल हाइवेज बनाने की घोषणा की थी। उसमें से एक-दो नेशनल हाइवेज की स्थिति तो इतनी दयनीय है कि उनको देखने से तरस आता है। एक नेशनल हाइवेज पिंजौर से सरघाट तक जो घोषित हुआ था, उसकी दशा का मैं वर्णन करना चाहूंगा कि उसके रास्ते में बद्दी एक एक ऐसा स्थान है जो एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में बहुत तेजी से विकसित हो रहा है, पूरे देश के प्रमुख उद्योग वहां पर आये हैं लेकिन उस सड़क की हालत इतनी खराब है कि उसमें गड्ढ़े पड़े हुए हैं और उसकी दशा पिछले तीन-चार साल से तो बहुत ही खराब है। इसलिए मेरा मंत्रालय से निवेदन है कि नेशनल हाइवेज होने के साथ-साथ उसके लिए अतिरिक्त पैसे का प्रावधान किया जाए और उस औद्योगिक क्षेत्रके महत्व को देखते हुए, उस सड़क का महत्व देखते हुए उसकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाए अन्यथा लोग वहां से डाइवर्ट करना प्रारम्भ कर रहे हैं। यद्यपि लोग वहां से जाना पसन्द नहीं कर रहे हैं और कई उद्योग भी जाने की स्थिति में है। इसलिए इस सड़क का महत्व देखते हुए, इसके लिए अतिरिक्त पैसे का प्रावधान किया जाए ताकि उस सड़क का ठीक ढंग से निर्माण राष्ट्रीय उच्च मार्ग की दृष्टि से हो सके।

अपराह्न 12.52 बजे

(तीन) बहुराष्ट्रीय कंपनियों में दलितों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता के बारे में

[हिन्दी]

श्री सुकदेव पासवान (अररिया): अध्यक्ष महोदय, यू.पी.ए. सरकार ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने आरक्षण देने की बात कही गई थी लेकिन काफी समय हो गया है और अभी तक यू.पी.ए. सरकार द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जितनी भी देश में सरकारी नौकरियां हैं, सभी विभागों में एस.सी.एस.टी. का बैक-लाग अधूरा है और सरकार बिल्कुल इसे पूरा नहीं कर रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा, यहां सोनिया गांधी जी भी बैठी हुई है, राम विलास पासवान जी भी बैठे हुए हैं, एस.सी.एस.टी. के इस बैक-लाग को पूरा किया जाए और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में दलितों को आरक्षण मिले, इसकी व्यवस्था की जाए।

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): अध्यक्ष जी, सरकार ने निर्णय लिया है कि एस.सी.एस.टी. का जो भी बैक-लाग है, इसे 30 दिसम्बर, 2005 तक पूरा कर दिया जाएगा और जहां तक प्राइवेट सैक्टर में रिजर्वेशन देने की बात है, ग्रुप आफ मिनिस्टर्स कांस्टीट्यूट कर दिया गया है और उसकी रिपोर्ट भी आ गई है, वह सरकार के विचाराधीन है तथा वैल्फेयर मिनिस्ट्री उसका कोआर्डिनेशन कर रही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री अविनाश राय खन्ना-उपस्थित नहीं।

...(व्यवधान)

श्री चन्द्रशेखर साहु (बरहामपुर-उड़ीसा): महोदय, मैं चाहता हूं कि *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसे कल बड़े जोरदार ढंग से उठाया गया था।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नहीं, हम सभी इस मामले के साथ सम्बद्ध है कि जहां तक संभव होगा सरकार अधिक से अधिक राज्यों में राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान की स्थापना पर विचार करेगी। इस विषय पर राज्यों में कोई विवाद नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री चन्द्रशेखर साहु: हां, महोदय, मैं अपने आपको इससे सम्बद्ध करता हूं। मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से इस पर पुनर्विचार करने और भुवनेश्वर में एक केन्द्र खोलने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आपका सम्बद्ध कर दिया जाएगा। वास्तव में हम आपकी भावनाओं की प्रशंसा करते हैं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में भाषावार प्रान्तों की रचना हुई, लेकिन हमारे मराठी-भाषी लोगों को बेलगांव जिले में, कर्नाटक में डालकर उन पर अन्याय किया गया है। मैं चाहता हूं कि कन्नड़-भाषी लोगों पर कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, मगर मराठी-भाषी लोगों को कर्नाटक राज्य में पिछले तमाम सालों से रखने के कारण उन पर अन्याय हुआ है। उन लोगों की मांग केवल इतनी है कि हम मराठी-भाषी हैं और हमें महाराष्ट्र में लिया जाना चाहिए। इसलिए मेरी सिर्फ यही मांग है कि या तो बेलगांव जिले का डिवीजन कर दिया जाए और कन्नड़-भाषी लोगों का अलग बेलगांव कर्नाटक में रहे और मराठी-भाषी लोगों का अलग बेलगांव महाराष्ट्र में शामिल किया जाए या फिर बेलगांव जिले को गोवा से जोड़कर एक विशाल गोमान्तक राज्य बनाया जाए। यहां श्रीमती सोनिया गांधी जी मौजूद हैं, हम आपसे अपील करते हैं कि दोनों सरकारें अपनी हैं और आगे भी सब सरकारें अपनी ही आने वाली हैं। इसलिए महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों को यहां पर बुलाकर, प्रधानमंत्री जी और सोनिया जी मिलकर, हमारे मराठी-भाषी लोगों को न्याय दिलाएं। हमारी यही मांग है। अध्यक्ष महोदय, आप भी इसमें हमारी थोड़ी मदद कीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम सभी को यह याद रखना चाहिए यह देश एक है। यहां एकता महत्वपूर्ण है। यदि विभिन्न क्षेत्रों की आकांक्षाएं होगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि हर कोई इसे कर सकता है इस मामले पर विचार करके लेकिन समुचित तरीके से, ''दो और लो'' की भावना से। हमें इस मामले को इस देश के लोगों के बीच विवाद का मामला नहीं बनना चाहिए। हां हर कोई इसे जानता है।

मैं माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिए गए सहयोग के लिए उनका हार्दिक आभारी हूं। हमने आज की सूची पूरी कर ली है और हम अपने एक से अधिक सदस्य को बोलने की अनुमति न दिए जाने संबंधी अपने पूर्व निर्णय के विरुद्ध भी गए हैं। मैं समझता हूं कि श्री हरिन पाठक भी मुझसे सहमत होंगे कि यह किसी भी अन्य कार्य से अधिक उत्पादक है। इसी बात के साथ और आपकी सराहना करते हुए मैं आपको मध्याह्न भोजन के लिए एक घंटे से अधिक का समय देता हूं।

सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.56 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

[अनुवाद]

अपराह्न 2.03 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.03 बजे पुन: समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

नियम 377 के अधीन मामले

उपाध्यक्ष महोदय: अब मद संख्या 9 को लिया जाता है इसके अंतर्गत नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाए और ये सभा के कार्यवाही वृत्तांत का हिस्सा होगा।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): हमेशा ऐसा ही होता है। इतनी मुश्किल से लाटरी में हमारा नाम आता है और फिर रह जाता है। पिछले वक्त भी हमारा सब्मिशन नहीं आया था।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी (गढ़वाल): उपाध्यक्ष जी, इसका मतलब यह है कि हम जब लिस्ट आफ बिजनेस बनाते हैं, तो उसमें जानबूझ कर होता है कि नियम 377 के अधीन मामले तो ले होने ही हैं। लंच के बाद दो बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू होती है, पहली आइटम आपने नियम

193 के अधीन चर्चा रख दी है। इसका मतलब यह है कि नियम 377 के अधीन मामले ले होने ही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: जनरली ऐसा ही करते हैं जैसा आप चाहते हैं, लेकिन आज स्पेशल केस में यह कर रहे हैं।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी: आपके जो आदेश होंगे उनकी हम पालना करेंगे। मैं तो आपके ध्यान में ला रहा हूं कि दो बजे बोल देते हैं और लंच आवर दो बजे खत्म होता है। या तो इसे दो बजे के पहले कराएं। यह कोई अच्छी बात नहीं है। आप योजनाबद्ध तरीके से इसे टेबल पर ले करा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है मैं नियम 377 के अधीन मामले पहले लेता हूं। आजमी जी, आप बैठ जाएं, आप लोगों की बात मान ली है।

प्रो. चन्द्र कुमार।

(एक) हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियरों के कम होने और पारिस्थितिकी असंतुलन को नियंत्रित करने के लिए दीर्घकालिक रणनीति बनाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

प्रो. चन्द्र कुमार (कांगड़ा): हिमालय क्षेत्र में पिछले सात-आठ वर्षों में हिमनद कम होते जा रहे हैं। यदि यह रूझान जारी रहा, तो घटते हिमनदो से आगामी 10-15 वर्षों में जल की आवश्यकता का संकट उत्पन्न हो जाएगा, दूसरी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश के लाहोल में जल-विद्युत उत्पादन के कारण लगभग 250 छोटे तथा बड़े हिमनद कम हो रहे हैं। यह भूमण्डलीय तापमान में तेजी से वृद्धि के कारण हुआ है जिससे पारिस्थितिकीय असंतुलन बढ़ा है। हिमालय को दूसरा खतरा क्षेत्र में वन संपदा का बड़े स्तर पर दोहन किया जाना है। मैं सरकार से हिमालयी क्षेत्र में घटते हिमनदो तथा पारिस्थितिकीय असंतुलन के इस संकट से निपटने के लिए दीर्घावधि नीति पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

(दो) उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बुनकरों के हितों की रक्षा करने के लिए सिल्क के आयात पर कर लगाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. राजेश मिश्रा (वाराणसी): उपाध्यक्ष जी, मैं केन्द्र सरकार का ध्यान पूर्वी उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से वाराणसी क्षेत्र में कार्यरत स्माल स्केल इंडस्ट्रीज, काटन इंडस्ट्रीज, वुडन ट्वाय इंडस्ट्रीज को आ रही समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं। आज वैश्वीकरण के युग में जिस प्रकार विदेशी कंपनी बाजार में अपना व्यवसाय जमा रही हैं और हमारे देश की उत्पादित वस्तुएं उनके साथ कंप्टीशन में पिछड़ रही हैं, उस दृष्टि से इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वाराणसी क्षेत्र में जितने भी उद्योग लगे हैं, उनमें निर्मित वस्तुओं का देश में ही नहीं विदेशों में भी भारी मांग है लेकिन संसाधनों की व्यवस्था न होने के कारण हमारे उद्योग पिछड़ते जा रहे हैं। विदेशी वस्तुओं के मुकाबले हमारे देश में निर्मित हर समान अच्छा और टिकाऊ है। मार्केटिंग के क्षेत्र में बुनकरों द्वारा निर्मित सिल्क पर ड्यूटी लगाई जाती है जबकि विदेशी सिल्क में जो ड्यूटी लगायी जाती है वह कम होने के कारण विदेशों का माल सस्ता और पूर्वी उत्तर प्रदेश में निर्मित माल काफी महंगा हो जाता है। इसलिए विदेशों के सामानों और सिल्क पर और ज्यादा ड्यूटी होनी चाहिए ताकि हमारे बुनकर बाजार में उनका मुकाबला कर सकें। मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के उद्योगों को ज्यादा से ज्यादा राहत दी जाए।

(तीन) पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़): उपाध्यक्ष जी, मैं गाजियाबाद-हापुड़, उत्तर प्रदेश से सांसद हूं तथा केन्द्र सरकार का ध्यान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आम नागरिकों की काफी समय से लम्बित गंभीर समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। इस क्षेत्र के लोग कई वर्षों से हाई कोर्ट बैंच स्थापना की मांग कर रहे हैं। इससे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई सांसदों द्वारा इस विषय को सदन में उठाया जा चुका है लेकिन अभी तक इस कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, गाजियाबाद, आगरा ऐसे स्थान हैं जो कि सड़क एवं रेल से जुड़े हुए हैं। इलाहाबाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उक्त तीनों शहरों से लगभग 450 कि.मी. दूरी पर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो इलाहाबाद से 110 कि.मी. पर है वहां हाई कोर्ट की बैंच पहले ही स्थापित है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता आशा एवं आकांक्षा के अनुरूप उन्हें सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाने के लिए उक्त तीनों स्थानों में से किसी एक पर हाई कोर्ट की बैंच स्थापना करना नितांत ही आवश्यक हो गया है, क्योंकि इलाहाबाद जाना बहुत ही खर्चीला और समय की बर्बादी है। उक्त तीनों स्थानों में से किसी एक पर हाई कोर्ट बैंच स्थापित करना लोगों के लिए कम खर्चीला होगा और समय की सबसे ज्यादा बचत होगी।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि इस विषय पर गंभीरता से विचार किया जाए तथा उक्त तीनों स्थानों में से किसी भी एक पर जनहित में फैसला करके हाई कोर्ट बैंच की स्थापना शीघ्र की जाए।

(चार) चालू परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और स्वजल धारा योजना के अंतर्गत निधियों की बकाया किश्त को राज्यों को जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा): उपाध्यक्ष जी, केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित विभिन्न योजनाएं जिनमें केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत गांव में पेयजल योजना, जिसमें कि स्वजल धारा के अंतर्गत विभिन्न प्रदेशों की ग्राम पंचायतों द्वारा जिनमें मध्य प्रदेश भी है, अपने हिस्से की आंशिक राशि जमा करा दी गयी है, और इस योजना के अंतर्गत केन्द्र की ओर से एक-एक, दो-दो किश्ते मिलने के बाद आगे के लिए राशि का आवंटन रोक दिया गया है। राशि का आवंटन न होने से ये योजनाएं अपूर्ण तथा ग्राम पंचायतें भारी आर्थिक संकट में है। इसी प्रकार से प्रधान मंत्री सड़क योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि का आवंटन न होने के कारण भी कार्य अधूरा और कहीं-कहीं पर बहुत धीमी गति से चल रहा है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना तथा स्वजल धारा योजना के अंतर्गत आवंटित राशि की शेष किश्ते शीघ्र से शीघ्र जारी करने का कष्ट करें।

(पांच) अरूणाचल प्रदेश के सभी प्रशासनिक केन्द्रों को सड़क द्वारा जोड़ने और तेजपुर और तवांग के बीच सड़क को चौड़ा करने के लिए आवश्यक निधि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री कीरेन रिजीजू (अरूणाचल पश्चिम): अरूणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे बड़ा राज्य है तथा यह सामरिक दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील स्थान पर स्थित है, जिसके पूर्व में म्यांमार, उत्तर में चीन तथा पश्चिम में भूटान है। इस राज्य में सड़क सम्पर्क देश के सबसे कम है और 70 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में सड़क सम्पर्क की सुविधा नहीं है। सीमावर्ती इलाकों में स्थानीय लोगों को अपने किटतम प्रशासनिक केन्द्रों तक पहुंचने के लिए अभी भी अत्यंत कठिन तथा दुर्गम स्थानों से होकर कई दिनों तक चलना पड़ता है। राज्य के सभी जिला मुख्यालयों को जोड़ने वाले पूर्व-पश्चिम राजमार्ग का निर्माण करने की मांग भी राज्य द्वारा काफी समय से की जा रही है।

मैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि कम से कम अरूणाचल प्रदेश के सभी प्रशासनिक केन्द्रों को सड़क से जोड़ने के लिए तत्काल कदम उठाये जाएं और तेजपुर-तवांग के बीच रक्षा सड़क जिसका रख-रखाव सीमा सड़क संगठन करता है, को चौड़ा किए जाने के कार्य को तत्काल पूरा करने के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाए।

(छह) राज्य में बिजली की कमी की समस्या को हल करने के लिए मध्य प्रदेश को सेंट्रल ग्रिड से अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): *देश में विद्युत की मांग एवं पूर्ति के अंतर को पूरा करने के लिए नये बिजली घरों की स्थापना को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

मध्य प्रदेश को केन्द्र से विद्युत आपूर्ति की कटौती के कारण ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा है। अतएव मध्य प्रदेश को पूर्व में की जा रही केन्द्र के अनावंटित पावर से पूर्ति को बहाल किया जाये तथा मध्य प्रदेश में बिजली उत्पादन के प्रस्तावों को 2000 मेगावाट के परमाणु विद्युत गृह स्थापना सहित शीघ्र स्वीकृत देकर विद्युत आपूर्ति के संकट से मुक्त करने तथा मालवा क्षेत्र में वर्तमान कम वोल्टेज की समस्या को आर.ए.पी.पी. से पूर्वानुसार विद्युत प्रदाय कर समाप्त किया जाए।

(सात) उत्तरांचल के पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार में एक "ग्रोथ सेंटर" शीघ्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी (गढ़वाल): महोदय, मैं सरकार का ध्यान उत्तरांचल में अपने संसदीय क्षेत्र जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में ग्रोथ सेंटर की स्थापना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। केन्द्र सरकार द्वारा कई साल पहले इस ग्रोथ सेन्टर की स्वीकृति दी गयी थी और पिछली सरकार ने इसके निर्माण के लिए धन भी आवंटित किया था। परन्तु अभी तक जमीन पर कोई भी काम शुरू नहीं हुआ है, जिससे क्षेत्रीय जनता में भारी आक्रोश है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि इस पर तुरन्त काम शुरू करवाया जाए और क्षेत्रीय जनता के आक्रोश को रोका जाए।

(आठ) दो हजार ग्रुप "ए" अधिकारियों को डी ओ टी को प्रत्यावर्तित किए जाने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री संतोष गंगवार (बरेली): सरकार ने लगभग 2000 समूह-क के अधिकारियों को डी ओ टी में वापस भेजने का निर्णय

*मूलत: संस्कृत में दिए गए भाषण का हिन्दी अनुवाद।

लिया है जहां पर उनके करने के लिए कुछ भी काम नहीं है और उनका मुख्यत: करदाताओं की धनराशि से गठित भारत की संचित निधि में से, पूर्ण वेतन और भत्ते देने होंगे। इन अधिकारियों को वापस भेजने के परिणामों का उचित रूप से मूल्यांकन नहीं किया गया है। एक साथ (सरकारी खर्चे पर) अति प्रशिक्षित तकनीकी अधिकारियों को भारी संख्या में वापस लेने से सार्वजनिक उपयोगिता वाली सेवाओं में कार्यरत सरकार की दो प्रमुख कंपनियों की सेवाएं ठप्प हो गई हैं। यह देश की जीवन रेखा का संपर्क समाप्त करने जैसा है चाहे वह व्यापार हो या सामाजिक उपयोगिता हो। देश में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जिन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़ा हो। यदि हम सरकार की इस कार्यवाही के नामे पर एक तुलन पत्र बनाएं तो हमारे समक्ष इन 2000 अधिकारियों के वेतन पर होने वाला खर्च व्यर्थ में किए जाने वाला व्यय है तथा दो कंपनियां नामत: एम टी एन एल तथा वी एस एन एल की सेवाओं का लगभग ठप्प हो जाना है, जिससे वर्तमान और भविष्य दोनों पर असर पड़ता है। जबकि जमा में कोई प्रविष्टि दर्ज नहीं की जा सकती। इस निर्णय को लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसे भविष्य में किसी तारीख तक आसानी से टाला जा सकता था जब अधिकारियों से कार्य लेने तथा उन्हें उपयुक्त रूप से वेतन अथवा पेंशन देने के लिए स्थिति अनुकूल हो।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी (गढ़वाल): यह एक अत्यंत गम्भीर मामला है। माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री कृपया नोट करें। इससे दूरसंचार सेवाओं में पूर्ण व्यवधान पड़ रहा है। मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं। वह इसे जरा नोट कर लें। यह सर्वाधिक असंगतपूर्ण निर्णय है। इसका कोई मतलब नहीं निकलता। आधारभूत स्तर पर यह अव्यवस्था है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री समिक लाहिरी-उपस्थित नहीं।

(नौ) केरल में क्विलोन बाईपास को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. राजेन्द्रन (क्विलोन): महोदय, मुझे अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

केरल, विशेषकर क्विलोन के लोगों की काफी समय से मांग रही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 47 पर क्विलोन बाई-पास का कार्य पूर्ण किया जाए। यह कार्य चार चरणों में पूरा किया जाना है तथा इसके दो चरण पहले ही पूरे कर लिए गए हैं। हालांकि तीसरे और अंतिम चरण के लिए भूमि अर्जन का कार्य पूरा हो गया है, पिछले तीन दशकों से केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय द्वारा अनुमोदन न मिलने के कारण कार्य शुरू नहीं किया जा सका है। क्विलोन का हाल ही में एक निगम के रूप में उन्नयन किया गया है और यातायात की भीड़-भाड़ एक सतत समस्या है जिसका कभी न कभी तो समाधान किया जाना ही है। यदि क्विलोन बाई-पास का निर्माण हो जाए तो यातायात की समस्या का काफी हद तक समाधान हो जाएगा। इसके निर्माण में हुए अनावश्यक विलम्ब से लोगों में असंतोष और रोष भावना आ गई है। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस परियोजना का कार्य और विलम्ब किए बिना पूरा करने के लिए तत्काल कदम उठाएं जाएं।

(दस) देश में बर्ड फ्लू के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती उपाय किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, बर्ड फ्लू इन दिनों समाचारों की सुर्खियों में है। संसार के कई देश इससे प्रभावित हैं। साइबेरिया तथा संसार के अन्य देशों से पक्षी जलवायु तथा अनुकूल वातावरण की दृष्टि से हमारे यहां आकर प्रवास करते हैं। हाल के समाचारों से लगता है कि बीमारियों के वायरस को एक स्थान से दूसरे स्थान यह पक्षी ले जा सकते हैं जिससे निरन्तर बीमारियों के फैलने का खतरा बना रहता है। अन्य देशों की कई सरकारों ने इसे रोकने के लिए कदम उठाए हैं। कुछ समाचारों में छपी खबरों के अनुसार सरकार ने इस बीमारी के देश में होने की संभावना से इंकार किया है। फिर भी में चाहूंगा कि सरकार इस स्थिति का आकलन निरन्तर करती रहे ताकि देश को ऐसी किसी नई बीमारी अथवा फ्लू से बचाया जा सके और यह प्रवासी पक्षी बिना किसी रोक-टोक के देश के रमणीय स्थानों का भ्रमण भी कर सके।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव-उपस्थित नहीं।

डा. धीरेन्द्र अग्रवाल-उपस्थित नहीं।

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश में स्ववित्तपोषित डिग्री कालेजों में पढ़ाने के लिए नियत योग्यता मानदंड की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी (शाहाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा की व्यवस्था चरमरा गई है। कारण यह है कि सेल्फ फाइनेन्स डिग्री कालेजों में शिक्षकों की योग्यता का जो मापदंड रखा है, वह अव्यवहारिक है। जैसे बी.एड. में पढ़ाने के लिए टीचर का नेट या पीएचडी के साथ एमएड होना आवश्यक है। इस योग्यता के टीचरों की संख्या कुल जरूरत का 10 प्रतिशत

[श्री इलियास आजमी]

भी पूरे देश में नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार लैक्चरार बनने के लिए एम.फिल. 1992 तथा पीएचडी 2002 से पहले का होना चाहिए।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि टीचरों की योग्यता के मापदंड पर पुन: विचार किया जाए और ग्रेजुएट क्लासों तथा बी.एड. क्लासों में पढ़ाने के लिए पूर्व की भांति एम.ए. तथा एम.एड. की योग्यता काफी समझी जाए तथा समान डिग्री को समान महत्व दिया जाए डिग्री वर्ष कोई भी हो।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील-उपस्थित नहीं।

(बारह) बिहार के सारण जिले के मांझी में एक आवासीय रेलवे स्कूल खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): उपाध्यक्ष महोदय, बिहार को सारण जिला अन्तर्गत मांझी प्रखंड मुख्यालय बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमा पर खड़ा है। मांझी के बगल में प्रमुख पर्यटक स्थल गौतम स्थान अवस्थित है, जहां हजारों की संख्या में पर्यटक आते रहते हैं। मांझी बिहार और उत्तर प्रदेश को सड़क, जल एवं रेल मार्गों से जोड़ता है। मांझी में प्रखण्ड मुख्यालय, थाना, हास्पीटल आदि सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मांझी एवं इसके आस-पास के क्षेत्रों में हजारों की संख्या में रेलवे कर्मचारी एवं रेलवे के सेवानिवृत्त कर्मचारी निवास करते हैं। सारण जिला का मांझी प्रखण्ड मुख्यालय एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है, परन्तु बिहार में एक भी रेलवे का विद्यालय नहीं होने की वजह से यहां के रेल कर्मचारियों को मजबूर होकर शिक्षा अध्ययन हेतु अपने बच्चों को दूसरे शहर में भेजना पड़ता है, जिसके कारण अभिभावकों को अनावश्यक बोझ का वहन करना पड़ता है।

ज्ञातव्य हो कि मांझी सरयू नदी के तट पर अवस्थित है। जहां 70-80 एकड़ रेलवे की जमीन खाली पड़ी है। मांझी सरयू नदी पर अवस्थित पुल के पास नदी के तट को प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की योजना केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन है जिसकी अनुमानित लागत 12-15 करोड़ रु. है। मांझी में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने की योजना पूर्व से ही स्वीकृत है।

मांझी में रेलवे का एक आवासीय विद्यालय (देहरादून-मंसूरी के बीच झारीपानी में नार्दन रेलवे का ओक ग्रो आवासीय विद्यालय की तरह) खुल जाए तो इस क्षेत्र के रेलवे कर्मचारियों एवं आम लोगों की बहुत बड़ी समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बिहार प्रान्त के मांझी जिला-सारण में रेलवे का एक आवासीय विद्यालय शीघ्र खोला जाए।

(तेरह) उड़ीसा में प्रति वैगन भार वहन करने की क्षमता 100 टन तक बढ़ाने के लिए रेलवे ट्रक की भार वहन करने की क्षमता बढ़ाकर 30 टन एक्सल किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): राज्य के विभिन्न भागों में अनेक इस्पात/एलुमिनियम/एलुमिना/ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना से उड़ीसा प्रमुख औद्योगिक क्रांति की दहलीज पर है। यह उम्मीद की जाती है कि वर्ष 2016 तक अतिरिक्त ट्रैफिक भार 200 एमटीपीए हो जाएगा। जिसमें कच्चे माल और तैयार उत्पाद शामिल होंगे। इतने अधिक ट्रैफिक भार से निपटने के लिए यह नितांत आवश्यक है कि रेल अवसंरचना के स्तर और विस्तार के उन्नयन हेतु तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

वर्तमान में, ईस्ट कोस्ट रेलवे और दक्षिण पश्चिम रेलवे के अधिकांश भाग 22.5 टन एक्सल लोड के साथ संस्थापित है जो कि अधिकतम 258 टन प्रति वैगन कच्चे माल और तैयार उत्पाद की ढुलाई में सक्षम है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया उनकी बात सुनें।

श्री भर्तृहरि महताब: निकट भविष्य में उत्पन्न होने वाले यातायात की भारी मात्रा को ध्यान में रखते हुए रेल परिवहन का वर्तमान माड्यूल पर्याप्त नहीं होगा। अतएव मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उड़ीसा में सभी नई रेल परियोजनाओं पर रेल मार्ग के स्तर को बढ़ाकर कम से कम 30 टन एक्सल लोड कर दिया जाए ताकि प्रति वैगन ढुलाई क्षमता को बढ़ाकर 100 टन किया जा सके। खड़गपुर से विशाखापट्नम तक ईस्ट कोस्ट रेल संपर्क का भी उन्नयन करके 30 टन एक्सल लोड किए जाने की आवश्यकता है।

(चौदह) देश में भूमिहीन लोगों के बीच अधिशेष भूमि का संवितरण करने के लिए वन संरक्षण अधिनियम को संशोधित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के ऐसे लोगों

की संख्या बहुत अधिक है, जिनके पास रहने के लिए अथवा अपनी जीविका चलाने के लिए खेतीबाड़ी हेतु एक इंच भी भूमि नहीं है। लेकिन दूसरी ओर देश में लगभग आठ करोड़ एकड़ भूमि सरप्लस है। यदि इस भूमि को और फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में जरूरी संशोधन करके अतिरिक्त भूमि को भूमिहीन लोगों में वितरित कर दिया जाये तो इससे न केवल सरप्लस भूमि का समुचित उपयोग किया जा सकेगा बल्कि देश के गरीब भूमिहीन लोगों को अपना सिर छिपाने के लिए स्थान मिल सकेगा और साथ ही वे खेतीबाड़ी के जरिए अपना जीवन निर्वाह भी कर सकेंगे। इस प्रकार से गरीब भूमिहीन लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में मदद मिलेगी और साथ ही वे लोग राष्ट्र की मुख्यधारा से भी जुड़कर देश के उत्थान हेतु अपना सहयोग प्रदान कर सकेंगे।

अत: मेरा सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि देश की सरप्लस भूमि को और फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में जरूरी संशोधन करके अतिरिक्त भूमि को देश के गरीब एवं दलित समुदाय के भूमि हीन लोगों में आबंटित किए जाने हेतु जरूरी कारगर कदम उठाए जाएं।

(पन्द्रह) पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन की एक प्रतिमा दिल्ली में स्थापित किए जाने के अलावा केरल के कोट्टायम जिले के उझावूर डिवीजन में उनके नाम पर शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, यह सर्वदा उचित होगा कि सरकार पूर्व राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायणन की स्मृति में अबिलंब एक राष्ट्रीय स्मारक बनाए और उनकी एक प्रतिमा लगाए। केरल में उनके पैत्रिक स्थान उझावूर में एक कृषि विश्वविद्यालय अथवा उत्कृष्ट राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान जैसे केन्द्रीय कृषि संथान की स्थापना करे। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान भी उचित स्मारक हो सकता है। कोट्टायम जोकि श्री स्वर्गीय श्री के.आर. नारायणन का गृह जिला है, की जिला पंचायत ने इस उद्देश्य के लिए 100 एकड़ भूमि देने की इच्छा प्रकट की है और उझावूर में श्री नारायणन के सम्मान में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए दस एकड़ भूमि देने को तैयार है। मैं माननीय प्रधानमत्री और सरकार से नई दिल्ली में श्री नारायणन की प्रतिमा की स्थापना के लिए तत्काल कार्रवाई करने और केरल में यथाशीघ्र कोट्टायम जिले की उझावूर डिवीजन में उपर्युक्त शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने का अनुरोध करता हूं।

(सोलह) मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच चम्बल नदी के जल बंटवारे के लिए एक चम्बल जल आयोग की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अशोक अर्गल (मुरैना): उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के मुरैना-श्योपुर एवं भिण्ड जिले को चम्बल नहर से पानी मिलता है जिससे लाखों किसान अपने खेतों को सिंचित करते हैं, परन्तु म.प्र. के हिस्से का 3900 क्यूसिक पानी समय पर नहीं मिलने से किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है तथा राजस्थान सरकार पानी समय पर नहीं देती है।

मेरा केद्र सरकार से अनुरोध है कि पानी बंटवारे का निराकरण हो तथा चम्बल आयोग का गठन किया जाये।

अपराह्न 2.28 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

(एक) दिल्ली में श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट

(दो) जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हिंसा

(तीन) 13.11.2005 को जहानाबाद, बिहार में हुआ नक्सलवादी हमला और

(चार) 11.11.2005 को होम गार्ड ट्रेनिंग सेंटर गिरिडीह झारखंड में हुआ नक्सलवादी हमला

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मुझे एक घोषणा करनी है।

जैसा कि सूचीबद्ध था, सभा अब नियम 193 के अधीन चर्चा करेगी। श्री अजय चक्रवर्ती को चर्चा शुरू करनी थी। तथापि प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा ने अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया है कि उन्हें चर्चा शुरू करने की अनुमति दी जाए। श्री अजय चक्रवर्ती ने प्रो. मल्होत्रा को चर्चा शुरू करने की सहमति दी है जिस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपना आभार व्यक्त किया है। श्री अजय चक्रवर्ती को प्रो. मल्होत्रा के बाद बोलने के लिए पुकारा जाएगा।

अब प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा चर्चा शुरू कर सकते हैं।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): उपाध्यक्ष महोदय, आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय आंतरिक सुरक्षा पर इस सदन में चर्चा करने जा रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी द्वारा दिल्ली में हुये बम बलास्ट, श्रीनगर में हुये बम विस्फोट और जहानाबाद में माओवादियों तथा नक्सलवादियों द्वारा की गई हिंसा से संबंधित तीनों विषयों एवं अन्य कई विषयों पर इस सदन में वक्तव्य दिया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने उस दिन जो वक्तव्य दिया, वह चाहे दिल्ली में हुये बम बलास्ट के बारे में हो, चाहे श्रीनगर में होने वाली आतंकवादी घटना हो, चाहे जहानाबाद में आतंकवादियों और नक्सलवादियों द्वारा की गई वारदात हो, वे सब इस प्रकार की सोच का परिचायक थे कि बिल्कुल कैजुअल तरीके से और सरसरी तौर पर या कर्मकांड के आधार पर उन्होंने अपना वक्तव्य दिया।

आज 32 दिन हो गये हैं दिल्ली में बम विस्फोट हुए। हम सब जानते हैं कि दिवाली से दो दिन पहले दिल्ली में तीन जगहों पर बम विस्फोट किये गये। दिल्ली एक बार फिर से धधक उठी, धू-धू करके अनेक मार्केट जल रहे थे और उनके साथ ही कई चिराग दीवाली की रात से पहले यहां बुझ गये। अनेक अनाथ हो गये, कई महिलाएं विधवा हो गईं। 70 लोग मारे गए और 300 से ज्यादा लोग जख्मी हो गये। यह एक ऐसा नृशंस हत्याकांड था कि उन शवों को देखने के लिए भी लोहे का दिल चाहिए था। हमने उन शवों को देखा था। 32 दिन बीतने के बाद आज क्या स्थिति है, उस विषय में समाचार पत्रों में जो लिखा गया है, उसे देखने की आवश्यकता थी। अगर उन सबको देखा जाता तो शायद गृह मंत्री जी अधिक संवेदना के साथ, अधिक दृढ़ता के साथ अपनी कुछ बातें कह सकते थे। समाचार पत्रों ने लिखा कि 70 लोगों की मृत्यु हो गई, 300 से ज्यादा लोग घायल हुए, 19 लोग आज भी अस्पतालों में हैं और चार शवों का अभी तक कोई पहचान नहीं हो पायी है। अनेक शवों का अनेक परिवारों ने मिलकर संस्कार कर डाला। उन शवों की पहचान न होने के कारण उनके संबंधी और रिश्तेदारों ने मिलकर सामूहिक तौर पर उनका संस्कार किया था। एक समाचार में कहा है कि 31 दिन के बाद भी मां को पता नहीं कि उसका बेटा कहां गया है। मां घायल अवस्था में है, इसलिए उसे आज भी पता नहीं है कि उसके बच्चे की मृत्यु हो चुकी है। "मैंने अपनी पत्नी को अभी तक नहीं बताया कि हमारा बच्चा मर चुका है। मेरी पत्नी ने अपने बच्चे के लिए नाम भी चुना था। वह उसके बारे में पूछती रहती है और आखिरकार मुझे उसको बताना ही होगा कि उसका बच्चा मर चुका है।"

उपाध्यक्ष महोदय, हमने पंडित परिवारों के घरों में जाकर देखा, उनसे बातचीत की। रोंगटे खड़े कर देने वाली उन परिवारों की स्थिति है। एक परिवार में माता-पिता और दादा-दादी मारे गए हैं। माता-पिता उसी दिन मर गये। एक मात्र संभालने वाले जो दादा था, वह उसी दिन से बीमार हो गया, जो उन बच्चों को पाल सकता था, उसकी भी मृत्यु हो गई। दिल्ली में जो उस समय परिस्थितियां निर्मित हुईं, उनके विषय में सही प्रकार से इस बात को कहा गया।

[अनुवाद]

"2001 में संसद में या वर्ष 2000 में लाल किले पर हुए हमले के विपरीत दिल्ली में श्रृंखलाबद्ध विस्फोट जिसमें 70 आदमी मारे गए 100 से अधिक घायल हुए, जिसने दिल्ली को हिलाकर रख दिया वर्ष 1993 में बंबई विस्फोट के बाद यह भारत में कश्मीर के बाहर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। दिल्ली पर हमला किसी राज्य पर न होकर राष्ट्र के दिल पर था। उनका लक्ष्य शक्ति के संस्थान न होकर, औसत भारतीय लोग थे।"

[हिन्दी]

हिंदुस्तान के दिल दिल्ली के ऊपर यह पहला आक्रमण नहीं था, इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हुई। हम सब इस बात को जानते हैं कि आम तौर पर दीवाली से पहले, त्यौहारों से पहले उन आतंकवादियों के मन में एक खौफ पैदा किया जाता था, उन्हें रोकने की कोशिश की जाती थी और इसीलिए वर्षों तक ऐसी कोई घटना नहीं हो पाई। परंतु इस बार दीवाली और ईद के पहले कोई इस प्रकार का प्रबंध नहीं किया गया। यह कहना बिल्कुल गलत है कि किसी बाजार में पुलिस के पूरे प्रबंध थे, वहां कैमरे लगे थे। आतंकवादियों ने आकर कई दिन पहले देखा कि बाजारों में कोई पुलिस प्रबंध नहीं है। जब डार को कोर्ट में पेश किया गया तो उसने बताया कि उसे लश्करे तैय्यबा ने भेजा, उसने आकर देखा कि कौन-कौन से बाजार बिल्कुल खाली रहते हैं, जहां पुलिस का कोई प्रबंध नहीं है। इसलिए उन्होंने इन जगहों को छांटकर वहां आक्रमण किया। अब जिस डार को पकड़ा गया है, उसके बारे में गृह मंत्री जी ने उल्लेख किया कि उसे गिरफ्तार किया गया है। परंतु यह भी सब जानते हैं 29/10 को बम फैंकने वाले फरार हैं। बम डालने वाले पकड़े नहीं गये जिन्होंने दिल्ली में विस्फोट किए। जिन्होंने इतने लोगों की नृशंस हत्या की, उनमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई उन्हें धन देने वाला, षड्यंत्र रचने वाला-डार, केवल वहीं पकड़ा गया। गिरफ्तारी के बाद जो बयान उसने न्यायालय में दिया है, वह अत्यधिक रहस्योद्घाटन है, हमारे लिए अत्यधिक चिंताजनक है। उसने बताया कि किस तरह से लश्करे तैय्यबा ने उसे जेहाद में लगाकर उनसे कितने रुपये मिले।

पाकिस्तान से उसे कितने रुपये मिले, कैसे पाकिस्तान में जेहादियों से उसकी बातचीत हुई। यह समाचार "डार ने न्यायालय में दिल्ली के विस्फोटों में पाक का हाथ स्वीकार किया है" जैसाकि अखबारों में छपा। उसने साफ तौर पर बताया कि पाकिस्तान ने किस प्रकार से इन सारी घटनाओं को अंजाम दिया।

अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि बम विस्फोटक में से कोई पकड़ा नहीं गया। मैं इससे अधिक महत्व की एक दूसरी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। श्री शिवराज जी ने सदन में बयान देते हुए कहा था कि उन्हें, उनकी पुलिस को इसकी कोई पूर्व सूचना नहीं थी। मुझे आश्चर्य हुआ जब उन्होंने कहा कि दिल्ली में हमला होने के संबंध में पहले से कोई जानकारी नहीं थी या पहले कोई चेतावनी प्राप्त नहीं हुई थी। यह पूरी तरह से असत्य और मिथ्या बयान है। सारे समाचार पत्रों ने और पुलिस ने इस बात को स्वीकार किया है कि इस बम विस्फोटों की पहले से चेतावनी थी। केवल चेतावनी ही नहीं थी, बल्कि 13 अक्तूबर 2005 को समाचार पत्रों में छपा था कि

[अनुवाद]

हैदराबाद और साइबराबाद पुलिस में अमरीकी दूतावास को हैदराबाद, नई दिल्ली, बंबई और कलकत्ता में प्रतिष्ठानों और नागरिकों पर आतंकवादी हमले की आशंका के मद्देनजर अमरीकी कंपनियों और अमरीकी नागरिकों की सुरक्षा बढ़ा दी है।

[हिन्दी]

समाचार पत्रों में उस दिन यह छपा और सारे पुलिस के अधिकारियों ने इस बात को माना और विस्फोट वाले दिन कहा कि हमें सूचना थी और हमने इसीलिए चांदनी चौक में एक बम पकड़ भी लिया था। मेरी राय में यह मामला संसदीय प्रिविलेज का भी बनता है कि सदन में गृह मंत्री जी यह कह दें कि कोई पूर्व चेतावनी नहीं थी। जबकि चेतावनी थी। फिर यह तो सामान्य चेतावनी हर त्योहार से पहले रहती है। हर त्योहार से पहले इस बात की आशंका रहती है इसलिए इस दीवाली से पूर्व यह कहना कि चेतावनी नहीं थी, गृह मंत्रालय को मालूम नहीं था, अचानक आतंकवादियों ने हमला कर दिया-यह ठीक नहीं है। अमेरिकन अधिकारियों ने अपनी एम्बैसी को लिखा और कहा कि दिल्ली, हैदराबाद, बंगलौर और कोलकाता में हमला हो सकता है। इसके बाद भी यह कहना कि हमें पता नहीं था, यह निष्क्रियता और आपराधिक लापरवाही नहीं तो और क्या है?

अध्यक्ष जी, गृह मंत्रालय की विशेष शाखा को विस्फोट से पहले खुफिया जानकारी मुहैया कराई गई थी लेकिन वे उस पर कार्रवाई नहीं कर सके। संसद पर हमले के बाद यह दिल्ली में सबसे जबर्दस्त विस्फोट हुआ और वह भी एक प्रमुख त्योहार से पहले हुआ जिसको रोकने में सरकार नाकाम रही। आतंकवादियों से निपटने का एक तरीका यह है कि उन्हें महत्वपूर्ण मौकों, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और त्योहारों से पहले आतंकित किया जाए। इस साल उसका पालन नहीं किया गया और उसका भयावह नतीजा हमारे सामने आया। इसके बाद जो वक्तव्य गृह मंत्री जी ने दिए और मनमोहन सिंह जी ने भी जिसका उल्लेख किया कि आतंकवादियों की घिनौनी कोशिशों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। आतंकवाद हमें नहीं डरा सकता, आतंकवाद कामयाब नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, इन बयानों का क्या मतलब है? जिस देश में 80000 लोग आतंकवाद के हाथों मारे जा चुके हैं और लाखों-करोड़ों रुपये की संपत्ति नष्ट की जा चुकी हो, वहां यह बयान देने का क्या अर्थ है कि आतंकवादियों की घिनौनी कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे? विश्व में सबसे अधिक आतंकवाद से ग्रस्त हिन्दुस्तान है। आप कह रहे हैं कि हम आतंकवाद को कामयाब नहीं होने देंगे। दिल्ली में 70 आदमियों को मार डाला गया और 300 को घायल कर दिया गया, बम से उनके ऐसे चिथड़े उड़ा दिये गये कि उनकी शक्लें भी पहचानी नहीं जा रही थीं, वहां ये कह रहे हैं कि आतंकवाद कामयाब नहीं हो रहा है। वास्तव में तो आतंकवाद अपने उद्देश्य में कामयाब हो रहा है। प्रधान मंत्री का कहना है कि आतंकवाद हमें डरा नहीं सकता। प्रश्न यह है कि क्या हम आतंकवाद को, आतंकवादियों को डरा सकते हैं या नहीं। सवाल यह नहीं है कि आतंकवाद से हम भयभीत होंगे या नहीं, सवाल यह है कि क्या आतंकवाद हमसे भयभीत होगा या नहीं, आतंकवाद हमसे डरेगा या नहीं, आतंकवाद को हम खत्म कर सकेंगे या नहीं। आतंकवाद हमें खत्म नहीं कर सकता यह हम जानते हैं। घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए यह कहना बहुत घिसा-पिटा और पुराना तरीका है कि आतंकवादी आए और हमले में 70 आदमी मर गए, परंतु फिर भी लोगों ने कामकाज जारी रखा, हम डरे नहीं, हम उसी तरह से फिर कामकाज कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 60000 लोग मारे गए और कहते हैं कि आतंकवादी हमें भयभीत नहीं कर सके। ऐसा लगता है कि हमने इतिहास से कोई सबक नहीं सीखा है। यही बात हम कहते थे कि महमूद गजनवी आया, हमला किया और वापस चला गया। हमने कहा कि हमारा क्या बिगाड़ गया, कुछ लोगों को मार गया। हम फिर भी जिंदा हैं और कामकाज में लगे हैं उसके बाद वह दोबारा आया और फिर बार-बार आया। क्या आतंकवाद से हम उससे भयभीत नहीं होते और हत्याओं के बावजूद हम अपना काम कर रहे हैं। यह बहुत ही घिसा-पिटा, पुराना, विनाशक और बहुत ही कायराना ...* प्रतिक्रिया है। यह कहना कि हम पाकिस्तान से डर नहीं रहे हैं। यह कैसी प्रतिक्रिया है? पाकिस्तान से डरने का सवाल नहीं है। क्या पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करते हुए

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा]

हमसे डरता है? क्या इस पाकिस्तान से दो टूक बात कर सकते है या नहीं मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, जब माननीय गृह मंत्री जी ने बयान दिया कि दिल्ली के बम विस्फोटों के संबंध में पड़ोसी देश पर शक की निगाह जा रही है। उसकी ओर से ही आतंकवादी घटनाएं हो रही है। क्या उस पड़ोसी का नाम लेने में तकलीफ होती है, उसका नाम लेने में कष्ट होता है, घूंघट क्यों डाल रखा है? हमारे यहां बड़े लोगों के नाम नहीं लिए जाते हैं? पाकिस्तान का नाम लेने से आपको घबराहट क्यों होती है। पाकिस्तान का नाम लेने में क्या तकलीफ होती है? हमारे सेना अधिकारी कह रहे हैं। कि पाकिस्तानी जो पकड़े गए हैं, वे भी इस बात को कह रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। जितने लोग अयोध्या में आक्रमण करने वाले थे, राम मंदिर पर हमला करने वाले पकड़े गए थे, वे सभी पाकिस्तानी थे। दिल्ली में कम से कम दो सौ पाकिस्तानी आतंकवादी के आरोप में पकड़े गए। इतना आरडीएक्स बरामद हुआ, जिससे सारी दिल्ली को नष्ट किया जा सकता था, कहते हैं कि उसका नाम नहीं लेंगे। यदि आप नाम नहीं लेगें, तो विश्व के देशों में आतंकवादी पाकिस्तान के बारे में स्थिति को कैसे स्पष्ट करेंगे? किस प्रकार से इस बात को कहेंगे और ऐसा कहने का अधिकार हमें कैसे मिलेगा कि पाकिस्तान ये सभी आतंकवादी गतिविधियां हमारे देश में करवा रहा है। हम ही नाम नहीं ले रहे हैं, तो पाकिस्तान जो आतंकवादी गतिविधियां चला रहा है, उसके बारे में हमारे सेनाधिकारी कह रहे हैं कि आईएसआई और पाकिस्तान यह सब कर रहा है। पाकिस्तान द्वारा सारे देश में आतंकवाद फैलाने के प्रयास पहले की तरह ही कायम हैं।

दिल्ली के विस्फोटों के संदर्भ में इस घिसे-पीटे तर्क का कोई मूल्य नहीं है कि आतंकवादी हताश हो कर यह सब कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि दिल्ली की घटना आतंकवादियों के दुस्साहस का परिचायक है। यह उनकी निराशा का परिचायक नहीं है यह उनका दुस्साहस है, एक साजिश है, उसका यह नतीजा है।

सदन में कश्मीर पर बयान दिया गया उसमें यह कहा गया कि जिस दिन हमारे मित्र भी आजाद साहब वहां पर मुख्यमंत्री बन कर गए, उनकी ताजपोशी हो रही ती, उस समय आतंकियों ने आजाद साहब को तोहफा दिया और 12 लोग मारे गए। अखबारों में छपा:

[अनुवाद]

> "श्री गुलाम नबी आजाद के मुख्यमंत्री पद का दायित्व संभालने से पहले श्रीनगर में जैश कार बम में एक दिन में सात मारे गए" "गुलाम नबी आजाद द्वारा आज जम्मू और कश्मीर का नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने से कई घंटे पहले, श्रीनगर के बाहरी क्षेत्रों में एक शक्तिशाली बन धमाके में चार असैनिकों सहित सात व्यक्ति मारे गए। बाद में जैश-ए-मुहम्मद संगठन एक स्थानीय समाचार एजेंसी को फोन किया और इस धमाके की जिम्मेदारी ली।" "पहले ही दिन श्री आजाद के लिए आतंक का उपहार। आत्मघाती बम। पांच मारे गए।"

[हिन्दी]

"सीआरपीएफ शिविरों पर हमला", "कश्मीर में दो आतंकवादियों सहित पांच मारे गए।" तीन दिन तक लगातार विस्फोट होते रहे। कुल-मिला कर 40-50 लोग मारे गए। पाकिस्तान के साथ कैसी-कैसी बातें हुईं, ये सब समाचार पत्रों में आया है। कश्मीर में ऐसी भीषण स्थिति है और मंत्री महोदय क्या कह रहे हैं-गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि जब कभी भी कश्मीर में नया शासन आता है, तो ऐसी घटनाएं होती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा कोई और क्या वीभत्स वक्तव्य हो सकता है कि जब सरकार बदलती है, जब नया शासन आता है, तो वहां ऐसी आतंकवादी घटनाएं होती हैं। जब श्री गुलाम नबी आजाद वहां नए मुख्य मंत्री के पद की शपथ ले रहे थे तब वहां आतंकवादी घटनाएं घटीं। "उन्होंने काफी समय लिया है"। इससे पहले जब श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने शपथ ली, तब भी वहां आतंकवादी घटनाएं हुईं। जब-जब नया शासन आया, तब-तब आतंकवादी घटनाएं हुईं, क्या ऐसा उत्तर लोक सभा में दिया जाना चाहिए?

यदि आपको पता था कि जब भी नया शासन आता है, तब आतंकवादी घटनाएं होती हैं और चूंकि मुफ्ती मोहम्मद साहब हट रहे थे और श्री गुलाम नबी आजाद साहब आ रहे थे, इसलिए आतंकवादी घटनाएं हुईं, तो आपने उन्हें रोकने के लिए क्या किया? पूर्वानुमान होते हुए आपने आतंकवादी घटनाओं को क्यों नहीं रोका?

उपाध्यक्ष महोदय, जब ये घटनाएं वहां हो रही थीं, उससे पूर्व वहां बहुत बड़ा भूकम्प भी आया जिसके कारण वहां बहुत ज्यादा तबाही हुई। सारे कश्मीर में भी तबाही हुई। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी तबाही हुई। स्वाभाविक तौर पर उनकी सहायता की जानी चाहिए थी और हम कर भी रहे थे। हमने पाकिस्तान को 25 मिलियन डालर दिए। हमने लगभग 100 करोड़ रुपए पाकिस्तान भेजे और हमने पांच जगह सीमा खोली और ऐसा कर हमने उनका विश्वास जीतने का प्रयास किया। यह मानवता के आधार पर किया जाना चाहिए था और हमने यह किया।

लेकिन उसका परिणाम क्या हो रहा है? हमारी सेना के उच्चाधिकारी कह रहे हैं कि भूकम्प आने के बाद और सीमाएं खोलने पर लगभग 400-500 आतंकवादी श्रीनगर में घुस आए हैं।

उन्हें रोकना सम्भव नहीं हो सका। अब वे वहां आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, क्या मानवता के आधार पर किए गए काम का नाजायज लाभ पाकिस्तान को उठाना चाहिए, क्या ऐसा करना उनके लिए उचित है? इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां वे वहां से हिन्दुस्तान आकर क्यों कर रहे हैं? क्यों दिल्ली में बम विस्फोट कर रहे हैं? इस प्रश्न को कौन उठाएगा और किसके साथ उठाया जाएगा? क्या हमारी प्राथमिकताओं में यह है कि हम आतंकवाद को रोकें या प्राथमिकता यह है कि हम बार्डर को खोल दें, एल.ओ.सी. को खोल दें और उसका अनुचित लाभ वे लोग उठाते रहें?

महोदय, हमने पाकिस्तान को 100 करोड़ रुपए दिए, लेकिन उस सहायता काक्या हो रहा है, क्या किसी ने देखने की कोशिश की? जो पैसा वहां जा रहा है, कहा जा रहा है कि उससे भूकम्प पीड़ितों को मकान बनाकर नहीं दिए जा रहे। जो धन यहां से जा रहा हा, उसका उपयोग क्या हो रहा है, इसको कोई देखने वाला नहीं है। पाकिस्तान के सदस्यों ने अपनी पार्लियामेंट में स्वयं कहा कि बजाय भूकम्प पीड़ितों की सहायता करने के पाकिस्तान हथियार खरीद रहा है। विदेशों से उसे 5 बिलियन डालर की मदद मिली है, उससे वह हथियार खरीद रहा है। भारत में आतंकवादियों को भेजकर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देकर हमारी सहायता का नाजायज फायदा उठा रहा है। पाकिस्तान के अंदर भूचाल के कारण जो विनाश हुआ था, उसे वह नहीं बना रहा है, बल्कि जो आतंकवादियों के अड्डे थे और आतंकवाद का जो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर तहस-नहस हो गया था, हमारी सहायता राशि से वह उसे बनाने में लगा हुआ है। क्या हमें यह नहीं पूछना चाहिए कि जो रुपए हम सहायता के रूप में दे रहे हैं, वे कहां जा रहे हैं?

महोदय, भारत ने कहा था कि हमारे लोग भूकम्प पीड़ित क्षेत्रों में जाएंगे और लोगों को सहायता पहुंचाएंगे, लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया कि सहायता हमें दे दो, हम पहुंचाएंगे, भारतीयों को वहां नहीं जाने दिया गया। पूरी दुनिया को मालूम है कि जब हिन्दुतान के गुजरात राज्य में भूकम्प आया था, तो हमने सबसे कहा कि वहां जाओ, देखो और जो सहायता कर सकते हो, करो। हमने किसी देश को वहां आने से नहीं रोका, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि हमें रुपए दे दे, हमें सहायता दे दो, हम पहुंचाएंगे, हिन्दुस्तानियों को अपने क्षेत्र में नहीं जाने देंगे।

मैं बताना चाहता हूं कि जो सहायता पाकिस्तान को भूकम्प पीड़ितों को दे रहे हैं, वह जेहादियों के हाथ में जा रही है। वे अपना इन्फ्रास्ट्रक्चर फिर से बिल्ट कर रहे हैं। सहायता का लाभ जेहादी और आतंकवादी उठा रहे हैं। क्या हमने अपने 100 करोड़ रुपए जेहादियों को उनका इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए दिए, क्या हमने पाकिस्तान को यह सहायता हथियार खरीदने के लिए दी। इस बारे में हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान से बात क्यों नहीं करती है? हमारी गवर्नमेंट बजाय इस बारे में बात करने के, उल्टे कहती है कि पाकिस्तान से हमारी बातचीत जारी रहेगी। कान्फीडेंस बिल्डिंग मैजर्स के नाम पर हमारी सीमाएं खोली जाएंगी, हमारी एल.ओ.सी. खोली जाएगी, जो हमारी बातचीत चल रही है, वह चलती रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे एक इंटैलीजेंस आफीसर ने जो स्टेटमेंट दिया था, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं।

[अनुवाद]

आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप न्यूयार्क में जनरल मुशर्रफ से हाथ मिलाएं और भारत में आतंक से लड़ाई को छोड़कर सीमापार आंतकवाद को लगातार समर्थन देने के लिए पाकिस्तान को लताड़ने से इंकार कर दें।

[हिन्दी]

आप मुशर्रफ जी से बातचीत करें और उसके बाद वहां पाकिस्तान का नाम लेने से भी इन्कार कर दें कि पाकिस्तान ये सारी आतंकवादी घटनाएं कर रहा है। फिर यह उम्मीद करें कि हमारे सैनिक, सैन्यबल, यहां नई दिल्ली में और वहां जाकर टेरिरिज्म को खत्म करें, आतंकवाद के खिलाफ लड़ें। समझ में नहीं आता कि यह गवर्नमेंट कौन सा मेसज उन्हें देना चाहती है या सरकार क्या संदेश देना चाहती है। टेरिरिज्म खत्म करने का संदेश देना चाहती है या पाकिस्तान से दोस्ती का संदेश देना चाहती है। पाकिस्तान टेरिरिज्म करता जाए और फिर भी हमारा दोस्ती का हाथ बढ़ता ही रहेगा। अगर यह स्थिति है तो कौन वहां जाकर उनसे लड़ सकता है या झगड़ सकता है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह स्टेटमेंट पढ़ कर सुनाता हूं। मुजामिल जलील का, वहां के रिपोर्टर का स्टेटमेंट है-"भूकंप की आड़ में चोरी छिपे आंतक का बढ़ना-जम्मू और कश्मीर पुलिस के अनुसार, जब विनाशकारी भूकंप की वजह से नियंत्रण रेखा की ओर शांति और सहयोग का एक नया दौर शुरू हुआ, भारी संख्या में विदेशी उग्रवादियों ने घाटी में घुसपैठ की। ऐसी आशंका है कि उनमें से लगभग 125 उग्रवादी श्रीनगर शहर में घुस गए हैं, जो फिदायीन और कार बम हमलों में अचानक तेजी का प्रत्यक्षदर्शी है।" ये श्रीनगर से हमारी सेना, पुलिस का बयान है। वहां पर मुजामिल जलील ने इस बयान को दिया। आगे फिर कहा है, हमारे वहां जो जनरल हैं, कर्नल वी.के. बत्रा ने बताया कि थलसेना ने

[प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा]

भूकंप के बाद से तीन से चार घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया है। उन्होंने आगे बताया, "हमने घुसपैठ की कोशिश करने वाले 21 उग्रवादियों को मार गिराया। तथापि हो सकता है कुछेक गुट भूकंप पश्चात् की स्थिति का लाभ उठाते हुए चोरी छिपे घुसपैठ करने में सपल हो गए हों,"। उन्होंने भी विभिन्न आसूचना एजेंसियों के आकड़ों के मुताबिक ही श्रीनगर शहर में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने वाले उग्रवादियों की संख्या 100 के लगभग बताया।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, क्या दुनिया में कोई देश ऐसा हो सकता है कि भूकम्प आए और उसका फायदा उठा कर, भारत जो उसकी सहायता कर रहा है, उसी के खिलाफ वे अपना जेहाद शुरू कर दें। यह स्थिति वहां की है। इसलिए मैंने आपसे उल्लेख किया कि वह जो कश्मीर के अंदर स्थिति है, और उनके दोनों बयान, जो कि हमारे सामने कहे गए, उन बयानों के बारे में यह स्थिति है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां अमेरिका के विषय में भी, हालांकि 9/11, जो अमेरिका में हुआ था, उसकी जांच के लिए उन्होंने एक कमीशन बनाया था और वह जो कमीशन था, उसका यह कहना है–

[अनुवाद]

> "अमरीका में 9/11 को हुए आतंकवादी हमलों संबंधी आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की स्थिति पर एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए एक शरणस्थल और प्रशिक्षण केन्द्र बना हुआ है और इस रिपोर्ट में वाशिंगटन से जनरल परवेज मुशर्रफ की सरकार पर अपने देश में और कश्मीर में भी खतरे को रोकने के लिए दबाव डालने हेतु कहा गया है। "पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए एक शरणस्थल और प्रशिक्षण केन्द्र बना हुआ है," 9/11 पब्लिक डिजक्लोजर प्रोजेक्ट के उपाध्यक्ष श्री ली हेमिल्टन, द्वारा प्रस्तुत की गई एक रिपोर्ट में ऐसा कहा गया, जिसमें जांच करने वाले आयोग की सिफारिशों के संबंध में अमरीकी प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई की जांच की गई..."

उपाध्यक्ष महोदय, उसने आगे कहा है–"तालिबान सेनाएं अभी भी पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा की ओर स्वच्छंद रूप से आवागमन करती हैं और पाकिस्तानी जनजातीय क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियां चलाती हैं। पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादी कश्मीर में आतंकवादी गतिवधियां चलाते हैं। अन्ततोगत्वा, इसके परिणाम....."।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, अमेरिका इस बात को कह रहा है, परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि अमेरिका का रवैया आतंकवाद के प्रति ठीक नहीं है। वे एक तरफ कह रहे हैं कि हमने आतंकवाद के खिलाफ दुनियाभर की लड़ाई लड़नी है और दूसरी तरफ सबसे ज्यादा बड़ा आतंकवादी देश पाकिस्तान, उसे पैसे से भी मदद कर रहा है, उसे धन देता है, हथियार देता है और उसके यहां से जो काश्मीर के अंदर आतंकवाद हो रहा है, उसके बारे में सिवाए इस तरह की स्टेटमेंट के, उसे रोकने के लिए पाकिस्तान पर दबाव नहीं देता। अफगानिस्तान की बात हो या कोई अन्य बात हो तो उसका रवैया बिल्कुल दूसरी तरह का होता है। वैसे तो अमेरिका ने तालिबान को पैदा किया था, अमेरिका ने ही दुनिया में बहुत से आतंकवादी संगठनों को पैदा किया, परन्तु आज पाकिस्तान भी ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बीच में टीका-टिप्पणी न करें।

[हिन्दी]

मल्होत्रा जी, आप कण्टीन्यू करें।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: उपाध्यक्ष जी, उसे आगरा से हमने खाली हाथ वापस भेज दिया था। आपकी तरह से तश्तरी में रखकर उनको कश्मीर का एक तिहाई हिस्सा नहीं दिया, हमने उससे जमीन खाली करा ली थी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कुंवर मानवेन्द्र सिंह जी आप हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: हमने एक इंच जमीन नहीं दी, आपने हिन्दुस्तान की एक लाख किलोमीटर जमीन पाकिस्तान और चीन को दे दी। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपको किसी ने बोलने का टाइम दिया है? श्री मानवेन्द्र सिंह, कृपया अपना आसन ग्रहण करें।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि जो दबाव अमेरिका को देना चाहिए था और कम्यूनिस्ट भाई इस बात का जिक्र कर रहे थे और अमेरिका की और बातों के बारे में कह रहे ते, वोल्कर रिपोर्ट का आज जिक्र

नहीं है। उसमें भी समर्थन किया क्योंकि अमरिका की बात है। यह सरकार जितनी अमेरिकापरस्त है, इतनी आज से पहले कभी कोई सरकार नहीं रही। अमेरिका के आगे पूरे घुटने टेके हुए है। अमेरिका से मिलकर यहां पर सैन्य अभियान पूरा होता है। अमेरिका के साथ मिलकर यहां पर हम ईरान के खिलाफ सैंक्शंस करते हैं। अमेरिका के साथ मिलकर हम परमाणु बम सन्धि पर हस्ताक्षर करते हैं। परन्तु अमेरिका से भी हमें इस बात को कहना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): वे आप से ज्यादा अमरीकी हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अमेरिका से भारत की बात करनी चाहिए थी। परन्तु अगर हम खुद ही पाकिस्तान की निन्दा नहीं करेंगे तो अमेरिका से क्या कहेंगे। परन्तु अमेरिका कभी बातचीत हो तो पहला सवाल यह होना चाहिए। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में दिल्ली के बम धमाकों के प्रश्न पर ब्रिटिश संसद में चर्चा हुई। 'किसी एक लोकतंत्र पर हमला सभी लोकतंत्रों पर हमला है।' उन्होंने कहा कि आतंकवादी किसी भी रूप में कहीं भी हो, उसके खिलाफ सब को मिलकर लड़ना चाहिए और हम हिन्दुस्तान की मदद करने को तैयार हैं। सार्क सम्मेलन हो, ब्रिटेन की पार्लियामेंट हो, यू.एन.ओ. हो, फ्रांस हो, चीन हो, जिससे भी हमारी बातचीत होती है, वे कहते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। आतंकवाद के खिलाफ सारी दुनिया भर को एक सामुहिक प्रयास करना चाहिए और हम उनके साथ स्टेटमेंट तो देते हैं। क्या हिन्दुस्तान का आतंकवाद दुनिया खत्म करेंगी? सवाल यह नहीं है कि सारी दुनिया आतंकवाद से दुखी है, मदद करना चाहती है, लेकिन क्या हम खुद आतंकवाद खत्म करना चाहते हैं? क्या हमारी नीतियां आतंकवाद खत्म करने के लिए हैं या हमारी नीतियां आतंकवाद को प्रोत्साहन देने के लिए हैं? हम आतंकवाद को प्रोत्साहन दे रहे हैं, हम आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। हम आतंकवादियों को खुला छोड़ रहे हैं और साफ्ट टार्गेट्स बना रहे हैं कि जहां चाहे आकर वे आक्रमण करें, क्योंकि उनको मालूम है कि यहां पर इसके बाद उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। दुनिया का कोई ऐसा देश है तो मुझे बताइये, जिसने आतंकवाद के खिलाफ कानून नहीं बनाये। भारी कानून बनाये, भंयकर कानून बनाये और इतने सख्त कानून बनाये, हैं और हमने क्या किया, हमारे यहां एकमात्र पोटा का कानून था, हमारा ऐसा बदकिस्मत देश है, जहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा आतंकवाद है, सबसे ज्यादा लोगों को जिसमें आतंकवादियों ने मारा है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रो. मल्होत्रा के भाषण के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नही किया जाएगा। कुछ रिकार्ड नहीं हो रहा है।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: कुंवर मानवेन्द्र सिंह, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): आप जिस तरह से आतंकवाद को प्रोत्साहन दे रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां आपको बताएंगी कि आपने क्या किया था। आप जब भाषण देंगे, वह आप तब बताइये। आपकी पार्टी के बहुत से स्पीकर्स बोलने वाले हैं, इसलिए सिब्बल साहब को बीच में बोलने की जरूरत नहीं थी। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, आपको तो नहीं बोलना चाहिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मानवेन्द्र सिंह जी, आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अपराह्न 3.00 बजे

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: अन्य माननीय सदस्यों का कोई एक शब्द भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): उपाध्यक्ष महोदय, ब्रिटेन का कानून हमारे कानून से दस गुना ज्यादा सख्त है। अब वे एक और कानून बनाने जा रहे हैं। यह ठीक है कि भारत कोई पुलिस स्टेट नहीं है, हमारे यहां कोई राजतन्त्र नहीं है, लेकिन हमें यह भी तो हम आतंकवाद से ग्रसित देश हैं। हम आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ रहे है। आतंकवाद के विरुद्ध एक कानून था, जिसको हटा दिया गया। आप सभी को मालूम है कि अब पोटा नहीं है। उसके न होने पर अब किसी को फांसी नहीं दी जाएगी। आतंकवादी कितने ही लोगों को मार दें, लेकिन अब उनको फांसी नहीं दी जाएगी. उसके खिलाफ पोटा का इस्तेमाल नहीं होगा। यहां पर उसको ग्लोरीफाई किया जाएगा। गिलानी को ग्लोरीफाई किया गया। इशरत को जाकर एक लाख रुपये का ईनाम दिया गया था। बाद में पता लगा कि वह आतंकवादी गुट में शामिल था। अब उनका महिमा-मण्डन करते हैं। अब पोटा जैसे कानून को समाप्त करते हैं।

मैं इस संबंध में अधिक नहीं कहना चाहता। तीसरा है, नक्सलवाद। जहानाबाद के अंदर नक्सलवादियों द्वारा हमला किया गया। इसमें आंकड़े दिए गए हैं कि पिछले वर्षों में कितने आदमी मारे गए। नक्सलवादियों से कितने लोग प्रभावित हुए। नक्सलवाद की अब तक 1138 घटनाएं हुई हैं,जिनमें सात-आठ सौ व्यक्ति मारे जा चुके हैं। 2003 तक देश के 25 जिले नक्सलवाद से ग्रस्त थे, अब उनकी संख्या बढ़कर सवा सौ हो गई है। जब से यह सरकार आयी है, 6 महीने के अंदर-अंदर दो सौ जिले नक्सलवाद से ग्रस्त हो चुके हैं। नक्सलवाद इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आप अपने चुनाव में चन्द सीट जीतने के लिए देश को बर्बाद करते हैं। यह नक्सलवादी कहां से आ रहे हैं? यह नेपाल से आ रहे हैं। नेपाल के 75 जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं। चीन उनको मदद नहीं कर रहा है, बल्कि उसने तो नेपाल के महाराजा को हथियार भेजे हैं। नक्सलवादियों को हिन्दुस्तान से हथियार भेजे जा रहे हैं। सीपीएम, सीपीआई, बंगाल और असम सभी उससे ग्रस्त हैं। नक्सलवादी जिस प्रकार से पूरे देश में फैलता चला जा रहा है, उसकी जिम्मेदार यह यूपीए सरकार है।

मैं एक और बात का उल्लेख करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में आईएमडीटी एक्ट को खत्म करने पर टिप्पणी की थी। यदि सरकार में नैतिकता नाम की चीज है तो उसे सुनकर सचमुच उन्हें सिर शर्म से झुका लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बांग्लादेश से घुसपैठ देश के ऊपर एक तरह से आक्रमण हो रहा है और हम उस पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम उस पर ध्यान न देकर देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बांग्लादेशियों को यहां से न निकालकर और आईएमडीटी एक्ट खत्म न करके इस देश की सुरक्षा को राजनीतिक पार्टियां, राजनैतिक नेतृत्व खतरे में डाल रहा है। उधर जस्टिस लाहौटी ने कहा कि आतंकवाद का खात्मा करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिए और इस समय यह राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं है। पोलीटिकल विल नहीं है, इसलिए आतंकवाद के ऊपर काबू नहीं पाया जा सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट के ये निर्णय आपके खिलाफ आते और इस तरह की बातें आपके सामने रखी जातीं, यह सवाल नहीं है कि तब क्या हुआ था, नहीं हुआ था, किसने क्या किया था, परन्तु पालिसी का सवाल है। पोटा भी खत्म हो जाए, बंगलादेश से लोग आते जाएंगे, आप आतंकवादियों और नक्सलाइट्स से मिलकर चुनाव भी लड़ेंगे और देश को इस प्रकार इन हालात में डाल देंगे। *...(व्यवधान)*

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल): कहां मिलकर चुनाव लड़ेंगे? *...(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़ा, आसाम में चुनाव लड़ा, बिहार में उनसे मदद ली। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि चाहे नक्सलवादियों का मामला हो, जिसके बारे में यहां उल्लेख हुआ, चाहे कश्मीर के बम विस्फोट का मामला हो, मैं इनसे कहना चाहूंगा कि कोशिश करनी चाहिए कि हमें दुनियाभर में पाकिस्तान के मनसूबों को साफ करना चाहिए। यह नहीं कि पाकिस्तान से हमारी बातचीत हो रही है, कहीं यह न चला जाए कि बातचीत में थोड़ी दिक्कत हो गई और हमारे माइनारिटी वोट न टूट जाए। अल्पसंख्यक वोट लेने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कदम नहीं उठाए जाते। आप आतंकवाद के खिलाफ भी इसलिए कदम नहीं उठाते कि आपके मुस्लिम वोटों पर फर्क पड़ जाएगा। आप उनके वोट लेने की खातिर देश को संकट में डाल रहे हैं। *...(व्यवधान)* हम आप पर आरोप लगाना चाहते हैं, हमारा प्रधान मंत्री श्री मनमोहन सिंह पर आरोप है, हम उन पर यह आरोप लगाते हैं कि उन्होंने कुछेक सीट जीतने के लिए उन पर व्यक्त किए गए हमारे राष्ट्र के विश्वास के साथ धोखा किया। हम इस सरकार पर वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्र के साथ विश्वासघात करने पर महाभियोग चलाना चाहते हैं। अब तो वोट बैंक पोलीटिक्स नहीं बल्कि नोट बैंक पोलीटिक्स हो गई है जो वोल्कर रिपोर्ट से साबित हुई। *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मैं यह कहना चाहता हूं कि

[अनुवाद

"पंजाब और मणिपुर पर लफ्फाजी, हल्के ढंग से नजरअंदाज करते हुए हुर्रियत की पहल को विफल बनाना और अंततोगत्वा "पोटा" को अति राजनीतिकरण के साथ वापिस लेना आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर कायरता और बौद्धिक दिवालियापन के मिश्रण की व्यापक झलक में और वृद्धि करते हैं। निश्चित तौर पर, ये वे मुद्दे नहीं हैं, जिन पर श्री मनमोहन सिंह अपने शासन में इतनी जल्दी पारी समाप्त करना चाहेंगे।"

[हिन्दी]

18 महीने के अंदर देश की आंतरिक सुरक्षा को इस सरकार ने तार-तार कर दिया। देश में किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। ऐसा न हो कि आप अल्पसंख्यक वोट के लिए, अपने वोट बैंक के लिए पाकिस्तान को, नक्सलवादियों को, मदरसों, को बंगलादेश की घुसपैठ को उसी प्रकार बढ़ावा देते रहें और देश की सुरक्षा को तार-तार कर दें, ऐसा न हो कि मीर जाफर और जयचन्द का इतिहास फिर से लिखा जाए, उनके नाम के साथ-साथ आपको याद किया जाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आंतरिक सुरक्षा खतरे में मत डालिए।

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। माननीय गृह मंत्री द्वारा इस सम्मानीय सभा में रखे गए चार वक्तव्यों के कारण यह चर्चा उत्पन्न हुई है। दो वक्तव्य नक्सली हमलों से संबंधित हैं और दो वक्तव्य कट्टरपंथी उग्रवादी समूहों के हमलों से संबंधित है। नक्सली हमला झारखंड में गिरिडीह होमगार्ड ट्रेनिंग कैंप और पुलिस कैंप पर 11 नवम्बर 2005 को हुआ था।

एक दूसरा हमला नक्सलियों द्वारा बिहार राज्य के जहानाबाद में जहानाबाद जेल और अन्य स्थानों पर भी 15 नवम्बर 2005 को किया गया था। इसके बाद कट्टरपंथी उग्रवादी समूहों द्वारा देश की राजधानी में इसी साल 29 अक्तूबर को आतंकवादी हमला किया गया। जब हमारे भूतपूर्व संसदीय कार्य मंत्री और आदरणीय साथी श्री गुलाम नबी आजाद जम्मू और कश्मीर राज्य में शपथ ग्रहण किया तब उस राज्य में 14, 15 और 16 नवम्बर को आतंकवादी हमलों की पूरी श्रृंखला घटित हुई।

महोदय, मैंने ध्यानपूर्वक प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा का भाषण सुना। वे हमारे बड़े वरिष्ठ सहयोगी हैं। उन्होंने जो कुछ कहा वह सुनकर मुझे लगा कि वह चाहते हैं कि हमारे देश में आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए पाकिस्तान और साथ ही में बांग्लादेश के साथ पूर्ण युद्ध घोषित कर दिया जाए। मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहूंगा।

महोदय, दो प्रकार के हमलों की बात हो रही है-एक नक्सली हमला है और दूसरा कट्टरपंथी उग्रवादी समूहों द्वारा किया गया हमला है। मैं पहले झारखंड के गिरिडीह और बिहार में जहानाबाद में हुई नक्सली हमलों की बात करना चाहूंगा। नक्सली गतिविधियों के बारे में प्रो. मल्होत्रा ने जो कुछ कहा मैं उससे सहमत नहीं हूं। अपने भाषण में उन्होंने केन्द्र की सरकार पर यह कहते हुए आरोप लगाया है कि राज्य में हुए गत चुनाव में जीतने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने नक्सली समूहों से गठजोड़ किया था। केन्द्र सरकार ने राज्य में चुनावी दंगल में जीत के उद्देश्य से नक्सली समूहों से गठजोड़ किया था। यह सत्य नहीं है।

महोदय, हमें इस बात की जड़ तक पहुंचना चाहिए कि क्यों देश में नक्सली गतिविधियां हो रही हैं। झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश जैसे विभिन्न राज्यों में नक्सली गतिविधियां शुरू हो ने के कुछ कारण रहे हैं। इसके पीछे कारण हैं। वे कारण क्या हैं? मुख्यत: यह कारण हैं भूख, भुखमरी और वंचित होना। आजादी प्राप्त हुए 58 साल हो चुके हैं। ऐसा उस समय से ही है। आजादी के समय हमारे नेताओं ने देश से वादा किया था कि हम गरीबों के कल्याण का ध्यान रखेंगे, हम दलितों के कल्याण का ध्यान रखेंगे; हम उन लोगों की देखभाल करेंगे जो इस देश के दूरस्थ क्षेत्रों में रह रहे हैं जो शहरी क्षेत्रों से पूर्णत: कटा हुआ है? किन्तु क्या हुआ है? केवल एक वर्ग के लोग दिन पर दिन अमीर हुए हैं और समय बीतने के साथ-साथ इस देश की एक बड़ी आबादी और गरीब हुई है।

महोदय, यह नक्सलवादी कौन हैं? ये वो लोग हैं जो इतने वर्षों से वंचित हैं। उन्हें भूमि नहीं मिली। भूमि सुधार सही अर्थों में तीन राज्यों में ही लागू हुए हैं नामत: पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा। यद्यपि इस देश में बड़ी संख्या में राज्यों ने भूमि सुधार के संबंध में विधान अधिनियमित किए हैं किन्तु इन अधिनियमों के प्रावधान बिहार, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और ऐसे अन्य राज्यों में लागू नहीं किए गए हैं। हमारे देश के विभिन्न राज्यों में अभी भी कुलक और जमींदार हैं। अधिकांश भूमि इन्हीं कुलक और जमींदार वर्ग के पास हैं। समाज के निर्धनतम वर्ग के लोग मुख्यत: आदिवासी या जनजातीय लोग हैं और उनमें से अधिकांश या तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अथवा दलित समुदाय के हैं। इस देश में भूमि सुधार के प्रभाव से उन्हें सशक्त किया जाना शेष है।

[श्री अजय चक्रवर्ती]

हजारों एकड़ भूमि बेकार पड़ी है। खेत जोतने वाले को एक भी पट्टा नहीं दिया गया है। उनके पास कोई भूमि नहीं है। वे दिन पर दिन गरीब होते जा रहे हैं। हमें इस समस्या की जड़ तक पहुंचना होगा। मेरे विचार से हमारे सहयोगी मुझसे सहमत होंगे। प्रो. मल्होत्रा और उनकी पार्टी भी मुझसे सहमत होगी कि कोई एके-47 हथियार और गोलाबारूद या सीमा सुरक्षा बल जैसे बल नक्सलियों से नहीं निपट सकते हैं। वे समस्या से नहीं निपट सकते हैं। नक्सल समस्या का हल बन्दूक नहीं है। इसका हल है कि गरीब और दलित लोगों को भूमि आबंटित की जाए। उन्हें उनकी भूमि वापस दी जाए और उन्हें भूमि का अधिकार दिया जाना चाहिए जो उनकी पैतृक संपत्ति है। गरीबी के कारण उन्होंने भूस्वामियों या कुछ किसानों या कुलकों को जमीन बेंच दी। अब भूमि भूस्वामियों के हाथों में हैं। हमारी अजादी के 57 वर्षों के बाद भी पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा जैसे राज्यों को छोड़कर गरीब लोगों को कोई भूमि वितरित नहीं की गयी है। किसी अन्य राज्य ने ऐसा नहीं किया है। यह तथ्य है। कोई इससे इन्कार नहीं कर सकता है।

नक्सल समस्या किसने खड़ी की है? हमारे देश में देश के शासकों ने ही नक्सल समस्याएं खड़ी की हैं। आप जाइए और कोलकाता, मुम्बई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में स्थिति देखिए। वहां बड़े पंचसितारा होटल हैं और उनके पीछे झुगियां हैं। संसद सदस्य और मंत्रीगण मुम्बई में शेराटन और कोलकाता में रीजेन्सी जैसे होटलों में अपने प्रवास का आनन्द उठा रहे हैं। दिल्ली में भी बड़े होटल हैं। ऐसे होटलों के पीछे बड़ी झुग्गियां हैं। गरीब लोग वहां रह रहे हैं। क्यों?

हम नक्सलियों की राजनीतिक विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। सीपीआई, सीपीआई (एम) और अन्य वामपंथी दलों का नक्सलियों के साथ वैचारिक मतभेद है। हम नक्सलियों की राजनीतिक सोच का समर्थन नहीं करते हैं। सवाल यह है कि अधिक से अधिक गरीब लोग नक्सल आन्दोलन से जुड़ रहे हैं। वे सोचते हैं कि यही रास्ता है और मार्ग है जिस पर उन्हें चलना है। वे सोचते हैं कि जिन्होंने उनका शोषण किया है उनके खिलाफ यही मार्ग है। वे अपने शोषकों के विरुद्ध लड़ रहे हैं। मैं सरकार और विपक्षी पार्टियों से अनुरोध करता हूं कि कृपया भूमि सुधार लागू करें। वे कुछ राज्य प्रशासन पर कब्जा कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि भूमि सुधार लागू करके गरीबी हटाइए। नक्सलियों से निपटने का केवल यही रास्ता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा कर दी है और पश्चिम बंगाल सरकार ने गांवों और जनजातीय क्षेत्रों में और सक्रियता से विकास कार्य शुरू करने का निर्णय लिया है। हमारे मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल के संसद सदस्यों से अनुरोध किया है कि जनजातीय क्षेत्रों के विकास हेतु एमपीलैड्स निधि का उपयोग किया जाए। वे अविकसित हैं। आजादी के बाद से वहां कोई विकास कार्य नहीं किया गया है। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह भूमि सुधारों के समुचित कार्यान्वयन, जनजातीय क्षेत्रों के दलित और देश के सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के समुचित विकास का ध्यान रखें। यह हमारा कर्त्तव्य है कि हम ऐसे लोगों को देश की मुख्यधारा में लाएं ताकि उन्हें यह महसूस हो कि वे मुख्यधारा में जी रहे हैं और उन्हें किसी प्रकार से वंचित और अपेक्षित नहीं किया जा रहा है.

अब मैं कट्टर उग्रवादी समूह के पहलू की बात करता हूं। मेरे लब्ध प्रतिष्ठि मित्र प्रोफेसर मल्होत्रा ने एक बात कही है। हो सकता है कि मैं गलत हूं। यदि मैं गलत हुआ तो मुझे खुशी होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का ध्वंस करने के लिए हमें पाकिस्तान के विरुद्ध तत्काल लड़ाई शुरू कर देनी चाहिए। उन्होंने कुछ अंशों को उद्धृत किया है। किंतु मैं प्रो. मल्होत्रा से यह कहता हूं कि मानवता इन सभी बातों से बढ़कर है। वे वहां के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए नियंत्रण रेखा खोले जाने का अप्रत्यक्ष तौर पर विरोध कर रहे हैं।

एक तरीके से वे पाकिस्तान के भूकंप प्रभावितों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने का विरोध कर रहे हैं! पाकिस्तान के लोग हमारे शत्रु नहीं हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों के लोग मित्र हैं। पाकिस्तान का आम आदमी भारत के लोगों के साथ दोस्ती चाहता है। हम भारतीय हैं। हम पाकिस्तान के लोगों के साथ दोस्ती चाहते हैं। वे हमारे शत्रु नहीं हैं। निस्संदेह उनके शासकों ने हमारे देश के लिए परेशानियां खड़ी की हैं। वे पाकिस्तान के शासकों और उनके राष्ट्रपति को अपना निशाना बना रहे थे। मैं भी उनसे सहमत हूं। किंतु प्रश्न यह है कि परदे के पीछे कौन लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि "मैं प्रसन्न हूं कि वर्तमान सरकार एनडीए सरकार की तुलना में अधिक अमरीकापरस्त है।" मैं नहीं जानता कि यूपीए सरकार या एनडीए सरकार में से कौन सी सरकार अधिक अमरीकापरस्त है? मैं इस मामले में नहीं जाना चाहता हूं। किंतु प्रश्न यह है कि आतंकवाद पैदा किसने किया।...*

उपाध्यक्ष महोदय: ये नाम कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे।

*...(व्यवधान)**

श्री अजय चक्रवर्ती:...** कट्टर उग्रवादी समूहों द्वारा उत्पन्न आतंकवाद केवल भारत को ही प्रभावित नहीं कर रहे हैं। दो दिन पूर्व बंगलादेश के चिटगांव और गाजीपुर क्षेत्रों में भयंकर बम विस्फोट हुए थे। जार्डन में भी ऐसा ही हुआ था। संसार के कई

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

देशों में ऐसा हुआ था। यह केवल भारत की ही समस्या नहीं है। निस्संदेह, यह हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: जो नाम माननीय सदस्य ले रहे हैं, उनको डिलीट कर दीजिए।

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती: ऐसा हो रहा है और संसार के कई देशों में ऐसा हुआ है। श्रीलंका, पाकिस्तान, परसों बंगलादेश में ऐसा हुआ, जार्डन, यू.के. और यू.एस.ए. में भी ऐसा हुआ है। आतंकवाद किसने पैदा किया? ये सभी समस्याएं अमरीका ने पैदा की हैं।...**

उपाध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री अजय चक्रवर्ती: उन्होंने अफगानिस्तान का नाश किया। अमरीका ने इराक को बर्बाद किया। क्या राष्ट्रपति बुश को यह निर्णय लेना है कि इराक का राष्ट्रपति कौन होगा?

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया इस प्रकार से हमारे मित्र देशों का नाम न लें। वे हमारे मित्र देश हैं। इस प्रकार से उनका नाम न लें।

...*(व्यवधान)**

श्री अजय चक्रवर्ती: महोदय, मैं सादर यह कहना चाहता हूं कि अमरीकी लोग हमारे मित्र हैं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप नाम ले रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती: ...**

उपाध्यक्ष महोदय: मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मैं इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री अजय चक्रवर्ती: महोदय, जब अमरीका ने इराक पर हमला किया था तो इस सम्माननीय सभा में चर्चा हुई थी। उन्होंने बिना सोचे समझे इराक पर हमला कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय: आप नाम लिए बिना बोल सकते हैं।

श्री अजय चक्रवर्ती: उन्होंने इराक में स्कूलों, कालेजों, और अस्पतालों को तोड़ दिया। वे मुख्य आंतक हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी न्यूयार्क गए और राष्ट्रपति बुश से मिले तथा वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह भी राष्ट्रपति बुश से मिले। उन्होंने उन्हें विश्वास दिलाया कि वे यह देखेंगे कि पाकिस्तान सीमापार आतंकवाद को रोके। अमरीकी राष्ट्रपति यहां आए। वे हमारे नेताओं से मिले। वे पाकिस्तान भी गए। वे पाकिस्तानी राष्ट्रपति और अन्य नेताओं से मिले। इसके बाद क्या हुआ? क्या उन्होंने ईमानदारी और गंभीरता से सीमापार आतंकवाद रोकने का प्रयत्न किया, उन्हें राष्ट्रपति मुशर्रफ को हमारे देश विशेषकर कश्मीर में सीमापार आतंकवाद में लिप्त न होने हेतु चेतावनी देनी चाहिए थी ...*(व्यवधान)*

जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तय्यबा और हिजबुल मुजाहिद्दीन को आश्रय कौन देता है? निस्संदेह पाकिस्तान उन्हें आश्रय दे रहा है। यदि अमरीका सीमापार आतंकवाद को रोकने और हमारे देश में अस्थिरता फैलाना के प्रति ईमानदार, उत्सुक या गंभीर होता तो वे इसे रोक सकता था। वे पाकिस्तान के राष्ट्रपति को भारत को अस्थिर करने वाली किसी भी गतिविधि में लिप्त न होने की चेतावनी दे सकता था।

ये चीजें जारी हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें। मेरे पास वक्ताओं की एक लम्बी सूची है।

श्री अजय चक्रवर्ती: मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है, मैं इस प्रस्ताव को लाने वाला प्रमुख सदस्य था। ...*(व्यवधान)* यह अनुरोध है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी पार्टी को केवल 4 मिनट का समय मिला है।

श्री अजय चक्रवर्ती: महोदय, मुझे कुछ और समय मिलना चाहिए। वास्तव में, मैंने सूचना दी है। कृपया आप सूची देखें ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी पार्टी को केवल 4 मिनट का समय मिला है।

श्री अजय चक्रवर्ती: मैं 3 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपके दल के लिए आवंटित समय मात्र 4 मिनट था परन्तु मैंने आपको 15 मिनट से अधिक समय दिया है।

...*(व्यवधान)*

श्री अजय चक्रवर्ती: महोदय, मैं हमेशा आपके आदेशों का पालन करूंगा। मैं अपनी बात 3 मिनट के भीतर समाप्त करूंगा।

जहां तक उग्रवादी और कट्टरपंथी समूहों का प्रश्न है। हमारी सरकार को सतर्कतापूर्वक कदम बढ़ाना चाहिए। मैंने परसों भी एक अनुपूरक प्रश्न पूछा था। सभी लोगों को पता है कि दिल्ली में क्या घटित हुआ था। 60-70 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। एक मामले में, बच्चों ने अपने माता-पिता को खो दिया। अब उन्होंने अपने माता-पिता की हत्या के पश्चात् अपने दादा-दादी को खो दिया है। बच्चे खुले आकाश के नीचे रह रहे हैं। यहां तक कि उनके पिता ने मकान बनाने के लिए बैंक से ऋण लिया था। अब उनके माता-पिता की हत्या किये जाने और उनके दादा-दादी के देहांत के पश्चात् बैंक ने उस मकान के निर्माण हेतु लिये गये ऋण को अदा करने के लिए बच्चों को नोटिस जारी किया है। इस बैंक ऋण का पुनर्भुगतान कौन करेगा?

महोदय, मैं यह नहीं जानता हूं कि सरकार ने मारे गए अथवा गम्भीर रूप से घायल लोगों के प्रभावित परिवारों के लिए अनुग्रह सहायता की घोषणा की है अथवा नहीं। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि सभी लोगों को सहायता प्राप्त हो चुकी है अथवा नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय के हस्तक्षेप के पश्चात्, मैंने इसके बारे में गृह मंत्री जी से पूछा था परन्तु उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। जांच के दौरान यदि यह बात सामने आती है कि यह खुफिया ब्यूरो अथवा कुछ पुलिस कर्मियों की विफलता का परिणाम था अथवा कुछ पुलिस कर्मियों के लापरवाही के कारण हमारे देश की राजधानी दिल्ली के बीचोंबीच यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, तो मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह मात्र दिल्ली में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी हमारे पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करें।

झारखण्ड सरकार और अन्य राज्यों ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वह उन्हें सभी संभव वित्तीय सहायता प्रदान करे ताकि वे अपने पुलिस बलों और सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण कर सकें। जहां तक दिल्ली पुलिस बल का प्रश्न है, वे अत्याधुनिक अस्त्र-शस्त्रों से लैस हैं। परन्तु जहां तक अन्य राज्य सरकारों की स्थिति का प्रश्न है। उन्हें अपने पुलिस बलों को उन्नत बनाने और उनका आधुनिकीकरण करने हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले पर गम्भीरता से विचार करे। अपने सुरक्षा बलों को चुस्त बनायें, सभी पुलिस बलों को उन्नत बनायें और उनका आधुनिकीकरण करे तथा पुलिस बलों का मनोबल बढ़ाएं ताकि वे उग्रवादी व आतंकवादी समूहों का सामना कर सकें।

कश्मीर में क्या घटित हुआ? इस वर्ष के 14, 15 और 16 नवम्बर को सिलसिलेवार रूप से नई घटनाएं हुईं। यह एक सतत प्रक्रिया बन गई है। इसलिए, हमें जम्मू व कश्मीर के लोगों का विश्वास जीतना होगा ताकि वे अपने को भारत की जनता के रूप में स्वीकार कर सकें। वे यह मान सकें कि वे स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। जम्मू व कश्मीर के लोगों का मनोबल बढ़ाए बिना और उनका विश्वास हासिल किए बिना हम इन उग्रवादी संगठनों का सामना नहीं कर सकते।

चूंकि रक्षा मंत्री जी यहां उपस्थित नहीं हैं। मैं गृह मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे रक्षा बलों, अर्द्ध-सैनिक बलों व पुलिस बलों का व्यवहार जम्मू-कश्मीर की जनता के प्रति और अधिक मित्रवत होना चाहिए। जम्मू-कश्मीर की जनता को हमारे बलों को मित्र मानना चाहिए। जम्मू-कश्मीर की जनता के प्रति हमारे बलों का रवैया भी मित्रवत होना चाहिए। हमें जम्मू व कश्मीर की जनता का विश्वास हासिल करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। वे स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और उन्हें उग्रवादी संगठनों में शामिल नहीं होना चाहिए।

इस प्रकार, मैं आशा करता हूं कि भारत सरकार इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी और इससे सफलतापूर्वक निपटेगी। मैं समझता हूं कि यह किसी एक राजनीतिक दल अथवा मात्र सत्ताधारी दल से जुड़ा मामला नहीं है। यह पूरी सभा का मामला है। हमें दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर, उग्रवादी संगठनों के विरुद्ध एकजुट होकर संघर्ष करना चाहिए और विदेशों द्वारा प्रायोजित उग्रवादी संगठनों से अपने देश की रक्षा करनी चाहिए।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ, अपनी बात समाप्त करता हूं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने परम मित्र प्रो. मल्होत्रा द्वारा नियम 193 के अधीन उठायी गयी चर्चा में हस्तक्षेप करता हूं।

महोदय, मैं इस वाद-विवाद के तेवर तथा अपने मित्र द्वारा की गयी टिप्पणियों के लहजे से आश्चर्यचकित तो नहीं परन्तु काफी दु:खी हूं। उन्होंने अपनी बात की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री की आलोचना करते हुए की, जब उन्होंने कहा कि "हम भारत

में आतंकवाद को सफल नहीं होने देंगे'' तो उन्होंने इस वक्तव्य पर आपत्ति की और इस प्रकार इसका अभिप्राय हुआ कि आतंकवाद भारत में सफल है ...*(व्यवधान)* जब भारत के प्रधानमंत्री यह कहते हैं कि ''हम आतंकवाद को सफल नहीं होने देंगे'' तो मैं आशा करता हूं कि वह राष्ट्र की ओर से बोल रहे होते हैं तथा इस देश का कोई राजनीतिक दल अथवा समाज का कोई वर्ग आतंकवाद को सफल नहीं होने देगा। जब विपक्ष में बैठे एक बड़े दल का नेता यह कहता है कि भारत में आतंकवाद सफल है, तो मुझे आश्चर्य होता है कि वह पाकिस्तान में आतंकवादियों को क्या संदेश भेजना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि विपक्ष के नेता को कम से कम विपक्ष में होने के नाते ऐसा वक्तव्य देने से पहले राष्ट्रीय हित का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें आतंकवादियों को यह संदेश नहीं देना चाहिए कि हमारा राष्ट्र वैचारिक मतभेदों का शिकार है। ...*(व्यवधान)* ऐसा संदेश कभी नहीं जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

मुझे याद है कि जब आतंकवादियों ने संसद पर आक्रमण किया था, जब आतंकवादियों ने अक्षरधाम मंदिर पर आक्रमण किया था, जब उन्होंने अमरनाथ यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों पर तथा कश्मीर में लोगों पर आक्रमण किया था तो हम विपक्ष में थे और हम सरकार के साथ खड़े थे। इसलिए मुझे एक दल और दल के नेता के प्रति आपत्ति है जो स्वयं को तो राष्ट्रवादी मानते हैं और जो यह संदेश भेज रहे हैं मानो हमारा देश इस मुद्दे पर बंटा हुआ है। ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): क्या मैं आपके सदस्यों द्वारा दिए गए सभी भाषणों को दिखाऊं? ...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: हमने आपके भाषण के दौरान कभी भी व्यवधान उपस्थित नहीं किया। ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: आप यह नहीं कह सकते हैं कि आपने हमारा समर्थन किया। क्या मैं आपको आपके दल के सदस्यों द्वारा उस समय दिये गये भाषणों को दिखाऊं? ...*(व्यवधान)* क्या मैं उस समय विपक्ष में शामिल आपके दल के सदस्यों द्वारा दिये गये भाषणों को दिखाऊं? ...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: व्यवधानों को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री खारबेल स्वाईं: आप यहां मुझसे सहमत न हो। आप यहां यह नहीं कहें कि आपने हमारा समर्थन किया और आपने हमारा कभी विरोध नहीं किया। ऐसा न कहें।

श्री कपिल सिब्बल: यदि आप अंधेरे में घिरे हुए हैं तो उजाले की व्यवस्था करें। इससे आपको मुझे व्यवधान करने के बजाय कुछ प्रकाश मिलेगा। ...*(व्यवधान)*

पुनः, मेरे विद्वान दोस्त ने बताया कि हमने कभी भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। आज क्या हो रहा है? जांच जारी है। जांच अभी पूरी होनी बाकी है। मामला न्यायालय में नहीं आया है। कोई आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया गया है। क्या हम ऐसा सोचते हैं कि इस देश की उत्तरदायी सरकार, आरोप-पत्र दाखिल किये जाने से पहले किसी जांच-विशेष में राष्ट्रों का नाम लेना शुरू कर देगी? ऐसा तब होता था जब वे सभा में थे।

जब आरोप-पत्रों को दाखिल किया गया था, तो वे कहते थे कि उनके नेताओं का दोष नहीं है जबकि उनके विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किए गए थे। अयोध्या मामले में ऐसा हुआ। आप कहते हैं, ''आडवाणी जी का दोष नहीं है। जब उनके विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया था, तो वे निर्दोष थे।'' यह कार्य गैर-जिम्मेदार सरकार और गैर-जिम्मेदार नेताओं का है। मैं इस सभा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम आपके गैर-जिम्मेदार कदमों का अनुसरण नहीं करना चाहते हैं। हम एक जिम्मेदार राष्ट्र और जिम्मेदार सरकार हैं और हम तभी उस देश और सरकार का नाम लेंगे जब हम आरोप-पत्र दाखिल करने का निर्णय लेंगे और जब हमारे पास उस देश या उस सरकार के विरुद्ध सबूत होगा। मुझे इस तथ्य पर गर्व है कि मेरे प्रधान मंत्री ने ऐसा मत दिया है। मैं पूर्णतः चकित हूं। मुझे याद है जब वे सत्ता में थे और आतंकवादी हमले हो रहे थे और उस समय 'लौह पुरुष' भारत के गृह मंत्री थे। मुझे वह प्रसिद्ध वक्तव्य याद है जिसे मैं अपने मनोमस्तिष्क से नहीं मिटा सकता। मेरे मंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के विरुद्ध दबाव बनाए रखने की नीति का अनुसरण करूंगा। फिर उन्होंने कहा, 'नहीं।' मेरे पास पाकिस्तान के संबंध में सक्रिय नीति है। पुनः, उस सक्रिय नीति का अनुपालन नहीं किया गया था। फिर, यह क्रियात्मक नीति बन गई। और अंततः यह एक नीति है। इस प्रकार, यह 'सक्रियता' से 'निष्क्रियता' तक की यात्रा थी। पाकिस्तान और आतंकवाद के संबंध में आपका इतिहास ऐसा है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: व्यवधान न डालें।

...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: यदि आप प्रकाश नहीं देखते, तो कृपया अपने आपको आलोकित करें और आपके पास 'कमल' है ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री खारबेल स्वाईं: अंधेरा तो आपके समक्ष है और कुछ भी नहीं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपको भी सभा में बोलने का अवसर मिलेगा। आपके दल का सदस्य बोलेगा स्वाईं जी। उन्हें भी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का समय मिल सकता है।

...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे याद है कि तत्कालीन गृह मंत्री के यह भी कहा था कि हम आई एस आई के संबंध में श्वेतपत्र जारी करेंगे। हम सबको यह बात याद है। पांच वर्ष का पूरा कार्यकाल पूरा हो गया। परन्तु आईएसआई पर कोई श्वेतपत्र जारी नहीं किया गया। उस समय आप पाकिस्तान का नाम लेने से क्यों नहीं डर गए थे? आईएसआई और आईएसआई की भूमिका के संबंध में श्वेतपत्र जारी करने से क्यों नहीं डरे थे? आप सत्ता में थे, आप सरकार में थे। आपको किसने रोका? समस्या यह है कि जब आप विपक्ष में होते हैं तो आप कुछ और कहते हैं और जब आप सरकार में होते हैं, तो बिल्कुल अलग बात कहते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि श्री मल्होत्रा जैसे वरिष्ठ सदस्य ने सभा में ऐसा कहा था और मुझे इसका अफसोस होता है। उन्होंने कहा, "अमरीका ने तालीबान को जन्म दिया।" ये शब्द उनके थे। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है। आप उन्हें हटा देंगे। परन्तु, ऐसा उन्होंने कहा। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जब वे सरकार में थे तो क्या उन्होंने संसद में ऐसा कभी कहा था? क्या किसी नेता ने संसद में, संसद से बाहर, संयुक्त राज्य अमरीका और अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर ऐसा कहा? निश्चित रूप से, यदि अमरीका ने तालिबान को जन्म दिया है, तब तालिबान का जन्म काफी पहले हो चुका था। पांच वर्षों की अवधि के दौरान ऐसा कैसे हुआ कि जब वे सत्ता में थे, तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा? ऐसा क्यों है कि जब वे विपक्ष में हैं, तो ऐसा कह रहे हैं? मल्होत्रा जी आप इसका अवश्य वर्णन करें।

ऐसा इसलिए है क्योंकि इस गंभीर प्रकृति के वाद-विवाद के दौरान हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमें आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने के लिए एक साथ तैयार होना है। अंतत: उस समय वस्तुत: तालिबान के साथ किसने समझौता किया था? किसने कांधार की यात्रा की? मैं यह जानना चाहता हूं। तालिबानियों के साथ कौन गया? किसने आतंकवादी संगठनों का अंतत: गठन किया जिसके फलस्वरूप भारत में घुसपैठ और सैकड़ों निर्दोष लोगों की हत्याएं हुईं? आपने उनके साथ समझौता किया, आप तालिबानियों के साथ गए और उन्हें पाकिस्तान को सौंप दिया। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा।

...*(व्यवधान)**

श्री कपिल सिब्बल: कृपया बैठ जाइए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

...*(व्यवधान)**

श्री कपिल सिब्बल: समय पर बोलने का साहस करें। आपके बारे में कम ही कहा जाएगा तो बेहतर होगा क्योंकि आप महाराष्ट्र से लुप्त हो रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री कपिल सिब्बल के भाषण के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा।

...*(व्यवधान)**

श्री कपिल सिब्बल: आप भयभीत क्यों हैं? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री स्वाईं, आपके दल के सदस्य भी बोलेंगे। जो कुछ उन्होंने कहा है वह उसका उत्तर दे सकते हैं। अत:, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अध्यक्ष महोदय को परेशान मत कीजिए।

श्री सिब्बल, मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं कि उन्हें नहीं अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

श्री कपिल सिब्बल: मैं उन्हें संबोधित नहीं कर रहा हूं, महोदय, एक बार भी नहीं।

महोदय, मुझे भी याद है—और यह अति महत्वपूर्ण है—कि तत्कालीन गृह मंत्री ने 20 आतंकवादियों की सूची दी थी, पाकिस्तान को पत्र लिखा था और कहा था: "मुझे पाकिस्तान में रहने वाले ये 20 आतंकवादी चाहिएं", और उस सूची में पहला नाम दाउद इब्राहिम का था। क्या हुआ? क्या उन्हें कोई सफलता मिली? क्या उन्होंने इस मुद्दे को उठाया? क्या उन्होंने पाकिस्तान से यह कहा कि जब तक अन्य उन 20 आतंकवादियों में से कम से कम एक आतंकवादी नहीं सौपते हैं तब तक हम आपसे वार्ता नहीं करेंगे? क्या दाउद इब्राहिम को भारत लाने के लिए कदम उठाए गए थे? वे जानते थे कि वह कराची में रह रहा है। उन्हें उसका मकान नं. मालूम था। उनके पास आसूचना रिपोर्टें थी। उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं।

अब वे सरकार पर सतर्क न रहने का आरोप लगा रहे हैं। कारगिल में क्या हुआ? घुसपैठिए भारत में घुस आए, परंतु सरकार के पास कोई सूचना नही थी। किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं थी और अंतत: एक मंत्री ने सत्य कहा, सरकार ने सत्याभाव से कहा, "अंतत: हमने घुसपैठ के बारे में गडरियों से सुना। यह

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उनकी सतर्कता की उस समय की हद थी जब पाकिस्तानी घुसपैठिए और आतंकवादी भारत में घुस आए और हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया तथा हमें पुन: अपने क्षेत्र को कब्जा मुक्त कराने के लिए लगभग 800 जान गंवानी पड़ी। इसके लिए कौन जिम्मेदार था? कौन सतर्क रहा? अत: इस तरह के आरोप लगाने से पूर्व, श्री मल्होत्रा को बीते समय पर तथा जिस समय उनकी सरकार सत्ता में थी उस समय को अपनी सतर्कता की कमियों पर नजर डालनी चाहिए।

महोदय, मैं भी इस बात से बहुत आश्चर्यचकित हूं कि उन्होंने यह कहा है कि वे इस बात से बहुत प्रसन्न हैं कि भूकंप के बाद सहायता दी गई थी और ये 100 करोड़ रुपये दिये गये थे। हम इस बात से बहुत प्रसन्न हैं। परंतु उन्होंने कहा है कि मामले की सच्चाई यह है कि अब इस धनराशि का अन्य प्रयोजनों हेतु दुरुपयोग किया जा रहा है और हमें इसकी निगरानी करनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि जब इतनी बड़ी मानव त्रासदियां आती हैं तो सरकार द्वारा राहत के लिए धनराशि दिये जाते समय निगरानी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून में कौन-कौन सी प्रणालियां हैं। यदि ऐसी कोई प्रणाली है, तो हमें निश्चित ही श्री मल्होत्रा से सुझाव लेने में बड़ी प्रसन्नता होगी। परंतु उन्होंने यह सुझाव नहीं दिया कि यह किस प्रकार किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया है और क्योंकि वह विपक्ष में हैं इसलिए आरोप लगाना उनकी बाध्यता है।

महोदय, मुझे याद है—और यह मैं कार्यवाही—वृत्तांत से पढ़कर बोल रहा हूं कि वास्तव में, जिस समय गुजरात में भुज के भूकंप पीड़ितों के लिए धनराशि भेजी गई थी उस समय ब्रिटिश संसद के कुछ सदस्यों द्वारा बहुत गंभीर आरोप लगाए गए थे। यह कहा गया था कि इस धनराशि का एक बड़ा हिस्सा भारत में आतंकवादी गतिविधियों के लिए उपयोग किया गया था और हम सभी जानते हैं कि अंतत: धनराशि का किस प्रकार उपयोग किया गया था। हमें, वास्तव में इस देश में दो लड़ाइयां लड़ने की आवश्यकता है और इस सरकार ने ये दोनों लड़ाई लड़ने का संकल्प कर रखा है आतंकवादी रहित और देश के भीतर आतंकवादी *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इसके अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री कपिल सिब्बल: यदि आप मुझसे सहमत हैं तो आपको इस तरफ आ जाना चाहिए।

गलियारा पार करके यहां आने की क्या आवश्यकता है? *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री उदय सिंह (पूर्णिया): हम यही कह रहे हैं *...(व्यवधान)* हम यहां पर आराम से हैं।

श्री कपिल सिब्बल: इसीलिए आप मुझसे सहमत नहीं हो सकते क्योंकि आप वहां पर आराम से हैं। वह सही है। मैं अपने विद्वान मित्र की मासूमियत पर सचमुच आश्चर्यचकित हूं। वह सब कुछ समझते हैं परंतु ऐसा कुछ नहीं समझने का बहाना करते हैं।

यह दुखद बात है। धनराशि का उपयोग किया गया था। भूकंप पीड़ितों के लिए धनराशि भेजी गई थी, परंतु एक राजनीतिक दल द्वारा धनराशि का भूकंप पीड़ितों के लिए उपयोग नहीं किया गया था। इस देश में इससे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती है।

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): क्या वह एक पल के लिए मेरी बात मानेंगे?

श्री कपिल सिब्बल: नहीं, मैं नहीं मान रहा हूं।

वे कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने कभी पाकिस्तान का विरोध नहीं किया है। वह राजनीति के छात्र हैं और राजनेता का व्यवहार कर रहे हैं। मेरे विद्वान मित्र को मालूम होना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री अमरीकी राष्ट्रपति बुश से मिले थे तो उन्होंने कहा था। ''दोहरे मानदंड नहीं हो सकते, एक बड़ी शक्तियों के लिए और एक भारत जैसे देशों के लिए, उन्होंने यह बात खुलकर कही। जब वह पाकिस्तानी राष्ट्रपति मुशर्रफ से मिलने गए तो उन्होंने यही बात कही कि पाकिस्तान में आतंकवादी ढांचे को तोड़ा नहीं गया है और आपको इसे तोड़ना होगा। हाल ही में, जब दक्षेस की बैठक में भाग लेने गए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, ''आतंकवाद कतई बर्दाश्त नहीं'' और उन्होंने अपना इरादा जाहिर किया। उनके प्रधानमंत्री की तरह नहीं जिन्होंने ''जीरो'' कहा था और जीरो बन गए।

यह दुखद बात है कि जब आप विपक्ष में होते हैं तो आप अलग ही भाषा बोलते हैं। इसीलिए वर्ष 2004 में क्या हुआ। इस प्रकार के भाषणों और स्थिति का यही परिणाम होता है। जिस वक्त हम कारगिल युद्ध के दौरान कुछ प्रश्न पूछ रहे थे तो उन्होंने हमें आतंकवादी समर्थक कहा और वे आज क्या कर रहे हैं। वे विश्व के सामने अपने आपको संगठित दशनि के बजाय आतंकवादियों के हाथों में खेल रहे हैं।

वे ब्रिटिश लोकतंत्र, वोल्कर रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, मानों वोल्कर गोल्वलकर हो *...(व्यवधान)* वे इस देश में फासीवाद का आयात कर सकते हैं *...(व्यवधान)*

[श्री कपिल सिब्बल]

[हिन्दी]

आप मत घबराइए। मैं असलियत बताना चाहता हूं ...*(व्यवधान)* मैं आपको आपकी असलियत बताना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

वे ब्रिटिश लोकतंत्र की प्रशंसा करते हैं जब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री श्री टोनी ब्लेयर दिल्ली में आतंकवादी हमलों की बात करते हैं तो वह कहते हैं कि यह हमला लोकतंत्र के विरुद्ध है। खैर जिस प्रकार की एकता श्री टोनी ब्लेयर दर्शा रहे हैं ऐसी ही एकता वे इस सभा में कम से कम एक बार तो दर्शाएं। कृपया ऐसी एकता इस सभा में दर्शाएं। श्री टोनी ब्लेयर, जो कि भारत के नागरिक नहीं हैं, अन्य देश के प्रधानमंत्री आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत सरकार के प्रति एकता दर्शा रहे हैं। वे इस देश के नागरिक हैं, एक जिम्मेदार राजीतिक दल के सदस्य हैं, और वे इस देश की सरकार के प्रति एकता नहीं दर्शा रहे हैं। इससे आतंकवादियों को क्या संदेश मिलेगा। यह बहुत दुख की बात है। यह शर्म की बात है।

वे पोटा का अध्ययन किए बिना पोटा के बारे में बात करते हैं। यही समस्या है, महोदय। पोटा में दो संशोधन किये गये हैं। आज मैं इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। ये संशोधन क्या हैं? पहला यह कि हिरासत में एक वर्ष के पश्चात् आपको जमानत मिल सकती है।

पहले जब तक सरकारी वकील को इसका विरोध करने की अनुमति नहीं दी जाती थी और वह इससे सहमत नहीं होता था तब तक आपको जमानत नहीं मिल पाती थी। अब आप वास्तव में जमानत ले सकते हैं। दूसरी बात पुलिस अधिकारी के समक्ष दिया गया बयान साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है। बस यही सब कुछ है ...*(व्यवधान)* इससे ज्यादा कुछ नहीं है।

श्री खारबेल स्वाईं: जी हां, यही है। हम जानते हैं। पोटा को समाप्त कर दिया गया है, यही वे कहना चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री कपिल सिब्बल की बात के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: श्री स्वाईं, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

श्री कपिल सिब्बल: हमने ये दोनों संशोधन किये हैं। ब्रिटिश कानून के अंतर्गत, किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष दिये गये बयान को साक्ष्य के रूप में स्वीकारा नहीं जाता है। ब्रिटिश कानून के अंतर्गत आपको शीघ्र ही जमानत मिल जाती है। इसलिए, यदि आप ब्रिटिश कानून के बारे में नहीं जानते हैं तो आलोचना क्यों करते हैं? वास्तव में उपाध्यक्ष महोदय, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हाल ही में इंग्लैंड की संसद में हुए वाद-विवाद में उन्होंने कानून को और अधिक कठोर बनाने के लिए कहा है। उन्होंने क्या परिवर्तन करने के बारे में सोचा? वे चाहते हैं कि जांच प्राधिकारी को आरोपी को 30 दिन लगातार हिरासत की बजाय 90 दिनों तक हिरासत में रखने की अनुमति दी जाए। ब्रिटिश संसद ने इसे इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह मानव अधिकारों का उल्लंघन होगा। जबकि पोटा के अंतर्गत भारत में आप किसी व्यक्ति को 180 दिनों तक हिरासत में रख सकते हैं। अब, यदि आप नहीं जानते हैं और आपने पुन: नहीं पढ़ा है तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: मैंने इसे पढ़ा है। केवल आप ही ने इसे नहीं पढ़ा है। हमने इसे पढ़ा है ...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: मैं केवल आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहा था यदि आपको जानकारी न हो ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री खारबेल स्वाईं, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जो भी मेरी अनुमति के बिना बोलता है उसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

...*(व्यवधान)**

श्री कपिल सिब्बल: पोटा सम्पूर्ण विश्व में किसी भी कानून की तुलना में सबसे कठोरतम है। इसमें दो संशोधन प्रावधानों, जिनकी मैंने बात की है, के होने के बाद भी यह सबसे कठोर कानून है। इस प्रकार, यहां का कानून है। तर्क यह था कि आपने पोटा समाप्त कर दिया है और इससे आतंकवाद पुन: उभर रहा है। किन्तु जब अक्षरधाम पर आक्रमण हुआ था तो पोटा लागू था। जब संसद पर आक्रमण हुआ था तो पोटा लागू था। जब अमरनाथ तीर्थयात्रियों पर आक्रमण हुआ तो भी पोटा लागू था ...*(व्यवधान)* क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अब कार्यवाही की जा रही है। जांच के बाद वह कार्यवाही अब की जायेगी।

मैं जो बात कहना चाहता हूं वह यह है कि पोटा हो या न हो, आतंकवाद एक वैश्विक घटना है और इसका मुकाबला एकजुट राष्ट्र के रूप में बिना किसी राजनीति के किया जाना चाहिए।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

आतंकवाद का समाधान पोटा द्वारा प्रभावी ढंग से करने का तर्क भी राजनैतिक तर्क है। यह जिम्मेवार राजनैतिक दल की राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया नहीं है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री कपिल सिब्बल की बात के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: श्री कपिल सिब्बल मैने पहले ही कह दिया है कि आपके भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री कपिल सिब्बल: और फिर मेरे मित्र आतंकवाद की बात करते हैं। उन्होंने जहानाबाद और नेपाल के बारे में कहा, वे नहीं जानते जहानाबाद उत्तरी बिहार में है और नेपाल 300 किलोमीटर दूर है। मुझे यह समझ नहीं आता कि जहानाबाद की घटना का नेपाल से क्या संबंध है। मैं कुछ राजनेताओं और उत्तर पूर्व क्षेत्र के आतंकवादियों के बीच घनिष्ठ संबंधों को समझ सकता हूं। इसे मैं समझ सकता हूं। हम सब इसे जानते हैं। मुझे जहानाबाद और अन्यत्र आतंकवादियों के बीच संबंध समझ नहीं आता है। यह भी आम जानकारी का विषय है *...(व्यवधान)* इसलिए, यह दलगत मुद्दा नहीं है।

महोदय, यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में घटित हुआ है इसलिए मैं आज यहां खोड़ा होकर बोल रहा है।

कई लोगों की जीवन लीला समाप्त हो गई। बिना किसी वजह के छोटे-छोटे बच्चे और निर्दोष महिलाओं को जीवन खोना पड़ा। उनमें से अधिकतर दीवाली की तैयारी में व्यस्त थे और अचानक उन पर मानवीय आपदा आ गई। मेरा यह कहना है कि वे मेरे निर्वाचन क्षेत्र में उनके राजनैतिक दल के सदस्य विजय कुमार मल्होत्रा जी से अधिक जिम्मेदार रहे। मैंने देखा कि रेहड़ी वालों, दुकानदारों, पड़ौसियों, पुरुषों और महिलाओं ने सब कुछ छोड़कर पीड़ितों की रक्षा थी, उनकी सहायता के लिए अस्पतालों तक गए और अलगाववादी भाषण देना बन्द करें, राष्ट्र को खण्डित न करें। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस आपदा के प्रत्यक्षदर्शी भाजपा के सदस्य प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा से अलग सोच सकते हैं। शायद वे मल्होत्रा जी की तरह राजनीतिज्ञ नहीं हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस देश के नागरिक, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखते हों, जिन वादविवादों पर राष्ट्र को एकजुट होकर प्रतिक्रिया व्यक्त करने की आवश्यकता हो उन पर राजनीति न करें। यह उन पीड़ितों के बारे में विचार करने और उनकी देखभाल हम किस प्रकार करेंगे, इस पर विचार करने का समय है। यह हमारे प्रवर्त्तन प्राधिकरणों को सुदृढ़ बनाने के अर्थोपाय करने का समय है जिससे कि प्रौद्योगिकी के माध्यम से पर्याप्त सूचनाएं प्राप्त की जा सकें और भविष्य में होने वाले ऐसे हमलों को रोका जा सके। यह समय यह महसूस करने का है कि यह कल को गलियों में से गुजरते समय हमारे साथ भी हो सकता है क्योंकि हम नहीं जानते हमारा अगला कदम क्या होगा। उस माहौल में, उस भीड़ में और छह टूटी चौक पर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र से लोग सामान्य जीवन जी रहे थे, मिठाइयां खरीद रहे थे और वे नहीं जानते थे कि अगले क्षण उनके साथ क्या होने वाला है। आतंकवाद एक विपप्ति है। इसकी आदत आप और मुझ पर बिना किसी सूचना के आक्रमण करने की है। वे अपना समय तय करते हैं, वे अपने आप स्थान चुनते हैं और अवसर का चयन करते हैं। मैं समझता हूं कि जब आप इस प्रकार की लड़ाई लड़ रहे हों, तो आपको संसद में गंभीर प्रकृति का भाषण देने और देश को बांटने का प्रयास करने से पहले अपने शब्दों का चयन करना चाहिए। लेकिन मुझे मालूम है कि प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा की आवाज हमारी जनता के सामूहिक विवेक के तहत दब कर रह जाएगी। यह इस देश में प्रत्येक नागरिक की चेतना का हिस्सा है। उनकी अकेली आवाज कभी सफल नहीं हो पाएगी, बल्कि राष्ट्र और सरकार को ही सुना जाएगा।

श्री निखिलानन्द सर (बर्धवान): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय गृह मंत्री द्वारा आंतरिक सुरक्षा के संबंध में दिए गए वक्तव्य विशेष रूप से आतंकवादी हमलों और नक्सलवादियों से निपटने में भाग लेते समय मैंने प्रो. मल्होत्रा को बड़ी तन्मयता से सुना। मगर मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्हें श्री सिब्बल द्वारा शानदार जवाब दिया गया है। मैं मुख्य रूप से यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने माननीय गृह मंत्री के उन उपायों का उल्लेख किया जो सरकार उग्रवादियों से निपटने के लिए करने जा रही है। हम जम्मू और कश्मीर के मामले को समझ सकते हैं, जहां कुछेक विशेष कारणों से गतिविधियां बढ़ती अथवा घटती रहती हैं, जिनमें ज्यादातर मामलों में सीमापार से आतंकवाद कारण रहा है। लेकिन दिल्ली और पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में क्या कहेंगे?

अपराह्न 4.00 बजे

इसमें कोई संदेह नहीं है कि गंभीर खामियां रही हैं। सतर्कता अपेक्षित स्तर तक नहीं रही है। हमारे माननीय गृह मंत्री हमें यह बताते हुए अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते कि षड्यंत्र दिल्ली से बाहर रचे जाते हैं। इससे हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। आसूचना विंग में खामियों की वजह से घनटाएं घटी। अत: अधिक सतर्कता और एक बेहतर आसूचना नेटवर्क की आवश्यकता है। साथ ही साथ, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए जनता के सहयोग की भी ईमानदारी से आवश्यकता है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 4.01 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन* हुए]

क्या मैं पूछ सकता हूं कि मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और असम में क्या हो रहा है? कोहिमा में हमारा साथ देने वाले एक अधिकारी ने गंभीर मजाक किया। उन्होंने हमें बताया कि उनके राज्यों में दोहरी सरकार चल रही हैं, एक तो दिन के समय में और एक शाम होने के पश्चात्। पूर्वोत्तर राज्यों में यह स्थिति है। हमें ज्ञात है कि सरकार विखंडनकारी ताकतों से समझौता कर रही है और समस्याओं को और ज्यादा जटिल बना रही है। वे उग्रवादी पड़ौसी देशों, विशेष रूप से म्यांमार, भूटान और बंग्लादेश का इस्तेमाल कर रहे हैं अथवा कर रहे थे। म्यांमार और भूटान ने भारत की मांग का जवाब दिया और इन उग्रवादियों को हमारे सीमा क्षेत्र में धकेला लेकिन हमें खेद है कि हमारा पड़ोसी मित्र देश, बंग्लादेश उसी ढंग से बर्ताव नहीं कर रहा है।

माननीय गृह मंत्री संगठनों की सूची पर विस्तार से चर्चा कर रहे थे, लेकिन वे पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्सों और असम के कुछेक भाग में 'केएलओ' की कार्यकलापों के संबंध में कोई टिप्पणी करने से चूक गए। 'के एल ओ' संगठन जो कि पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्सों में नुकसान पहुंचा रहा है, उनकी टिप्पणी में छूट गया है। इन समस्याओं के अलावा, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अब तुच्छ राजनीतिक लाभों और चुनावों में कुछ सीटें जीतने के लिए, कई दल विघटनकारी और विखंडनकारी ताकतों के साथ गठजोड़ कर रहे हैं। यू.पी.ए. के प्रमुख सहयोगी को भी नहीं बख्शा जा सकता। त्रिपुरा में क्या हुआ? उन्होंने चुनाव जीतने के लिए राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ हाथ मिला लिया। उनके द्वारा यह रणनीति अपनाई गई। यहां मौजूद हर कोई इस तथ्य से अवगत है कि नक्सली आंदोलन केवल बिहार अथवा झारखंड तक ही सीमित नहीं है। यह बीमारी कई देशों में फैल चुकी है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह: सभापति महोदय, इतनी महत्वपूर्ण बहस चल रही है और गृह मंत्री सदन में मौजूद नहीं हैं। *...(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरी): गृह राज्य मंत्री गावित जी बैठे हैं, लेकिन कैबिनेट मंत्री नहीं हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री निखिलानन्द सर के भाषण के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: मैं बोलने के लिए खड़ा हूं। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह: सभापति महोदय, हाउस में सरकार नहीं है, कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री लाल सिंह, जी आप क्या कर रहे हैं। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: महोदय, इतने गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है और सदन में सरकार नहीं है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: गीते जी, आप इतने वरिष्ठ सांसद हैं, कृपया आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल, यह सही नहीं है। मैं बोल रहा हूं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): महोदय, इतने गंभीर विषय पर सदन में चर्चा चल रही है और कोई केबिनेट मिनिस्टर सदन में नहीं है। इसके लिए निंदा प्रस्ताव पारित किया जाए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह विषय बहुत ही गंभीर है। सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: गोयल जी, आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी सीट पर जाइए।

...(व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ: अगर सरकार गंभीर नहीं है, तो हम लोगों के बैठने का क्या मतलब है। देश की आंखों में धूल झोंकने का काम हो रहा है, इसलिए निंदा प्रस्ताव लाया जाए। सरकार इस मामले में गंभीर नहीं है, सदन में उपस्थित नहीं है। आंतरिक सुरक्षा जैसे गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: श्री अंसारी, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदय: विषय बहुत ही गंभीर है। विषय की गंभीरता का सदन को आभास है। आप सब लोग इससे अवगत हैं। सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी है। यहां गृह राज्य मंत्री मौजूद हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अनंत गंगाराम गीते: महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। केन्द्रीय मंत्री को वहां होना चाहिए था *...(व्यवधान)*

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): सब कुछ कार्यक्रमानुसार चल रहा है। केवल एक मंत्री बाहर गए हैं और एक अन्य मंत्री अंदर आए हैं *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: श्री निखिलानन्द सर के भाषण के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री निखिलानन्द सर: यह बीमारी अनेक राज्यों में फैल गई है, लेकिन यह अजीब है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री निखिलानन्द सर के भाषण के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री निखिलानन्द सर: यह अजीब बात है कि बंगाल में, जहां से इनकी शुरुआत हुई थी कोई नक्सली आंदोलन नहीं है।

इस समय बंगाल में कोई नक्सली आंदोलन नहीं चल रहा है। हमने वहां इसका कैसे सामना किया? जैसाकि आपको मालूम है, उत्तरी बंगाल में नक्सलबाड़ी नाम की एक जगह है। यह कब शुरू हुआ? यह 1967 में शुरू हुआ। जब बंगाल में कांग्रेस का कुशासन समाप्त हुआ, तो जनता की उच्च अभिलाषाएं थी और उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने वहां पर जमीन हड़पनी आरंभ कर दी। वे भूस्वामियों को मारना चाहते थे। उन्होंने कांस्टेबलों को मारना शुरू कर दिया, मानोकि कांस्टेबल भूस्वामियों के एजेंट थे और उनकी तकलीफों का कारण थे। उन्होंने शैक्षणिक संस्थाओं को आग के हवाले कर दिया।

अंतत: उन्होंने बंगाल के प्रख्यात लोगों की प्रतिभाओं को उतारना शुरू कर दिया। कुछ समय तक यह चलता रहा। हमारे नेताओं, विशेषकर वामपंथी नेताओं ने स्थिति से कड़ाई से निपटा क्योंकि केवल सरकार ही बदली थी, देश में कोई क्रांति अथवा पूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ था। हमने कठिन लड़ाई लड़ी है और अपने बहुत से कामरेडों का बलिदान दिया है। नक्सलियों ने निर्दयता से उनकी हत्याएं की हैं। अंतत: हम उन्हें यह समझाने में सफल रहे हैं कि शासक ही बदले हैं, प्रणाली नहीं। इसलिए, बंगाल में इस समय कोई नक्सली आंदोलन नहीं चल रहा है। ऐसा करना बहुत कठिन था। अंतत: नक्सली आंदोलन में आम लोगों का विश्वास समाप्त हो गया।

कांग्रेस पार्टी ने उनकी गतिविधियों की निंदा करने के स्थान पर उनकी हर संभव सहायता की। महोदय एक शब्द 'कान्सल'

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री निखिलानन्द सर]

सामने आया। दिन के समय एक व्यक्ति कांग्रेसी होता था और रात के दौरान वह नक्सली बन जाता था। इसके परिणामस्वरूप एक अन्य प्रजाति कान्सल सामने आई। उन दिनों में यह स्थिति थी। हमारे मित्र, वास्तविक स्थिति को समझने में विफल रहे और उन्होंने कई तरीकों से उनकी सहायता की।

अब भी वहां इक्कादुक्का घटनाएं होती रहती हैं। झारखण्ड के सीमावर्ती क्षेत्रों में वे वारदात को अंजाम देकर भाग जाते हैं। वे वहां जाते हैं, वारदात करते हैं और झारखण्ड भाग जाते हैं। वहां यह स्थिति है। बंगाल के दो अथवा तीन जिलों में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं।

संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा-यूडीएफ शासन और विशेषकर वाममोर्चे के शासन के दौरान भू-आंदोलन को गति मिली, अदालती मामलों के माध्यम से जमींदारों द्वारा कब्जे में ली गई हजारों एकड़ भूमि को भूमिहीनों में वितरित किया गया और पर्याप्त ऋण दिया गया तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं का विकास किया गया। इन्हीं कारणों से पश्चिम बंगाल, जोकि घाटे में चल रहा था, वह खाद्य उत्पादन के संबंध में लाभकारी राज्य बन गया। इसलिए, इस समय, पश्चिम बंगाल में नक्सली आंदोलन के लिए कोई जगह नहीं है।

मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि केवल बेहतर हथियार ही समस्या को नहीं सुलझा सकते। हम जानते हैं कि वियतनाम में क्या हुआ। एक ओर अमरीका था तो दूसरी ओर वियतनाम के गरीब लोग। अमरीका को हार माननी पड़ी। देश में बनी वस्तुओं तथा साधारण हथियारों के बल पर उन्होंने वास्तव में अमरीका को वियतनाम छोड़ने पर विवश कर दिया। इसलिए, लोगों का दिल जीतने के लिए आपको कुछ उपाय विशेषकर भूमि सुधार उपाय करने होंगे। यदि आप इन उपायों को गंभीरतापूर्वक नहीं अपनाते तो असंतोष बढ़ेगा और आप उसे रोक नहीं सकते।

अमीर और गरीब के बीच असमानता कई गुना बढ़ी है। हमारी केवल 10 से 15 प्रतिशत जनसंख्या का ही जीवन स्तर अच्छा है जबकि दूसरी ओर 80 प्रतिशत से ज्यादा लोग हैं। अमीरों और गरीबों के बीच आर्थिक असमानता को कम से कम किया जाना चाहिए। सभी राज्यों में तत्काल भू-सुधार के प्रगतिशील उपाय शुरू किए जाने चाहिएं।

साथ ही साथ अपने निवास स्थान से लोगों को बेदखल करने को तुरंत रोका जाना चाहिए। जनजातीय लोगों को उस वनभूमि से नहीं हाटना चाहिए, जिस पर वे शताब्दियों से रह रहे हैं। जनजातीय लोगों को उनकी वनभूमि से हटाए जाने के नए खतरे का सामना करना पड़ रहा है। इसे बंद किया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार को सभी राज्यों से विचार-विमर्श के बाद कम से कम यह कार्य कर लेने चाहिए। अन्यथा, यूपीए सरकार का भारत निर्माण का वादा केवल कागज पर ही रह जाएगा। सरकार को ये कार्य करने चाहिए ताकि गरीब लोग महसूस कर सकें कि वे भी आधुनिक समाज, सभ्य समाज के सदस्य हैं। अन्यथा, यह असमानता देश को विनाश की ओर ले जाएगी।

मुझे उम्मीद है कि सरकार वर्तमान स्थिति को समझेगी तथा सही दिशा में तत्काल कार्रवाई करेगी। वे अत्याधुनिक हथियार और गोला-बारूद तथा तकनीकी गजट खरीद सकते हैं। साथ ही, उसे जनहितैषी उपाय करने होंगे ताकि लोगों में फैले असंतोष को दूर किया जा सके।

इन्हीं शब्दों के साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल): सभापति महोदय, यहां जो चर्चा हो रही है, इसमें दो तरह की समस्याएं हैं—एक आतंकवाद से संबंधित है और दूसरी देश के अंदर जो नक्सलवादी या माओइस्ट मूवमेंट चल रहा है, उससे संबंधित है। इन दोनों के अलग होने के कारण निदान अलग-अलग तरह के हो सकते हैं। आदरणीय मल्होत्रा जी यहां नहीं हैं। मैं उनकी बात ध्यान से सुन रहा था। चाहे दिल्ली में बम ब्लास्ट का मामला हो, चाहे काश्मीर में होने वाली आए-दिन आतंकवादी घटनाएं हों, ये सब हमारे पड़ोसी देश द्वारा प्रायोजित हैं। इसमें वहां के लोग भी हैं और कुछ गुमराह लोग यहां के भी हैं, जिन्हें वे ट्रेनिंग देकर यहां भेजते हैं, वे शामिल होते हैं। यह एक ऐसी समस्या है, जिसे कम तो किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से इसका निराकरण संभव नहीं है। अगर कोई पड़ौसी देश यहां अशांति पैदा करने के लिए अमादा हो तो उसे कम नहीं किया जा सकता। हां, एक बार ऐसा अवसर आया था, जब हिन्दुस्तान कठोर से कठोर कदम उठा सकता था और दुनिया हमारे खिलाफ नहीं होती। वह मौका था, जब हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट पर आतंकवादियों ने हमला किया था। मुझे याद है, उस वक्त अटल जी ने सारे लीडर्स की मीटिंग प्रधानमंत्री हाउस में बुलाई थी। उस वक्त भी मैंने कहा था कि यही एकमात्र मौका है, जब आतंकवाद की जड़ को खत्म किया जा सकता है और दुनिया हमारे खिलाफ नहीं होगी, वरना आज का युग ऐसा है कि किसी मामूली से देश के खिलाफ भी हम कुछ नहीं कर सकते। इससे दुनिया का रुख बदल जाता है, वातावरण बदल जाता है। असली मौका आप चूक गये। अब दूसरों पर आरोप लगाने से कोई काम नहीं चलने वाला है। मुझे आश्चर्य हो रहा था, जब आप यह कह रहे थे कि दिल्ली में ब्लास्ट हुए तो किसी को पता नहीं चला। क्या यह सही नहीं है जो कपिल सिब्बल साहब कह रहे

थे कि हजारों वर्ग मील जमीन पर कारगिल में कब्जा हो गया और जब एक भेड़ चराने वाले ने बताया, तब आप जान पाये। आप उस वक्त सत्ता में थे। दुनिया का कोई भी अगर दूसरा मुल्क होता तो उस वक्त तो हिन्दुस्तान की सरकार थी, इस तरह की सरकार वहां होती तो एक दिन भी वहां जनता उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, उसको जबरदस्ती सत्ता से हटा देती, इतना बड़ा अपराध आपकी सरकार के जमाने में हुआ था। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतनी ज्यादा लापरवाही, इतनी ज्यादा देश की सुरक्षा के प्रति उपेक्षापूर्ण वातावरण या कार्रवाई कभी किसी देश की सरकार ने नहीं किया होगा, जो आपकी सरकार के जमाने में हुआ। जो भी घटनाएं बाद में हुई और जो अब भी हो रही हैं, अब हम हमला नहीं कर सकते—स्थिति अब ऐसी बन गई है कि अब नहीं कर सकते। लेकिन बातचीत के जरिये तनाव को कम करके स्थिति को संभाला जा सकता है और स्थिति संभली भी है। ऐसा नहीं है कि कम्पेरेटिवली आतंकवाद कम हुआ है। अभी जो थोड़ा सा कश्मीर में बढ़ा है और यहां जो हुआ है, यहां से होकर हमारे यहां अयोध्या तक पहुंच गया था, उसके लिए आपको इण्टेलीजेंस के नेटवर्क को सुधारने की जरूरत है, खास तौर से जो इलैक्ट्रानिक सर्विलेंस है, गृह मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, काफी आधुनिक उपकरण अब आ चुके हैं। अगर आप बहुत विजिलेंट हों और जब इतने बड़े पैमाने पर आतंकवादी हमारी प्रापर्टी को नष्ट करते हैं, जनहानि होती है तो अगर बहुत आधुनिक किस्म के उपकरणों को खरीदने के लिए आपको ज्यादा बजट की जरूरत हो तो उसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। यह आवश्यक है, किन्तु जो स्थिति बनती जा रही है, उसमें इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है।

दुनिया में जब से यूनीपोलर व्यवस्था की गई है, दुनिया में एक ही बड़ी ताकत हो गई है, तब से कोई चैक्स एण्ड बैलेंस वाली स्थिति नहीं रह गई। जिस पर अमेरिका ने हाथ रख दिया, वह थोड़ी सी गड़बड़ी कहीं भी कर सकता है। यह देश कराता ही है। अब अमेरिका की आप सब खिलाफत कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा समर्थक जिंदगी भर आपकी ही पार्टी अमेरिका की रही। हम लोग तो हमेशा ही कहते हैं कि यह दबाव में ही दादागिरी कर रहा है। दादागिरी करके हमारे देश की विदेश नीति में भी हस्तक्षेप करने के कारण ही अभी-अभी हम लोगों को और मार्क्सवादियों को और लैफ्ट को, सब को आन्दोलन करना पड़ा। हमारी जाने कब से जो नीति चली आ रही थी, वह एक दिन में एक झटके में उसने कहा कि आधे घंटे में जवाब दीजिए; आधे घंटे के भीतर तो हमारे साथ या हमारे खिलाफ। ईरान के खिलाफ हमारे प्रस्ताव के पक्ष में वोट देना है, आधे घण्टे के अन्दर बताइए। कोई दादा ही ऐसी धमकी दे सकता है और हमारी सरकार उस धमकी के आगे झुक गई। लेकिन हम अपनी गवर्नमेंट से भी कहना चाहते हैं कि इतना बड़ा देश दुनिया का है, दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। हमारी इतनी मैनपावर है, क्या इस तरह से दब जाओगे? कुछ क्यूबा से ही सीख लीजिए। क्यूबा अमेरिका की बिल्कुल नाक के नीचे है, एक घण्टे में मियामी से हवाना नाव से आ जाते हैं, वह तो कभी नहीं दबा। वहां मुश्किल से 1.10 करोड़ की, 1.11 करोड़ की आबादी है, उससे भी कुछ सीखना चाहिए था। हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है, हमारी परम्परा ऐसी नहीं है कि किसी के दबाव में आ जायें और झुक जायें। हमारी गवर्नमेंट की तरफ से यह काम बड़ा शर्मनाक था। एक बड़ी गलती आपने की और एक गलती की, अब पता नहीं, उस गलती को यह सरकार सुधारेगी या नहीं। लेकिन टैरेरिस्ट्स से निपटने के लिए इलैक्ट्रानिक सर्विलैंस, सीमा पर चौकसी और हर जगह अपनी इंटेलीजैंस को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस करना होगा, यही रास्ता है। अब हम किसी देश पर हमला करके उसको दुरुस्त करने की स्थिति में नहीं हैं। वह मौका हमने गंवा दिया।

जहां तक दूसरे हिस्से का सवाल है, चाहे जहानाबाद में हो, चाहे गिरिडीह में हो या किसी जगह छत्तीसगढ़ में होता है और उत्तर प्रदेश में सोनभद्र वगैरह में चन्दौली में भी हुआ, यह जो मामला है, यह और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है।

एलटीटीई वालों ने पीडब्ल्यूजी को दक्षिण में थोड़ी सी ट्रेनिंग दी थी, वे लोग ट्रैनिंग लेकर झारखण्ड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की सीमा तक आ गए। झारखण्ड से फिर बिहार तक गए। कपिल सिब्बल जी कह रहे थे कि इसमें दूरी का फर्क नहीं है, माओवादियों ने भी ट्रेनिंग दी है, नेपाल में भी ट्रेनिंग दी गई है। जायसवाल जी, हमारे गृह राज्य मंत्री, जब भी यूपी जाते हैं, उनके मुंह से जो निकलता है, बोलते हैं। उनकी सरकार का शासन है। वहां राष्ट्रपति शासन था, जहानाबाद को घेर लिया गया। पुलिस ने कोई गोली नहीं चलायी। गलती से भी एक गोली चला देते, तो हजार आदमियों में से किसी को तो छर्रे लग ही जाते। बूटा सिंह जी कह रहे हैं कि हमें जानकारी थी। अगर जानकारी थी, तो क्या इंतजाम किये गए। इस आरोप-प्रत्यारोप वाली बात पर मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि इससे कोई हल नहीं निकलने वाला है। यह देश की समस्या है। लोगों को संसद से उम्मीद है कि इसका कोई न कोई हल निकलेगा, चाहे वह कोई कानून बना कर या व्यवस्था में परिवर्तन करके निकले। हमें इसके मूल में जाना होगा कि आखिर इस तरह के आंदोलन क्यों होते हैं और क्यों लोग हथियार उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं?

मैं एक बार 'हिन्दुस्तान टाइम्स' अखबार में आर्टिकल पढ़ रहा था। यह काफी पुरानी बात है। उस समय नक्सलाइट मूवमेंट शुरू हुआ था। वह आर्टिकल किसी विद्वान आदमी ने लिखा था, जिनका नाम मैं नहीं जानता हूं। उस आर्टिकल का टाइटल था 'रूट्स आफ

[प्रो. रामगोपाल यादव]

रेवोल्यूशन', उसमें उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि संथाल परगना में परम्परा चली आ रही है कि यदि दादा ने कोई कर्ज लिया होगा तो ब्याज में उसका पोता मजदूरी करेगा। इतने बड़े-बड़े इलाके थे, जिसमें एक आदमी के पास इतनी जमीन होती थी कि उसके आस-पास दस-बीस गांव तक भूमिहीन मजदूर ही रहते थे। इस सीमा तक गड़बड़ी थी। यदि किसी भूमिहीन मजदूर के लड़के की शादी होकर आती थी तो उसकी पत्नी पहले दिन उस जमींदार के यहां जाती थी, उसके बाद ही अपने पति के पास जाती थी। एक लड़के से यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने तमंचे से जमींदार को गोली मार दी। उसने लिखा है कि एक गोली चलाने के बाद ब्याज की दर तीन सौ से घटकर 12 प्रतिशत पर आ गई। यह क्रान्ति का मार्ग है। लाखों-करोड़ों लोग इस देश में ऐसे हैं जिनके पास एक इंच जमीन भी नहीं है। हमारे सोनभद्र में हजारों-लाखों एकड़ जमीन लोग बाप-दादा के जमाने से जोतते चले आ रहे हैं और वे उस पर काबिज हैं, लेकिन वह जमीन उनकी नहीं है। अब उनके बाल-बच्चे निराश हैं। उनका भविष्य अंधकारमय है। जब भविष्य अंधकारमय है तो वे बंदूक उठा लेंगे। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि हम डॉ. लोहिया के जमाने में नारा दिया करते थे "जो धरती जोते-बोए, वही उसका मालिक होए"। अब सोनभद्र में जो लोग जमीन जोत रहे हैं, उनको जमीन दे दीजिए। उन्होंने कहा कि हम जमीन नहीं दे सकते हैं। वह जंगलात की जमीन है, इसको दिल्ली की सरकार दे दे तो हमारे यहां की समस्या खत्म हो सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि आप लोग ही इसके मालिक हो जाओ। पूरे पंचायत के चुनाव हुए, जिला पंचायत के चुनाव हुए, नक्सलवाद की घटनाएं जो सोनभद्र और चन्दौली में हो रही थीं, सब खत्म हो गईं। सभी ने पंचायत चुनावों में हिस्सा लिया। एक ने भी चुनावों का बहिष्कार नहीं किया। एक भी हिंसा की घटना नहीं हुई।

महोदय, लोगों के सामने समस्या बेरोजगारी की है, जमीन की नहीं है। उनके भविष्य में अंधकार है। पीछे देखते हैं तो लोग मजदूरी करते चले आ रहे हैं और आगे भी मजदूरी करनी है। इसका कारण है, सही तरीके से भूमि सुधार नहीं होना। आखिर क्या कारण है कि जिस नक्सलवाड़ी में आंदोलन शुरू हुआ था, वहां पर आंदोलन नहीं फैला? क्या कभी इस पर भी विचार किया गया है? यदि भूमि सुधार सही तरीके से किया जाता तो शायद यह नौबत नहीं आती। पश्चिम बंगाल में भूमि का सैटलमेन्ट सही तरीके से किया गया। जब पश्चिम बंगाल ने सही कर दिया तो वहां कोई समस्या नहीं उठ पाई। जहां सबसे ज्यादा गरीबी है, बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा निराशा है, वहीं लोगों ने हथियार उठाने का काम किया है। इसलिए मैंने दो दिन पहले या शायद कल ही कहा था कि पुलिस के बल पर आप इस तरह की मूवमैंट्स को कभी नहीं रोक सकते।

माओ-त्से-तुंग ने लिखा था कि जब क्रांति होती है तो जमीन हथियार उगलती है। अगर लोग निराश होंगे, तो उठ खड़े होंगे। आपके पास कितनी फोर्स है—कैसे रोक सकते हैं। इसलिए आपको कुछ न कुछ करना होगा। जमीन का बंटवारा कीजिए। जो इंटीरियर वाले इलाके हैं, स्वयं स्पीकर साहब छत्तीसगढ़ गए थे और कह रहे थे कि वह ऐसा इलाका है जो इनएक्सैसिबल है, जहां पहुंचा ही नहीं जा सकता। वहां आदिवासी लोग रहते हैं, न कोई स्कूल है, न कोई चीज है, न पढ़ाई-लिखाई है और न ही लोगों के पास जमीन है। वहां स्कूल खोलिए, अगर बच्चा हाथ में बंदूक की जगह कलम ले लेगा तो समस्या का समाधान हो जाएगा, उनको रोजी-रोटी मिलेगी। जमीन का बंटवारा कीजिए। उनको रोजगार देने की कोशिश करें, ट्रेनिंग देने की कोशिश करें, लोगों को मेन धारा में लाने की कोशिश करें। इसे सैंटर और स्टेट मिलकर कर सकते हैं।

आप कह रहे हैं कि संसाधनों की कमी है। जितना पैसा आपने बट्टे खाते में डाल दिया, बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने कर्ज ले लिया और दिया नहीं, जिन पॉकिट्स में आन्दोलन चल रहे हैं, अगर उतना पैसा उनके डैवलपमैंट में खर्च कर दें तो हिन्दुस्तान से पूरे नक्सलवादी, पीडब्ल्यूजी या माओइस्ट्स मूवमैंट खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर एक किसान पर दस रुपये बकाया है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है और बड़े आदमी पर अगर दस करोड़ रुपये भी बकाया हैं, तो उसे कहा जाता है कि और पैसा ले लो, बाद में दे दीजिए। इस पॉलिसी में बदलाव लाना होगा क्योंकि लोग देखते हैं कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। वे उपेक्षापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वे देख रहे हैं कि जिनके पास है, उन्हें सारी सुविधाएं हैं और जिनके पास नहीं है, उन्हें कोई सुविधा नहीं है। फिर जीवन का कोई मतलब नहीं रहता। जिसके सामने जीवन का कोई अर्थ नहीं है, वह कभी भी अपना जीवन दांव पर लगा सकता है। यही कारण है और इसे सुधारने की कोशिश करनी पड़ेगी।

यहां सरकार के लोग बैठे हुए हैं। मैंने पहले कहा था कि इंटैलीजैंस नेटवर्क ठीक करें, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलैंस और जितने भी आधुनिकतम उपकरण हैं, वे पुलिस को मुहैया करवाएं। पुलिस बल को आधुनिक हथियार देने की कोशिश करें। एक भी बंदूक ऐसी नहीं है, जो जहानाबाद की जेल में सिपाहियों के पास थी, अगर वे फायर करते तो फायर ही नहीं हो सकता। 303 की आउट-डेटेड बंदूक, जिसे वे कभी चलाते नहीं हैं, अगर उसे चलाने की कोशिश करते हैं तो मिस हो जाती है, कभी चलती नहीं है। यह स्थिति है। पुलिस बल को माडर्नाइज करने की जरूरत है, सर्विलैंस की जरूरत है।

हमने बहुत पहले कहा था कि कम्प्यूटर्स दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी लाने वाले हैं। अब अगर मैं यह कहूं तो आप कहेंगे कि यह तो दकियानूसी है, पुरानी बात कहने वाला है। कम्प्यूटर्स ने बेरोजगारी बहुत बढ़ा दी है। जहां कम्प्यूटर्स की जरूरत नहीं है, पिछड़े इलाके हैं, वहां लोगों को रोजगार मिल सकता है, वहां रोजगार देने की कोशिश करें, लेकिन आप देश के बजट का 16 फीसदी आईटी पर और एक फीसदी एग्रीकल्चर पर लगाने में लगे हुए हैं। सरकारों का सोचने, समझने और काम करने का यह जो तरीका है, अगर इसमें मूलभूत परिवर्तन नहीं लाएंगे, तो जिनती बहस कर लें, हम इसका कोई निराकरण नहीं कर सकते। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे वे आंध्र प्रदेश से लेकर झारखंड तक हों, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या दूसरे इलाके में हों, इन सारी घटनाओं की जड़ में जाकर उसके कारणों को समाप्त करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप देखेंगे कि देश के जिन हिस्सों में सम्पन्नता है, वहां ऐसी घटनाएं होती ही नहीं। एक राज्य में यदि कुछ जिले सम्पन्न हैं तो वहां इस तरह की कोई समस्या नहीं है। जहां गरीबी है वहीं यह समस्या है। गरीबी, बेरोजगारी और असली चीज है भूमि का बंटवारा। जिस दिन लोग भूमि के मालिक हो जायेंगे, उनके लड़के पढ़ना-लिखना शुरू कर देंगे तब उनका भी सपना होगा कि हमारा लड़का भी बड़ा होकर नौकरी पा सकता है, पुलिस का सिपाही बन सकता है। ...*(व्यवधान)*

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): आप सुझाव दीजिए। ...*(व्यवधान)*

प्रो. राम गोपाल यादव: मैं सुझाव ही दे रहा हूं कि जमीन का बंटवारा कीजिए। अब हम कैसे कर सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: आप बता नहीं रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

प्रो. राम गोपाल यादव: मैं बता रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: यहां सब नेता बोलते हैं। सब पार्टियों के लोग बोलते हैं। उनमें से कई लोगों का तो स्वर्गवास भी हो चुका है। लेकिन इसका इलाज क्या है? आपको बोलना चाहिए कि सारी पोलिटिकल पार्टी के नेताओं को बैठकर देश की एग्रीकल्चर लैंड को टेकओवर करके उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। जब इस पर सारे लोग कायम होंगे तब लैंड का डिक्टेटर कौन होगा? ...*(व्यवधान)*

योगी आदित्यनाथ: यही नहीं, पैसा भी जब्त होना चाहिए। नेताओं के पैसे को जब्त करके उसे भी बांटा जाये। ...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: पैसा भी जब्त होना चाहिए। आप सब बोलिये। क्या यहां भाषण देने से कुछ होगा? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रो. राम गोपाल यादव जो कह रहे हैं, उसके अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदय: मानवेन्द्र जी, आपका रिकार्ड में कुछ नहीं जा रहा है इसलिए आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

प्रो. राम गोपाल यादव: लालू जी ने जो सुझाव दिया है, हमने तो उत्तर प्रदेश में भूमि सेना बनाई हुई है। ...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: आप पूरे देश की बात कीजिए। ...*(व्यवधान)*

प्रो. राम गोपाल यादव: पूरे देश की बात तो यहां बैठे हुए लोग कर सकते हैं। पूरे देश में हर जगह यह चीज नहीं है। जिस राज्य में बहुत ज्यादा गरीबी या विषमता है वहीं ऐसा है। इसलिए वहां यह करना पड़ेगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: लाल सिंह जी, आप बैठ जाइए। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए क्योंकि आपकी कोई बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

...*(व्यवधान)*

प्रो. राम गोपाल यादव: यह बंटवारा क्यों नहीं हो सकता? आप हमें बता दीजिए, क्योंकि हमने अपने यहां इसे लागू कर दिया है। हम दिल्ली सरकार को लिखकर भेज रहे हैं कि सोनभद्र वाली जमीन हमें दे दें। उस जमीन को जो लोग जोत रहे हैं, वे ही उसके मालिक होंगे। आप इजाजत देते तो यह हो जाता लेकिन वह जमीन दिल्ली सरकार के हाथ में है। जो बंजर भूमि पड़ी हुई है, उसमें गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है। सरकार पैसा उन्हीं लोगों को देगी, जो उस जमीन को जोतेंगे, बोयेंगे। जब वे भूमि के लायक हो जायेंगे तब वे उसके मालिक हो जायेंगे। अब यह हो रहा है या नहीं? ...*(व्यवधान)* हम यह कर रहे हैं। लालू जी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह काम राज्य सरकारों को ही करना होगा। राज्य सरकारों के काम करने में अगर बाधा आयेगी तो केन्द्र को उसमें सहयोग करना होगा। यही रास्ता है। मेरा यह निवेदन है।

सभापति महोदय: अब आप कन्क्लूड कीजिए।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो. राम गोपाल यादव: इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): सभापति जी, लगभग हर सत्र में हम आतंकवाद पर सदन में बहस करते हैं। अब ऐसा लगने लगा है कि यह हर सत्र का विषय हो गया है। इसका असर न सरकार पर हो रहा है और न ही आतंकवादियों पर हो रहा है। मैं यह बड़े दुख के साथ कह रहा हूं। वैसे मेरी आज बोलने की इच्छा भी नहीं थी। खाली एक ही मुद्दा है जिसको मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार के समक्ष रखना चाहता हूं। जो दो बयान माननीय गृह मंत्री जी ने दिये, उन्होंने कुल चार बयान दिये, जिनमें से दो नक्सलवादी गतिविधियों पर उनके बयान हैं और दो बयान सीमापार आतंकवादियों के जरिये चलाई गई आतंकवादी घटनाओं के बारे में हैं। एक बयान 29 अक्तूबर को जो दिल्ली में पहाड़गंज, सरोजनी नगर मार्केट और कालकाजी में लगातार तीन बम विस्फोट, एक के बाद एक बम विस्फोट हुए, उसके संबंध में है। दूसरा बयान जम्मू-कश्मीर में जो आतंकवादी हिंसाचार हुआ, उसके संदर्भ में है। दोनों बयानों में एक समानता है जिसकी ओर मैं सरकार और इस सदन दोनों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

जो दिल्ली में बम विस्फोट हुआ, उस संबंध में गृह मंत्री जी कहते हैं कि "मामले की जांच-पड़ताल के दौरान यह पता चला है कि दिल्ली में बम-विस्फोट करने की साजिश विदेश स्थित उग्रवादी संगठन द्वारा रची गई थी।" यह गृह मंत्री जी का बयान है। उन्होंने कहा कि यह साजिश विदेश स्थित उग्रवादी संगठन द्वारा रची हुई साजशि है। जब गृह मंत्री जी इसे विदेश स्थित उग्रवादी संगठन कहते हैं तो मुझे लगता है कि यह इशारा पाकिस्तान की तरफ है। जम्मू-कश्मीर में जो आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, उसके ऊपर जो गृह मंत्री जी ने बयान दिया है, उस बयान का एक पैराग्राफ मैं आपकी इजाजत से पढ़ना चाहूंगा "राज्य में राजनैतिक सत्ता के परिवर्तन के बाद, आम तौर पर हिंसा की घटनाओं में वृद्धि होती है। इसी प्रकार की प्रवृत्ति उस समय भी देखी गई थी, जब पूर्व सरकार ने नवम्बर, 2002 में सत्ता संभाली थी। आतंकवादियों ने नवम्बर 2002 से जनवरी 2003 के बीच दुखभरी बड़ी वारदातें कीं जिनमें रघुनाथ मंदिर पर किया गया आत्मघाती हमला शामिल है"। "संकेतात्मक हिंसा में वृद्धि का दूसरा कारण यह है कि आतंकवादी गुट क्या यह सिद्ध करना चाहते हैं कि हाल के भूकम्प के बावजूद भी उनकी मारक क्षमता और आतंक फैलाने का उनका संकल्प समाप्त नहीं हुआ है। यद्यपि, सीमापार बाड़ लगाने और घुसपैठ रोकने के कारण घुसैपठियों की संख्या में कमी आई है लेकिन निश्चित रूप से घुसपैठ जारी है। सीमा के उस पार से आतंकवादी संगठनों को वित्तीय सहायता भी जारी है।" यह अलग-अलग गृह मंत्री जी के बयान हैं। वे दोनों बयान यही दर्शाते हैं कि ये आतंकवादी घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं, इन सारी आतंकवादी घटनाओं के पीछे पाकिस्तान है।

महोदय, जब यहां विजय कुमार मल्होत्रा जी अपनी बात कह रहे थे, तब उनके कहने को तोड़-मरोड़कर यहां पर रखा गया और फिर यह कहा जाए कि विजय कुमार मल्होत्रा जी सुझाव देना चाहते हैं कि हमें पाकिस्तान पर आक्रमण करना चाहिए। मैं हिन्दुस्तान के इतिहास को यहां दोहराना चाहूंगा। आप मुझसे सहमत होंगे, सारा सदन भी इस बात से सहमत होगा कि हिन्दुस्तान के इतिहास में, राजा-महाराजाओं के जमाने से भी आप अपने इतिहास को देखें तो निश्चित रूप से आप इस बात से सहमत होंगे कि हिन्दुस्तान ने आज तक कभी भी किसी पर आक्रमण नहीं किया। हमारे ऊपर आक्रमण किया मुगलों ने, हमारे ऊपर आक्रमण किया ब्रिटिशसर्स ने, हमारे ऊपर आक्रमण किया फ्रेंच लोगों ने, हमारे ऊपर आक्रमण किया पुर्तगीजों ने, कई देशों ने हमारे ऊपर आक्रमण किए। यदि हम पुराना इतिहास न दोहराएं और आजादी के बाद का इतिहास ही देखें, तो चाहे पाकिस्तान के साथ हुए चार युद्ध हों, जिनमें कारगिल भी शामिल है, या चीन के साथ हुआ हमारा युद्ध हो, इन सभी युद्धों में या तो पाकिस्तान ने हम पर आक्रमण किया है या फिर चीन ने हम पर आक्रमण किया है। कारगिल में भी पाकिस्तान ने ही आक्रमण किया था, जिस आक्रमण से हमने कारगिल को मुक्ति दी, अपनी भूमि को मुक्त कराया। इसलिए हमारा इतहिास इस बात का सबूत है कि हिन्दुस्तान ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया है और न ही इस सदन से कभी भी किसी ने कहा है कि पाकिस्तान पर हम आक्रमण करें। पाकिस्तान पर आक्रमण करने की कोई जरूरत नहीं है। हम पाकिस्तान पर आक्रमण नहीं करना चाहते हैं। हम यह नहीं मानते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान की जनता हमारी दुश्मन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के जो रूलर्स हैं, जो पाकिस्तान पर पिछले कई वर्षों से राज कर रहे हैं, वे हमेशा हिन्दुस्तान के दुश्मन रहे हैं, वे हमेशा हिन्दुस्तान के खिलाफ रहे हैं। उन्होंने हमेशा हिन्दुस्तान पर आक्रमण करने की कोशिश की है और हर आक्रमण का हमने मुकाबला धीरज के साथ किया है और हर आक्रमण को, चाहे वह पाकिस्तान का हो या चीन का हो, हमने उसे परास्त किया है। जैसा माननीय सदस्य श्री रामगोपाल यादव जी ने कहा, आज ऐसा समय आ गया है कि हम किसी पर भी आक्रमण नहीं कर सकते। आज का वातावरण इतना बदल गया है, दुनिया इतनी छोटी हो गयी है कि यदि कोई भी गलत कदम उठाता है तो सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो सकती है। आज का समय ऐसा नहीं है कि कोई अपनी बात को युद्ध के जरिये या लड़ाई के जरिये किसी के सिर पर थोप सके। लेकिन एक बात तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जब हमारी राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा की बात

आती है, देश की सुरक्षा की बात आती है, तब हमें किसी भी तरह राष्ट्र की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। हमारी सीमाओं की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए, हमारी सीमा की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हमें आक्रमण करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें ऐसी मानसिकता बनाने की आवश्यकता है कि चाहे सरकार किसी की भी हो, देश की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। मैं आपके सामने एक उदाहरण देना चाहूंगा—जब हम सरकार में थे, माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, जब आतंकवाद बढ़ा और आतंकवाद को खत्म करने के लिए अटल जी ने यह घोषणा की कि हम जम्मू-कश्मीर में अपनी सीमाओं के आस-पास स्थित जितने भी आतंकवादी हैं, उनकी कॉम्बिंग करके, उनको ढूंढकर खत्म किया जाएगा। जब उनकी और उनको खत्म करने का ऑपरेशन शुरू हुआ और इस ऑपरेशन के समय ही रमजान का महीना आ गया, तब अटल जी ने एकतरफा सीजफायर घोषित किया और कहा कि रमजान के महीने में हम हथियार नहीं चलाएंगे। जब इस बात पर सदन में चर्चा हुई, उस समय हमने इस कदम का विरोध किया था। हमने इसलिए विरोध नहीं किया था कि रमजान से हमारा कोई विरोध है। चाहे इस्लाम धर्म हो या कोई अन्य धर्म, अगर वे अपने त्यौहार मनाते हैं तो उससे हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन रमजान के नाम पर सीजफायर की घोषणा की गयी और उसी समय रमजान के महीने में सबसे ज्यादा खून की नदियां आतंकवादियों ने बहाई। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने रमजान का सम्मान किया, ऑनर दिया, लेकिन आतंकवादियों का न कोई धर्म है, न मजहब है और न ही कोई त्यौहार है। उनके दिमाग में तो सिर्फ खून सवार है। इसलिए रमजान के महीने में भी उन्होंने खून की नदियां बहाई। जवान मारे गए, सिविलियन मारे गए, बूढ़े और बच्चे मारे गए। तब भी हमने सरकार में होते हुए विरोध किया था और कहा था कि आतंकवादी मानवता नहीं समझते हैं। आतंकवादी हर दिन मानवता की हत्या कर रहे हैं और हम मानवता की बातें कर रहे हैं। जो आतंकवाद कल तक जम्मू-कश्मीर तक सीमित था, आज वह देश के कोने-कोने में फैल गया है। हर राज्य में बम विस्फोट हो रहे हैं और कोई बड़ा शहर नहीं बचा है, इसलिए यह विषय मानवता का नहीं है। आतंकवादियों को उनके ही तरीके से जवाब देने की आवश्यकता है। इसलिए सरकार को इस तरह की मानसिकता बनाने की जरूरत है, भले ही वह सरकार एनडीए की हो, यूपीए की हो या किसी भी राजनीतिक दल की हो। सरकार को इस निर्णय पर आने और आतंकवादियों के खिलाफ कठोरता अपनाने की आवश्यकता है। यह संदेश आतंकवादियों को देने की आवश्यकता है कि भारत की सरकार आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगी। इस मानसिकता को हम कैसे आतंकवादियों तक पहुंचा सकते हैं, उसके लिए एक ही उपाय है कि हमें सख्त कानून की आवश्यकता है।

जब लोक सभा में पोटा बिल पारित हुआ, तो राज्य सभा में वह पास नहीं हो सका। उसके बाद संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाकर पोटा बिल पास कराया गया। मैं इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूं, क्योंकि जब गृह मंत्री जी बयान देते हैं कि हर हमले में पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, तो उसका मुकाबला करने के लिए पोटा जैसा कानून आवश्यक है।

हाल ही में कश्मीर इलाके में भूकम्प आया। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 30,000 से ज्यादा लोग मारे गए। उस समय सबसे पहले हमारी सेना ने पाकिस्तान से यह इजाजत मांगी कि हम आपका सहयोग करना चाहते हैं, हम जीवितों को बचाना चाहते हैं और लाशों को ढोना चाहते हैं, आप हमें यहां आने दें। लेकिन मुशर्रफ साहब ने हमारे हैलिकॉप्टर को वहां उतरने की इजाजत नहीं दी। वह हमसे मदद तो चाहते हैं धन के रूप में या अनाज के रूप में, लेकिन हमारे सिपाही वहां नहीं आने देना चाहते। इसका क्या कारण था, यह हमें मालूम नहीं है। कुछ समय बाद कश्मीर में कुछ जगहों पर सीमाएं खोली गई। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि मानवता के नाते वहां भी हम हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वहां के रूलर्स इस बात को नहीं मानते।

सभापति महोदय, मैं विषय से अलग नहीं बोल रहा हूं। मैं सिर्फ दो-तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को कड़ा रुख अपनाने की मानसिकता बनानी चाहिए। उसके लिए कड़े कानून की आवश्यकता है। इन्हें हम आगे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लड़ाई नहीं चाहते, आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन एक कानून तो बनाया जा सकता है। जो ऐसा पोटा कानून था, उसे आपने समाप्त कर दिया। पोटा किसके खिलाफ था, जब हमारी संसद पर हमला हुआ, उसके बाद बहस हुई, तब भी मैने यह कहा था कि जो पांच पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए हैं, वे हमारी संसद में कैसे आए। किन लोगों ने उन्हें पनाह दी। ...*(व्यवधान)* मान लो कि इंटैलिजेंस फैल्योर था लेकिन यह किन लोगों के जरिये हुआ। ये कोई हवा में से नहीं टपके। ये हमारी धरती से ही दिल्ली पहुंचे, किसी के मकान में रहे और वर्षों तक रहे। किन लोगों ने इन्हें पनाह दी? क्या वे भी सारी घटना के जिम्मेदार नहीं हैं, क्या वे लोग भी उतने ही दोषी नहीं है? लेकिन क्या हम ऐसे लोगों को सजा दे सकते हैं, क्या उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं जिन्होंने इन्हें धन दिया, रहने के लिए मकान दिया, घूमने के लिए गाड़ियां दीं और आरडीएक्स लाने में मदद की। मदद करने वाले सारे भारतीय थे। पाकिस्तान के तो केवल पांच ही लोग थे, बाकी मदद करने वाले सारे भारतीय थे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कार्रवाई आप उनके ऊपर कर रहे हैं? उनके मन में आपका क्या डर है? मुम्बई में बम विस्फोट हुआ, लेकिन विस्फोट करने वालों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। हिंदुस्तान

[श्री अनंत गंगाराम गीते]
की सरकार का उनको बिल्कुल भी डर नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि उनके मन में सरकार का डर होना चाहिए लेकिन डर तभी होता है जब कानून सख्त होता है।

आप दुबई में चोरी नहीं कर सकते हैं क्योंकि डर है कि चोरी करने पर हाथ काट दिये जायेंगे। दुबई में महिला की तरफ बुरी नजर से नहीं देख सकते हैं क्योंकि सबके सामने गोली मार दी जाएगी। वहां पर सरकार का डर है, कानून का डर है लेकिन वह हिम्मत भी हमारी सरकार में नहीं है। एक सरकार सख्ती बरतती है दूसरी सरकार उस सख्ती को खत्म कर देती है। इससे आतंकवादियों को क्या मैसेज जा रहा है। इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा): आपकी सरकार को क्या डर था?

श्री अनंत गंगाराम गीते: मैंने तो अपनी सरकार की भी बात की है। मैं किसी सरकार के समर्थन में नहीं कह रहा हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री अनंत गीते के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री अनंत गंगाराम गीते: अगर सरकार का डर नहीं होगा तो आतंकवादी हमसे क्यों डरेंगे। जब सरकार से, कानून से उनको कोई खतरा नहीं है तो वे सरकार से क्यों डरेंगे। मेरा कहना यह है कि जब तक सरकार की ओर से कड़े कानून नहीं बनाए जाएंगे और सरकार अपनी मानसिकता का सबूत नहीं देगी और यह साबित नहीं करेगी कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ डटकर लड़ेगी, तब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा। पाकिस्तान पर हमले करने की हमें जरूरत नहीं है बल्कि हमें जरूरत है कि सरकार अपनी दृढ़ मानसिकता का परिचय दे कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री गणेश प्रसाद सिंह (जहानाबाद): सभापति जी, आज नियम 193 के तहत गंभीर एवं संवेदनशील विषय पर इस सदन में बहस हो रही है। महोदय, हमारे गृह राज्य मंत्री जी ने सभा पटल पर जो अपना बयान प्रस्तुत किया है, उसको पढ़ने का मौका मुझे मिला।

महोदय, 18 अक्तूबर को जम्मू-कश्मीर में, 29 अक्तूबर को दिल्ली में, 11 नवम्बर को झारखंड में गिरिडीह के होमगार्ड पुलिस लाइन में और 13 नवम्बर को बिहार के जहानाबाद पुलिस लाइन एवं जेल पर हमले की चर्चा हो रही है। हम जहानाबाद क्षेत्र से निर्वाचित होकर आते हैं। ये घटनाएं कोई शुरुआत नहीं हैं बल्कि इस प्रकार की घटनाएं अतीत में, पहले भी घटित होती रही हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

परंतु इन घटनाओं को रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमारी सरकार क्या कर रही है? हमारा प्रशासन क्या कर रहा है? हम जो सदन में बैठे हुए लोग हैं, क्या घटना घटने के बाद महज उस पर चर्चा करने के बाद सो जाते हैं या हम आपसी सहमति से इन घटनाओं को रोकने में जैसे हमारे देश की सुरक्षा पर आक्रमण होता है, देश पर आक्रमण होता है, तो उसकी सुरक्षा के लिए हम सब मिल कर दलगत भावना से ऊपर उठकर काम करते हैं और आज संकट की घड़ी में लगातार एक के बाद एक ऐसी दर्दनाक घटनाएं हो रही हैं, उन्हें रोकने के लिए आम सहमति की आवश्यकता है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, एनडीए के माननीय सदस्य बोल रहे थे और रचनातमक सुझाव देने के बजाए प्रधानमंत्री जी पर छींटाकाशी एवं उनकी आलोचना कर रहे थे, लेकिन उनके अपने कार्यकाल का स्मरण करना होगा, इस संसद में हमला होने वाला था, हमारे जो बहादुर प्रहरी संसद में थे उनकी बहादुरी के कारण उनकी सतर्कता के कारण यह संसद बची और संसद के लोग बचे, आज अगर वे आलोचना करें तो मैं कहूंगा कि आलोचना से काम चलने वाला नहीं है।

दिल्ली में जो घटनाएं घटी थीं, उनमें काफी लोग मारे गए थे। घटनाएं ऐसी जगहों पर एक साथ घटीं, जहां काफी भीड़-भाड़ थी, इसी प्रकार से आगे की घटनाएं भी हुई। इन घटनाओं के संबंध में कहा गया कि इनमें बाहरी आतंकवादियों का हाथ है। हमारे सामने झारखंड और बिहार की घटनाएं हैं। उसमें जो आतंकवादी हैं उनके संबंध में कहा जा रहा है कि वहां पर पीडब्ल्युजी और माओवादी लोग हैं। ये कहां के लोग हैं, क्या सरकार ने पता लगाने की कोशिश की? ये माओवादी आंध्र प्रदेश से सक्रियता शुरू करते हैं, उड़ीसा में आते हैं, छत्तीसगढ़ में आते हैं, झारखंड में आते हैं, बिहार में आते हैं, ये सभी नेपाल से क्रास करते हैं।

बिहार होकर झारखंड सहित तमाम इलाकों में ये विचरण करते हैं और फिर घटना को अंजाम देने का काम करते हैं। लेकिन हमारा भी कोई दायित्व है, शासन और प्रशासन का कोई दायित्व है, खासतौर पर जहानाबाद की घटना के बारे में मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। गृह मंत्री जी ने अपने बयान में कहा है कि तीन-चार सौ आतंकवादी जहानाबाद में प्रवेश कर गए। महोदय, यह सच्चाई नहीं है। मैं उस क्षेत्र का रहने वाला हूं और घटना के दिन सुबह मैं वहां पहुंचा, वहां के प्रत्यक्षदर्शी नागरिकों ने बताया कि जहानाबाद शहर पर साढ़े 7 बजे से 8 बजे तक पूरी तरह से आतंकवादियों का कब्जा हो गया था और उनकी संख्या तीन-चार सौ नहीं, बल्कि 2 हजार थी, जो हथियारों से लैस थे, राइफलों से लैस थे, बमों से भी लैस थे। वे आतंकवादी सीधे-सीधे सरकार और पुलिस प्रशासन को चुनौती दे रहे थे। वे जीप में बैठकर माइक से प्रचार कर रहे थे कि यदि कोई आदमी सड़क पर बाहर निकला, तो उसे बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा, उसे गोलियों से भून दिया जाएगा, बम से उड़ा दिया जाएगा। मैंने वहां देखा है, ऐसी मुख्य सड़क पर जहां कचहरी चौक है, जहां न्यायालय है, उस चौक पर बहुत बड़ा बम रखा हुआ है। वह भीड़ का इलाका है, लोग आवागमन कर रहे हैं। उससे आगे मुख्य सड़क पर भी बम रखा हुआ था, पुलिस लाइन के आगे बम रखा हुआ था, इन सारी जगहों पर कैसे लोग पहुंचे? पब्लिक के डर से, उनके आह्वान से, उनकी घोषणा से लोग नहीं निकल पाए, लेकिन पुलिस क्या कर रही थी? ऐसा कहा गया कि पुलिस बहादुरी के साथ लड़ी। महोदय, आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि जहानाबाद जैसी जगह में यह कोई नयी घटना नहीं है। उसी जहानाबाद में आपको स्मरण होगा कि बाथे कांड हुआ, उसी जाहनाबाद में सिनारी हुआ, उसी जहानाबाद में मियांपुर हुआ, उसी जहानाबाद में नौन्ही और नगवां हुआ, उसी जहानाबाद में परसविघहा और डोहिया कांड भी हुआ है। ऐसे संवेदनशील इलाके से मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि देश में शासन केन्द्र सरकार का है या चुनाव आयोग का शासन है? सच्चाई है कि पूरी की पूरी पुलिस को दूसरी जगह चुनाव में लगा दिया गया था। नक्सली ताक में थे। वे खोज कर रहे थे कि वहां की क्या स्थिति है क्योंकि जहानाबाद जेल में उनके दल के बड़े नेता बंद थे। उन्होंने मौका पाकर सारी स्थिति की जानकारी ले ली कि वहां पुलिस बल नहीं है। ऐसी स्थिति में उन्होंने एक साथ हमला करने का काम किया। सच्चाई जानने की जरूरत है। खुद बिहार के मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी तीनों ने स्वीकार किया है कि उन्हें इस घटना की जानकारी पहले से थी। ऐसी जानकारी 2-3 दिन पहले से नहीं बल्कि 4-5 माह से थी कि जहानाबाद के कई प्रमुख जगहों में आतंकवादियों द्वारा पुलिस लाइन और सरकारी भवन पर हमला हो सकता है। इतना असतर्कता क्यों बरती गई? वहां से पुलिस बल क्यों हटाया गया? यह एक जांच का विषय है। गृह मंत्री यहां नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि इस मामले की जांच होनी चाहिए कि वाकई वहां कितनी पुलिस थी? मैं रिपोर्ट में लिखी गलत बात बताना चाहता हूं। वहां मात्र आठ पुलिस वाले थे। वहां 6 महीने के पहले से ऐसी स्थिति थी तो सतर्कता क्यों नहीं बरती गई? आप पुलिस लाइन को देखेंगे तो पता लगेगा कि उसकी सुरक्षा का कोई प्रंबध नहीं था। वहां चार दीवारी भी नहीं थी। वहां ऊपर कहीं भाले और कांटे नहीं लगे थे। अभी कुछ दिन पहले वहां हल्के-फुल्के कांटों को लगाया गया है जिसमें कोई भी व्यक्ति आसानी से अंदर घुस सकता है। उस पुलिस लाइन में भारी शस्त्र रखे थे। वहां मैंगजीन और शस्त्रागार थे। संयोग से वहां से कोई सामान लूटा नहीं जा सका।

इसी तरह जेल की बात है। ऐसी जगह जेल स्थित है जिसके आसपास कोई सुरक्षा का प्रंबध नहीं है। बरसों से बात हो रही है कि जेल को और कहीं शिफ्ट किया जाए और उसे सुदृढ़ व मजबूत बनाया जाए। सुरक्षा की दृष्टि से इसकी शेप को बदला जाए लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। जेल की यह स्थिति है कि वहां 15-16 फीट की दो कच्चे बांस की सीढ़ियां थीं। उस सीढ़ी से नक्सलवादी अन्दर घुस गए। जेल के अन्दर सिपाही आठ की संख्या में थे। उनके पास हथियार ज्यादा थे। सारे के सारे हथियार नक्सलियों ने लूट लिए। उन्होंने कैदियों को धमका कर और भय पैदा करके भगाने का काम किया। उसी जेल में अजय कानू बंद था। बिहार के सभी लोग जानते हैं कि अजय कानू पीडब्ल्यूजी का और माओवादियों का मुख्य नेता है। मकसद उसी अजय कानू को छुड़ाने का था। वे लोग ये सब करने के बाद रफू-चक्कर हो गए। ऐसी घटना के बाद पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल होती तो जरूर उनका पीछा करती और उन आतंकवादियों को चेज करती। यह नौ बजे की घटना है। रात भर कोई किसी की सुध लेने वाला नहीं था। वहां लोग किस हालत में थे, कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं था। यह बहुत दूर की बात रही। यदि उनका आंधे घंटे, एक घंटे या दो घंटे के बाद भी पीछा करते तो 2-4-5 किलोमीटर के अन्दर इतनी भारी संख्या में नक्सली लोग पकड़े जाते लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिर, इसके पीछे क्या कारण हैं? कारण बहुत बड़ा है। उस इलाके में रणबीर सेना भी है, उस इलाके में भूमि सेना भी है। इन सेनाओं और माओवादी संगठनों का आपस में हमेशा टकराव होता रहता है। जब किसी तरफ से निदोष व्यक्ति को कोई मारता है तो उस पर प्रतिक्रिया होती है और बदला लेने की भावना से वे एक-दूसरे को मारते हैं। वे चार को मारते हैं तो दूसरा दो को मारता है और यही चलता रहता है। वहां बहुत सतर्कता से काम लिया जाना चाहिए क्योंकि उसी जेल में रणवीर सेना के लोग भी हैं, उसी जेल में माओवादी लोग भी हैं। इसी तरह से एक ही जगह दोनों तरफ

[श्री अनंत गंगाराम गीते]

के लोग हैं। तब वहां दोनों तरफ के लोग जेल में दरबार लगाते थे और दोनों के समर्थक जेल में जाते थे। वे लोग इस स्थिति से अवगत थे और ऐसी घटना घट गई। क्या इससे ज्यादा दर्दनाक घटना हो सकती है? क्या इससे बड़ी घटना हो सकती है? झारखंड में घटना हुई, झारखंड में भी पुलिस लाईन को लूट लिया गया। पुलिस लाईन के प्रशिक्षण केन्द्र में इतने हथियारों के रहते, इतने पुलिस बल के रहते उसे क्यों लूट लिया गया? ये झारखंड की बात कह रहे हैं। जब से झारखंड बना है, बी.जे.पी. की सरकार बनी है, झारखंड में उग्रवाद और बढ़ गया है। ये बिहार की बात कहते हैं। मैं मानता हूं कि वहां की सरकार विफल रही है, प्रशासन विफल रहा है जबकि वहां राष्ट्रपति शासन था। इस तरह से कैसे काम चलेगा? जबकि आपकी पुलिस लाईन लूटी जा रही है, सरकारी भवन लूटा जा रहा है। पुलिसकर्मियों को मारा जा रहा है तो आम नागरिक की रक्षा कैसे कर सकते हैं? आज भी झारखंड और बिहार के उन इलाकों में भय का वातावरण है। यह कोई नई घटना नहीं है। आपको स्मरण होगा इससे पहले भी मोतीहारी जिले के मधुबनी इलाके में 23 जून को भयंकर घटना घटी। वहां एक ही बार में सात स्थानों को लूटा गया। वहां की पुलिस लाईन, थाने और चौकियों पर ही नहीं यहां तक कि माननीय सदस्य श्री सीताराम सिंह के आवास पर भी हमला हुआ। लेकिन कहां कोई आतंकवादी पकड़ा गया? गलत रिपोर्ट दी गई कि आतंकवादी को पकड़ लिया गया। लेकिन जो वास्तव में आतंकवादी हैं, जिन्होंने आतंक फैलाया है, जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है, ऐसे लोगों को पकड़ा नहीं जाता है।

मैं कहना चाहता हूं कि आखिर ये सब बातें और आतंकवादी घटनाएं दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, बिहार, झारखंड और आंध्र प्रदेश में ही नहीं बल्कि धीरे-धीरे पूरे हिन्दुस्तान में बढ़ गई हैं। हम पहले सुनते थे कि आजादी के तीसरे दशक में बंगाल के नोआखली से आतंकवादियों का जन्म हुआ। उसके बाद वे लोग आगे बढ़े लेकिन आज वहां यानि बंगाल में आतंकवादी नाम की कोई चीज नहीं है। हमें इस बात की भी जानकारी लेनी पड़ेगी और उसका उपाय ढूंढ़ना पड़ेगा। मेरे विचार से जिस तरह से आतंकवादी किसी घटना को अंजाम देने के लिए दृढ़संकल्पित होते हैं उसी तरह से सरकार को संकल्प लेना चाहिए कि दृढ़ता के साथ आतंकवादियों को समाप्त करेंगे और जो आतंकवाद में विश्वास रखने वाले हैं, जो हिंसा में विश्वास रखने वाले हैं, उनका खात्मा करेंगे।

मेरा विचार और सुझाव है कि जो प्रशासनिक तंत्र है, इस प्रशासनिक तंत्र को भी सुदृढ़ करना पड़ेगा। ऐसे इलाकों में ईमानदार, कर्मठ और सुयोग्य पुलिस पदाधिकारियों को नियुक्त करना पड़ेगा जो पारदर्शिता ला सकें। इसके साथ मैं यह कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं कि पूरे देश में जो आतंकवाद फैल रहा है कहीं न कहीं उसकी वजह सामाजिक और आर्थिक कारण भी है। आर्थिक कारण यह है कि जिनके पास पैसा है, उनके पास काफी पैसा है और जिनके पास जमीन है, उनके पास काफी जमीन है लेकिन जो गरीब लोग हैं, वे भूखे मर रहे हैं। उन्हें कोई भी देखने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो सीलिंग एक्ट बना हुआ है, उस सीलिंग एक्ट को तीव्रता से, कारगर ढंग से और कठोरता से लागू करने की जरूरत है।

दूसरी बात यह है कि विकास की बात कही जाती है। हमारी सरकार भी कहती है कि इतने हजार करोड़ रुपये और इतने लाख करोड़ रुपये हमने भेजे हैं। किस के लिए भेजे और कहां पहुंचे? आपने गरीबों के लिए भेजे थे ताकि उन गरीबों को उसका लाभ मिल सके लेकिन पहुंचे नहीं—इसकी भी जांच होनी चाहिए।

सभापति महोदय, हमें उन गरीबों को शिक्षित करना होगा, उनके टोले में विद्यालय खोलना होगा, उनके गावों में पेयजल की व्यवस्था करनी होगी, उनके टोले में आनेजाने के लिए सड़क की व्यवस्था करनी होगी। अगर ऐसे कामों में सरकार और विपक्ष सभी लोग सहमति करेंगे तो इनफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना पड़ेगा। नेपाल से आंध्र प्रदेश तक कोई बॉर्डर रोड नहीं है झारखंड से बिहार, उड़ीसा से झारखंड और आंध्र प्रदेश से झारखंड तक कोई बार्डर रोड नहीं है। ऐसे स्थानों पर क्रॉस करना और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने के लिए आसानी होती है। ऐसी जगहों पर बॉर्डर रोड बनानी पड़ेगी और उसकी निगरानी करनी पड़ेगी। यह सब को मालूम है कि किसी भी घटना को तभी रोका जा सकता है जब उस घटना का पूर्वाभास होगा। हमारी खुफियातंत्र को अत्याधुनिक हथियारों से लैस करना पड़ेगा, पुलिस प्रशासन को भी अत्याधुनिक संयंत्र एवम् हथियारों से लैस करना होगा।

सभापति महोदय, आज थानों की क्या स्थिति है? उनके पास अपना भवन नहीं है, अपना फोन नहीं है, अगर है भी तो फोन बिल न अदा कर पाने की हालत में फोन कटा रहता है। इसके अलावा पुलिस स्टेशन पर अपनी जीप तक नहीं होती है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए ऐसी जगहों पर फंडिंग की जरूरत है। सरकार सम विकास योजनाओं की समीक्षा करेगी लेकिन कहीं काम नहीं हो रहा है। इसलिए ऐसी जगहों पर विशेष फंड्स देकर गरीबों के साथ न्याय करने की जरूरत है। अगर उनके साथ न्याय होगा तो उनका झुकाव आतंकवादियों की तरफ नहीं होगा और वे उनके बहकावे में नहीं आ सकते।

[अनुवाद]

*डा. रतन सिंह अजनाला (तरनतारन): सभापति महोदय, आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

*मूलत: पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

सभापति महोदय: क्या आपने पंजाबी में बोलने का नोटिस दिया है।

डा. रतन सिंह अजनाला: मैंने नोटिस दिया है।

सभापति महोदय: हमें अनुवाद की व्यवस्था करनी होगी।

डा. रतन सिंह अजनाला: मैंने नोटिस दिया है। इन हिंसक आन्दोलनों के क्या कारण हैं? गरीबी, अशिक्षा और सरकार द्वारा लोगों के साथ किये अन्याय के कारण आतंकवाद में बढ़ोत्तरी हुई है।

अपराह्न 5.23 बजे

[**श्री वरकला राधाकृष्णन** *पीठासीन* हुए]

सभापति महोदय, पंजाब में कांग्रेस सरकार द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा दिया गया था। पंजाब में 1978 के आसपास आतंकवाद की शुरुआत हुई और आतंकवादी गतिविधियों में हजारों लोग मारे गए और तो और आतंकवादियों ने हमारी पार्टी के अध्यक्ष की हत्या कर दी थी। राजीव गांधी और संत लोगोंवाल के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे लेकिन इसे क्रियान्वित नहीं किया गया। इस समझौते को क्रियान्वित न किये जाने के कारण आतंकवादियों की संख्या में और वृद्धि हुई। इसके कारण पंजाब को बहुत नुकसान झेलना पड़ा। इस समय आतंकवाद एक ऐसी बला है जिसका सामना न केवल भारत को अपितु पूरे विश्व को करना पड़ रहा है। पूर्व में अमरीका और सोवियत संघ दो महाशक्तियां थी ये दोनों महाशक्तियां पूरे विश्व पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थी। अमरीका ने अफगानिस्तान में लादेन जैसे आतंकवादियों को प्रशिक्षित किया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब ये आतंकवादी फ्रैंकनस्टिन दैत्य की तरह अमरीका के विरुद्ध हो गए। तभी अमरीका ने महसूस किया कि आतंकवाद एक बुराई है। पंजाब में उस समय बेरोजगारी, गरीबी और अशिक्षा थी। युवाओं को बरगला कर उनके हाथों में बंदूक थमा दी गई। पाकिस्तान की खुफिया एजेन्सी आईएसआई ने बहती गंगा में हाथ धोते हुए आतंकवादियों को प्रशिक्षित किया। इसके परिणामस्वरूप पंजाब को नुकसान उठाना पड़ा। जम्मू और कश्मीर में भी आतंकवाद ने अपना सिर उठाया है। राज्य में 1947 से ही समस्या बनी हुई है। हजारों युवा आतंकवाद का शिकार बने। हजारों लोग विस्थापित हुए और इन्हें जम्मू और कश्मीर से पलायन करना पड़ा है।

सभापति महोदय, इस समय भी केन्द्र सरकार को आतंकवाद की बुराई को समाप्त करने के लिए अपनी भूमिका निभानी चाहिए। सरकार को यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अशिक्षा को समाप्त किया जाना चाहिए। पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता है। विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हुए हैं। इसके कारण विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अब बच्चे अशिक्षित और निरक्षर होंगे तो वे बंदूक थाम लेंगे। पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में भूमिहीन कृषि कामगारों को अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वे खेतों में हल जोत रहे हैं लेकिन उनके पास भूमि का मालिकाना हक नहीं है। गरीब लोग चाहते हैं कि जिस भूमि को वह जोत रहे हैं वह उनकी होनी चाहिए। यह तभी संभव होगा जब केन्द्र सरकार यह कानून पारित करे कि जो भूमि को जोतेगा भूमि उसी की होगी। तभी भूमिहीन कृषि कामगारों को इसका लाभ हो सकता है। सभापति महोदय, बेरोजगारी एक अन्य समस्या है। पूर्व में पंजाब के युवाओं को सेना में भर्ती किया जाता था। लेकिन बाद में केन्द्र सरकार ने एक कानून पारित किया जिसके माध्यम से सेना में पंजाबी युवाओं की भर्ती को 2 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया। हमें भेदभाव करने वाले ऐसे नियमों को समाप्त कर देना चाहिए। शारीरिक रूप से सक्षम ऐसे युवाओं को सेना में भर्ती किया जाना चाहिए। इससे बेरोजगारी को कम किया जा सकता है।

महोदय, मैं इस संकल्पना से पूरी तरह से सहमत हूं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत में अमीर और गरीब के बीच की खाई में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं जबकि गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। जब तक हम अमीर और गरीब के बीच की इस खाई को नहीं पाटेंगे तब तक हम आतंकवाद और नक्सलवाद की बुराई को समाप्त नहीं कर सकेंगे। महोदय, समय की यही मांग हैं कि अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटा जाए। जब तक हम गरीब किसानों और मजदूरों के लिए कोई ठोस काम नहीं करेंगे तब तक हम आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त नहीं कर सकेंगे। नक्सलवादी आन्दोलनों को बंदूक से समाप्त नहीं किया जा सकता। हमें उन समस्याओं और कारणों को समाप्त करना चाहिए जिसके कारण इन आंदोलनों की उत्पत्ति होती है। जब तक हम इन आन्दोलनों की जड़ों को समाप्त नहीं करेंगे तब तक हम इन हिंसक आन्दोलनों को समाप्त नहीं कर सकेंगे। महोदय, हम सभी को मिलकर ऐसे क्षेत्रों के गरीब लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए जहां पर आतंकवाद और नक्सलवाद ने अपने पैर जमा रखे हैं। हमें अपनी कमांड के सभी संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। तभी हम इन आन्दोलनों को नियंत्रित करने की आशा कर सकते हैं। कठोर कानून भी बनाए जाने चाहिए। पूर्व की एनडीए सरकार ने पोटा कानून बनाया था लेकिन यह दु:ख की बात है कि कांग्रेस सरकार ने इसे समाप्त कर दिया। लेकिन हमें समय-समय पर कठोर रुख भी अपनाना चाहिए जो कोई बेतुकी हिंसा फैलाता है उससे सख्ती से निपटना चाहिए।

[डा. रतन सिंह अजनाला]

महोदय, भारत के लोग और भारत सरकार, पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाना चाहती है। लेकिन पाकिस्तान में सत्ता पर काबिज लोग भारत विरोधी हैं। वे द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर नहीं बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान और भारत में हाल ही में आए भूकम्प में जानमाल का नुकसान हुआ है। भारत विभिन्न प्रकार से पाकिस्तान की मदद करना चाहता था लेकिन पाकिस्तान ने भारत से मदद लेने से इंकार कर दिया। अब जम्मू और कश्मीर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विभिन्न स्थान खोले गए हैं। इसलिए सभापति महोदय, हमें इन राष्ट्र विरोधी ताकतों से सख्ती से निपटना चाहिए।

महोदय, बिहार में नक्सलियों ने कस्बों और जहानाबाद जेल पर आक्रमण किया था। इसके क्या कारण हैं? गरीब लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। पुलिस बलों को आधुनिक हथियार उपलब्ध कराकर उन्हें सुदृढ़ बनाना चाहिए। खुफिया सूचनाओं को भी सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है। हमें चुनाव के दौरान केवल मत प्राप्त करने के लिए ही ऐसे अतिवादी तत्वों को समर्थन और प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। हम केवल तभी इन समस्याओं को इनके आरंभिक चरण में समाप्त कर सकते हैं।

सभापति महोदय, पंजाब में 1991 के चुनावों के दौरान आतंकवाद की समस्या विद्यमान थी। उस समय आतंकवादियों द्वारा हमारी पार्टी के 27 सदस्य मारे गए थे और तब चुनाव रद्द कर दिये गये थे। जनवरी 1992 में जब पुन: चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी का एक भी सदस्य नहीं मारा गया था। उस समय चीजें नियंत्रण में थी। इसलिए हमें केन्द्र अथवा राज्यों में मात्र सत्ता की खातिर आतंकवादियों से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। हमें दूसरी पार्टी के सदस्यों की जान की बदौलत चुनाव नहीं जीतने चाहिए। हमें एकजुट होकर देश के लिए खतरा पैदा करने वाली ताकतों से संघर्ष करना चाहिए। हमें इस मुद्दे को न केवल पाकिस्तान के साथ अपितु नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ भी उठाना चाहिए। हमें इन ताकतों पर विजय पाने और इन समस्याओं के समाधान के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है।

सभापति महोदय: श्री भर्तृहरि महताब, आप केवल दस मिनट तक बोलें।

श्री भर्तृहरि महताब: सभापति महोदय, मैं इस सभा में दिये गये चार विशिष्ट मुद्दों अथवा घटनाओं से संबंधित वक्तव्य पर चर्चा करूंगा।

पहला मुद्दा 29 अक्तूबर की शाम को दिल्ली में हुए बम विस्फोट से संबंधित है। वास्तव में उस दिन तीन बम विस्फोट किये गये थे। दूसरा मुद्दा आतंकवादी गतिविधियों से संबधित है जो जम्मू और कश्मीर में सत्ता परिवर्तन के बाद बढ़ गई हैं। तीसरा मुद्दा पीपुल्स वार ग्रुप अथवा सीपीआई (माओवादी) की हिंसा से संबंधित है जो कि देश के विभिन्न भागों में अपने हाथ फैला रही है। परन्तु मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आतंकवादी गतिविधि का एक अन्य प्रमुख केन्द्र पूर्वोत्तर क्षेत्र है। मेरे विचार से यह सभा आने वाले समय में शीतकालीन सत्र में इस पर विचार करेगी। चर्चा करते समय हमें पूरे देश को एक साथ लेकर चलना होगा और देखना होगा कि हमारे देश में किस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं। यह सब बातों पर इस सम्माननीय सभा में विशेष रूप से चर्चा की जानी चाहिए। निश्चित रूप से सभा ने अपनी बुद्धिमता से आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित इन तीन प्रमुख मुद्दों को उठाया है। मैं इन तीनों घटनाओं को तीन अलग-अलग तरीके से देखता हूं। पहली घटना दिल्ली में बम विस्फोट की घटना है। यह एक आंतकवादी गतिविधि भी है। यह सर्वाधिक जघन्य आतंकवादी गतिविधि है जो किसी में भेदभाव नहीं करती और जिसका लक्ष्य धर्म, विश्वास, मत, रंग और जाति का भेदभाव किए बिना लोगों के बड़े समूह को हताहत करना है। यहां, आतंकवादियों का मकसद आतंक और भय फैलाकर समाज में अशांति फैलना है। यह एक प्रकार की आतंकवादी गतिविध है जो की जा रही है। एक समय में यह समूह गोली चलाने में विश्वास रखता था और व्यक्ति विशेष को निशाना बनाता था। जैसाकि मुझसे पूर्व वक्ता ने बताया कि व्यक्तियों को निशाना बनाया गया और गोलियों का इस्तेमाल किया गया। परन्तु अब बमों का प्रयोग किया जा रहा है। बम रख कर काफी लोगों को निशाना बना कर मारा जा रहा है ताकि समाज में अशांति फैल सके, समाज में सामुदायिक हिंसा भड़क उठे। यही मुख्य रूप से मंशा थी। यह तय किया गया जब पूरा देश दिवाली, ईद तथा गुरु पर्व मनाने वाला था। यह समुदायों में अशांति फैलाने का मूलभूत विचार था।

दूसरे प्रकार की घटना जम्मू और कश्मीर में घट रही है। ये वे लोग हैं जो सीमापार के एक बड़े समूह द्वारा समर्थित हैं। उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है। वे जम्मू और कश्मीर राज्य के विभिन्न भागों में मॉड्यूल बनाते हैं। वो बर्बादी फैलाते हैं। वे व्यक्ति विशेष को निशाना बनाते हैं। वे मंत्री अथवा विद्यालयों के घर में घुस जाते हैं। वे लोगों को मारते भी हैं। घाटी तथा जम्मू में लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। यह एक अलग प्रकार की आतंकवादी गतिविधि है।

तीसरा पहलू यह है जो लालच के कारण होता है। यह होम गार्ड इंस्टीट्यूट से असल बारूद लूटना है। यह घटना 11 और 13 नवम्बर को हुई जिसमें 500 या 600 से अधिक लोगों ने जिला मुख्यालय पर हमला किया, अथवा हमने जो देखा या सुना

या अखबारों में पढ़ा कि जिला मुख्यालय पर हजारों लोगों ने हमला किया। उन्होंने बिजली काट दी और पुलिस लाइन में घुसने का प्रयास किया। कहां एक नक्सली को दुर्घटना में चोट पहुंची। परन्तु उनका विचार जेल पर हमला करके कतिपय मोवादियों को छुड़ाना था, इतना ही नहीं वे रणवीर सेना के कुछ लोगों को पकड़ कर खत्म करना भी चाहते थे। वह एक अलग प्रकार की आतंकवादी गतिविधि है। जब हम माओवादी आतंकवादी गतिविधि अथवा नक्सलियों अथवा पीपुल्स वार ग्रुप की पिछले डेढ़ या दो साल की बात करते हैं, तो ये सभी एकजुट हो गए हैं और अधिकांश को सीपीआई (माओवादी) नाम दे दिया गया है। हम उन्हें माओवादी कहते हैं। यह माओवादी आतंकवाद है। सीपीआई (मार्कसिस्ट) पार्टी पूरी तरह उनके विरुद्ध है। पश्चिम बंगाल में भी उन्हें निशाना बनाया गया है।

छः महीने पहले यह समाचारों में था। एक या दो पदाधिकारियों को निशाना बनाया गया था और उन्हें उस स्थान से दूर जाना पड़ा जहां उन्हें तैनात किया गया था। यह पश्चिम बंगाल के दो या तीन जिलों में हुआ है। इन आतंकवादियों के चंगुल से कोई नहीं बचा है। उनकी शाखाएं फैल रही हैं। यह हमारे राष्ट्र की राजनीति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मुझे इन मुद्दों पर विचार करने के लिए कुछ और समय दिया जाए।

मैं यह कहना चाहूंगा कि दिल्ली में किए गए विस्फोट का लक्ष्य लोगों को मौत का ग्रास बनाकर तथा सम्पत्ति का नुकसान करके दहशत फैलाना था। दूसरे, इसका उद्देश्य समुदाय में दुर्भावना फैलाना तथा सामुदायिक सहिष्णुता को समाप्त करना था और समाज में गड़बड़ी फैलाना भी था। लोगों ने अवसर की गम्भीरता को समझा और उनके इरादे नाकाम कर दिए। इस देश के राजनैतिक नेतृत्व ने दलगत भावना को भुलाकर इसकी गम्भीरता को समझा और यह सुनिश्चित किया कि कोई राजनैतिक दल इन बम विस्फोटों से लाभ न उठाए। यह एक महान उपलब्धि है जो इस देश ने प्राप्त किया। न केवल सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष के नेताओं ने भी सुनिश्चित किया कि सामुदायिक भावनाएं न भड़कें। सभी सम्बद्ध व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक प्राथमिकता राजधानी में शांति बनाए रखना था। आम लोगों ने भी यह सुनिश्चित किया कि अगले दो तीन दिनों में ही सामान्य दिनचर्या बहाल हो जाए। दुकानें खोल दी गई थी और बड़ी संख्या में लोग बाहर आए। इन आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वालों के इरादों को नाकाम करने के लिए लोगों का मुंहतोड़ जवाब था।

ऐसा पहली बार नहीं था कि दिल्ली में बम विस्फोट किया गया हो। ऐसा पहले भी हुआ था। जैसाकि मैंने पहले भी कहा है कि इस प्रकार की हिंसा कायरता है। यह आतंकवादियों के इरादे स्पष्ट कर देती है। मैं सभा में जो कुछ कह रहा हूं यदि माननीय गृह राज्य मंत्री उसे आगे बता सके तो मैं इसकी सराहना करूंगा। माननीय गृह मंत्री ने 31 अक्तूबर को मीडिया के समक्ष प्रेस वक्तव्य में कहा: "सूचना प्रकट करने के लिए दबाव न डालें।" यह जानने के लिए कि सरकार के पास क्या जानकारी थी मीडिया सरकार को परेशान कर रही थी। आज भी अनेक माननीय सदस्यों ने इस बारे में उल्लेख किया है। उस समय उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था "सूचना लेने के लिए दबाव न डालें।" मैं सरकार से अब जानकारी देने के लिए नहीं कह रहा। हमें जानकारी की आवश्यकता नहीं है। देश को जानकारी की आवश्यकता नहीं है। हम कार्यवाही चाहते हैं। हम इस बात की जानकारी चाहते हैं कि क्या कार्यवाही की गई इसका क्या परिणाम निकला और इस अपराध को करने वाले लोगों को कब तक पकड़ लिया जाएगा।

हम सभी जानते हैं कि ये विस्फोट त्योहार के मौसम में दुर्भावना पैदा करने के लिए किये गये थे। तीन दिन बाद दीवाली थी, ईद आ रही थी, दो ही सप्ताह बाद गुरुपर्व था और तीन सप्ताह बाद अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेला था। इन चार मौकों पर सारे देश से लोग दिल्ली आते हैं और भाग लेते हैं। इसी वजह से मैं इस देश के लोगों को बधाई देता हूं। इसी प्रकार सरकार को भी श्रेय दिये जाने की जरूरत है, मैं इससे इंकार नहीं करता। देश ने सफलतापूर्वक यह दिखा दिया है कि इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों से हमें भयभीत नहीं किया जा सकता। साथ ही, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि आतंकवाद से लड़ने का हमारा राष्ट्रीय संकल्प होना चाहिए और यह हमारे कार्य और नीति से जाहिर होना चाहिए।

दिल्ली के बम विस्फोटों ने दिखा दिया है कि भारत आतंकवादियों के निशाने पर है। कोई यह भी कह सकता है कि चूंकि हम संपूर्ण इस्लामिक आतंकवाद के विरुद्ध संयुक्त राज्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं, इसलिए भारत को लक्ष्य बनाया जा रहा है। मुझे नहीं पता कि कुछ माननीय सदस्यों ने सदन में ऐसा कहा या नहीं, किंतु बाहर इस पर चर्चा हो रही है कि चूंकि हम संपूर्ण इस्लामिक आतंकवाद के विरुद्ध संयुक्त राज्य के साथ कंधे से कंधा मिलकार लड़ रहे हैं इसलिए हमें लक्ष्य बनाया जा रहा है। मैं इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं क्योंकि भारत को संपूर्ण इस्लामिक आतंकवादी संगठनों द्वारा पहले से लक्ष्य बनाया जा रहा है, संयुक्त राज्य को लक्ष्य बनाये जाने से भी पहले से। भारत दो इस्लामिक खंडों के बीच का एक द्वीप है और भारत को संपूर्ण इस्लामिक आतंकवादी संगठनों द्वारा लक्ष्य बनाया जा रहा है। मैं सिर्फ दो का नाम लूंगा। विशेषकर संपूर्ण यूएस बोगी, जो कि बिना मतलब यूएस चीजों पर अड़ी रहती है।

सभापति महोदय, आप अपने अनुभव और सूझबूझ के लिए जाने जाते हैं। फ्रांसीसी क्रांति से ही आतंकवाद को राजनैतिक

[श्री भर्तृहरि महताब]

परिवर्तन का एक प्रभावी माध्यम दिखाई दिया है। इतालवी कार्लो पीसियन जैसे क्रांतिकारियों और कार्ल मार्क्स जैसे विचारकों ने भी यही कहा है। रूसी लोकवाद उसके बाद 'अराजकतावाद'' और ''साम्यवाद'' ने आतंकवाद का साम्राज्य फैलाया जो कि लोगों के एक विशेष वर्ग के विरुद्ध था सामान्यजन के विरुद्ध नहीं। यही इतिहास है। विश्व जर्मनी में नाजी, इटली में फासीवाद और रूस में स्टालिनवाद के राज्य-प्रायोजित आतंकवाद का गवाह है। किंतु वहां भी लक्ष्य संपूर्ण जनता नहीं थी। अब तक के सर्वाधिक खूंखार आतंकवादी नेटवर्क में संपूर्ण इस्लामी आतंकवादी ग्रुप के उग्रवादी शामिल हैं जो कि वर्ष 1990 में ओसामा-बिन-लादेन द्वारा स्थापित अल-कायदा है। वर्ष 2000 में पाकिस्तान में मौलाना मसूद अजहर द्वारा जैश-ए-मोहम्मद की स्थापना की गई थी। बहुत से अन्य इस्लामिक संगठन भी पैदा हो गए हैं। किंतु ये सभी तब शुरू हुए थे जब इजराइल बना था और ये उसकी प्रतिक्रियास्वरूप थे। लोगों के एक ग्रुप ने हथियार ले लिये थे और वे एक ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते थे ताकि भेदभाव रहित हत्याएं उन्हें शक्ति का अधिकार दे सकें। यही कारण है, जैसाकि मैंने पहले भी कहा है, आसूचना नेटवर्क को बढ़ाया जाना चाहिए, अन्वेषण क्षमताओं को दुगनी करना चाहिए। साथ ही, चूंकि समय कम है, मैं इस पहलू पर एक बात ही रखना चाहूंगा ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपने 15 मिनट ज्यादा ले लिए हैं। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री भर्तृहरि महताब: मैं सिर्फ यह बताना चाहूंगा कि जब इस प्रकार की आपदाएं आती हैं, आपदा प्रबंधन कार्यविधि को शुरू किया जाना चाहिए। मैं घटना की उस शाम को नहीं भुला सकता हूं जब बड़ी संख्या में आदमी एंबुलेंसों द्वारा विभिन्न अस्पतालों में लाए जा रहे थे। डॉक्टर, पैरा मेडिकल स्टाफ, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री, केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव, दिल्ली प्रसासन सभी इस चुनौती से निबटने के लिए जुटे हुए थे।

हम उसे नहीं भुला सकते। सारे देश ने देखा, किस प्रकार हमारे स्वास्थ्य मंत्री, हमारे मेडिकल कॉलेज आगे आए और पैरा मैडिकल अधिकारी भी वहां थे।

सभापति महोदय: योगी आदित्यनाथ।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, कृपया मुझे थोड़ा समय और दीजिए।

इस प्रकार की आपदा प्रबंधन गतिविधियां शुरू की जानी चाहिए ताकि घटना के समय लोगों को राहत और मदद मिल सके ...*(व्यवधान)*

जम्मू और कश्मीर पहलू के संबंध में, मैं बता चुका हूं। मुझे यह भी बताना चाहिए कि गत छह माह के दौरान उड़ीसा के दो और जिलों संबलपुर और देवगढ़ में नक्सली घटनाएं बढ़ रही हैं। नौ से अधिक लोग मारे गए ...*(व्यवधान)*। मैं केवल यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि चूंकि केन्द्र सरकार, गृह मंत्री को शायद ही ब्यौरे का पता होगा। नौ लोग मारे जा चुके हैं। उनमें से एक पुलिस कार्मिक था। उनमें से सात गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी के थे। एक आदमी को पैसा मिला था और इंदिरा आवास योजना द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। केवल इसलिए कि वह इन 25,000 रुपयों का हिस्सा माओवादियों को देने का इच्छुक नहीं था, उसे मार डाला गया। माओवादी इस प्रकार के वर्ग संघर्ष की परिकल्पना कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए। योगी आदित्यनाथ।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप 17 मिनट ले चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब: इस बात की चर्चा करना क्या मजाक है कि मुझे पांच मिनट बोलना है या दस मिनट। अगर मैं असंगत बोल रहा हूं तो मुझे रोका जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)* उड़ीसा में नौ जिलों की नक्सल प्रभावित जिलों के तौर पर पहचान की गई है। इन दो जिलों में नक्सली घटनाएं गत एक वर्ष के दौरान शुरू हुई है। नेपाल से तमिलनाडु और कर्नाटक तक रेड कारिडोर में आ गए हैं। इन दो जिलों में भी, सामान्य जन और आम आदमी को निशाना बनाया जा रहा है।

जहानाबाद घटना के समय एक अग्रणी साहित्यकार श्रीमती महाश्वेता देवी इस प्रकार के वर्ग संघर्ष की मदद में आगे आई। इससे हमें काफी दुख पहुंचा है। यह वास्तव में दुर्भाग्य है। मैं इस तरीके से इंकार नहीं करता जिस तरीके से बिहार में वर्ग संघर्ष या जाति संघर्ष हो रहा है। बिहार राज्य कानून के संरक्षण में असफल रहा है। साथ ही, जहानाबाद में लक्षित ग्रुप पर जन-हमला भी हुआ है उड़ीसा में गत वर्ष ऐसी ही घटना हुई थी। कोरापुट में, जो कि जिला मुख्यालय है और आंध्र प्रदेश से बहुत से नक्सली हमला करने आए थे किन्तु उड़ीसा पुलिस ने उसे विफल कर दिया और उन्हें वापस भेज दिया चूंकि वहां पर एक अच्छी सरकार थी। मैं यहां सिर्फ यह जोड़ना चाहूंगा ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। कृपया मेरी मदद कीजिए।

श्री भर्तृहरि महताब: मैं आपकी विवशता समझता हूं किन्तु मैं केवल इन दो पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। इस संघर्ष में कोई विचारधारा नहीं है। यह सिर्फ समाज में समानान्तर व्यवस्था के लिए धन की उगाही है। यहां तक कि पल्ले सभाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा अन्य स्थानों पर भी हुआ है। लोग इस उम्मीद से आंध्र की ओर देख रहे हैं कि गत 18 महीनों में कुछ परिवर्तन हुआ होगा। तथापि, स्थिति बद से बदतर हो गई है। चुनाव से पहले किये गये वायदे नहीं निभाये गये हैं।

मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि यदि आपके पास इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों से निबटने के लिए कोई विशिष्ट नीति नहीं है तो भारतीय जनता आपको माफ नहीं करेगी। हर किसी को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भारत की जनता बेकार शासन या कमजोर राज्य को सर्वाधिक दंड देती है।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री ने पिछले तीन महीनों के अंदर जिन महत्वपूर्ण आतंकवादी घटनाओं के बारे में यहां पर अपनी स्टेटमेंट दी थी, उस पर हम यहां बहस कर रहे हैं। उनमें मुख्य रूप से पिछले चार महीनों के अंदर जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी, दीपावली के दो दिन पूर्व दिल्ली के अंदर हुए बम विस्फोट, झारखंड के गिरीडीह में नक्सलवादियों ने होमगार्ड प्रशिक्षण केन्द्र पर हमला तथा बिहार के जहानाबाद जिला मुख्यालय पर नक्सलवादियों और उग्रवादियों के कब्जे से संबंधित घटनाएं हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को अपनी स्टेटमेंट से अछूता रखा है जैसे असम के अंदर सितम्बर महीने में एक प्रायोजित ढंग से आतंकी हमला हुआ है। पूर्वोत्तर भारत को अलगाव की आग में डालने का प्रयास हो रहा है। उस जातीय हिंसा का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया है। यही नहीं जम्मू-कश्मीर के अंदर जब वहां पर प्राकृतिक त्रासदी से लोग पीड़ित थे, उसी समय राज्य के अंदर 12 हिंदुओं का गला रेंत कर नृशंस हत्या कर दी गई थी। इस स्टेटमेंट में कहीं भी उस घटना का उल्लेख नहीं है। विभिन्न घटनाओं के बारे में, चाहे वह उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद की घटना हो या विभिन्न क्षेत्रों में जो घटनाएं घटित हुई हैं जो किसी आतंकवादी और उग्रवादी घटना से कम नहीं हैं, उन सबके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन मंत्री जी किन कारणों से वह चर्चा नहीं हो पाई है, यह हम अच्छी तरह से जानते हैं और इसीलिए आज जब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं तो मुझे बड़ा कष्ट और दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस चर्चा का मतलब इस प्रकार से होगा जैसा मानसून सत्र में आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा का हुआ था। जुलाई 5, 2005 को श्री राम जन्म भूमि पर हुए आतंकी हमले और देश के विभिन्न क्षेत्रों में हुए आतंकी हमलों के बारे में उस समय भी चर्चा की थी। उस चर्चा का कोई मतलब नहीं हुआ और जितनी गंभीरता के साथ सरकार ले रही है जैसे सत्ता पक्ष की उपस्थिति और माननीय गृह मंत्री जी की अनुपस्थिति, यह सब इस चर्चा की गंभीरता को स्वयं उजागर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि गधे के सिर पर सींग ढूंढ़ने के समान ही इस चर्चा का भी कोई मतलब नहीं होगा।

मैं आपका ध्यान *...(व्यवधान)* वे गृह राज्य मंत्री हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. के. खारवेनथन (पलानी): गृह राज्य मंत्री यहां बैठे हैं। गृह मंत्री राज्य सभा में हैं। *...(व्यवधान)*

योगी आदित्यनाथ: मैं जानता हूं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): हम अनुशासन का पालन करते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: योगी आदित्यनाथ, आप अपना भाषण जारी रखिए। टिप्पणियों पर ध्यान मत दीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: पिछले चार महीनों के अंदर जो घटनाएं घटित हुई हैं, वे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हैं। जब हम आंतरिक सुरक्षा के बारे में चर्चा करते हैं, तो चार बातें सबके सामने छनकर आती हैं—एक, जिस जम्मू-कश्मीर के बारे में माननीय गृह मंत्री जी ने अपनी स्टेटमैंट दी है, उस जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित और आईएसआई, जो इसकी खुफिया एजेंसी है, उसके द्वारा पूरे देश के अंदर जिस इस्लामिक आतंकवाद का बहुत तेजी से विस्तार हुआ है, आज लगभग पूरा देश उसकी चपेट में आ गया है। वह एक आतंकवाद है। दो, इस देश के अंदर वह साम्यवादी उग्रवाद है, जिसे आप माओवाद के रूप में, नक्सलवाद के रूप में मान सकते हैं। पिछले डेढ़ वर्षों में बहुत तेजी से एक-तिहाई भारत उसकी चपेट में आ गया है। मार्च, 2004 से जो आंकड़े हम सबके पास हैं, उनमें 8 राज्यों के 54 जिलों तक ही सीमित जो नक्सलवाद था, वह पिछले डेढ़ वर्षों में बढ़कर 15 राज्यों के 200 से अधिक जनपदों तक फैला है। उसे जिस

[योगी आदित्य नाथ]

तेजी से राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, जिस प्रकार राजनीतिक स्वार्थों के लिए उसे संरक्षण दिया जा रहा है, उसकी गतिविधियों के प्रचार के लिए राजधानी और देश के विभिन्न क्षेत्रों में उसके अड्डे स्थापित करवाए जा रहे हैं, उसमें कमी आने की संभावना नहीं है। जहानाबाद की घटना हम सबके सामने एक उदाहरण मात्र है कि लगातार दस घंटे तक जहानाबाद जिला मुख्यालय नक्सलवादियों और उग्रवादियों के कब्जे में रहता है। जहानाबाद बिहार की राजधानी पटना से मात्र 45 किलोमीटर की दूरी पर है। उन उग्रवादियों के खिलाफ एक रणनीति बननी चाहिए थी, वहां सशस्त्र बलों को पहुंचाकर उनका मुकाबला किया जाना चाहिए था, उन्होंने जिस तरह जेल पर हमला किया, वहां के विभिन्न पुलिस अधिकारियों को बंधक बनाया, उस दृष्टि से जो प्रभावी कार्यवाही होनी चाहिए थी, वह नहीं हो पाई। यह साफ उजागर करता है कि कहीं न कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है और साथ-साथ उन तत्वों से राजनीतिक लाभ अर्जित करने की जो तमन्ना भारत के राजनीतिक मानस पटल पर आज भी व्याप्त है, कहीं न कहीं यही कारण है कि हम आतंकवाद और उग्रवाद का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। तीन, इस देश के पूर्वोत्तर राज्यों का मामला है। हम कश्मीर की चर्चा करते हैं, देश के विभिन्न भागों में जो बम विस्फोट हुए, जो निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं, उनकी चर्चा भी करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हम पूर्वोत्तर राज्यों को भूल रहे हैं। मैंने असम की चर्चा की थी कि वहां सितम्बर में जातीय हिंसा हुई थी। माननीय गृह मंत्री जी ने उसका कहीं उल्लेख नहीं किया। उसमें सौ से ऊपर लोग मारे गए थे और वह हिंसा कई दिनों तक चलती रही। उससे पहले 17 जून से जुलाई के अंत तक मणिपुर में नागा उग्रवादी संगठनों ने जो आर्थिक नाकेबंदी की थी, 45 दिनों तक केन्द्र सरकार ने वहां कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की।

इन संवेदनशील मुद्दों पर सरकार कितनी गंभीर है? पूर्वोत्तर राज्यों की बड़ी अनदेखी की जा रही है। असम के राज्यपाल भारत सरकार को निरन्तर ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यदि आप जारी रख रहे हैं, तो कल समाप्त कर सकते हैं।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: यदि हमें अभी मौका मिले तो हम अपना भाषण खत्म कर देते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 2 दिसंबर, 2005/11 अग्रहायण, 1927 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री हरिकेवल प्रसाद डा. एम. जगन्नाथ	122
2.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ श्री कीर्ति वर्धन सिंह	123
3.	श्रीमती अर्चना नायक श्रीमती रूपाताई डी. पाटील	124
4.	श्री राजेन गोहेन श्री प्रभुनाथ सिंह	125
5.	श्री शिशुपाल पटले श्री रतिलाल कालीदास वर्मा	126
6.	श्री वीरचन्द्र पासवान श्री कैलाश बैठा	127
7.	श्रीमती किरण माहेश्वरी श्री रायापति सांबासिवा राव	128
8.	श्री अजीत जोगी श्री ब्रजेश पाठक	129
9.	प्रो. महादेवराव शिवनकर श्री असादूद्दीन ओवेसी	130
10.	श्री पी. करुणाकरन	131
11.	श्री वाई.जी. महाजन श्री हरिभाऊ राठौड़	132
12.	श्री मोहन सिंह	133
13.	श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव श्री गिरिधारी यादव	134
14.	श्री रेवती रमन सिंह श्री राम कृपाल यादव	135
15.	श्री तुकाराम गंगाधर गदाख	136
16.	श्री संतोष गंगवार प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा	137
17.	डा. के. धनराजू श्री अर्जुन सेठी	138
18.	श्री मोहन रावले	139
19.	श्री बालासाहिब विखे पाटील	140
20.	श्री जीवाभाई ए. पटेल श्री वी.के. ठुम्मर	141

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरून रशीद, श्री जे.एम.	1323, 1340
2.	अब्दुल्लाकुट्टी, श्री	1451
3.	आचार्य, श्री बसुदेव	1346, 1349, 1405, 1431
4.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	1319, 1382, 1400, 1429, 1431
5.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	1334, 1378
6.	अजय कुमार, श्री एस.	1313
7.	अप्पादुरई, श्री एम.	1308
8.	आठवले, श्री रामदास	1312, 1394, 1434, 1445, 1457, 1475
9.	"बाबा" श्री के.सी.	1296, 1348, 1406
10.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	1277, 1364, 1438, 1461, 1476
11.	बर्मन, श्री रनेन	1275
12.	बाउरी, श्रीमती सुस्मिता	1307, 1388
13.	बखला, श्री जोवाकिम	1330
14.	भक्त, श्री मनोरंजन	1321, 1403, 1439
15.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	1359
16.	वरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	1276
17.	बोस, श्री सुब्रत	1330
18.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	1381
19.	चक्रवर्ती, श्री अजय	1316, 1396, 1435, 1458
20.	चन्देल, श्री सुरेश	1360
21.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	1329
22.	चटर्जी, श्री सांताश्री	1382
23.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	1286

1	2	3
24.	चिन्ता मोहन, डा.	1315, 1332, 1407
25.	चौधरी, श्री अधीर	1299, 1399
26.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	1370
27.	गढ़वी, श्री पी.एस.	1353
28.	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	1379, 1426, 1452, 1468
29.	गांधी, श्रीमती मेनका	1331, 1341, 1410, 1443, 1484
30.	गंगवार, श्री संतोष	1320
31.	जार्ज, श्री के. फ्रांसिस	1313
32.	झा, श्री रघुनाथ	1290, 1373, 1418, 1425
33.	जोगी, श्री अजीत	1382
34.	कस्वां, श्री राम सिंह	1427
35.	खैरे, श्री चंद्रकांत	1281, 1367, 1423, 1450, 1467
36.	खां, श्री सुनील	1307, 1388
37.	खंडूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र	1291, 1371
38.	खन्ना, श्री अविनाश राय	1271, 1366, 1391, 1448, 1480
39.	खारवेनथन, श्री एस.के.	1294, 1374, 1424, 1451, 1474
40.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	1282, 1417, 1478
41.	कृष्ण, श्री विजय	1295, 1420
42.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	1302, 1313, 1320, 1322, 1401
43.	लाहिरी, श्री समिक	1278, 1365
44.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	1315
45.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	1357

1	2	3
46.	महाजन, श्री वाई.जी.	1302, 1391, 1448
47.	महतो, श्री बीर सिंह	1477
48.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	1381, 1427
49.	महताब, श्री भर्तृहरि	1317
50.	माझी, श्री परसुराम	1274, 1362, 1479
51.	मल्लिकार्जुनैया, श्री एस.	1304
52.	मंडल, श्री सनत कुमार	1287, 1368, 1463, 1473
53.	माने, श्रीमती निवेदिता	1379, 1426, 1452, 1468
54.	मैक्लोड, श्री इन्ग्रिड	1272
55.	मेघवाल, श्री कैलाश	1279, 1307, 1417, 1449
56.	मिश्रा, डा. राजेश	1323, 1404
57.	मोघे, श्री कृष्णा मुरारी	1356, 1406
58.	मोहिते, श्री सुबोध	1289
59.	मुन्शी राम, श्री	1302, 1313, 1322, 1327, 1380
60.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	1323
61.	नायक, श्री अनन्त	1380
62.	निखिल कुमार, श्री	1309
63.	ओराम, श्री जुएल	1297, 1377, 1421
64.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	1392, 1431, 1455
65.	पलनिसामी, श्री के.सी.	1298, 1375, 1481
66.	पाण्डा, श्री प्रबोध	1344
67.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	1333
68.	पासवान, श्री वीरचंद्र	1372
69.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	1378
70.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	1313, 1314, 1348, 1395, 1433

1	2	3
71.	पाठक, श्री ब्रजेश	1309, 1402, 1482, 1483
72.	पाटील, श्री बालासाहेब विखे	1430, 1440, 1454, 1469
73.	पटले, श्री शिशुपाल	1302, 1313, 1320, 1380
74.	पिंगले, श्री देविदास	1343
75.	पोन्नुस्वामी, श्री ई.	1391
76.	प्रधान, श्री प्रशान्त	1306
77.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	1378
78.	पुरन्देश्वरी, श्रीमंती डी.	1324
79.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	1318, 1397, 1436, 1459
80.	राजेन्द्रन, श्री पी.	1292
81.	रामदास, प्रो. एम.	1358, 1405, 1422
82.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	1324, 1339
83.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	1398, 1437, 1460, 1471
84.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	1302
85.	रावले, श्री मोहन	1390
86.	रावत, श्री अशोक कुमार	1302, 1313, 1322, 1327, 1406
87.	रेड्डी, श्री जी. करुणाकर	1310, 1352, 1389, 1429, 1453
88.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	1331
89.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	1279, 1284, 1387
90.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	1302, 1415
91.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	1378, 1385
92.	साई प्रताप, श्री ए.	1301
93.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	1311, 1393, 1432, 1456, 1470
94.	सरोज, श्री दरोगा प्रसाद	1328
95.	सरोज, श्री तूफानी	1338
96.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	1302, 1336
97.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	1335, 1408
98.	सेन, श्रीमती मिनाती	1305
99.	सेठ, श्री लक्ष्मण	1306
100.	सेठी, श्री अर्जुन	1419
101.	शाहिद, मोहम्मद	1320
102.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	1280, 1413, 1444, 1462, 1472
103.	शिवन्ना, श्री एम.	1342, 1412
104.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	1302, 1313, 1383, 1428
105.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	1283, 1376, 1441
106.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	1385
107.	सिंह, कुवंर मानवेन्द्र	1302, 1352
108.	सिंह, श्री रामसेवक	1293
109.	सिंह, श्री चन्द्रभान	1303
110.	सिंह, श्री दुष्यंत	1337
111.	सिंह, श्री गणेश	1351, 1418, 1447, 1465
112.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	1379, 1426, 1452, 1468
113.	सिंह, श्री मोहन	1384
114.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	1411
115.	सिंह, श्री रेवती रमन	1386
116.	सिंह, श्री सुग्रीव	1313, 1314, 1395, 1433, 1466
117.	सिंह, श्री उदय	1325, 1399, 1405

1	2	3
118.	सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन	1345, 1416
119.	सुब्बा, श्री एम.के.	1466
120.	सुगावनम, श्री ई.जी.	1273, 1361
121.	सुमन, श्री रामजीलाल	1332, 1407
122.	सुम्बरूई, श्री बागुन	1354
123.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	1329
124.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	1277, 1285
125.	थामस, श्री पी.सी.	1355
126.	ठुम्मर, श्री वी.के.	1334
127.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	1288, 1369, 1485, 1446, 1464
128.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	1300, 1409, 1442
129.	वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	1270, 1363
130.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	1347, 1400, 1429, 1431, 1432
131.	वीरेन्द्र कुमार, श्री	1326
132.	यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु	1302, 1350, 1421
133.	यादव, श्री राम कृपाल	1339, 1414

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	:	133, 135, 138, 139, 140
रक्षा	:	130, 132, 134, 137
सूचना और प्रसारण	:	124, 136
पंचायती राज	:	
संसदीय कार्य	:	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	123, 126, 128, 141
रेल	:	122, 125, 131
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	127, 129

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	:	1280, 1285, 1296, 1298, 1309, 1310, 1312, 1323, 1324, 1330, 1340, 1341, 1345, 1366, 1375, 1376, 1381, 1389, 1390, 1396, 1398, 1408, 1409, 1410, 1413, 1415, 1437, 1441, 1442, 1443, 1444, 1448, 1449, 1454, 1455, 1459, 1462, 1469, 1472
रक्षा	:	1271, 1290, 1291, 1305, 1313, 1318, 1319, 1325, 1338, 1343, 1347, 1348, 1351, 1353, 1360, 1362, 1371, 1372, 1384, 1385, 1391, 1395, 1402, 1411, 1419, 1425, 1446, 1464, 1465, 1468, 1473, 1480, 1483
सूचना और प्रसारण	:	1281, 1282, 1284, 1300, 1317, 1355, 1361, 1364, 1367, 1368, 1387, 1423, 1426, 1430, 1432, 1433, 1438, 1440, 1451, 1453, 1457, 1467, 1474
पंचायती राज	:	1358, 1420, 1479
संसदीय कार्य	:	1301
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	1273, 1274, 1293, 1299, 1302, 1308, 1311, 1314, 1315, 1320, 1321, 1322, 1326, 1331, 1332, 1334, 1335, 1336, 1339, 1344, 1346, 1349, 1357, 1363, 1369, 1370, 1373, 1374, 1386, 1392, 1394, 1399, 1401, 1405, 1407, 1414, 1417, 1424, 1429, 1458, 1460, 1461, 1463, 1466, 1471, 1475, 1478, 1481, 1484
रेल	:	1270, 1275, 1276, 1277, 1278, 1283, 1288, 1289, 1292, 1294, 1295, 1297, 1304, 1306, 1307, 1316, 1327, 1328, 1329, 1337, 1350, 1352, 1354, 1356, 1359, 1365, 1378, 1380, 1382, 1383, 1388, 1393, 1397, 1400, 1403, 1406, 1412, 1418, 1421, 1422, 1427, 1428, 1431, 1434, 1435, 1436, 1445, 1447, 1450, 1452, 1456, 1470, 1477, 1482, 1485
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	1272, 1279, 1286, 1287, 1303, 1333, 1342, 1377, 1379, 1404, 1416, 1439, 1476

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल ''डीडी-लोकसभा'' पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/14/7/2005 (एन०)

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और धनराज ऐसोशिएट्स प्रा.लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।